वार्षिक रिपोर्ट
2008-09

जागो ग्राहक जागो

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110114
Websites: www.fcamin.nic.in, www.core.nic.in

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन : 1800-11-4000

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2008-09

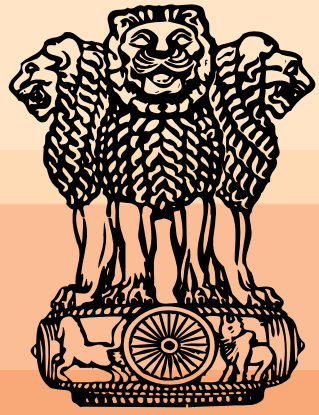

सत्यमेव जयते

मानकः पथप्रदर्शकः

IS : ....

CM/L-.....

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110114
Websites : www.fcamin.nic.in, www.core.nic.in

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन : 1800-11-4000

fo"k; lph

v/;k;	fo"k;	i"B l-
I	dk;l rFkk lxBukRed <kpk	1
II	dk;dkjh lkj	5
III	lkekU; eY; fLFkfr vkj vko';d oLrvk dh miyC/krk	27
IV	vko';d oLr vf/kfu;e]1955	43
V	miHkkDrk lj{k.k	47
VI	miHkkDrk tkx:drk ink dju d fy, ipkj vfHk;ku	73
VII	ok;nk cktkj vk;kx	83
VIII	Hkkjrh; ekud C;jk	101
IX	ckV rFkk eki	125
X	jk"Vh; ijh{k.k 'kkyk	133
XI	vulfpr tkfr;k] vulfpr tutkfr;k@vU; fiNMk ox@ 'kkjhfjd :Ik l fodykx@Hkrio lfudk d fy, vkj{k.k	147
XII	dk;LFky ij efgykvk dk ;ku mRihMu	149
XIII	fgUnh dk ixkeh i;kx	151
XIV	io"Rrj {k= dk fodkl	157
XV	lefdr foRr iHkkx	163
XVI	vix 0;fDr;k d ykHkkFk Ldhe	169

v/;k;&I

dk;l rFkk lxBukRed <kpk

1.1 श्री शरद पवार 22.05.2004 से लगातार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के पद पर आसीन हैं। श्री तसलीमुद्दीन 25.5.2004 से उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री के पद पर बने रहे। उन्होंने 22 मई, 2009 को अपने पद का कार्यभार छोड़ा। प्रो. के.वी. थॉमस ने 1 जून, 2009 से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री पद का कार्यभार संभाला।

1.2 श्री यशवन्त भावे 01.11.2006 से लगातार उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। इस विभाग में एक अपर सचिव तथा एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं।

1.3 इस विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :–

(i) आंतरिक व्यापार।

(ii) भावी सौदा व्यापार का नियंत्रण : अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74)।

(iii) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) (उन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मूल्य और वितरण से संबंधित कार्य जिनके बारे में किसी दूसरे मंत्रालय/विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से कार्यवाही नहीं की जाती है) ।

(iv) चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) उसके तहत नजरबंद व्यक्ति।

(v) पैकेज में रखी वस्तुओं का विनियमन।

(vi) विधिक माप–विज्ञान में प्रशिक्षण।

(vii) सम्प्रतीक तथा नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1952 (1952 का 12)।

(viii) बाट और माप मानक । बाट और माप मानक अधिनियम,1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985।

(ix) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63)।

(x) जैव ईंधन के अंतिम उपयोग के लिए विनिर्देशन, मानक और संहिताएं निर्धारित करना तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना।

(xi) वायदा बाजार आयोग।

(xii) उपभोक्ता सहकारी समितियां ।

(xiii) मूल्यों की निगरानी और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता ।

(xiv) राष्ट्रीय परीक्षण शाला

(xv) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68)

संगठन चार्ट
उपभोक्ता मामले विभाग

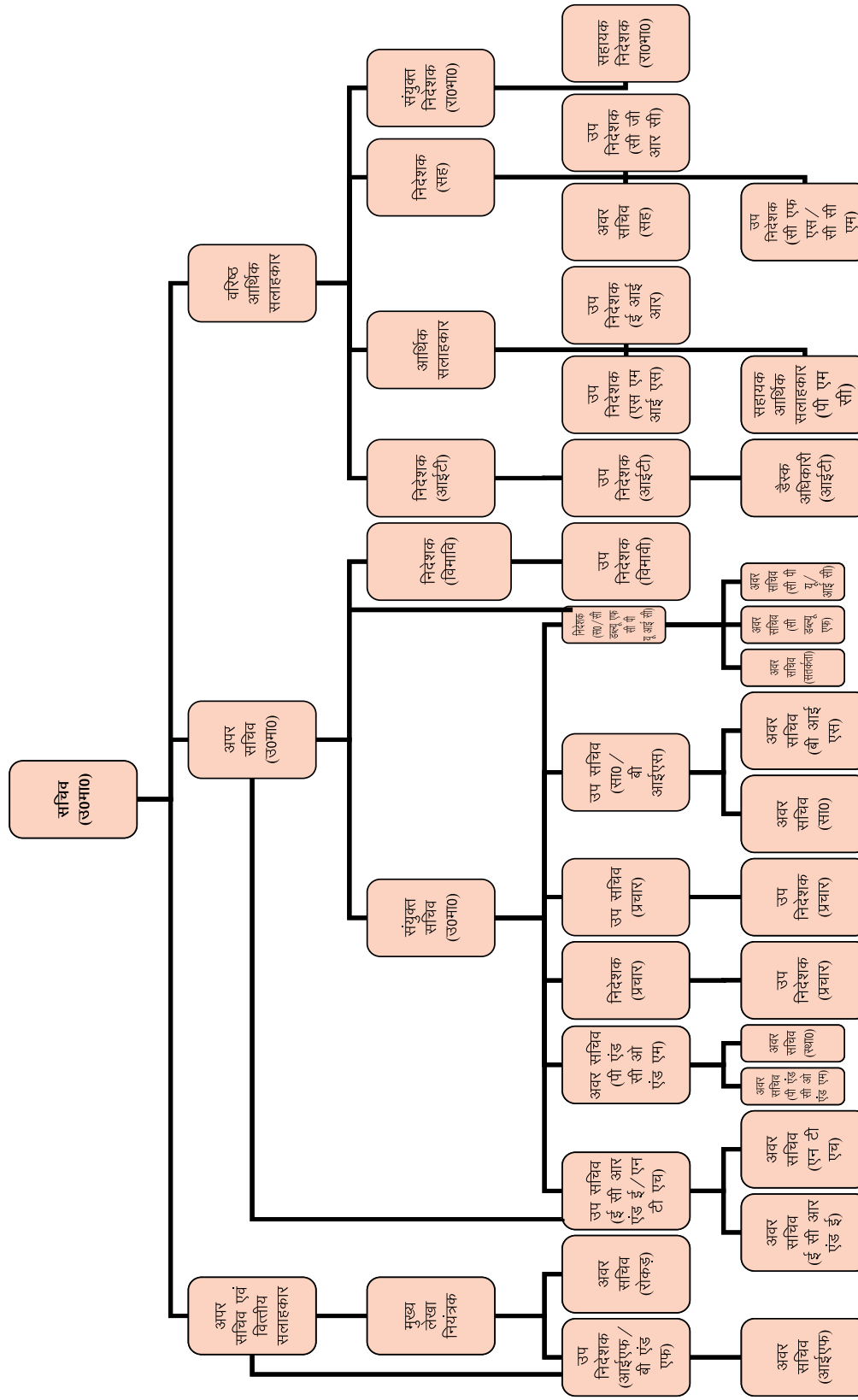

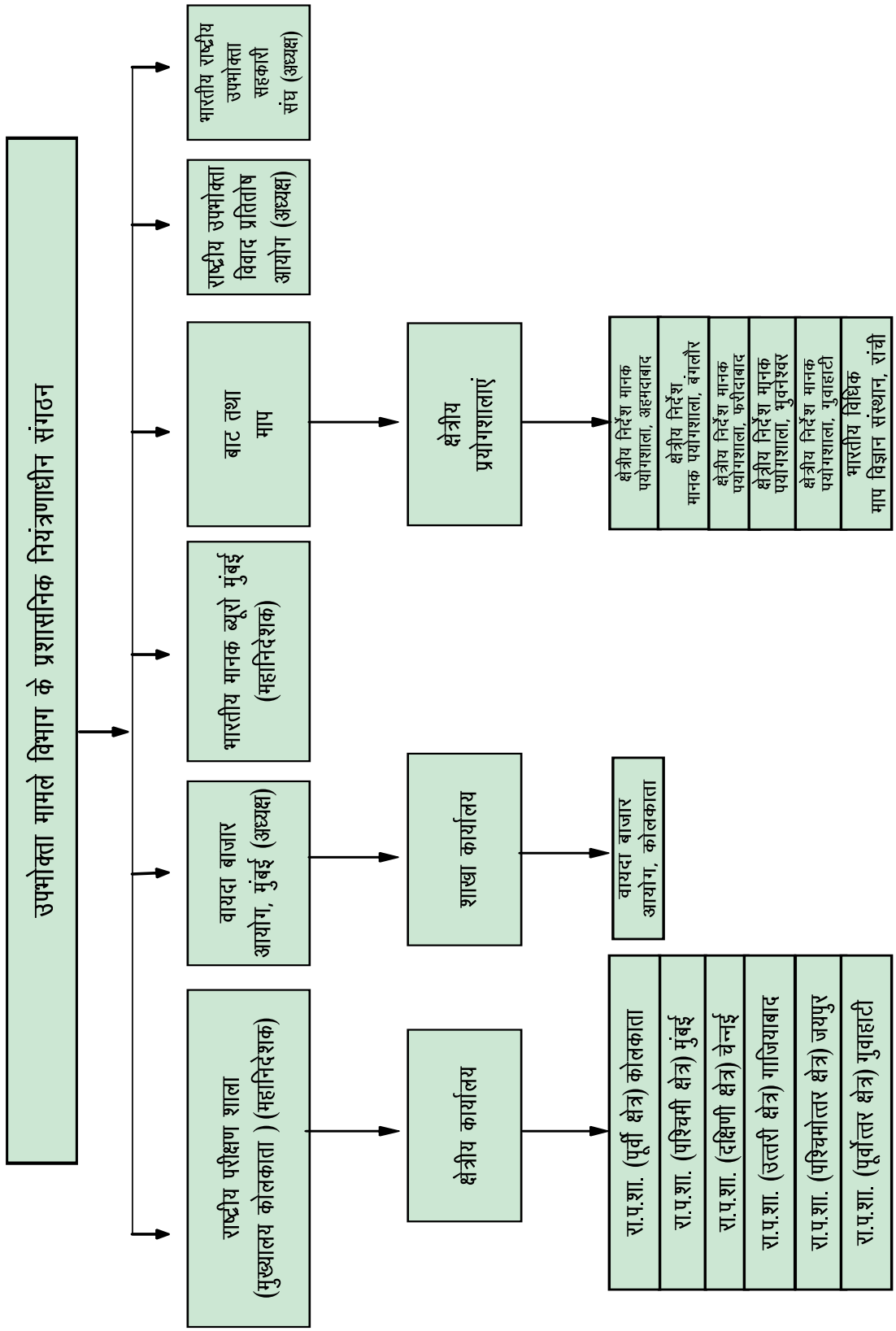
उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठन
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्यालय कोलकाता) (महानिदेशक)
क्षेत्रीय कार्यालय
रा.प.शा. (पूर्वी क्षेत्र) कोलकाता
रा.प.शा. (पश्चिमी क्षेत्र) मुंबई
रा.प.शा. (दक्षिणी क्षेत्र) चेन्नई
रा.प.शा. (उत्तरी क्षेत्र) गाजियाबाद
रा.प.शा. (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) जयपुर
रा.प.शा. (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी
वायदा बाजार आयोग, मुंबई (अध्यक्ष)
शाखा कार्यालय
वायदा बाजार आयोग, कोलकाता
भारतीय मानक ब्यूरो मुंबई (महानिदेशक)
बाट तथा माप
क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, बंगलौर
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, फरीदाबाद
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, भुवनेश्वर
क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी
भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (अध्यक्ष)
भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (अध्यक्ष)

ukxfjd vf/kdkj i=

1.4 उपभोक्ता मामले विभाग का नागरिक अधिकार पत्र जो उपभोक्ताओं और जनता के व्यापक हित में उपभोक्ता मामले विभाग की नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हासिल करने के प्रति उपभोक्ता मामले विभाग की प्रतिबद्धता की घोषणा है, विभाग की वेबसाइट www.fcamin.nic.in पर उपलब्ध है।

Lkpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005

1.5 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना को विभाग की वेबसाइट www.fcamin.nic.in पर उपलब्ध करा दिया गया है । अधिनियम के तहत जनता को सूचना प्रदान करने हेतु विभिन्न संगठनों/प्रभागों के लिए सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की सूची भी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। सभी टेंडर, नोटिस तथा सार्वजनिक महत्व के अन्य निर्णय भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

Lkr d|rk

1.6 विभाग में अपर सचिव को उनकी अन्य जिम्मेदारियों के अलावा मुख्य सतर्कता अधिकारी पदनामित किया गया है।

1.7 यह विभाग भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, सुपर बाजार, विधिक माप विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, वायदा बाजार आयोग, मुंबई और राष्ट्रीय परीक्षण शाला तथा इसकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर और गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सतर्कता कार्यों की भी निगरानी करता है ।

1.8 भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया जाता है :–

(क) विशेष रूप से भ्रष्टाचार की संभावना वाले क्षेत्रों में प्रभावशाली तरीके से अचानक निरीक्षण करना

(ख) इस विभाग के अधीन सभी संगठनों में सतर्कता मामलों के निपटान की बारीकी से निगरानी करना

(ग) संवेदनशील क्षेत्रों में कर्मचारियों का बारी–बारी से तबादला।

1.9 सतर्कता और भ्रष्टाचार–रोधी उपायों के संबंध में आवधिक विवरणियां नियमित रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी जा रही है।

1.10 विभाग ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार 03 नवम्बर और 07 नवम्बर, 2008 के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया । इस अवसर पर 07 नवम्बर, 2008 को "जनहित घोषणा द्वारा भ्रष्टाचार निवारण" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें विभाग के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया ।

****

v/;k;&II

dk;dkjh lkj

1- vko';d oLrqvksa dk eY; #>ku vkj mudh miyC/krk

1.1 वर्ष 2008–09 मूल्यों में उतार–चढ़ाव का वर्ष रहा। वर्ष के पूर्वार्द्ध के दौरान पण्य वस्तु बाजारों में कीमतों में उत्तरोत्तर बदलाव के साथ कच्चे तेलों के मूल्यों में 100 अमरीकी डालर प्रति बैरल को पार करके 150 अमरीकी डालर प्रति बैरल के करीब पहुंच गए। जिसके परिणामस्वरूप कृषि वस्तुओं के मूल्यों में रिकार्ड वृद्धि हुई। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। सरकार द्वारा उठाए गए अनेक सकारात्मक कदमों के कारण भारत घरेलू मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने में सक्षम रहा और केवल खाद्य तेलों के मूल्यों में गिरावट दिखाई दी। वर्ष के उत्तरार्द्ध में वस्तुओं, खासतौर पर खाद्य तेलों के मूल्यों में भारी गिरावट दर्ज की गई।

1.2 वर्ष 2008–09 के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की बारीकी से निगरानी की गई तथा कुछ वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति में वृद्धि करने और मूल्य स्थिर रखने के लिए कुछ अनेक उपाय किए गए। घरेलू मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण यथा आबादी और आय में वृद्धि की वजह से मांग बढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होने, खपत पद्धति में बदलाव आने, खाद्यान्नों का ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने, प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिवर्तन, कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि तथा भाड़े की दरों में बढ़ोतरी का होना रहा।

1.3 मूल्य निगरानी कक्ष (पी एम सी) 17 आवश्यक वस्तुओं अर्थात चावल, गेहूं, चने की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, चाय, चीनी, नमक, आलू, प्याज, दूध, वनस्पति, मूंगफली के तेल और सरसों के तेल, दूध और आटे के खुदरा मूल्यों की निगरानी करता है। दैनिक आधार पर खुदरा मूल्य देश भर के 27 केंद्रों से और साप्ताहिक तौर पर थोक मूल्य 37 केंद्रों से एकत्र किए जाते हैं ।

1.4 थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित सभी वस्तुओं के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दर वर्ष 2007–08 कें 7.75% की तुलना में 0.26% की कम दर पर रहा।

1.5.1 वर्ष के दौरान चावल के मूल्यों में मामूली वृद्धि देखी गई जबकि गेहूं के मूल्य व्यापक तौर पर स्थिर रहे।

1.5.2 दालों (तूर दाल और मसूर दाल को छोड़कर) के मूल्यों में पिछले साल की तुलना में गिरावट अथवा स्थिरता का रूख दर्ज किया गया। तूर दाल और मसूर दाल के मूल्यों में

वृद्धि उत्पादन में गिरावट, पिछले साल से बचा कम स्टॉक और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुई।

1.5.3 खाद्य तेलों के मूल्यों में वर्ष के पूर्वार्द्ध में तीव्र वृद्धि के बाद उत्तरार्द्ध में उतनी ही तेजी से गिरावट आई।

1.6 सब्जियों के मूल्यों में उपलब्धता और मौसमी कारकों के आधार पर उतार–चढ़ाव आया। सरकार ने सब्जियों, खासतौर पर प्याज और आलू के मूल्यों और उपलब्धता पर बारीकी से नजर बनाए रखी। चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान प्याज के खुदरा मूल्य गत वर्ष की तुलना में कम रहे। नेफेड ने जुलाई,2008 के बाद अगस्त,2008 के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य में 20 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन वृद्धि करके 250 अमरीकी डॉलर कर दिया है। मार्च,2009 के लिए प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य 220 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन था।

l jdkj }kjk fd, x, mik; %

1.7 आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाने और मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान किए गए विभिन्न उपाय नीचे दिए गए हैं:–

d- xsgw%

(i) गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

(ii) गेहूं का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति दी गई।

(iii) सरकार ने समाज के बहुत कमजोर वर्गों को मूल्य वृद्धि से राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इन वस्तुओं के वितरण में पर्याप्त सावधानी बरती है। इसने गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को सुरक्षा प्रदान की है।

(iv) गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को पिछले वर्ष के 1000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर फसल वर्ष 2009–10 के लिए 1080 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

(v) सरकार ने जुलाई 2002 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के निर्गम मूल्य को गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रूपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रूपए प्रति कि.ग्रा. पर बनाए रखा। इस प्रचालन में सब्सिडी के अतिरिक्त भार को सरकार ने स्वयं वहन किया।

[k- pkoy

(i) गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

(ii) चावल के आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया।

(iii) बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) को 1.4.2008 से बढ़ाकर 1200 अमरीकी डॉलर प्रति टन कर दिया गया। बासमती चावल पर 10.5.2008 से 8000 रूपए प्रति टन का निर्यात शुल्क लगाया गया। बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य को 20.1.2009 से घटाकर 1100 अमरीकी डालर प्रति टन कर दिया गया।

(iv) खरीफ विपणन मौसम 2008–09 के दौरान धान की 'कॉमन' और 'ग्रेड ए' किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 205 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर क्रमशः 850 रूपए प्रति क्विंटल और 880 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया।

(v) केंद्रीय निर्गम मूल्य को 1.7.2002 से संशोधित नहीं किया गया है। यह गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रूपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रूपए प्रति कि.ग्रा. है।

x- nkys

(i) दालों को शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति दी गई।

(ii) दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया (7.3.2007 से काबुली चने को छोड़कर।

(iii) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए राज्य सरकारों द्वारा 10 रूपए प्रति कि. ग्रा. की सब्सिडी पर आयातित दालों के वितरण की स्कीम को अनुमोदित कर दिया।

?k- [kkn; rsy

(i)
- (क) कच्चे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया।
- (ख) रिफाइण्ड और हाइड्रोजेनेटिक तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया।
- (ग) हाइड्रोजनिकृत वनस्पति तेलों पर भी आयात शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया।
- (घ) मक्खन और घी पर सीमा–शुल्क को घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (ड.) सूरजमुखी तेल पर टैरिफ रेट कोटा हटा दिया गया।
- (च) खाद्य तेलों के 'मान्य निर्यात' की शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों को इस शर्त पर अनुमति दी गई कि अंतिम उत्पाद गैर खाद्य होगा।

(ii) गोंद रहित कच्चे सोयाबीन तेल पर 18.11.2008 से 20 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया गया जिसको अब 24.3.2009 से शून्य कर दिया गया है।

(iii) खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।

(iv) सरकार ने 15 रूपए प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी पर राज्य सरकारों को 1 मिलियन टन खाद्य तेलों के वितरण की एक स्कीम शुरू की है।

M- phuh

(i) जनवरी – मार्च,2009 की तिमाही के लिए 50 लाख टन चीनी रिलीज की गई जबकि गत वर्ष की उसी तिमाही के दौरान 44 लाख टन चीनी रिलीज की गई थी।

(ii) सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी और चीनी फैक्टरियों को प्रसंस्कृत कच्ची चीनी घरेलू बाजार में बेचने और टन–टू–टन के आधार पर निर्यात जिम्मेदारी को पूरा करने की अनुमति दी।

p- LVkd lhek@fu;=.k vkns'k

(i) मौजूदा मूल्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत दिनांक 29.8.2006 को एक केंद्रीय आदेश जारी किया था ताकि राज्य सरकारें गेहूं और दालों के संबंध में स्टॉक सीमाओं को अगले 6 महीने की अवधि के लिए लागू कर सकें। इस आदेश के चलते राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इन मदों के जमा स्टॉकों को बाहर निकालने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गईं ताकि इन वस्तुओं को उचित मूल्यों पर आम जनता को उपलब्ध कराया जा सके।

(ii) सरकार ने बाद में केंद्रीय आदेश की वैधता को 1.3.2008 से 31.3.2008 तक 6 महीने की अवधि के लिए और फिर 30.4.2009 तक आगे बढ़ा दिया। अब चावल, धान, तिलहनों और खाद्य तेलों को उक्त केंद्रीय आदेश की परिधि में शामिल किया गया।

2- miHkkDrk laj{k.k dk;Øe

2.1 उपभोक्ता आंदोलन एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन है जो खरीदे गए सामान और ली गई सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है।

2.2 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) का अधिनियमन उपभोक्ता विवादों के निपटान के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर एक तीन स्तरीय अर्ध–न्यायिक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष तंत्र स्थापित करके उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए किया गया था । जम्मू और कश्मीर राज्य ने इस क्षेत्र में अपना अलग कानून बनाया है।

2.3 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का मुखिया एक अध्यक्ष होता है जो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है तथा इसमें 9 अन्य सदस्य होते हैं।

2.4 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय स्तर का निकाय है, की 24वीं बैठक 30 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

2.5 उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग 'कन्फोनेट' राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा टर्न–की आधार पर चलाई जा रही योजनागत परियोजना है जो इन मंचों में दायर/लम्बित विभिन्न मामलों तथा उनके द्वारा किए गए निर्णयों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराएगी। अब तक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 34 राज्य आयोगों और 593 जिला मंचों को कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफटवेयर उपलब्ध कराया गया है। कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर लगाने का काम 565 उपभोक्ता मंचों में पूरा हो गया है।

2.6 उपभोक्ता मंचों के आधार ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए उनको 1995 से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि देश में प्रत्येक उपभोक्ता मंच को उसके प्रभावी कार्यकरण के लिए न्यूनतम स्तर की सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

3- miHkkDrk dY;k.k dks"k

3.1 1991 में केंद्र सरकार ने उपभोक्ता कल्याण कोष का सृजन करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम,1944 में संशोधन किया। कोष की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा की गई है और इसका प्रचालन उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस कोष में वह राशि जमा की जाती है जो विनिर्माताओं को नहीं लौटाई जाती है और इस कोष का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण के संवर्धन और संरक्षण, उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने और देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब तक इस कोष में लगभग 175.39 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं और 53.33 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 2008–09 के दौरान फंड में 117,07,74000 रुपए की राशि उपार्जित हुई और इस दौरान 4,99,75000 रुपए की राशि खर्च की गई।

miHkkDrk dY;k.k dks"k ls foRr iksf"kr Ldhe

miHkkDrk Dyc

3.2 स्कूलों/कालेजों में उपभोक्ता क्लबों की स्थापना – यह स्कीम 2002 में शुरू की गई जिसके अनुसार सरकारी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मिडिल/उच्चतर/

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों/कालेजों में एक उपभोक्ता क्लब खोला जाएगा। इस स्कीम के तहत दो वर्षों के लिए प्रति उपभोक्ता क्लब 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष का अनुदान स्वीकार्य है। यह स्कीम 1 अप्रैल,2004 से विक्रेन्द्रीकृत कर दी गई है और राज्य सरकारों को अंतरित कर दी गई है। उपभोक्ता क्लब स्कीम आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू व कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखण्ड, पाण्डिचेरी, राजस्थान, गुजरात और अरूणाचल प्रदेश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई है। देश में 6599 उपभोक्ता क्लब खोलने के लिए 31.03.2009 तक 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 9,24,90,000 रुपए की राशि मंजूर की गई है।

4- 0kk;nk ckt kj vk;kx

वर्ष 2008–09 के दौरान की महत्वपूर्ण गतिविधियां नीचे दी गई हैं :–

ok;nk ckt kj ipkyu

4-1 ckt kjk dk fu;=.k

वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए व्यापार का कुल मूल्य 52.49 लाख करोड़ रुपए रहा जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान यह 40.66 लाख करोड़ रूपए था। इस प्रकार इसमें 29.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान नई वस्तुओं अर्थात एवीएशन टर्बाइन फ्यूल, कार्बन क्रेडिट, रेड अरेका नट, धनिया, लहसुन, स्टील लॉग, थर्मल कोल, बिजली, हीटिंग ऑयल और गैसोलिन में भावी सौदा ब्यापार संविदाएं शुरू की गईं। वस्तु बाजार के विनियामक के रूप में वायदा बाजार आयोग ने विभिन्न विनियामक और विकासात्मक कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं:–

4-2 ok;nk ckt kj vk;kx }kjk mBk, x, fofu;ked dne %

➢ कमोडिटी एक्सचेंजों में निदेशक मण्डल के गठन और मुख्य कार्यपालक और मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति के लिए दिशा–निर्देश जारी किए।

➢ अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 के तहत नए कमोडिटी एक्सचेंजों को मान्यता प्रदान करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए।

➢ गुड़गांव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज खोलने के लिए एम एम टी सी और इंडिया बुल्स फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड को सैद्वान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

➢ नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों के सदस्यों को स्टॉक एक्सचेंजों के करेन्सी डेरीवेटिव्ज सेगमेंट अथवा कमोडिटी एक्सचेंजों की करेन्सी डेरीवेटिव सब्सिडियरी एक्सचेंज की सदस्यता लेने की अनुमति दी गई बशर्ते ऐसे सदस्य एक अलग पहचान बनाएं और भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करें।

➢ आयोग ने नेशनल कमोडिटी डेरीवेटिव एक्सचेंज को उत्पादकों/संसाधकों और ऐसे ही प्रतिभागियों के भाण्डागारों को प्रत्यायित

करने की अनुमति दी है ताकि ऐसे प्रतिभागी एक्सचेंज प्लेटफार्म पर माल डिलीवर कर सकें। ऐसे भाण्डागार नगरपालिका सीमाओं की 150 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित होने चाहिए। माल को यदि डिलीवरी के लिए चिन्हित किया जाए तो उसको केवल डिलीवरी केंद्र पर स्थित प्रत्यायित भाण्डागारों में अंतरित किए जाने की आवश्यकता होगी। यह कदम उत्पादकों और संसाधकों को भावी सौदा बाजार में अपने मूल्य जोखिम की रक्षा करने और उनकी डिलीवरी का क्षेत्र बढ़ाने के लिए उठाया गया था।

➢ व्यापारित सदस्यों को प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए आयोग ने तीन नेशनल एक्सचेंजो को इस तरीके से सौदा प्रभार तय करने का निदेश दिया है कि उच्चतम और न्यूनतम स्लैब के बीच का अनुपात 4:1 से ज्यादा न हो और कुल मिलाकर 4 से ज्यादा स्लैब न हों।

➢ बाजार के विकास के इस स्तर पर नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए आयोग ने एक्सचेंजों को वस्तुओं अथवा व्यापार समय के आधार पर कोई भिन्न सौदा प्रभार न लगाने के निदेश दिए हैं। यह कदम जोखिम मुक्त व्यापार और बाजार की स्थायी वृद्धि के रूप में उपभोक्ताओं के दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखकर उठाया गया था।

➢ नेशनल कमोडिटी डेरीवेटिव एक्सचेंज, मुंबई के विक्रेता द्वारा देय डिलीवरी डिफाल्ट पर दण्ड ढांचे को डिलीवरी डिफाल्ट को निरूत्साहित करने के लिए संशोधित किया गया।

➢ व्यापार के लिए मल्टी क्लाइण्ट कोड सिस्टम के दुरूपयोग को रोकने के लिए 23 जुलाई,2008 को नेशनल एक्सचेंजों को किसी सिंगल क्लाइंट को मल्टीपल क्लाइंट कोड की अनुमति न देने का निदेश दिया।

➢ सभी वस्तुओं में दैनिक मूल्य सीमाओं की समीक्षा करने के बाद आयोग ने सभी कृषिजन्य वस्तुओं और स्पॉट माक्रिट में उतार–चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संदर्भयोग्य वस्तुओं में सीमाओं को सुसंगत बनाया और उनको एकरूपता के लिए एक्सचेंजों के बीच लागू किया।

➢ पांच दोषी सदस्यों, जो कथित रूप से डब्बा (अवैध) व्यापार में लिप्त थे, के खिलाफ आयोग के प्रवर्तन स्कंध ने प्रवर्तन कार्रवाई की। डब्बा व्यापार के एक अन्य मामले में सदस्य ने अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज के निर्धारित मूल्य का प्रयोग करते हुए ऐसे कृत्य लिप्त होने की बात स्वीकार की। आयोग द्वारा उस सदस्य को तीन साल के लिए निलम्बित कर दिया है।

4-3 d|N oLr|vk e| Hkkoh lkSnk 0;kikj dk fuyEcu

अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के बारे में सरकार की चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए, वायदा बाजार आयोग ने एक एहतियाती उपाय के रूप में चना, सोया तेल, रबड़ और आलू के सौदा व्यापार को 7 मई,2008 से निलम्बित कर दिया। तथापि, यह निलम्बन 30 नवम्बर,2008 को व्यपगत हो गया है। इन वस्तुओं में व्यापार 4 दिसम्बर,2008 से पुनः शुरू हो गया है।

4-4 fodklkRed xfrfof/k;k

विकासात्मक गतिविधियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, पणधारियों के साथ विचार–विमर्श के लिए नियमित बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, शैक्षिक संस्थाओं के साथ संपर्क, अध्ययन आयेाजित करना और अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों के साथ सहयोग करना शामिल है :–

- वर्ष 2008–09 तक 197 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें किसानों के लिए आयोजित 107 कार्यक्रम शामिल हैं। इन जागरूकता कार्यक्रमों के अलावा, आयोग के अधिकारियों ने विभिन्न मंचों पर वस्तु बाजारों पर चर्चाओं में भाग लिया तथा विभिन्न व्यावसायिक स्कूलों एवं सी डब्ल्यू सी द्वारा आयोजित कमोडिटी मार्किट्स संबंधी कार्यक्रमों में भाषण दिए। आयोग ने इस वर्ष किसानों की जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान दिया।

- आयोग के सदस्यों और व्यापार निकाय जैसे विभिन्न पणधारी समूहों के साथ देश के विभिन्न भागों में 7 बैठकें आयोजित की गईं। मार्च, 2009 तक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट रिसर्च आई आई एम, बंगलौर आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के जरिए 18 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, केंद्रीय भण्डारण निगम और भारतीय खाद्य निगम ने फिक्की की सहभागिता से ''Hkk.Mkxkj.k 2008 % भाण्डागारण (विकास और नियमन) अधिनियम – मुद्दे और चुनौतियों '' पर 18 नवम्बर,2008 को मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया।

- वायदा बाजार आयोग द्वारा 23 नवम्बर,2008 को मुंबई में सभी पणधारियों को वस्तु भावी सौदा व्यापार पर अपने विचार प्रकट करने का मौका देने के लिए कमोडिटी एक्सचेंजों का सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस द्वारा नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग में 3 से 7 जनवरी,2009 तक एक मेगा एक्सपो आयोजित किया गया। वायदा बाजार आयोग और नेशनल एक्सचेजों ने एक्सपो में भाग लिया जिसका उद्देश्य प्रदर्शनियों और श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा किसानों को वस्तु भावी सौदा व्यापार के लाभों को बताना था।

5- vko';d oLrq fofu;eu vkSj ÁorZu

यह विभाग अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित अधिनियमों को भी प्रशासित करता है :–

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसीएक्ट, 1955)

(ख) चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (पीबीएमएक्ट, 1980)

5.1 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने अथवा उसमें वृद्धि करने तथा उनके समान वितरण और उचित मूल्यों पर उपलब्धता के लिए उत्पादन, आपूर्ति,

वितरण आदि के नियंत्रण हेतु प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के तहत अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई हैं। अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने आवश्यक घोषित वस्तुओं के संबंध में उत्पादन, वितरण, मूल्य तथा व्यापार के अन्य पहलुओं को विनियमित करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी किए हैं। अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नियमित रूप से केंद्र सरकार को भेजते रहे हैं । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2008 के दौरान 31.03.2009 तक अधिनियम के तहत 268775 छापे मारे गए 8001 लोगों को गिरफ्तार किया गया 6425 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए और 790 लोगों को दोष सिद्ध पाया गया ।

5.2 कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में पिछले वर्ष हुई अभूतपूर्व वृद्धि के संदर्भ में केंद्र सरकार के दिनांक 29.8.2006 के केंद्रीय आदेश द्वारा जारी किया जिसके आधार पर 15.02.2002 को अधिसूचित 'रिमूवल ऑफ (लाइसैंसिंग रिक्वायरमेंट, स्टॉक लिमिट्स एंड मूवमेंट रेस्ट्रक्शन्स) ऑन स्पेसीफाइड फूडस्टफ्स ऑर्डर, 2002' में क्रय, संचलन, बिक्री, आपूर्ति, वितरण अथवा बिक्री के लिए भण्डारण के संबंध में बनाए गए शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों को वस्तुओं अर्थात गेहूं और दालों के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से छः महीनों की अवधि के लिए आस्थगित रखा गया था ताकि मूल्य वृद्वि और इन वस्तुओं की उपलब्धता का सामना किया जा सके। 29.8.2006 का आदेश आरंभ में 6 महीनों की अवधि के लिए प्रभावी था जिसे दिनांक 27.02.2007, 31.8.2007 और 28.2.2008 की केंद्रीय अधिसूचना के तहत तीन बार में 6–6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। इसको अब 27.8.2008 के केंद्रीय आदेश द्वारा 30.4.2009 तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जमाखोरी को समाप्त करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा मूल्य स्थिति की आगे और समीक्षा की गई और मंत्रिमंडल के अनुमोदन से खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों और चावल के संबंध में 15.2.2002 के केंद्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को आस्थगित रखते हुए ऐसे ही प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया ताकि मूल्यों के बढ़ते रूझान का सामना किया जा सके और साथ ही आम जनता को ये वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकें। तथापि, यह भी निर्णय लिया गया कि इन मदों के अंतर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इन मदों के आयात को राज्य सरकार द्वारा किन्हीं नियंत्रण आदेशों के कार्यक्षेत्र से भी बाहर रखा जाएगा। इस आशय का एक आदेश 7 अप्रैल,2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा, मंत्रिमंडल द्वारा 21.8.2008 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि धान के संबंध में 15.2.2002 के केंद्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को 30.4.2009 तक की अवधि के लिए आस्थगित रखकर ऐसा ही प्रतिबंध लगाया जाए ताकि मूल्यों के बढ़ते रूझान का सामना किया जा सके और साथ ही आम जनता को ये वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस आशय का एक आदेश 27 अगस्त,2008 को भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुआ। मंत्रिमंडल ने 30.3.2009 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए : (1) गेहूं को उन वस्तुओं की सूची में से हटाना जिन पर 15.2.2002 के केंद्रीय आदेश के उपबंधों को आस्थगित रखकर स्टॉक होल्डिंग सीमा के निर्धारण से संबंधित आदेश लागू किए गए; (2) दालों और धान के संबंध में 29.8.2006 की केंद्रीय अधिसूचना की वैधता को 30.4.2009 से आगे (30.9.2009 तक) बढ़ाना; और (3) खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों और चावल के संबंध में 6.4.2009 से आगे (30.9.2009 तक) आगे बढ़ाना। इन अधिसूचनाओं को का.आ. 880(अ) तारीख 30.3.2009, का.आ. 905(अ) तारीख 02.04.2009 और का.आ. 906(अ) तारीख 2.4.2009 के द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इन आदेशों से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को चीनी, दालों, धान, खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों और चावल के संबंध में स्टॉक सीमाएं तय करने की अनुमति मिल गई है। इससे राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन वस्तुओं की जमाखोरी के खिलाफ समुचित कार्रवाई कर सकेंगे।

5.3 जहां तक इन आदेशों के कार्यान्वयन का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि केवल 18 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सभी 5 मदों अथवा केवल गेहूं और दालों के लिए स्टॉक सीमाएं जारी की हैं या फिर केवल लाइसेंसिंग अपेक्षाएं/स्टॉक घोषणा जारी की है (इन 18 में से 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्टॉक सीमा आदेश जारी किए हैं/जारी करने की प्रक्रिया में हैं। पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लाइसेंसिंग अपेक्षाएं/स्टॉक घोषणाएं जारी कर दी हैं)।

5.4 चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार को ऐसे व्यक्तियों को नजरबंद करने की शक्तियां दी गई हैं जिनकी गतिविधियां समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने में बाधक पाई जाएं । राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1.1.2008 से 31.12.2008 तक की अवधि में अधिनियम के तहत 162 व्यक्तियों के नजरबंदी के आदेश दिए गए । केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नजरबंदी आदेशों को आशोधित अथवा निरस्त करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं। नजरबंदी के लिए आदेशित व्यक्तियों द्वारा अथवा उनकी ओर से दिए गए अभ्यावेदनों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। 1.1.2008 से 31.12.2008 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ऐसे 57 अभ्यावेदनों पर विचार किया गया और निर्णय दिया गया । नजरबंद व्यक्ति द्वारा अपनी नजरबंदी के खिलाफ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की जाती हैं। इन याचिकाओं में एक पक्ष के रूप में भारत संघ द्वारा काउण्टर हलफनामे दायर किए जाने अपेक्षित होते हैं । उक्त अवधि के दौरान उच्च न्यायालय में ऐसे 56 हलफनामे दायर किए गए ।

6- Hkkjrh; ekud C;wjks ¼HkkekC;wjks½

6.1 बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश, औद्योगिकीकरण की तेज गति, प्रौद्योगिकीय उन्नति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और उपभोक्ताओं की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु भामाब्यूरो का गठन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अंतर्गत एक वैधानिक

निकाय के रूप में नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में, वर्ष 1947 से कार्यारम्भ करने वाली भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) की परिसम्पत्तियों और दायित्यों को लेते हुए किया गया था। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 33 शाखा कार्यालय, 5 निरीक्षण कार्यालय और 8 प्रयोगशालाएँ हैं। भामाब्यूरो सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच एक प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करता है।

6.2 ब्यूरो ने मानक निर्धारण, उत्पाद और पद्धति प्रमाणन योजनाओं में निरंतर प्रगति की है।

Hkkjrh; ekud C;jks ls lcf/kr egRoi.k fo"k;

¼d½ ekud fu/kkZj.k

6.3 भामाब्यूरो भारतीय मानकों का निर्धारण समयबद्ध तरीके से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर करता है। भामाब्यूरो ने उद्योग और व्यापार के सभी क्षेत्रों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ राष्ट्रीय मानकों को सुमेलित करने का निर्णय लिया है। भामाब्यूरो ने अप्रैल, 2008–मार्च, 2009 की अवधि के दौरान 310 मानकों को निर्धारित किया और 66 मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया।

laxks"Bh@dk;Z'kkyk% भामाब्यूरो ने 35 संगोष्ठियॉं/कार्यशालाएँ आयोजित की, मानकों की उपलब्धता पर सूचना के प्रचार के लिये तथा भावी सुधार/अद्यतनीकरण के लिये सूचना प्राप्त करने की तथा उद्योगों को मानकीकरण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सम्मेलनों में भाग लिया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोजित कुछ महत्वपूर्ण संगोष्ठियॉं/कार्यशालाएँ निम्नानुसार हैं:

1. मानकीकरण, सापेक्ष महत्व, सम्बंध और विस्तार के माध्यम से रक्षा, उद्योग और प्रौद्योगिकी सहक्रिया पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

2. पॉलिस किये हीरे की ग्रेडिंग पर संगोष्ठी

3. नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया 2005 पर जयपुर और मुंबई में राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई।

4. ''सार्वजनिक स्थानों/भवनों में अग्नि सुरक्षा–अग्निरोधी वस्त्रों का महत्व'' पर एक सेमिनार

5. विभिन्न इंजीनियरी कॉलेजों/संस्थानों के सिविल इंजीनियरी। स्ट्रक्टचरल इंजीनियरी के संकाय सदस्यों के लिए भारतीय मानक ब्यूरों और आई एन एस डी ए जी कोलकाता द्वारा संयुक्त रूप से आई एस 800:2007 पर दो दिन की एक कार्यशाला आयोजित की गई।

6. 'एडवांसमेंट इन बिटुमन टेक्नोलॉजी पर एक कार्यशाला।

7 कोयम्बटूर में घूर्णन विद्युत मशीनों पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

8 नई दिल्ली में एक्वा कांग्रेस पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

9 मुम्बई में आईएस 800:2007 पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

10 मानकीकरण गतिविधियों के इंजीनियरी माप विज्ञान के क्षेत्र में संगोष्ठी आयोजित की गई।

11 मुम्बई में अल्प वोल्टता स्विच गीयर पर संगोष्ठी

12 कोचीन में खाद्य सुरक्षा पर संगोष्ठी

13 इलेक्ट्रानिक घटक– राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर संगोष्ठी

14 बंगलूर में मानकीकरण पर संगोष्ठी

15 मुम्बई में बैंकिंग और आभूषण स्थापनों में मूल्यवान वस्तुओं के सुरक्षा भंडारण पर संगोष्ठी

16 कोयम्बटूर में पम्प सेट पर संगोष्ठी

17 बंगलूर में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और अस्पताल आयोजना में मानकीकरण पर संगोष्ठी आयोजित की गई।

18 मुम्बई में एसेइंग और हाल मार्किंग केन्द्रों की सहायता की सामान्य अपेक्षाओं पर संगोष्ठी आयोजित की गई।

19 नई दिल्ली में ईंधन गुणता तथा यान संबंधित उत्सर्जन पर भारत–जापान सम्मेलन आयोजित किया गया

20 गांधी नगर (गुजरात) में हस्त औजारों पर संगोष्ठी

21 गुणता में उत्कृष्ता प्राप्त करना – राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार – व्याख्यान/कार्यशालाएॅं

22 पूणें में सीएनजी एवं एलपीजी ईंधन प्रणाली घटक –उत्पादन की अनुरूपता पर संगोष्ठी

23 नई दिल्ली में हथ करघा/खादी की वृद्धि और विकास –मानकों की भूमिका पर संगोष्ठी

24 नई दिल्ली में आईडब्ल्यूआरएमः जल संसाधन परियोजनाओं को पर्यावरण पर एक विशेष सत्र सहित मांग मूल्यांकन और प्रबंधन पर संगोष्ठी

¼[k½ iek.ku

(i) vk;krh mRiknk dk iek.ku& भामाब्यूरो वर्ष 1999 से आयाती वस्तुओं के प्रमाणन के लिये दो योजना, एक विदेशी विनिर्माताओं के लिये दूसरी भारतीय आयातकर्ताओं के लिये प्रचालन कर रहा है। इस योजना के उपबंध के तहत, विदेशी विनिर्माता अपने उत्पादों पर भामाब्यूरो मानक मुहर लगाने के लिए भामाब्यूरो से प्रमाणन ले सकता है और भारतीय आयातकर्ता भी भारतीय मानक मुहर को उन उत्पादों पर लगाने के लिए जो देश में आयाती है के लिये आवेदन करने के लिये भामाब्यूरो प्रमाणन ले सकता है। अवधि के दौरान 27 लाइसेंस प्रदान किए गये जिससे विदेशी निर्माता योजना के तहत प्रचालन में लाइसेंस की संख्या 121 हो गई, इसमें 21 देशों के सीमेंट, केबल और चालक, टायर, प्लास्टिक की फीडिंग बोतलें, शिशु का दूध पाउडर जैसे उत्पाद शामिल हैं।

lok lipnxh d fy; ljdkjh lxBu ¼uk½ dk iek.ku& गुणता प्रबंधन प्रणाली मानक आईएस/आईएसओ 9001 संगठनों के लिये सेवा/उत्पाद की गुणता सुनिश्चित करने के लिये एक सामान्य ढांचा प्रदान करता है। सरकारी संगठनों को प्रमाणन करने के लिए एक नये तंत्र को विकसित करने के उद्देश्य के लिये, जैसा कि प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा अपेक्षित, एक नये मानक को विकसित किया गया है अर्थात् गुणता प्रबंधन प्रणाली सार्वजनिक सेवा संगठनों द्वारा सेवा सुपुर्दगी की अपेक्षाएॅं (आईएस 15700–2005)। इस मानक को विशेष रूप से

सार्वजनिक सेवा संगठनों के लिये बनाया गया है तथा एक प्रणाली निर्धारित करता है कि सेवा संगठन सेवा की गुणता के लिये सिटीजन चाट्रर, सार्वजनिक शिकायत प्रतितोष और सेवा गुणता पर यह मानक पूर्ण गणक की गुणता सेवा की सुपुर्दगी पर केन्द्रित है। आगे, इस मानक को कार्यान्वित करने के लिये संगठनों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।

भामाब्यूरो ने सेवा गुणता प्रबंधन प्रणाली के लिये प्रमाणन की योजना को विकसित किया है तथा इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर प्रक्रिया करने के लिये तैयार किया है। भामाब्यूरो ने पहले ही डाक विभाग के तहत नई दिल्ली सामान्य डाकघर को सेवा गुणता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के लिये एक लाइसेंस प्रदान किया है।

इसके अतिरिक्त, तीन और आवेदन प्राप्त हुये हैं जो प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

¼x½ gkyekÉdx Ldhe dh izxfr

6.4 हालमार्किंग स्कीम की वृद्धि अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के दौरान जारी रही। स्वर्णाभूषणों की हाल मार्किंग हेतु लाइसेंसों की संख्या, जो कि 31 मार्च 2008 को 5403 थी, 31 मार्च 2009 को बढ़कर 6588 हो गई। इसी प्रकार अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के दौरान 199.33 लाख स्वर्ण आभूषण/ कलाकृतियों के नगों को हालमार्क किया गया। इस अवधि के दौरान भामाब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त एसेइंग और हालमार्किंग केन्द्रों की संख्या जो पूर्व में 91 (31 मार्च 2008 को) थी, 31 मार्च 2009 को बढ़कर 137 हो गई। चाँदी के आभूषणों/ कलाकृतियों के लाइसेंसों की संख्या 31 मार्च 2008 से 31 मार्च 2009 के बीच 405 से बढ़कर 463 हो गई।

¼i½ dUnzh; lgk;rk ls Hkkjr esa Lo.kZ vkdyu@vkHk"k.k dh gky ekÉdx dUnzksa dh LFkkiuk dh ;kstuk dk dk;kZUo;u

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन के अनुसार केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण आकलन/आभूषणों के हालमार्किंग केन्द्रों की स्थापना की योजना में 10.50 करोड़ रूपये परिव्यय को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

आधार संरचना के सृजन की केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत इस अवधि के दौरान भा मा ब्यूरो ने कोलाम, भुवनेश्वर, कानपुर, हुबली, पानीपत, भोपाल और अंजर (गुजरात) में 7 केन्द्रों को मान्यता प्रदान की है ।

¼ii½ f'kYidkjksa ds fy, izf'k{k.k

हॉलमार्किंग की अवधारणा, उत्तम विनिर्माण रीतियों और टांके के सही प्रयोग के बारे में जानकारी देने के लिए इस अवधि के दौरान शिल्पकारों हेतु अहमदाबाद, जयपुर, वड़ोदरा, मुंबई, हैदराबाद, मदुराई तथा त्रिवेन्द्रम में सात प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

¼iii½ gkyekÉdx ds fo"k; esa ipkj

देश के स्वर्ण आभूषणों के व्यापार में प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण हेतु हॉलमार्किंग को प्रोत्साहन देने के लिये समीक्षाधीन अवधि के दौरान देश में विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में आभूषण विक्रेताओं के लिए 37 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए । देशभर के विभिन्न समाचार पत्रों में हॉलमार्किंग योजना के लाभों के विषय में उपभोक्ता/आभूषण विक्रेताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए इस अवधि में 148 विज्ञापन जारी किए गए ।

¼iv½ ,lbx vkj gkyekfdx dUnzk dz dkfeZdk dz fy, izf'k{k.k

एसेइंग और हालमार्किंग केन्द्रों के कार्मिकों के लिए कोचीन और चेन्नई में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

¼?k½ vrjk"Vh; xfrfof/k;k

6.5 1947 के प्रारंभ से, तब आईएसआई और अब भा मा ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी) का सक्रिय सदस्य है । यह इन अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों की नीति बनाने की समितियों में भाग लेता है । भा मा ब्यूरो के पास भी आईएसओ/आईईसी समितियों के भारत के व्यापारिक हित के कुछ महत्वपूर्ण सचिवालय हैं। आईएसओ के सदस्य के रूप में, भामाब्यूरो भारतीय व्यापार और उद्योग के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है । ब्यूरो ने भी अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में गतिविधियों को जारी रखा। महत्वपूर्ण गतिविधियों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

¼i½ vrjk"Vh; ekudhdj.k lxBu ¼vkbZ, lvk½

(क) वर्ष के दौरान, भामाब्यूरो ने आईएसओ नीति बैठकों और विकासशील देश के मामलों पर आईएसओ समिति बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया । आईएसओ समितियों/उपसमितियों की भागीदारी, जहाँ भारत एक 'पी' सदस्य है और जहाँ भारत के पास सचिवालय का उत्तरदायित्व है, जारी रखा गया ।

(ख) भामाब्यूरो हाल ही में पीएएससी (प्रशांत क्षेत्र मानक कांग्रेस) का 'पी' सदस्य बना है, जो 7 क्षेत्रीय मानक निकायों में एक है तथा जिसके साथ आईएसओ का सहयोगी संबंध है । भामाब्यूरो ने 30 मार्च – 2 अप्रैल 2009 के दौरान होबट्र, आस्ट्रेलिया में हुई पीएएससी बैठकों में भाग लिया ।

(ग) भामाब्यूरो महानिदेशक के मार्गदर्शन में तीन सदस्य प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अपरमहानिदेशक (तकनीकी), भामाब्यूरो और प्रमुख (आईआरटीआईएसडी) शामिल थे, ने 13 से 17 अक्तूबर 2008 के दौरान दुबई में हुई महासभा बैठकों में भाग लिया ।

(घ) भामाब्यूरो को 2009–2011 की अवधि के लिए तकनीकी प्रबंधन बोर्ड (टीएमबी) आईएसओ की एक शासकीय निकाय के लिए निर्वाचित किया गया ।

(ङ) भामाब्यूरो आईएसओ/टीसी/एससी कार्य में भाग लेने के संबंध में आंकड़ाधार का प्रबंधन करने के लिए विश्व निदेशिका का उपयोग सफलतापूर्वक कर रहा है ।

¼ii½ vrjk"Vh; fo|qr rduhdh vk;kx ¼vkbZbZlh½ %

(क) आईईसी में राष्ट्रीय सहभागिता को मजबूत करने के लिए प्रयास किए गए । भामाब्यूरो ने विभिन्न आईईसी समितियों में सक्रिय रूप से भाग लिया । भामाब्यूरो आईईसीईई, आईईसीक्यू और आईईसीईएक्स जो विद्युत तथा इलेक्ट्रानिक उत्पादों/घटकों के प्रमाणन से संबंधित है, का भी सदस्य है । आईईसी समिति/उपसमितियों में भारत की सक्रिय भागीदारी जारी रही, जहाँ भारत एक 'पी' सदस्य है ।

(ख) महानिदेशक, भामाब्यूरो के मार्गदर्शन में चार सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने 17–21 नवम्बर

2008 को साव पौलो, ब्राजील में हुई आईईसी की सामान्य बैठकों में भाग लिया । भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कुछ तकनीकी समिति बैठकों के साथ नीति निर्धारक बैठकों में भाग लिया।

(ग) आईईसी के अध्यक्ष श्री जेक्वीज रेजिज ने 3 फरवरी 2009 को भामाब्यूरो का दौरा किया तथा आईईसी गतिविधियों में भामाब्यूरो की सक्रिय भागीदारी के संबंध में भामाब्यूरो के शीर्ष प्रबंधन के साथ पारस्परिक क्रिया व्यक्त की ।

¼iii½ f}i{kh; lg;kx dk;Øe

भामाब्यूरो ने मोरिशस, ग्रीस, सिंगापुर, ओमान, यूएसए, इजराइल, थाईलैंड और साऊदी अरब जैसे अन्य देशों के साथ वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से सन्निकट द्विपक्षीय सहयोग के कार्य को जारी रखा।

(क) भामाब्यूरो और मोरिशस मानक निकाय (एमएसबी) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में मोरिशस के साथ नज़दीक सहयोग की दिशा में कार्य करते हुए भामाब्यूरो के एक अधिकारी ने एमएसबी को उनकी विद्युत प्रयोगशाला को सुदृढ़ीकरण करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई ।

(ख) भामाब्यूरो और एसक्यूसीए, भूटान के बीच मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 19 दिसम्बर 2008 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ।

(ग) भामाब्यूरो और यूटीआई, फ्रांस के बीच विद्युत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानकीकरण और अनुसंधान गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 20 नवम्बर 2008 को ब्राजील में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया ।

¼iv½ {k=h; lg;kx dk;Øe ½

(क) भामाब्यूरो क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमों, जैसे कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया एशोसिएशन (सार्क), के मानक और अनुरूपता मूल्यांकन संबंधित क्षेत्रों में अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखी । यूरोपीय यूनियन और पीएएससी (प्रशांत एशिया मानक कांग्रेस) के साथ समन्वयन कार्य जारी रखा ।

(ख) भामाब्यूरो ने सार्क मानक समन्वयन बोर्ड की बैठक में भी भाग लिया । यूरोपीय यूनियन और पीएएससी (प्रशांत एशिया मानक कांग्रेस) के साथ समन्वयन का कार्य जारी रखा ।

¼v½ MCY;Vhvk@VhchVh iNrkN dsUnz

भामाब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यथा पदनामित डब्ल्यूटीओ/टीबीटी पूछताछ केन्द्र के रूप में अपनी गतिविधियों का निष्पादन जारी रखा । डब्ल्यूटीओ/टीबीटी करार के अंतर्गत राष्ट्रीय हित के विभिन्न मुद्दों पर वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के साथ निकट का संबंध बनाए रखा । विभिन्न देशों द्वारा जारी अधिसूचनाओं संबंधी सूचना को डाउनलोड किया गया, उनकी प्राथमिकता निर्धारित की गई तथा देश के भीतर अनेक पणधारकों में उनका प्रसार किया गया । देशों के राष्ट्रीय जॉच बिंदु से अधिसूचना का पूर्ण पाठ उपलब्ध करने की व्यवस्थाएँ की गईं । ऐसा ही अनुरोध पणधारकों/भामाब्यूरो के तकनीकी विभागों द्वारा किया गया । पणधारकों से प्राप्त सम्मतियों का विश्लेषण करके वाणिज्य मंत्रालय को भेजा गया । पणधारकों को सहायता देने के लिए विभिन्न देशों द्वारा जारी अधिसूचनाओं को भामाब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है ।

डब्ल्यूटीओ–टीबीटी जॉच बिंदु में पणधारकों के डेटाबेस को बढ़ाने के प्रयास किए गए ।

पणधारकों को सुग्राही बनाने के लिए भामाब्यूरो और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गोष्ठियॉ आयोजित की गईं, जिनमें आईआर एवं टीआईएसडी के अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण दिए ।

¼vi½ fon'kh ifrfuf/k;ksa dk nkSjk %

वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानक निकाय, अन्य मानक राष्ट्रीय निकाय और संबंधित संगठनों के विभिन्न कार्मिकों ने भामाब्यूरो का दौरा किया जिनके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं :

- डीकेई और जर्मन उद्योग के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भामाब्यूरो का दौरा किया और द्विपक्षीय चर्चा की ।
- श्री सुजी हीराकावा, सचिव, आईईसी/टीसी 100 ने भामाब्यूरो का दौरा किया तथा आईईसी/टीसी 100 के अधिकारियों और सदस्यों के साथ चर्चा की ।
- महानिदेशक, भामाब्यूरो के साथ एनएसएफ इंटरनैशनल यूएसए के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई ।
- श्री फूंटशो वांग्डी, निदेशक, मानक और गुणता नियंत्रण प्राधिकरण (एसक्यूसीए) भूटान रायल सरकार ने मानकीकरण तथा अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में भामाब्यूरो और एसक्यूसीए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए दौरा किया।
- थाई प्रतिनिधिमंडल, जिसमें थाई औद्योगिक मानक संस्थान के कार्मिक शामिल थे, ने दौरा किया । चर्चा का विषय विद्युत तथा इलैक्ट्रानिक्स निकाय से संबंधित था ।
- एक इस्राइली प्रतिनिधि मंडल ने जल प्रौद्योगिकी में सहयोग पर चर्चा की और एसआईआई तथा भा.मा.ब्यूरो के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
- यूएस के एचडीएमआई–एलएलसी एवं सिलिकॉन विभाग ने 19 फरवरी 2009 को भामाब्यूरो का दौरा किया।
- अमेरिका के वाणिज्य विभाग के अधिकारी ने 20 फरवरी 2009 को भामाब्यूरो का दौरा किया।
- एएनएसआई के प्रतिनिधि मंडल ने 19 फरवरी 2009 को भामाब्यूरो का दौरा किया।
- आईईसी के अध्यक्ष श्री जैक्स रेगीज् ने 3 फरवरी 2009 को भामाब्यूरो का दौरा किया।
- जापानी दूतावास के एक अधिकारी ने फरवरी 2009 में भामाब्यूरो का दौरा किया।
- सऊदी के तीन अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 19 फरवरी 2009 को भामाब्यूरो का दौरा किया।

¼M-½ iqjLdkj

6.6 भामाब्यूरो का मानक चिह्न (आईएसआई चिह्न) गुणता का चिह्न है और इसने पाँच दशक से भी अधिक समय से अपनी ब्रांड छवि बनाई हुई है, क्योंकि उपभोक्ता का झुकाव हमेशा गुणता वाले उत्पादों की और ही होता है। अतएव उपभोक्ता और खरीदार दोनों आईएसआई चिह्न वाले उत्पादों को ही प्राथमिकता देते हैं। आईएसआई मुहर की बढ़ती मांग के साथ आईएसआई मुहर के दुरूपयोग की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं, क्योंकि नकली निर्माता भा.मा.ब्यूरो का लाइसेंस लिए बिना आईएसआई मुहर लगे घटिया उत्पादों का उत्पादन कर उपभोक्ताओं को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं।

6.7 01 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 के दौरान भा.मा.ब्यूरो ने आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाली 156 कम्पनियों पर देश भर में प्रवर्तन छापे मारे। इन छापों के दौरान पैकजबंद पेय जल, जीएलएस लैम्प, डीजल इंजिन, ब्लॉक बोर्ड एवं प्लाईवुड उत्पादों, पीवीसी केबल, स्विचों, सॉकेट एवं केबल, बिजली के

उपकरणों, सबमर्सिबल पम्पों और सीमेंट इत्यादि जैसे घरेलू उपयोग के विभिन्न नकली उत्पाद ज़ब्त किए गए। इस बात के प्रयास भी किए गए कि प्रवर्तन मामलों को यथासमय निपटाया जाए और उसके परिणामस्वरूप न्यायालयों में दोषियों के विरूद्ध अभियोजन चलाया जाए।

6.8 भा.मा.ब्यूरो के वैध लाइसेंस के बिना उत्पादों पर आईएसआई मुहर लगाने वाले निर्माताओं के बारे में सूचना देने के लिए वर्ष 2006–07 में पहली बार एक पायलट परियोजना के रूप में दो बाहरी एजेंसियों को आठ स्थानों–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलौर और जयपुर पर नियुक्त किया गया। उनकी कार्यकारिता के आधार पर सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में आउटसोर्स एजेंसियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, ताकि जाली निर्माताओं की पहचान करने तथा दुरूपयोग रोकने के लिए ऐसे स्थानों पर छापे मारने की प्रवर्तन गतिविधियों में भा.मा.ब्यूरो की सहायता की जा सके। 31 मार्च 2009 तक भा.मा.ब्यूरो के विभिन्न क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले 13 स्थानों पर आउटसोर्स एजेंसियां नियुक्त की गईं। ये स्थान हैं –दिल्ली, भवुनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, बंगलौर, कोयम्बत्तूर, चेन्नई तिरूवनंतपुरम, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे और भा.मा.ब्यूरो का राजकोट शाखा कार्यालय।

6.9 भा.मा.ब्यूरो के प्रवर्तन विभाग ने 4 फरवरी 2009 को शाखा कार्यालयों के प्रवर्तन/नोडल अधिकारियों के लिए एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को तलाशी एवं ज़ब्ती अभियानों और भा.मा.ब्यूरो अधिनियम एवं विनियमों, प्रमाण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य प्रमाण एकत्र करने के तरीकों तथा प्रवर्तन गतिविधि के कानूनी पक्षों और बचाव के रास्ते बंद करने के लिए छापे/प्रमाण इकट्ठे करने की खामियों के बारे में जानकारी दी गई।

6.10 आउटसोर्स एजेंसियों के प्रतिनिधियों को प्रवर्तन गतिविधियों के विभिन्न पक्षों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उनके लिए भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

6.11 भामाब्यूरो ने आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाले जाली निर्माताओं के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के मंतव्य से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनी मीडिया में व्यापक कवरेज के लिए प्रवर्तन छापों की कई प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं। भा.मा.ब्यूरो के सभी शाखा कार्यालयों को सलाह दी गई कि वे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषियों के विरूद्ध दिए गए फैसलों का व्यापक रूप से प्रचार करें, ताकि उपभोक्ताओं को अधिक जागरूक किया जा सके।

¼p½ Hkk-ek-C;jk i;kx'kkykvk dk vk/kfudhdj.k dk dk;Øe

6.12 ईसी के दिशा–निर्देश से भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ स्थायी समिति का गठन किया गया

- आंशिक परीक्षण सुविधाएं पूरी करना
- वर्तमान परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाना
- नई परीक्षण सुविधाएं सृजित करना
- ढांचा

6.13 विभिन्न मुहर विभागों के साथ बातचीत के बाद अपनी दो बैठकों में स्थायी समिति ने कुल 403 परीक्षण उपस्करों की अनुशंसा की। इस प्रक्रिया में भा.मा.ब्यूरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा 2.75 करोड रूपये मूल्य के उपस्कर लिए गए और उनको लगाने के लिए ढांचा विकसित किया गया। 3 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के और उपस्करों के लिए आदेश जारी किए गए।

कुछ सेवाओं को यथासंभव आउटसोर्स किया जाना प्रस्तावित किया गया।

¼N½ Hkkjrh; ekud C;wjks xfrfof/k;ksa dk dEI;wVjhdj.k

6.14 परियोजना के तहत 'भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों का एकीकृत कंप्यूटरीकरण' नई योजना की विशेषताओं को समायोजित करने हेतु प्रमाणन मुहर सॉफ्टवेयर को अद्यतन किया गया। पुस्तकालय सूचना प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर लगाया गया और मानकों तथा अन्य प्रकाशनों की बार कोडिंग एवं पुनःरूपांतरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। मानक निर्धारण के सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित किया गया और वह प्रयोग में लाए जाने के लिए परीक्षण के अंतिम चरण में हैं। उपयोगकर्ता विभाग की अपेक्षा के अनुसार डब्ल्यु टी ओ – टी बी टी पूछताछ केन्द्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा हैं।

6.15 इस परियोजना के अंतर्गत आरंभ किया गया अधिकांश कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बड़े ढांचे के रख–रखाव से जुड़ा था, जिसमें सर्वर, कंप्यूटरों, प्रिंटरों, नेटवर्क, वीपीएन कनेक्टिविटी इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर का विकास, वेब–साइट प्रबंधन, एंटी वायरस प्रबंधन, ई–मेल एकाउंट प्रबंधन का कार्य भी किया गया। सूचना को जोड़कर/संग्रहित कर वेब–साइट को समृद्ध और पुनः डिजाइन किया गया है। प्रवर्तन के संशोधित प्रोफार्मा को अपलोड किया गया। हॉलमार्किंग केन्दों की सूची को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। मानकों की ई–बिक्री के लिए निविदा दस्तावेज़ इत्यादि तैयार करने हेतु सलाहकार नियुक्त किया गया । सम्मेलन कक्ष और सभागार में वाई–फाई उपलब्ध कराया गया। भारतीय मानकों और मूल्यांकित प्रकाशनों की ई–बिक्री के लिए विश्व निविदा को अंतिम रूप दिया गया ।

7- ckV rFkk eki

7.1 किसी भी सभ्य समाज में बाट तथा माप कानून वाणिज्यिक सौदों के आधार होते हैं। ऐसे सौदों में मापन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दो कानून अर्थात बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 और बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 बनाए हैं। उपरोक्त दोनों अधिनियमों में संशोधन करने के लिए विधेयकों को 10 मार्च, 2005 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया ।

7.2 बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्यिक सौदे के दौरान बेची जाने वाली पहले से पैक वस्तुओं को विनियमित करते हैं । इन नियमों के तहत विनिर्माताओं/पैकरों द्वारा उपभोक्ताओं के हित में पैकेज में रखी वस्तुओं पर सूचना की कुछ घोषणाएं करना और पैकेज में रखे उत्पाद की घोषित मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। नियमों में आयातकों द्वारा भी आयातित पैकेज में रखी वस्तुओं पर उपभोक्ताओं के हित में कुछ घोषणाएं करना अपेक्षित है। समस्त नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए उनकी समीक्षा की जा रही है।

7.3 विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान संगठन (ओ आई एम एल) द्व ारा की गई सिफारिशों के अनुसार बाट तथा माप मानक (सामान्य) नियम, 1987

में नई विशिष्टियों को अपनाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इस उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान संगठन की सिफारिशों के आधार पर आटोमेटिक रेल वेब्रिजेज, डिजीटल टाइप क्लीनिकल थर्मामीटर्स, आटोमेटिक ग्रेविमेट्रिक फिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्टैंडर्ड वेट्स फॉर टेस्टिंग हायर कैपेसिटी वेइंग मशीन्स तथा डिस्कन्टीन्यूअस टोटलाइजिंग आटोमेटिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्फिगमोमनोमीटर (रक्तचाप मापने वाला यंत्र) और सी एन जी गैस डिस्पेंसर्स के नए विनिर्देशनों को शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन किए गए हैं।

7.4 बाट तथा माप मानक अधिनियिम,1976 और बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम,1985 के उपबंधों को बदलने के लिए 24 अक्तूबर,2008 को विधिक माप विज्ञान विधेयक 2008 राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया।

7.5 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा समुचित प्रवर्तन के लिए बाटों के परीक्षण के लिए मोबाइल किट दिए गए हैं।

7.6 विभाग ने विभिन्न कानूनों के तहत पैकेजों पर लेबल लगाने की आवश्यकताओं को सुसंगत बनाने के लिए एक अंतःमंत्रालयी समूह गठित किया है। इस अंतःमंत्रालयी समूह ने अब अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है।

7.7 गुवहाटी में क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण का कार्य दिसम्बर, 2008 में पूरा हो गया है।

7.8 विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रभाग ने उद्योगों के लिए तोल और माप उपकरणों के 550 मॉडल अनुमोदन प्रमाण–पत्र जारी किए हैं।

7.9 विधिक माप विज्ञान संस्थान ने विधिक माप विज्ञान के क्षेत्र में राज्य सरकारों के लगभग 200 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

8- jk"Vªh; ijh{k.k 'kkyk

8.1 पश्चिम बंगाल सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग ने राष्ट्रीय परीक्षण शाला को उत्पाद शुल्क से संबंधित उत्पादों के परीक्षण के लिए एक अधिसूचित प्रयोगशाला घोषित किया (कोलकाता राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 41–ई एक्स दिनांक 11.1.08 और संख्या 204–एक्स/ओ/आई एम–73/2005 तारीख 3.3.2008 के तहत)।

8.2 निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता को उत्पाद शुल्क आयुक्त, उत्पाद शुल्क विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने अधिसूचना संख्या 634–एक्स/ओ/आई ई–10/08 तारीख 4 जुलाई, 2008 के तहत कोलकाता गजट में प्रकाशित अधिसूचना के बारे में सूचित किया। राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता की रसायन प्रयोगशाला से वैज्ञानिक विशेषज्ञों को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के आदेश से राज्य रसायन परीक्षक और राज्य सहायक रसायन परीक्षक नियुक्त किया जाना है।

8.3 राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता ने 24 से 26 सितम्बर, 2008 के दौरान कोलकाता में आयोजित ''सेकिण्ड ग्रीन रिवोल्यूशन समिट एंड एग्रो प्रोडक्ट्स फेयर

शिलांग में नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में 3 से 7 जनवरी, 2009 तक आयोजित 96वें साइंस कांग्रेस में राष्ट्रीय परीक्षण शाला के प्रतिभागी

2008'' में भाग लिया। पेविलियन में आगंतुक अच्छी संख्या में उपस्थित रहे।

8.4 राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवहाटी ने 3 से 7 जनवरी, 2009 के दौरान नार्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग में आयोजित 96वें साइंस कांग्रेस में भाग लिया।

8.5 राष्ट्रीय परीक्षण शाला के प्रभारी महानिदेशक ने राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), साल्ट लेक, कोलकाता, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद और राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी के तीन अन्य वैज्ञानिकों के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में उपभोक्ता उत्पादों के गुणवत्ता मूल्यांकन में जागरूकता की बावत सुधार लाने के लिए 12 फरवरी, 2009 से 14 फरवरी, 2009 तक हो–ची–मिन्ह सिटी,

12 फरवरी, 2009 से 14 फरवरी, 2009 तक हो–ची–मिन्ह सिटी, वियतनाम में आयोजित आई सी सी सम्मेलन।

वियतनाम में आयोजित आई सी सी सम्मेलन में भाग लिया।

9- miÒ¨Drk Lkgdkjh Lkfefr;k

9.1 उपभोक्ता सहकारी समितियां ग्रामीण समुदाय, विशेष रूप से दूरस्थ, अगम्य और पहाड़ी क्षेत्रों में उचित मूल्यों पर उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण, खासतौर पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं । उपभोक्ता सहकारी समितियों का उद्देश्य बिचौलियों को हटाना और थोक विक्रेताओं को बचाना तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री करता रहा है । यदि कोई अधिशेष राशि होती है तो उसको सदस्यों के बीच खरीद पर बोनस के रूप में बांटा जाता है या सहकारिताओं के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाता है । उपभोक्ता सहकारी समितियों को सरकार से अत्यधिक सहयोग मिला है क्योंकि वे उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में मदद करती हैं। उपभोक्ता सहकारी समितियों का चार स्तरीय ढांचा है जिसमें प्राथमिक भण्डार, थोक/केंद्रीय भण्डार, राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ शामिल हैं।

10- miHkkDrk tkx:drk Ldhe

उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूक बनाने के लिए ''जागो ग्राहक जागो'' विषय के तहत एक मल्टीमीडिया प्रचार अभियान चलाया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए यह उपभोक्ता जागरूकता स्कीम कुल 409 करोड़ रूपए की है। इस स्कीम के तहत मुदण प्रचार, इलेक्ट्रानिक प्रचार तथा आउटडोर प्रचार के

साथ–साथ गीत और नाटक, नुक्कड़ नाटक आदि पारस्परिक प्रचार जैसे माध्यमों का प्रयोग करते हुए देश भर के उपभोक्ताओं तक पहुंचने हेतु एक मल्टीमीडिया प्रचार अभियान शुरू किया गया है।

10.1 प्रचार अभियान के जरिए प्रसारित किया जा रहा संदेश उपभोक्ता कल्याण अर्थात बाट तथा माप, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आई एस आई, सोने की हॉलमार्किंग आदि से संबंधित है।

10.2 दूरसंचार क्षेत्र, बैंकिंग, बीमा, औषधि, शिक्षा, यात्रा आदि से संबंधित उपभोक्ता हित के मुद्दों को 'जागो ग्राहक जागो' अभियान के जरिए प्रकाश में लाया जा रहा है।

10.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता हित के सभी संभावित मुद्दों को उक्त प्रचार अभियान के एक भाग के रूप में लिया जाए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एन पी पी ए, पर्यटन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उर्जा दक्षता ब्यूरो आदि जैसे अन्य विभागों/मंत्रालयों के साथ संयुक्त अभियान तैयार किए जा रहे हैं।

****

परिवार के साथ छुट्टियां
मनाने की सोच रहे हैं।
जागो ग्राहक जागो
अप्रैल फूल न बनें....
हालीडे पैकेज खरीदने से पहले ध्यान रखें....
केवल अधिकृत ट्रैवल एजेंट की सेवाएं लें
अनुमोदित टूर आपरेटरों की सूची देखने के लिए www.tourism.nic.in और www.incredibleindia.org पर लॉग आन करें।
मौखिक अनुबंध न करें।
विज्ञापनों में किए गए बडे–बडे दावों से भ्रमित न हों।
अनुबंध की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
उपभोक्ता राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर
1800–11–4000 (निःशुल्क) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
(बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से)
अथवा 011–27662955,56,57,58 (सामान्य कॉल दरें)
(9.30 प्रातः से 5.30 सायं – सोमवार से शनिवार)
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110 001 : वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

v/;k;&III

lkekU; eY; fLFkfr vkj vko';d oLrqvksa dh miyC/krk

3.1 वर्ष 2008–09 के दौरान आवश्यक वस्तुओ के मूल्यों पर गंभीरता से निगरानी रखी गई और कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बढाने और मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए तथापि जनसंख्या और आय में बढोतरी के कारण हुई मांग में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि, खान–पान की पद्धति में बदलाव, खाद्यानों का ईंधन के रूप में प्रयोग, प्रतिकूल मौसम और वातावरण में बदलाव, कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि तथा माल भाडा दरों में बढोतरी जैसे कारणों के संयुक्त प्रभावों के कारण घरेलू मूल्यों में वृद्धि हुई है। कुछ खाद्य वस्तुओं मुख्यतः चावल और दालों (चने की दाल को छोडकर) में मुद्रास्फीति के कारण नीचे दिए गए हैं:–

(i) न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण चावल के मूल्यों में बढोतरी हुई। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण भी चावल के घरेलू मूल्यों में वृद्धि हुई।

(ii) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 12.2.2009 को जारी द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2007–08 के दौरान 14.76 मिलियन टन के मुकाबले में वर्ष 2008–09 के दौरान दालों के उत्पादन में कमी हो कर 14.25 मिलियन टन का अनुमान है। दालों के घरेलू मूल्यों में वृद्धि मुख्यतः मांग एवं आपूर्ति के मिसमैच के कारण हुई है। मांग तथा आपूर्ति के अंतराल को आयातों के माध्यम से पूरा किया गया जिस कारण दालों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि में भी कमी आई है।

eY; fuxjkuh d{k

3.2 उपभोक्ता मामले विभाग को देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उपलब्धता की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। उपभोक्ता मामले विभाग के मूल्य निगरानी कक्ष ने 17 आवश्यक वस्तुओ अर्थात चावल, गेहूं, आटा, चने की दाल, तूर/अरहर दाल, मूंग की दाल, उडद की दाल, मसूर की दाल, चाय, दूध, चीनी, वनस्पति, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, आलू, प्याज तथा नमक के थोक और खुदरा मूल्यों पर नियमित तौर पर निगरानी करना जारी रखा ।

3.3 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा के लिए सचिवों की समिति, उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य निगरानी बोर्ड तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की मंत्रिमंडल समिति की बैठकें लगातार आयोजित की गई। अन्य उच्च स्तर की बैठकों में विचार–विमर्श के लिए आवश्यक वस्तुओं की नवीनतम मूल्य स्थिति और उपलब्धता पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां तैयार की गईं जो थोक मूल्य सूचकांक, थोक/खुदरा मूल्यों, उत्पादन,

खरीद और चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के आयात निर्यात पर आधारित थीं । पर्याप्त आपूर्तियों को सुनिश्चित करने तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्व ारा किए गए उपायों पर टिप्पणियां तैयार की गईं और उन्हें प्रचार के लिए साप्ताहिक तौर पर पत्र सूचना कार्यालय (पी आई बी) को भेजा गया ।

[knjk eY;

3.4 अप्रैल – मार्च, 2009 के दौरान औसत मूल्यों में उतार–चढ़ाव को दर्शाने वाला क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है –

¼:i;s fd-xk- e½

Ekn	mRrjh {k=		if'peh {k=		ioh {k=		iokRrj {k=		nf{k.k {k=	
	1.4.08	**31.3.09**	**1.4.08**	**31.3.09**	**1.4.08**	**31.3.09**	**1.4.08**	**31.3.09**	**1.4.08**	**31.3.09**
चावल	15.89	17.83	14.3	18.00	12.75	14.00	15.63	15.68	14.75	17.75
गेहूं	12.00	12.31	13.3	14.00	13.17	12.00	13.0	13.50	16.0	17.75
आटा	13.78	14.19	14.9	15.40	14.38	14.50	16.0	16.20	17.75	19.50
चना दाल	37.44	34.78	35.6	30.60	36.75	31.25	33.67	36.00	37.5	34.63
तूर दाल	42.56	49.44	37.7	49.80	37.75	45.75	40.63	44.10	40.25	51.00
उड़द दाल	42.8	43.86	34.0	41.60	NA	38.00	NA	44.70	NA	45.00
मूंग दाल	40.2	45.43	35.0	45.00	NA	46.67	NA	47.40	NA	47.00
मसूर दाल	41.33	53.60	32.0	50.80	NA	54.00	NA	57.50	NA	49.50
चीनी	17.78	23.78	16.5	24.00	17.63	22.25	18.75	23.00	16.63	21.00
दूध@	19.78	21.78	18.6	20.60	20.38	19.50	26.33	27.00	17.75	18.75
मूंगफली का तेल (रिफाइंड/अनरिफाइंड)	96.63	93.75	86.7	75.60	90.67	82.50	NA	82.50	76.5	65.00
सरसों का तेल (रिफाइंड/अनरिफाइंड)	76.25	75.56	70.30	71.00	73.5	65.75	69.25	73.70	92.00	89.00
वनस्पति	70.56	54.11	66.9	46.80	65.5	49.00	68.75	61.00	69.0	50.75
चाय लूज	159.22	176.11	128.8	139.20	125.0	116.25	123.75	141.60	182.0	205.00
नमक पैक	9.11	10.56	7.8	9.40	8.0	8.13	9.5	8.40	7.88	9.00
प्याज	9.78	14.89	6.9	14.60	7.75	13.00	11.63	19.40	7.5	11.13
आलू	8.89	8.33	7.10	7.30	5.38	8.00	10.25	10.50	10.0	10.75

प्रति लिटर

3.5 वर्ष 2008–09 के मध्य से खाद्य तेलों के खुदरा मूल्यों में भारी गिरावट दर्ज की गई जो दिसम्बर के अंत तक जारी रही जिसके बाद सरसों के तेल को छोडकर सभी खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि आरंभ हो गई। चने की दाल और मसूर की दाल के खुदरा मूल्यों में कमी आई जबकि मूंग दाल, उडद दाल, और तूर दाल के खुदरा मूल्यों में वृद्धि हुई। चावल के खुदरा मूल्यों में बढ़ोतरी का रूझान देखने को मिला जबकि गेहूं के खुदरा मूल्य स्थिर रहे। दिल्ली में प्याज का खुदरा मूल्य (जनवरी, 2009 के दौरान) 21 रू. प्रति कि. ग्रा. के उच्च स्तर से गिरकर मार्च 09 के अंत तक 15 रू. प्रति कि.ग्रा. हो गया। आलू के

खुदरा मूल्य अक्तूबर, 2008 के दौरान 13 रू. प्रति कि.ग्रा. के उच्च स्तर पर पहुंच गए और इसके बाद गिरकर 9 रू. प्रति कि.ग्रा. हो गए। चीनी के खुदरा मूल्य जो फरवरी, 2009 के दौरान 25 रू. प्रति कि.ग्रा. के उच्च स्तर तक पहुंच गए थे, और उसी के आस पास मंडराते रहे, मार्च 09 के अंत तक 24 रू. प्रति कि.ग्रा. हो गए।

3.6 अप्रैल – मार्च, 2009 के दौरान 5 क्षेत्रों में मूल्यों के रूझान दर्शाने वाला ग्राफ नीचे दिया गया है :

2008–09 के दौरान चावल, गेहूं, चने की दाल, तूर दाल, चीनी, नमक (पैक) आलू और प्याज के औसत मूल्यों का रुझान

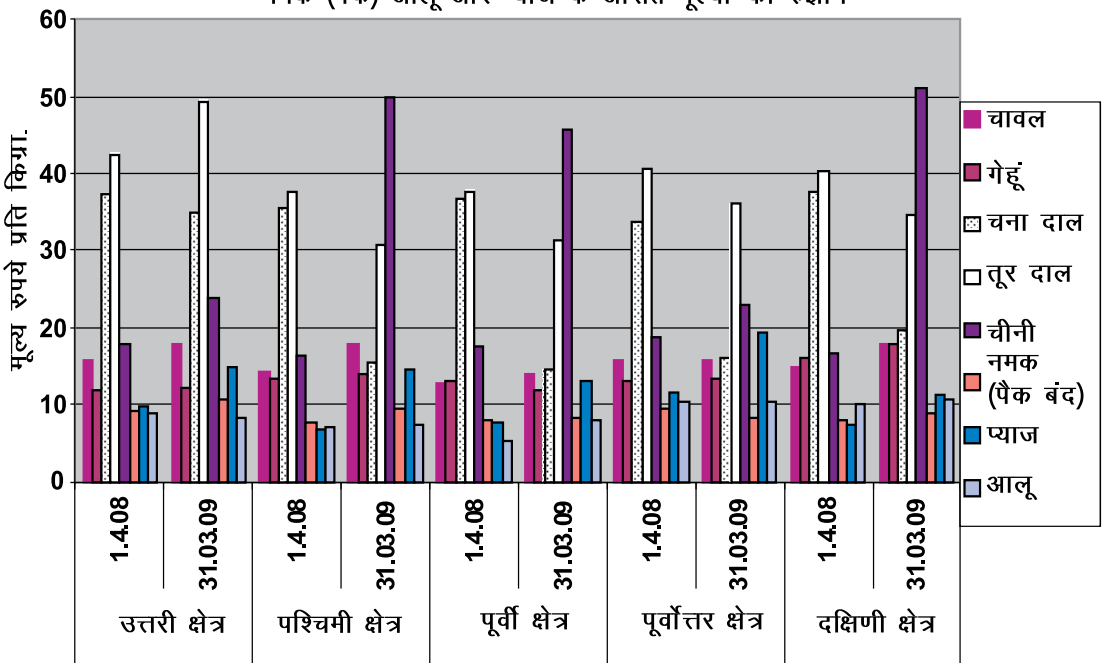

स्रोतः राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग

Fk¨d eY; Lkpdkd d : i e eækLQhfr dk #>ku

3.7 वर्ष 2008–09 के दौरान, सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक विगत वर्ष की तदनरूपी अवधि के दौरान 226.7 की तुलना में 227.3 आंका गया । वर्ष 2008–09 के दौरान, सभी वस्तुओं की मुद्रास्फीति की वार्षिक दर वर्ष 2007–08 के दौरान 7.75 प्रतिशत की तुलना में 0.26 प्रतिशत के स्तर पर कम थी । चालू वर्ष में मुद्रास्फीति की कम दर का मुख्य कारण ईंधन, विद्युत, लाइट एंड ल्यूब्रीकेंट समूह में गिरावट है जिस में (–) 6.11 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है और प्राइमरी आट्रिकल ग्रुप और विनिर्मित उत्पादों के लिए निम्न मुद्रास्फीति की दर क्रमशः 3.46 प्रतिशत और 1.42 प्रतिशत है।

3.8 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा संकलित थोक मूल्य सूचकांक बासकिट (आधार 1993–94=100) में शामिल कुल 435 मदों में 27 वस्तुओं को आवश्यक माना गया है जिनका

थोक मूल्य सूचकांक में कुल मापमान का 17. 80% बैठता है । वर्ष 2008–09 तथा तदनुरूपी अवधि वर्ष 2007–08 के दौरान इन 27 चयनित आवश्यक मदों का उनके समूहों/उप–समूहों सहित थोक मूल्य सूचकांक में उतार–चढ़ाव का वार्षिक प्रतिशत दर्शाने वाला एक विवरण अनुलग्नक–I में दिया गया है। वर्ष 2008–09 के दौरान मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 8.04 प्रतिशत (अप्रैल, 2008 में रिकार्ड की गई) तथा 0.68 प्रतिशत (मार्च, 2009 में रिकार्ड की गई) की रेंज में रही जबकि वर्ष 2007–08 के दौरान यह दर 6.27 प्रतिशत (अप्रैल, 2007) तथा 7.52 प्रतिशत (मार्च, 2008) के बीच रही । चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त 2008 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर 12.85 प्रतिशत के उच्चतम मुद्रास्फीति दर पर रिकार्ड की गई।

miÒ¨Drk eY; Lkpdkd ij vkèkkfjr eæLQhfr ¼lhihvkb½

3.9 वर्ष 2008–09 के दौरान औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 9.19 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई जबकि थोक मूल्य सूचकांक में औसतन 8.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.10 वर्तमान वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2008 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 7.81 प्रतिशत से शुरू हुई जो अप्रैल, 2008 में मुद्रास्फीति की थोक मूल्य सूचकांक दर 8.04 प्रतिशत से कम थी। अक्तूबर, 2008, नवम्बर, 08 और जनवरी, 09 में रिकार्ड की गई 10.45 प्रतिशत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर चालू वित्तीय वर्ष में सबसे उंची दर थी। अप्रैल, 08 से अक्तूबर, 08 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीतिं थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति से कम रही और नवम्बर 08 से फरवरी 09 तक यह थोक मूल्य सूचकांक से अधिक हो गई। ऐसा ईंधन समूह के मूल्यों के कारण हुआ जिनमें पहले तीव्रता से वृद्धि हुई और वर्ष के दूसरे भाग में तीव्रता से गिरावट आई। खाद्य मूल्यों का वर्षभर स्थिर रहने का कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का निरंतर अधिक रहना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – आई डब्ल्यू बासकिट में खाद्य समूह का थोक मूल्य सूचकांक बासकिट से अधिक है। अप्रैल, 2008 से मार्च, 09 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की वार्षिक दरों में रुझान को नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है।

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की दर

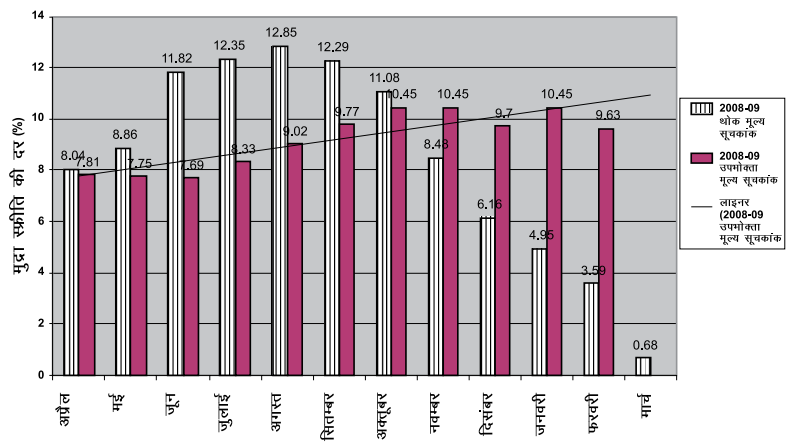

vko';d oLrqvksa dh miyC/krk rFkk eY;ksa esa oLrq&okj #>ku

3.11 चावल और कुछ दालों के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता संतोषजनक रही तथा अधिकांश वस्तुओं के खुदरा मूल्य स्थिर रहे। खाद्यान्नों जिनमें दालें और चावल शामिल हैं, के मूल्यों में वृद्धि उनकी मांग और आपूर्ति में बेमेलता और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुई है।, अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान प्रमुख महानगरों में 17 आवश्यक वस्तुओं के महीने के अंत में खुदरा मूल्य अनुलग्नक–IV में दर्शाए गए हैं । आवश्यक वस्तुओं के वस्तुवार मूल्यों, उत्पादन तथा उपलब्धता की स्थिति का संक्षिप्त विश्लेषण नीचे दिया गया है ।

pkoy

3.12 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकांश रिपोर्टिंग केंद्रों पर चावल के खुदरा मूल्य में वृद्धि का रुझान रहा। 31.3.09 की स्थिति के अनुसार चावल के मूल्य 12.00 रुपए प्रति कि.ग्रा. (पटना) से 23.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (शिमला) की रेंज में रहे।

3.13 वर्ष 2008–09 (द्वितीय अग्रिम अनुमान) के दौरान चावल का उत्पादन एक वर्ष पूर्व की अवधि में 96.69 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 98.89 मिलियन टन होना संभावित है।

3.14 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के केंद्रीय पूल तथा राज्य अभिकरणों के पास 01 मार्च, 2008 को उपलब्ध 14.73 मिलियन टन के स्टॉक की तुलना में 21.26 मिलियन टन चावल उपलब्ध था। गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में की गई 21.71 मिलियन टन चावल की खरीद की तुलना में वर्ष 2008–09 (अक्तूबर, 2008 – 31.3.09) के दौरान 26.14 मिलियन टन चावल की खरीद की गई ।

3.15 वित्तीय वर्ष 2008–09 और 2007–08 में चावल के थोक मूल्य सूचकांक में महीनेवार प्रतिशत उतार चढाव का रूझान नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है!

चावल के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

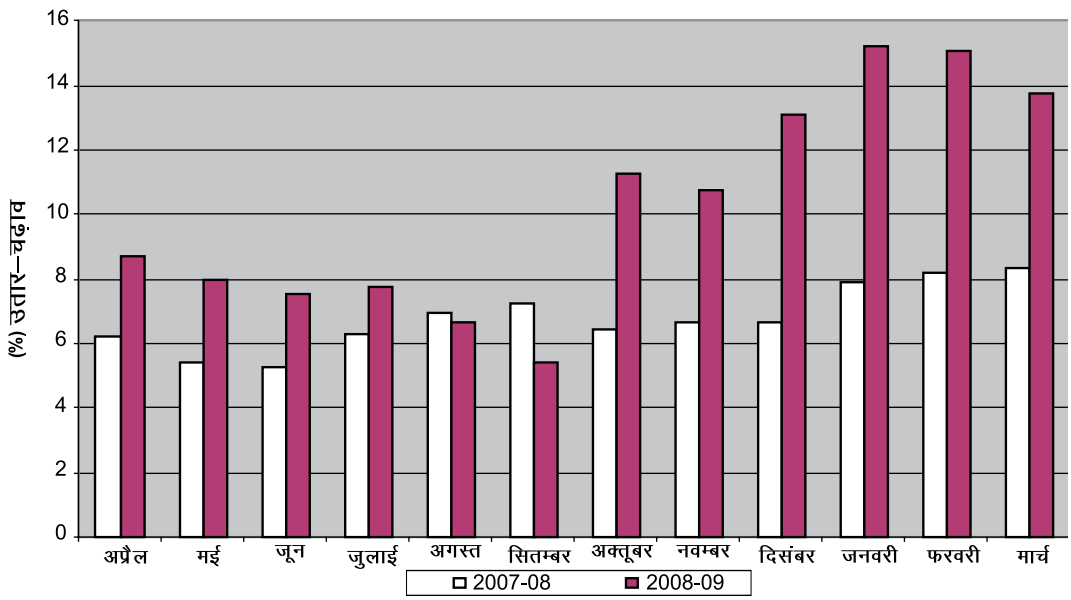

xg

3.16 चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरानं गेहूं के खुदरा मूल्य स्थिर रहे। 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार 11.00 रुपए प्रति कि.ग्रा.(अमृतसर और पटना) से 22.00 रुपए प्रति कि.ग्रा. (तिरुअनंतपुरम) के बीच थे।

3.17 वर्ष 2008–09 के दौरान गेहूं का उत्पादन 77.78 मिलियन टन (कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वितीय अग्रिम अनुमान) होने का अनुमान है जबकि 2007–08 के दौरान 78.40 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था और उत्पादन का लक्ष्य 78.5 मिलियन टन था। 1 मार्च, 2009 को केंद्रीय पूल में गेहूं का ओपनिंग स्टॉक 152. 76 लाख टन था (1.1.09 के 82 लाख टन के बफर नॉर्म के मुकाबले)। वर्ष 2008–09 (अप्रैल – मार्च) के खरीद के मौसम के दौरान 22.57 मिलियन टन गेहूं की खरीद की गई जबकि वर्ष 2007–08 में 11.01 मिलियन टन की खरीद की गई थी ।

3.18 वित्तीय वर्ष 2007–08 और वित्तीय वर्ष 2008–09 में गेहूं के थोक मूल्य सूचकांक में उतार–चढ़ाव का मासिक प्रतिशत ग्राफ द्वारा नीचे दर्शाया गया है।

nky

3.19 वर्तमान वर्ष में विभिन्न केंद्रों पर दालों (तूर दाल, मूंग दाल और मसूर दाल को छोड़कर) अर्थात चने की दाल, उड़द की दाल के खुदरा मूल्यों में स्थिरता या गिरावट का रुझान दिखाई दिया । मार्च, 2009 के अंत मे चने की दाल का मूल्य 27.00 रुपए प्रति कि.ग्रा.(भोपाल और जयपुर) से 45.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (श्रीनगर) की रेंज में रहे जबकि विगत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान यह 30.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (चंडीगढ) से 45.00रू. प्रति कि.ग्रा. (तिरूवंतपुरम) की रेंज में रहे। मार्च, 2008 के अंत मे तूर की दाल का मूल्य 31.00 रुपए प्रति कि.ग्रा.(रायपुर) से 46.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (देहरादून) की रेंज में रहे जबकि मार्च, 09 की स्थिति के अनुसार यह 34.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (अगरतला) से 58.00रू. प्रति कि.ग्रा. (तिरूवंतपुरम) की रेंज में रहे। उड़द की दाल का खुदरा मूल्य मार्च, 08 के अंत की स्थिति के अनुसार 34.00 रुपए प्रति कि.ग्रा.(रायपुर) से 53.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (चंडीगढ) की रेंज में रहे जबकि मार्च, 09 की स्थिति के अनुसार यह 34.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (भोपाल) से 47. 50रू. प्रति कि.ग्रा.(कोहिमा) के बीच रहे। मार्च, 08 के अंत की स्थिति के अनुसार मे मूंग की

वर्ष 2007–08 और 2008–09 में गेंहू के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

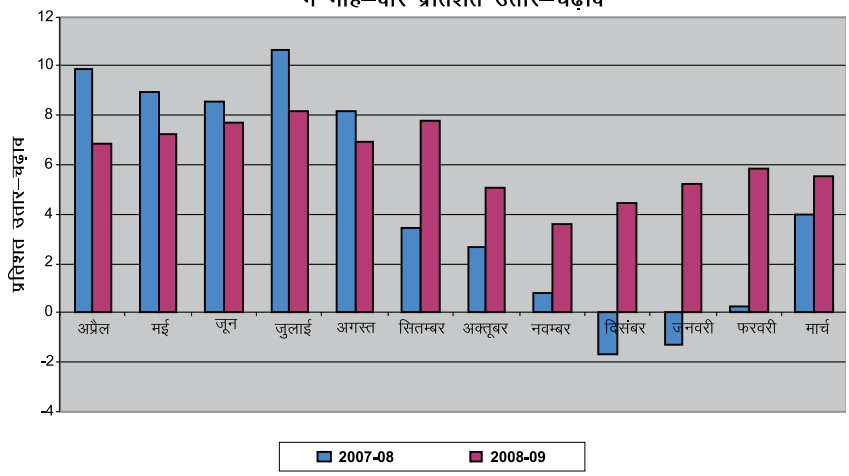

वर्ष 2008–09 और 2007–08 में चने के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

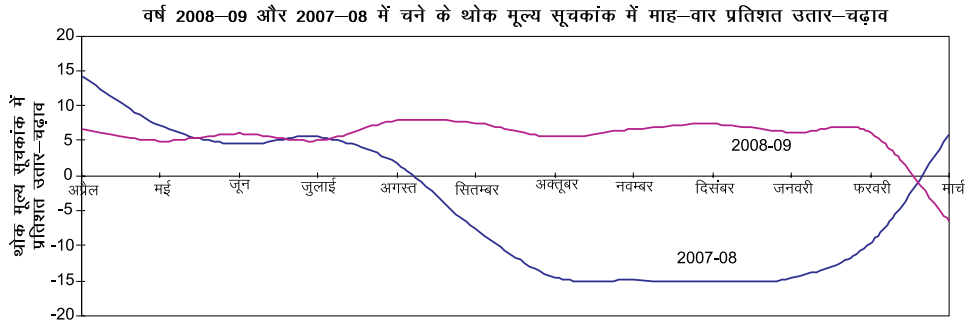

तूर/अरहर के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

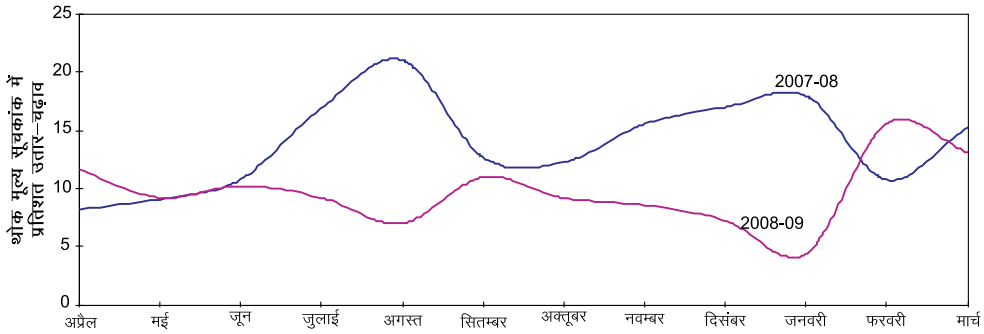

उड़द के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

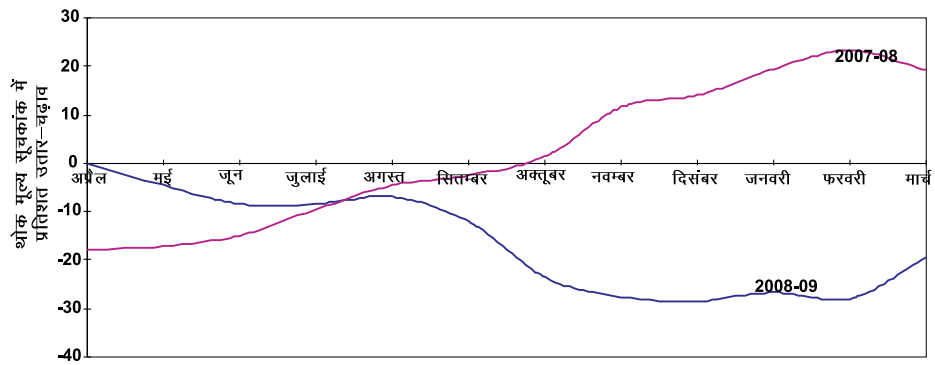

मसूर के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

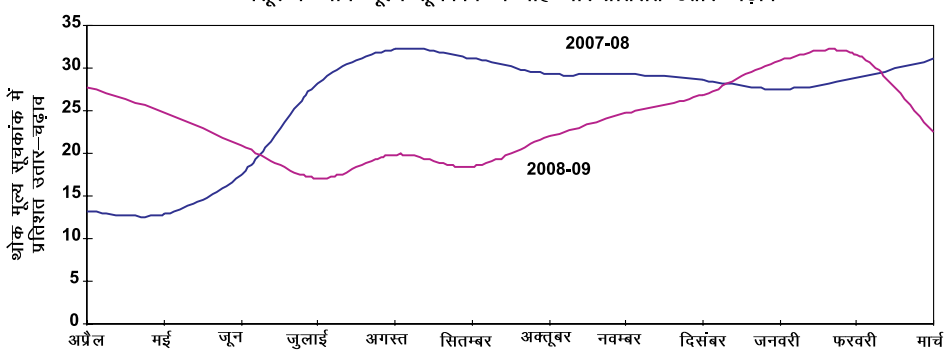

मूंग के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

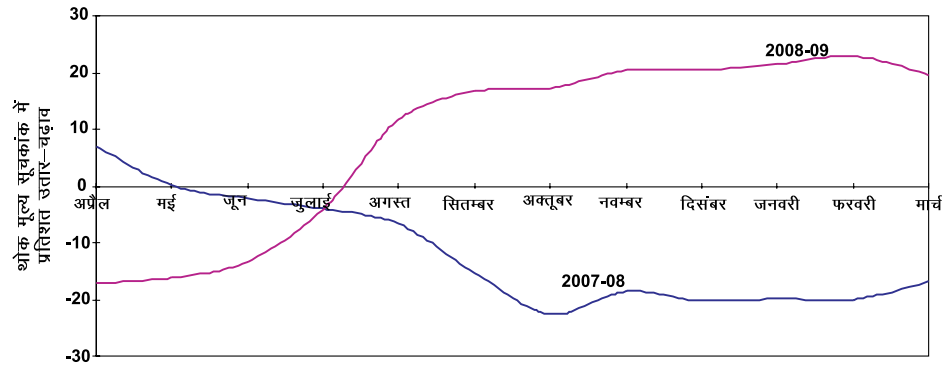

दाल का मूल्य 35.00 रुपए प्रति कि.ग्रा.(रायपुर) से 44.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (चंडीगढ) की रेंज में रहे जबकि मार्च, 09 के अंत में यह 39.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (अहमदाबाद) से 53.00रू. प्रति कि.ग्रा. (शिलांग) के बीच रहे। मार्च, 08 के अंत की स्थिति के अनुसार मसूर की दाल का मूल्य 38.00 रुपए प्रति कि.ग्रा.(लुधियाना) से 46.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (दिल्ली) की रेंज में रहे जबकि मार्च, 09 के अंत में यह 45.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (तिरूवंतपुरम) से 65.00रू. प्रति कि.ग्रा. (गुवाहाटी) के बीच रहे।

3.20 थोक मूल्य सूचकांक में दालों का मान 0.60 है! थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में, अप्रैल, 2008 – मार्च 09 के दौरान दालों के उपसमूह में 10% वृद्धि दर्ज की गई जबकि विगत वर्ष की उसी अवधि के दौरान 2.2% की कमी थी। अलग–अलग दालों में , मसूर दाल में थोक मूल्य सूचकांक में 19.53% , मूंग में 18.33%, उड़द में 15.46%, अरहर में 12.6% की वृद्धि हुई। जबकि चने के थोक मूल्य सूचकांक में 7.91% की गिरावट हुई। 2007–08 और 2008–09 में चने, तूर/अरहर, मसूर, उड़द और मूंग के थोक मूल्य सूचकांक का मासिक उतार–चढाव के प्रतिशत का रूझान ग्राफ के रूप में नीचे दिया गया है–

3.21 कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2008–09 में दालों का उत्पादन 2007–08 के दौरान 14.76 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 14.25 मिलियन टन होने का अनुमान है।

3.22 दालों की मांग में मुख्य रूप से जनसंख्या में वृद्धि तथा दालों की प्रति व्यक्ति खपत तथा आहार में प्रोटीन की आवश्यकता के कारण लगातार वृद्धि होती रही है। उत्पादन में लगभग स्थिरता को देखते हुए मांग और आपूर्ति के अंतराल को दालों का आयात करके पूरा किया जाता है। 2008–09 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान दालों का आयात 16.92 लाख टन था जबकि गत वर्ष उसी अवधि में यह 20.64 लाख टन था (स्रोत : डी जी सी आई एंड एस)।

phuh

3.23 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चीनी के खुदरा मूल्यों मे वृद्धि का रूझान पाया गया । फरवरी 2009 के दौरान चीनी के खुदरा मूल्य सबसे अधिक 25 रू. प्रति कि.ग्रा. तक पहुंच गए थे और अब ये 24 रू. प्रति कि.ग्रा. हैं। 31 मार्च, 08 को चीनी के मूल्य 15 रू. प्रति कि.ग्रा. से 20.00 कि.ग्रा. रू. प्रति कि.ग्रा. के बीच रहे जबकि 31 मार्च, 09 का ये 18 रू. प्रति कि.ग्रा. से 26.00 रू. प्रति कि.ग्रा. के बीच रहे।

3.24 थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार चीनी के मूल्यों में 2008–09, (अप्रैल, 2008 – मार्च 09) के दौरान 17.6% वृद्धि हुई जबकि 2007–08, (अप्रैल– मार्च) की तदनुरूपी अवधि के दौरान 1.14% की गिरावट आई थी। गन्ने के क्षेत्र और उत्पादकता में कमी, गन्ने के बुआई क्षेत्र को अन्य खाद्यान फसलों जैसे गेहूं में शिफट करना, चीनी की वसूली मे 9% की गिरावट, क्रशिंग अवधि में 210 से 150 दिनों की गिरावट और कम क्षमता उपयोगिता जैसे कारणों से चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। 2008–09 और 2007–08 में चीनी के थोक मूल्य सूचकांक का मासिक उतार चढाव के प्रतिशत का रूझान ग्राफ के रूप में नीचे दर्शाया गया है :–

चीनी के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

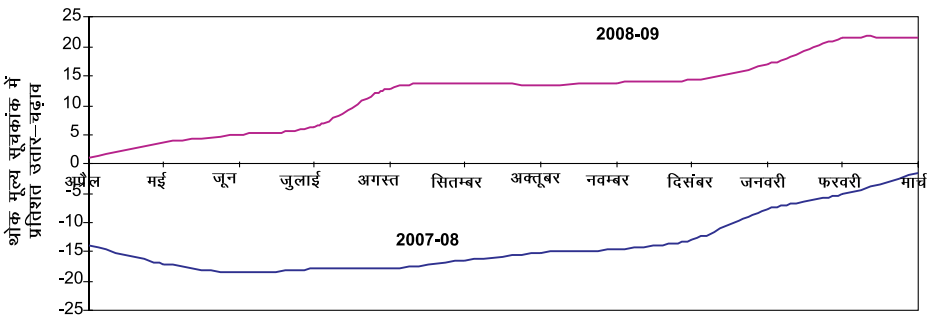

3.25 चीनी वर्ष 2008–09 (अक्तूबर– सितम्बर) के दौरान, मार्च, 09 के दौरान 161 लाख टन उत्पादन का अनुमान है!

3.26 वर्ष 2008–09 के लिए उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार गन्ने का उत्पादन 2007–08 के 348.19 मिलीयन टन की तुलना मे कम अर्थात् 290.45 मिलीयन टन होने का अनुमान है।

3.27 वर्ष 2008–09 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान 32.85 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था जबकि गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में यह 29.46 लाख टन था।(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस)।

[kk| ry

3.28 खाद्य तेलों की घरेलू खपत 10 मि. टन प्रति वर्ष से अधिक होने का अनुमान है। देश में खाद्य तेल का उत्पादन घरेलू खपत की अपेक्षाओं की तुलना में बहुत कम है और यह 6 मिलियन टन के आस–पास रहा है। द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2008–09 के दौरान तिलहनों का कुल उत्पादन 25.96 मिलियन टन आंका गया है जबकि वर्ष 2007–08 में यह 29.76 मिलियन टन था। वर्ष 2008–09 के लिए तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य 31.75 मिलियन टन तय किया गया है।

3.29 वर्ष 2008–09 के मध्य से खाद्य तेलों के खुदरा मूल्यों में भारी गिरावट दर्ज की गई है जो दिसम्बर के अंत तक जारी रही जिसके बाद सरसों के तेल को छोड़कर सभी खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि आरम्भ हो गई। मूंगफली के तेल का खुदरा मूल्य 31 मार्च, 09 को 56.00 – 103.00 रु. प्रति कि.ग्रा. की रेंज में था जबकि इसकी तुलना में 31 मार्च, 2008 को मूंगफली के तेल का मूल्य 72.00 – 121.00 रु. प्रति कि.ग्रा. की रेंज में था, सरसों के तेल का मूल्य 65.00 – 105.00 रु. प्रति कि.ग्रा. की रेंज में था जबकि इसकी तुलना में 31 मार्च, 08 को सरसों के तेल का मूल्य 61.00 – 100.00

रु. प्रति कि.ग्रा. की रेंज में था और वनस्पति तेल 41.00 – 72.00 रु. प्रति कि.ग्रा. की रेंज में उपलब्ध था (31.3.09)। जबकि इसकी तुलना में 31 मार्च, 08 को वनस्पति तेल का मूल्य 59.00 – 80.00 रु. प्रति कि.ग्रा. की रेंज में था।

3.30 थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य तेलों का मान 2.76% है। थोक मूल्य सूचकांक के रूप में अप्रैल–मार्च, 09 के दौरान खाद्य तेलों के उप समूह में 10% की गिरावट दर्ज की गई जबकि गत वर्ष की उसी अवधि के दौरान 19.9% की वृद्धि हुई थी। अलग–अलग खाद्य तेलों में वनस्पति में 0.82% की बढ़ोतरी हुई। तथापि, मूंगफली के तेल के और सरसों के तेल के थोक मूल्य सूचकांक में क्रमशः 11.32% और 6.349% की गिरावट आई। वर्ष 2007–08 और 2008–09 में मूंगफली के तेल, सरसों के तेल और वनस्पति के थोक मूल्य सूचकांक में माहवार उतार–चढ़ाव के प्रतिशत के रुझान को नीचे के ग्राफ मे दर्शाया गया है:–

मूंगफली के तेल के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

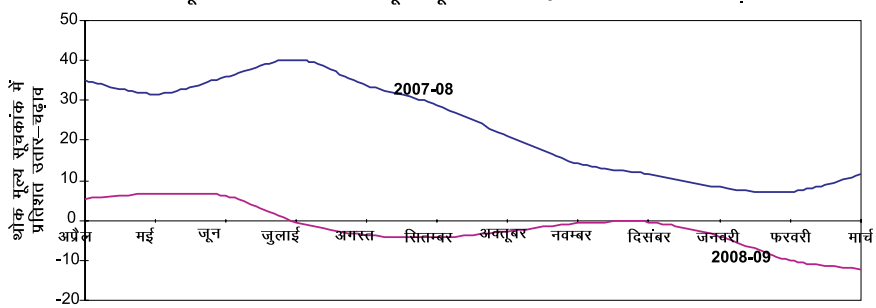

सरसों के तेल के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

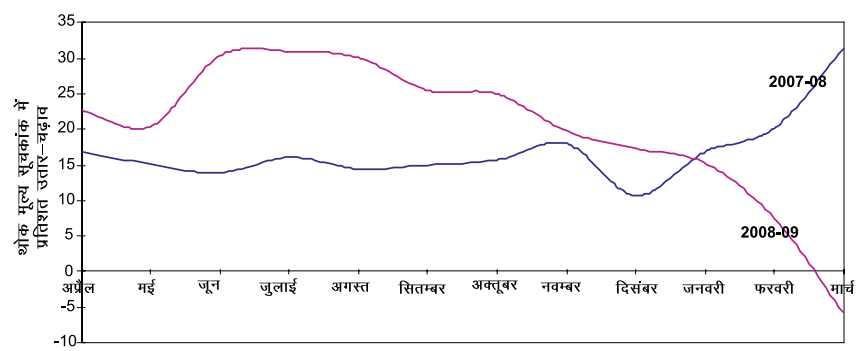

वनस्पति के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

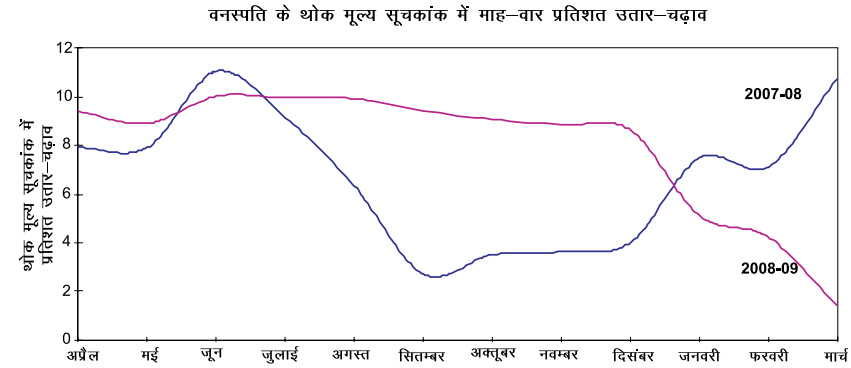

3.31 खाद्य तेलों की मांग और पूर्ति के बीच के अंतराल को लगभग 40 प्रतिशत मुख्यतः सोयाबीन और पॉम तेलों के आयात द्वारा पूरा किया जाता है। वर्ष 2008–09 के (अप्रैल – दिसम्बर) के दौरान 48.28 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया जबकि पिछले वर्ष तदनुरूपी अवधि के दौरान 37.68 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया था (स्रोत : डी जी सी आई एंड एस) ।

lfCt ;k

I;kt

3.32 सब्जियों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव उनकी उपलब्धता और मौसम कारकों पर निर्भर करते हैं। सरकार ने सब्जियों, विशेष रूप से प्याज और आलू के मूल्यों और उपलब्धता पर बारीकी से नजर रखी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्याज के खुदरा मूल्य गत वर्ष की तुलना में कम रहे तथापि, दिसम्बर 08 से मार्च 09 के दौरान मूल्यों में वृद्धि का रूझान देखने को मिला है। 31 मार्च, 08 को प्याज के खुदरा मूल्य 6.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (पटना) 20 रू. प्रति कि.ग्रा. (आईजॉल) की तुलना में 31 मार्च 09 को 7.50 रू. प्रति कि.ग्रा. (हैदराबाद) 25.00 रू. प्रति कि. ग्रा. (आईजॉल) के बीच रहे।

3.33 वर्ष 2007–08 और 2008–09 में प्याज का थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रास्फीति की मासिक दर के रुझान को नीचे के ग्राफ में दर्शाया गया है।

प्याज के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

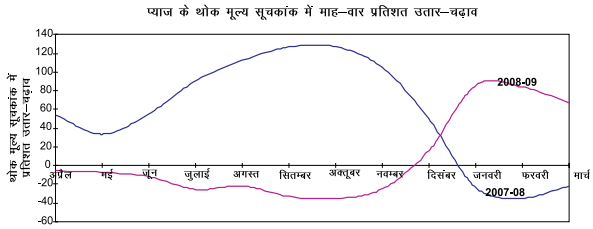

3.34 नेफेड ने न्यूनतम निर्यात मूल्य जुलाई 2008 से अगस्त 2008 में 20 अमरीकी डालर टी एम टी से बढाकर 250 अमरीकी डालर कर दिया। यह मार्च 2009 में 200 अमरीकी डालकर प्रतिटन की औसत में था।

3.35 वर्ष 2008–09 के दौरान प्याज का निर्यात 16.75 लाख टन था जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 11.01 लाख टन था। वर्ष 2008–09 के दौरान प्याज का उत्पादन 7.63 टन मिलीयन होने का अनुमान है जबकि गत वर्ष 7.45 मिलीयन टन का उत्पादन हुआ था।

vkyw

3.36 वर्ष 2008–09 के दौरान 314.63 लाख मी.टन आलू का उत्पादन होने का अनुमान है जो कि गत वर्ष के 304.42 लाख मी.टन के उत्पादन से 3.35% अधिक है।(स्रोत राष्ट्रीय बागवानी विज्ञान अनुसंधान और विकास फाउंडेशन, नासिक)

3.37 2008–09 और 2007–08 में थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रास्फीति की मासिक दर के रुझान को ग्राफ द्वारा नीचे दर्शाया गया है।

आलू के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

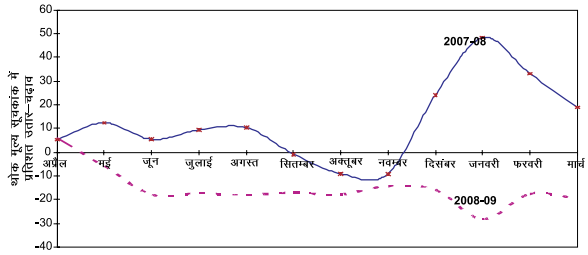

3.38 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, अक्तूबर 08 के दौरान आलू के खुदरा मूल्य 13 रू. प्रति कि.ग्रा. के उच्च स्तर तक पहुंच गए थे और उसके बाद 9 रू. प्रति कि.ग्रा. तक गिर गए। 31मार्च, 08 को आलू का खुदरा मूल्य 4.50 (पटना) से 18.00 रुपए प्रति कि.ग्रा.(आएजवाल)

की तुलना में 31 मार्च, 09 को यह 4.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (अमृतसर, लखनउ, जयपुर और कोलकाता) से 13.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (श्रीनगर) के बीच रहे।

Pkk;

3.39 चाय के खुदरा मूल्यों में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि का रुझान देखने को मिला । 31मार्च, 08 को चाय का खुदरा मूल्य 75.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (गुवाहाटी) से 230.00 रुपए प्रति कि.ग्रा.(चैन्नई) की तुलना में 31 मार्च, 09 को यह 90.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (गुवाहाटी) से 280.00 रू. प्रति कि.ग्रा. (चैन्नई) के बीच रहे।

3.40 2008–09 और 2007–08 में थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रास्फीति की मासिक दर के रुझान को ग्राफ द्वारा नीचे दर्शाया गया है।

3.41 वर्ष 2007–08 के दौरान 945.27 मि. कि.ग्रा. चाय का उत्पादन होने का अनुमान है जो जबकि गत वर्ष में यह 973.07 मि. कि.ग्रा. था।

3.42 वर्ष 2008–09 के दौरान (अप्रैल–दिसम्बर) 157.71 मि. कि.ग्रा. चाय का निर्यात किया गया जो कि गत महीने अप्रैल–दिसम्बर में 150.81 मि. कि.ग्रा. था। (स्रोत (स्रोत : डी जी सी आई एंड एस) ।

n/k

3.43 गत वर्ष की तुलना में दूध के खुदरा मूल्यों में स्थिरता और गिरावट का रूझान देखने को मिला है। 31मार्च, 08 को दूध का खुदरा मूल्य 14.00 रू. प्रति लीटर (जयपुर) से 31.00 रुपए प्रति लीटर (शिलांग) की तुलना में 31 मार्च, 09 को 14.00 रू. प्रति लीटर (जयपुर) से 31.00 रू. प्रति लीटर (शिलांग) के बीच रहे।

चाय के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

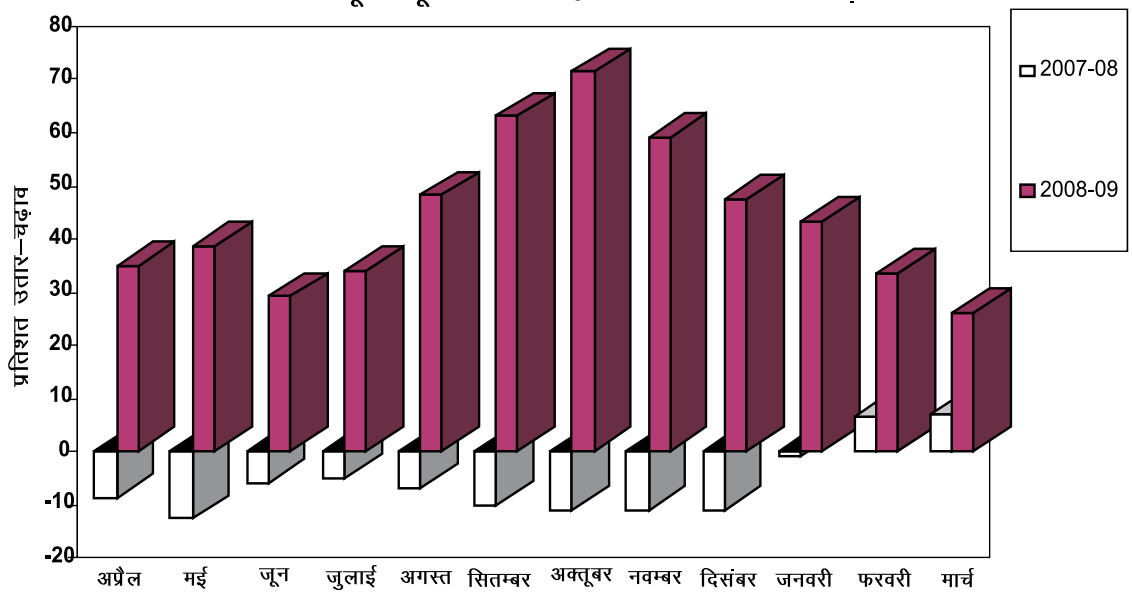

3.44 2008–09 और 2007–08 में थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रास्फीति की मासिक दर के रुझान को ग्राफ द्वारा नीचे दर्शाया गया है।

दूध के थोक मूल्य सूचकांक में माह–वार प्रतिशत उतार–चढ़ाव

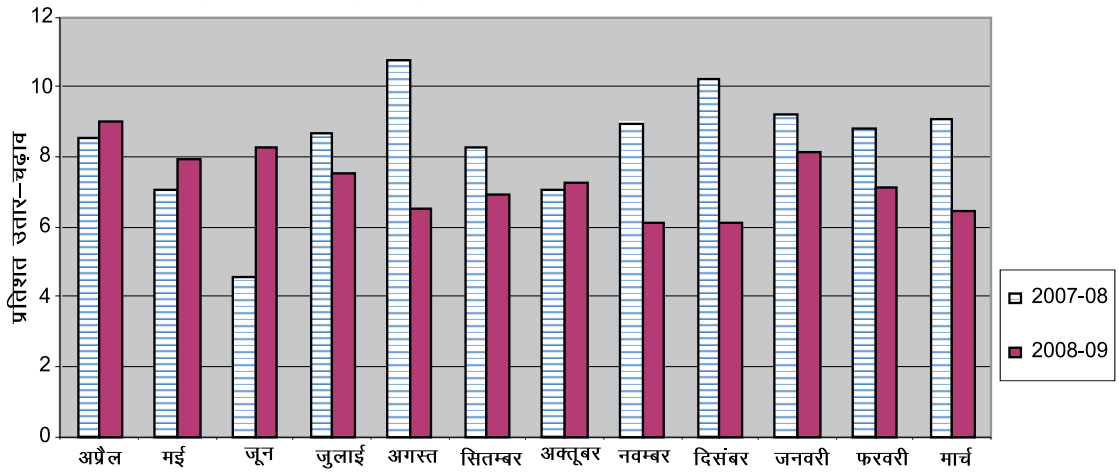

3.45 दूध की उपलब्धता बढाने के लिए 29 अप्रैल, 08 को स्किमड दूध पाउडर (एस एम पी) पर आयात शुल्क को 15 से 5 प्रतिशत तक कम कर दिया गया !

ued

3.46 नमक की उपलब्धता और मूल्य सारे देश में संतोषजनक रहे । राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सूचना के अनुसार देश के विभिन्न केंद्रों में नमक (पैकबंद) के खुदरा मूल्य 5.00 रुपए से 11.00 रुपए प्रति कि.ग्रा. के बीच रहे।

vuqyXud-I

vko';d oLrqvksa dk lwpdkad (Fkksd ewY; lwpdkad) vkSj mudk ;ksxnku													
(vk/kkj: 1993-94=100)												(प्रतिशत)	
oLrq	eku	28/03/2009	ikjLi o"kZ ifjorZu	ekpZ vUr rd ifjorZu		ekpZ dk vUr esa ifr'kr 'ks;j		eqnzkLQhfr dh okf"kZd nj		eqnzkLQhfr esa ifr'kr 'ks;j		52 lIrkg dk vkSlr vk/kkj	
				iFke 52 lIrkg		iFke 52 lIrkg		fcUnq nj fcUnq		fcUnq nj fcUnq		eqnzkLQhfr dh nj	
		lpdkd	07-08	08-09	07-08	08-09	07-08	08-09	07-08	08-09	07-08	08-09	07-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
lexz oLrq,a	**100.00**	**227.3**	**7.75**	**0.26**	**7.75**	**100.00**	**100.00**	**0.26**	**7.75**	**100.0**	**100.0**	**8.32**	**4.67**
आवश्यक वस्तुएं	**17.63**	**229.6**	**5.80**	**7.70**	**5.80**	**482.59**	**12.64**	**7.70**	**5.80**	**482.6**	**12.6**	**7.94**	**2.23**
चावल	2.45	226.5	9.07	12.80	9.07	**104.90**	**2.51**	12.80	9.07	**104.9**	**2.5**	10.58	6.79
गेहूं	1.38	246.0	5.08	5.22	5.08	**28.14**	**0.96**	5.22	5.08	**28.1**	**1.0**	6.19	4.25
चना	0.22	198.0	5.81	-7.91	5.81	**-6.35**	**0.16**	-7.91	5.81	**-6.3**	**0.2**	4.56	-4.20
अरहर	0.14	247.6	15.19	12.60	15.19	**6.23**	**0.24**	12.60	15.19	**6.2**	**0.2**	9.51	13.97
आलू	0.26	181.6	10.32	-19.86	10.32	**-19.20**	**0.33**	-19.86	10.32	**-19.2**	**0.3**	-16.57	9.19
प्याज	0.09	277.8	-17.75	61.98	-17.75	**16.65**	**-0.21**	61.98	-17.75	**16.7**	**-0.2**	-0.93	45.50
चाय	0.16	165.9	6.75	24.92	6.75	**8.66**	**0.08**	24.92	6.75	**8.7**	**0.1**	43.05	-6.25
चीनी	3.62	177.1	1.14	17.60	1.14	**159.84**	**0.38**	17.60	1.14	**159.8**	**0.4**	12.00	-13.40
रैपसीड और सरसों का तेल	0.49	215.8	29.88	-6.34	29.88	**-11.83**	**1.58**	-6.34	29.88	**-11.8**	**1.6**	19.37	17.19
मूंगफली का तेल	0.17	212.4	11.66	-11.32	11.66	**-7.86**	**0.27**	-11.32	11.66	**-7.9**	**0.3**	-1.83	21.98
नमक	0.02	259.4	6.68	10.52	6.68	**0.86**	**0.02**	10.52	6.68	**0.9**	**0.0**	13.87	-0.10
वनस्पति	0.80	160.0	11.45	0.82	11.45	**1.73**	**0.80**	0.82	11.45	**1.7**	**0.8**	7.74	6.74
ज्वार	0.22	335.3	15.33	4.62	15.33	**5.48**	**0.58**	4.62	15.33	**5.5**	**0.6**	7.12	13.74
बाजरा	0.11	285.7	-1.55	21.47	-1.55	**9.26**	**-0.02**	21.47	-1.55	**9.3**	**0.0**	5.89	3.45
मूंग	0.11	305.4	-16.47	18.33	-16.47	**8.83**	**-0.35**	18.33	-16.47	**8.8**	**-0.3**	7.44	-12.02
मसूर	0.04	425.9	30.13	19.53	30.13	**4.18**	**0.18**	19.53	30.13	**4.2**	**0.2**	23.85	25.90
उड़द	0.10	362.9	-18.13	15.46	-18.13	**7.78**	**-0.41**	15.46	-18.13	**7.8**	**-0.4**	0.63	-16.72
दूध	4.37	233.7	8.68	6.08	8.68	**97.53**	**4.72**	6.08	8.68	**97.5**	**4.7**	7.37	8.46
मछली–इनलैंड	0.50	292.0	-6.55	1.28	-6.55	**3.06**	**-0.62**	1.28	-6.55	**3.1**	**-0.6**	-1.41	-8.22
गोश्त	0.45	300.3	9.68	6.49	9.68	**13.57**	**0.68**	6.49	9.68	**13.6**	**0.7**	13.43	6.45
लाल मिर्च (सूखी)	0.19	425.5	4.17	22.55	4.17	**24.66**	**0.16**	22.55	4.17	**24.7**	**0.2**	20.27	0.55
आटा	0.21	257.1	2.67	1.22	2.67	**1.06**	**0.08**	1.22	2.67	**1.1**	**0.1**	3.98	3.26
गुड़	0.06	232.7	2.92	32.14	2.92	**5.66**	**0.02**	32.14	2.92	**5.7**	**0.0**	19.28	-8.12
नारियल का तेल	0.17	161.0	6.33	8.93	6.33	**3.78**	**0.09**	8.93	6.33	**3.8**	**0.1**	20.00	-1.63
कुकिंग कोल	0.24	263.7	10.33	0.00	10.33	**0.00**	**0.37**	0.00	10.33	**0.0**	**0.4**	6.93	3.18
कैरोसीन	0.69	357.6	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.0**	**0.0**	0.00	0.00
लॉग क्लॉथ/शिटिंग	0.06	184.5	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.0**	**0.0**	0.00	0.00
धोतीयां/साड़ियां और वायल्स	0.04	160.0	0.00	-5.60	0.00	**-0.66**	**0.00**	-5.60	0.00	**-0.7**	**0.0**	-0.46	0.00
कपड़े धोने का साबुन	0.17	261.0	0.00	9.07	0.00	**6.15**	**0.00**	9.07	0.00	**6.1**	**0.0**	8.72	13.98
सेफ़्टी माचिस	0.12	197.5	4.75	37.92	4.75	**10.41**	**0.05**	37.92	4.75	**10.4**	**0.0**	24.04	3.29

vuyXud-II

Pkfunk dUnk ij vko';d oLrvk d eklkr [knjk eY; ¼:Ik, ifr fd-xk-½												
	viy,08	eb,08	tu,08	tyk,08	vx,08	flr-,08	vDr,08	uo-,08	fnl,08	tu,09	Qj,09	ekp,09
pkoy												
दिल्ली	18.00	18.00	20.00	20.00	20.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
मुंबई	16.00	16.00	17.50	17.00	17.00	17.00	17.50	17.50	17.50	18.00	18.00	18.00
कोलकाता	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
चेन्नई	16.00	15.00	16.00	18.00	18.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
xg												
दिल्ली	12.50	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.50
मुंबई	15.50	15.50	15.50	15.50	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00	16.00	15.00	16.00
कोलकाता	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT
चेन्नई	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	18.00
puk nky												
दिल्ली	37.00	35.00	34.50	36.00	36.00	37.00	37.00	38.00	35.00	35.00	35.00	34.00
मुंबई	38.00	38.00	39.00	39.00	38.00	40.00	41.00	36.00	33.00	34.00	33.00	34.00
कोलकाता	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	38.00	35.00	35.00	35.00	35.00	32.00
चेन्नई	35.00	34.00	34.00	36.00	37.00	38.00	38.00	34.00	34.00	35.00	34.00	34.00
rj nky												
दिल्ली	42.00	42.00	43.00	43.50	45.50	50.00	50.00	50.00	50.00	49.00	56.00	52.00
मुंबई	39.00	39.00	40.00	46.00	47.00	46.00	52.00	46.00	50.00	49.00	52.00	53.00
कोलकाता	36.00	42.00	42.00	42.00	42.00	46.00	45.00	45.00	42.00	45.00	48.00	45.00
चेन्नई	44.00	44.00	44.00	48.00	48.00	48.00	50.00	52.00	48.00	54.00	58.00	58.00
mMn nky												
दिल्ली	38.00	38.00	37.00	38.00	38.00	41.00	44.00	47.00	47.00	46.00	46.00	46.00
मुंबई	NR	NR	NR	NR	NR	NR	48.00	47.00	47.00	49.00	49.00	46.00
कोलकाता	NR	NR	NR	NR	NR	NR	39.00	38.00	36.00	36.00	36.00	38.00
चेन्नई	NR	NR	NR	NR	NR	NR	46.00	48.00	48.00	46.00	50.00	48.00
ex nky												
दिल्ली	38.00	37.00	36.00	38.00	40.00	41.00	44.50	45.00	46.00	45.00	46.00	46.00
मुंबई	NR	NR	NR	NR	NR	NR	49.00	47.00	45.00	47.00	48.00	50.00
कोलकाता	NR	NR	NR	NR	NR	NR	44.00	46.00	48.00	44.00	52.00	48.00
चेन्नई	NR	NR	NR	NR	NR	NR	46.00	46.00	45.00	45.00	48.00	50.00
elj nky												
दिल्ली	46.00	47.00	47.00	48.00	49.50	54.00	54.00	60.00	59.00	61.00	62.00	60.00
मुंबई	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	58.00	58.00	57.00	60.00	57.00
कोलकाता	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	48.00	55.00	54.00	55.00	57.00
चेन्नई	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
phuh												
दिल्ली	18.00	17.00	17.00	19.00	22.00	20.00	20.00	20.00	21.00	24.50	25.00	24.00
मुंबई	17.50	17.50	18.00	18.50	21.50	20.50	19.50	20.50	21.50	22.00	24.00	24.00
कोलकाता	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	21.00	21.00	21.00	21.00	22.00	25.00	23.00
चेन्नई	16.00	16.00	16.00	17.00	21.00	19.00	20.00	20.00	21.00	21.00	22.00	21.00
exQyh dk ry												
दिल्ली	120.00	121.00	121.00	121.00	121.00	118.00	114.00	111.00	111.00	109.00	103.00	101.00
मुंबई	91.00	91.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	84.00	85.00	90.00	94.00	92.00
कोलकाता	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	90.00	93.00	82.00	86.00	86.00	98.00	93.00
चेन्नई	70.00	78.00	77.00	76.00	72.00	70.00	70.00	68.00	66.00	65.00	62.00	60.00

	viy,08	eb,08	tu,08	tyk,08	vx,08	flr-,08	vDr,08	uo-,08	fnl,08	tu,09	Qj,09	ekp,09
exQyh dk ry												
दिल्ली	71.00	74.00	83.00	85.00	82.00	78.00	78.00	77.00	77.00	77.00	74.00	63.00
मुंबई	70.00	75.00	83.50	75.00	80.00	80.00	82.00	82.00	86.00	84.00	78.00	78.00
कोलकाता	78.00	75.00	75.00	75.00	75.00	81.00	78.00	76.00	78.00	78.00	72.00	62.00
चेन्नई	NT	NT	NT	NT	NT	88.00	82.00	82.00	81.00	82.00	83.00	80.00
ouLifr												
दिल्ली	71.00	69.00	74.00	74.00	71.00	62.00	59.00	60.00	56.00	54.00	52.00	51.00
मुंबई	62.00	62.00	63.00	66.00	60.00	60.00	60.00	58.00	58.00	55.00	55.00	55.00
कोलकाता	65.00	63.00	63.00	63.00	63.00	60.00	50.00	47.00	42.00	45.00	45.00	46.00
चेन्नई	68.00	74.00	75.00	75.00	72.00	70.00	65.00	62.00	58.00	55.00	56.00	55.00
Pkk; ([kqyh)												
दिल्ली	108.00	107.00	117.00	121.00	128.00	133.00	137.00	141.00	143.00	144.00	143.00	138.00
मुंबई	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
कोलकाता	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
चेन्नई	240.00	240.00	240.00	250.00	250.00	250.00	260.00	270.00	270.00	280.00	280.00	280.00
vkVk												
दिल्ली	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00
मुंबई	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
कोलकाता	14.50	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00
चेन्नई	19.00	22.00	20.00	19.00	19.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
nw/k@												
दिल्ली	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
मुंबई	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
कोलकाता	30.00	28.00	28.00	28.00	28.00	21.00	21.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
चेन्नई	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
vkyw												
दिल्ली	7.00	8.00	9.00	11.50	13.00	13.00	13.00	10.00	8.00	7.00	6.00	9.00
मुंबई	10.00	9.00	9.50	11.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00
कोलकाता	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	9.00
चेन्नई	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	10.00	12.00	10.00	10.00	12.00
I;kt												
दिल्ली	8.00	8.00	10.00	13.00	15.50	15.00	16.00	19.00	21.00	21.00	19.00	15.00
मुंबई	7.00	7.00	8.50	13.00	13.00	13.00	11.00	17.00	15.00	19.00	15.00	14.00
कोलकाता	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	12.00	14.00	18.00	18.00	18.00	14.00	14.00
चेन्नई	8.00	8.00	8.00	10.00	13.00	10.00	10.00	18.00	16.00	18.00	16.00	12.00
ued (iSd)												
दिल्ली	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
मुंबई	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
कोलकाता	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00
चेन्नई	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00

NT – व्यापारित नहीं, * रिफाइंड @ रूपए/लिटर, स्रोत:- राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग

v/;k;&IV

vko';d oLrq vf/kfu;e]1955

4.1 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन्हें बेईमान व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था । इस अधिनियम में आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के विनियमन और नियंत्रण, उनकी आपूर्ति बनाए रखने या आपूर्ति बढ़ाने अथवा उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है । इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा तथा प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण एवं व्यापार के अन्य पहलुओं को विनियमित करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी किए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों का कार्यान्वयन/प्रवर्तन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के पास है ।

4.2 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 'आवश्यक' घोषित की गई वस्तुओं की आर्थिक परिस्थितियों में आए बदलावों की स्थिति तथा विशेष रूप से उनके उत्पादन एवं आपूर्ति के संबंध में इन वस्तुओं को प्रशासित करने वाले संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ परामर्श करके समय–समय पर समीक्षा की जाती है। आवधिक समीक्षाओं के जरिए ऐसी वस्तुओं की संख्या 07 तक लाई गई है ताकि मुक्त व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाया जा सके।

4.3 राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस अधिनियम के तहत प्रवर्तन एजेंसियां होने के कारण उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करके इसके उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमित रूप से इस अधिनियम का सहारा ले रहे हैं । वर्ष 2008 के दौरान 31.3.2009 तक अपडेट की गई सूचना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रवर्तन के परिणाम नीचे दिए गए हैं –

1. मारे गए छापों की संख्या	268775
2. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	8001
3. अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	6425
4. दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	790
5. जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य	6095.22 लाख रुपए

vko’;d oLr|vk d eY;k e gbl of) dk jkdu d fy, dh xbl dkj|okbl

4.4 कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के संदर्भ में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रुझान को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने हेतु विभिन्न भागों में भारी चिंता रही। इस धारणा को दृष्टिगत रखते हुए कि मूल्यों में और वृद्धि होने की प्रत्याशा में विशेष रूप से गेहूं और दालों के भण्डार जमा किए गए हैं, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों तथा आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों से भी जमा स्टाक निकालने संबंधी कार्रवाई करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत शक्तियां बहाल करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पहले ही अनेक कदम उठा लिए हैं।

4.5 सरकार द्वारा स्थिति की पुनः समीक्षा की गई और मंत्रिमंडल के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि गेहूं और दालों (साबुत तथा दली हुई) के संबंध में दिनांक 15.2.2002 के केंद्रीय आदेश में कुछ उपबंधों को छः महीनों तक के लिए आस्थगित रखा जाए ताकि इन वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्यों के वर्तमान संकट का सामना किया जा सके। तदनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 29.8.2006 को केंद्रीय आदेश सं. 1373 (ई) जारी किया जिसके आधार पर 15.02.2002 को अधिसूचित 'रिमूवल ऑफ (लाइसैंसिंग रिक्वायरमेंट, स्टॉक लिमिट्स एंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन्स) ऑन स्पेसीफाइड फूडस्टफ्स ऑर्डर, 2002' में क्रय, संचलन, बिक्री, आपूर्ति, वितरण अथवा बिक्री के लिए भण्डारण के संबंध में बनाए गए शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों को वस्तुओं अर्थात गेहूं और दालों के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से छः महीनों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आस्थगित रखा गया है। तथापि, इस आदेश का प्रभाव गेहूं और दालों (साबुत अथवा दली हुई) के राज्य से बाहर के स्थानों के परिवहन, वितरण अथवा निपटान पर नहीं पड़ेगा और न ही यह आदेश इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगा । 29.8.2006 का आदेश आरंभ में 6 महीनों की अवधि के लिए प्रभावी था जिसे दिनांक 27.02.2007, 31.8.2007 और 28.2.2008 की केंद्रीय अधिसूचना के तहत तीन बार 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। पुनः यह आदेश 27.8.2008 की केन्द्रीय अधिसूचना के तहत 30.4.2009 तक बढ़ाया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को जमाखोरी रोधी कार्रवाई आरम्भ करने के लिए प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के लिए सरकार द्वारा मूल्य की स्थिति की पुनः समीक्षा की गई और मंत्रिमंडल के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों और चावल के संबंध दिनांक 15.2.02 के केंद्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को 1 वर्ष तक की अवधि के लिए आस्थगित रखा जाए ताकि इन वस्तुओं की मूल्यों में वृद्धि के रूझान रोकने और जन साधारण तक इनकी उपलब्धता होने को टैकल किया जा सके। तथापि, यह निर्णय भी लिया गया कि इन मदों के अंतर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा

और इन मदों के आयात को भी राज्य सरकारों के नियंत्रण क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। इसे लागू करने के लिए दिनांक 7 अप्रैल, 08 का आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल की 21.8.08 की बैठक में यह निर्णय लिया गया की धान के संबंध में दिनांक 15.02.02 के केंद्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को 30.4.09 तक की अवधि के लिए इन वस्तुओं के बढते हुए मूल्यों के रूझान को रोकने और जनसाधारण तक उपलब्धता बनाने के लिए आस्थगित रखा जाये। इसे लागू करने के लिए दिनांक 27.8.08 का आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

4.6 सरकार द्वारा मूल्य की स्थिति की पुनः समीक्षा की गई और मंत्रिमंडल के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया प्रतिबंध में और छूट दी जाए तथा चीनी के संबंध में आदेश के प्रकाशन की तारीख से दिनांक 15.2.02 के केन्द्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को और 4 महीनों तक के लिए आस्थगित रखा जाए ताकि चीनी की उपलब्धता और मूल्य को टैकल किया जा सके। तदनुसार, इस आशय से दिनांक 9.03.09 का आदेश सं. ओ. 649 (ई) भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

4.7 मंत्रिमंडल ने 30.03.09 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए – (i) दिनांक 15.02.02 के केन्द्रीय आदेश के उपबंधों को आस्थगित रखते हुए गेहूं को वस्तुओं की उस सूची से हटाना जिस पर स्टाक भंडार सीमा को निर्धारित करने के आदेश लागू किए गए हैं। (ii) दालों और धान के संबंध में दिनांक 29.8.06 की केन्द्रीय अधिसूचना की वैधता को 30.4.09 से आगे बढाना (30.09.09) तक और (iii) खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों और चावल के संबंध। में वैधता को 6.4.09 से आागे बढाना (30.09.09) तक । इन अधिसूचनाओं को भारत के राजपत्र में दिनांक 30.3.09 के सं. एस.ओ.880 (ई), दिनांक 02.4.09 के आदेश सं. एस.ओ.905 (ई) और दिनांक 2.4.2009 के आदेश सं. एस.ओ. 906 (ई) के तहत अधिसूचित किया गया। इन आदेशों में राज्य/संघ राज्य सरकारों को चीनी, दालों, धान, खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों और चावल के संबंध में स्टाक निर्धारित करने की अनुमति दे दी है।

4.8 जहां तक इन आदेशों के कार्यान्वयन का सबंध है यह कहा जाता है कि केवल 18 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सभी 5 मदों के लिए स्टाक सीमा जारी कर दी है या केवल गेहूं आर दालों या केवल लाइसेंस की आवश्यकता जारी की है/ स्टाक की घोषणा की है। (इन 18 में से केवल 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वास्तविक रूप से स्टाक सीमा आदेश जारी किए हैं/जारी करने की प्रक्रिया में हैं। 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लाइसेंस की आवश्यकता/स्टाक की घोषणा जारी कर दी है)।

4.9 उपर्युक्त आदेशों के अनुसरण में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे गेहूं और दालों के संबंध में डीलरों की विभिन्न श्रेणियों जैसे मिल मालिकों/उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित करने हेतु एक नया नियंत्रण आदेश जारी करें अथवा पुराने नियंत्रण आदेश को पुनः लागू करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम,

1955 के अधीन प्राप्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन मदों के जमा स्टॉक को खुले बाजार में लाने और उन्हें आम जनता को वाजिव दामों में उपलब्ध कराने के लिए प्रभावकारी कार्रवाई करने की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं ।

p¨j ckt kjh fuokj.k v©j vko’;d oLr| Ánk; vfèkfu;e] 1980

4.10 जमाखोरी और चोर बाजारी आदि जैसे अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम में केंद्र और राज्य सरकारों को उन लोगों को नजरबंद करने की शक्तियां दी गई हैं जिनकी गतिविधियां समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधक पाई जाएं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नजरबंदियां केवल चयनित मामलों में की जाती हैं ताकि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोरबाजारी को रोका जा सके। राज्य सरकारों द्वारा 1.1.2008 से 31.12.2008 तक की अवधि के दौरान 162 मामलों में नजरबंदी के आदेश जारी किए गए।

4.11 केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के पास नजरबंदी आदेशों को आशोधित एवं रद्द करने की शक्ति भी है। जिन व्यक्तियों के नजरबंदी के आदेश किए गए हों उनके द्वारा या उनकी ओर से दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार और निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा 1.1.2008 से 31.12.2008 तक की अवधि के दौरान ऐसे 57 अभ्यावेदनों पर विचार करके उन पर निर्णय लिया गया।

****

v/;k;&V

miHkksDrk lajk{k.k

5.1 उपभोक्ता आंदोलन एक ऐसा सामाजिक आर्थिक आंदोलन है, जिसमें खरीदी गई वस्तुओं और प्राप्त सेवाओं के संदर्भ में उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है । सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी है। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में नोडल विभाग होने के नाते इस विभाग ने देश में एक जिम्मेदार और जवाबदेह उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्यों के माध्यम से उपभोक्ताओं की जागरूकता और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टी मीडिया माध्यमों का उपयोग करना शामिल है ।

5.2 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं –

(i) एक उपयुक्त प्रशासकीय तथा कानूनी तंत्र बनाना, जिस तक उपभोक्ताओं की आसानी से पहुंच हो तथा उपभोक्ता कल्याण के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए सरकारी तथा गैर–सरकारी दोनों संगठनों से बातचीत करना।

(ii) समाज के विभिन्न वर्गों जैसे उपभोक्ता संगठनों, महिलाओं, युवाओं आदि को इस कार्यक्रम में शामिल करना और इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना;

(iii) उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने और वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता और स्तर के संबंध में समझौता न करने तथा जहां कहीं अपेक्षित हो, उपभोक्ता न्यायालयों से प्रतितोष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना।

miÒ¨Drk Lkjk{k.k vf/kfu;e] 1986

5.3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) देश में सामाजिक–आर्थिक कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर है । यह एक अत्यधिक प्रगतिशील, व्यापक और अनूठा कानून है, जो उपभोक्ताओं के विवादों के निपटान हेतु मंचों की स्थापना करके उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के सभी उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर देश भर में 1.7.1987 से लागू हो गए हैं । जम्मू और कश्मीर राज्य ने इस बारे में अपना अलग कानून बनाया है ।

5.4 इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर एक तीन स्तरीय अर्ध न्यायिक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष तंत्र की स्थापना की गई थी। इन एजेंसियों को उपभोक्ता मंच अथवा उपभोक्ता अदालतों के नाम से जाना जाता है। इन मंचों को उपभोक्ता

शिकायतों का सरल, त्वरित तथा कम खर्च पर प्रतितोष प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है ।

आयोग, जिला आयोगों और जिला फोरा में दायर किए गए व निपटाए गए मामलों की कुल संख्या नीचे दी गई है तथा राज्यवार ब्यौरे अनुबंध – I और II में दिए गए हैं।

Øe l0	, tlh dk uke	ikjEHk ls nk;j fd;s x, ekeys	ikjEHk ls fuiVk, x, ekeys	fopkjk/khu ekeys	dqy fuiVku dk – %
1	राष्ट्रीय आयोग	56921	47304	9617	83.10%
2	राज्य आयोग	466043	354683	111360	76.11%
3	जिला फोरम	2630580	2393708	236872	91.00%
	tkM	**3153544**	**2795695**	**357849**	**88.65%**

jk"Vh; miHkkDrk foHkkx ifrrk"k vk;kx

5.5 राष्ट्रीय उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग जिसको राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है, तीन स्तरीय अर्धन्यायिक उपभोक्ता विभाग प्रतितोष तंत्र में शीर्षस्थ उपभोक्ता मंच है और इसकी स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिदेश के अनुसार की गई है। इसके मुखिया भारत के उच्चतम न्यायालय के पदासीन अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते है। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष इस समय माननीय न्यायमूर्ति अशोक भान हैं जो भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है। इसके नौ सदस्य – माननीया सुश्री राजलक्ष्मी राव, माननीय श्री बी.के. तैमनी, माननीय न्यायमूर्ति के.एस. गुप्ता, माननीय डा. पी.डी. शैनॉय, माननीय श्री अनुपम दास गुप्ता, माननीय श्री एस.के. नायक, माननीय न्यायमूर्ति आर.सी. जैन. माननीय न्यायमूर्ति आर. के. बट्टा और माननीय न्यायमूर्ति बी.एन.पी. सिंह है।

5.6 राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्टों के अनुसार, 27.2.2009 तक राष्ट्रीय

^duQ¨uV* miÒ¨Drk eapk d dEI;Vjhdj.k v©j dEI;Vj uVofdx ij ,d ifj;¨tuk

5.7 देश में उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण तथा कम्प्यूटर नेटवर्किंग' (कनफोनेट) संबंधी एक स्कीम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (निक) के माध्यम से 48.64 करोड रूपये की लागत से शुरू की गई है जो एक टर्न–की प्रोजेक्ट है और 2004–2005 से शुरू होकर तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जायेगा। इस परियोजना के अंतर्गत देश के उपभोक्ता मंचों को सूचना के आदान–प्रदान हेतु कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है और नेटवर्क के माध्यम से जोडा जा रहा है।

28.02.2008 की स्थिति के अनुसार कुल 628 स्थल हैं (एन सी डी आर सी, 34 राज्य आयोगों और 593 जिला मंचों) को पैरीफिरल्स तथा साफ्टवेयर सहित अपेक्षित कम्प्यूटर प्रणालियों की आपूर्ति की गई है।

इन स्थलों में से 534 जिला मंचों और 33 राज्य आायोगों में कम्प्यूटर प्रणालियां इंस्टाल की गई हैं। राज्य सचिवों और सभी राज्यों/संघ–राज्य क्षेत्रों के राज्य आयोग अध्यक्षों को लैपटॉप

कम्प्यूटर भी सप्लाई किए गए हैं। कंफोनेट केस मानीटरिंग सॉफ्टवेयर लगाया गया है तथा यह 517 स्थलों पर प्रचालनरत है। एन आई सी का केन्द्रीय दल अन्य स्थलों पर भी सॉफ्टवेयर लगाने को कारगर बनाने के लिए राज्य समन्वयक तथा डी आई ओ के समन्वय से नियमित रूप से ई–लर्निंग सत्र आयोजित कर रहा है। सभी 628 स्थलों पर टी एस पी को पोस्ट करने के लिए एन आई सी द्वारा राज्य–वार जांच आदेश जारी किए गए हैं तथा एन आई सी द्वारा सम्यक जांच तथा प्रशिक्षण के उपरांत लगभग 550 टी एस पी ने क्षेत्र स्थलों पर कार्य–भार ग्रहण कर लिया है।

5.8 इस स्कीम के तहत उपभोक्ता वेबसाइट पर अपने मामलों की स्थिति देख पाएंगे। उक्त स्कीम के अंतर्गत, उपभोक्ता से संबंधित सभी वेबसाइटें अर्थात् राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों और जिला मंचों, उपभोक्ता मामले विभाग की केन्द्र में तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, कोर केन्द्रों, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन इत्यादि को आपस में जोड़ दिया जाएगा, ताकि उपभोक्ता इनमें से किसी भी वेबसाइट से किसी भी उपभोक्ता संबंधित जानकारी तक पहुंच सकें। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए केन्द्र सरकार तथा एन आई सी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

miHkkDrk epk dh vk/kkjHkr ljpuk dk ln< cukuk%

5.9 1995 की एक मुश्त अनुदान की स्कीम के अंतर्गत 1995–99 के दौरान 458 जिला मंचों और 32 राज्य आयोगों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए 25 राज्यों और 7 संघ–राज्य क्षेत्रों को 61.80 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई। इसके पश्चात 2004–05 की एकमुश्त अनुदान की स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2004–05 के दौरान, 53 जिला मंचों और 3 राज्य आयोगों जो 1995 के बाद, स्थापित हुये अर्थात् 1995 के एक मुश्त अनुदान के सृजन के पश्चात की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए 13 राज्यों को 10.20 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता जारी की गई। इन स्कीमों का उद्देश्य उपभोक्ता मंच की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित करना था।

5.10 वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान 'उपभोक्ता संरक्षण संबंधी एकीकृत परियोजना' की स्कीम का कार्यान्वयन किया गया, जिसमें 506 उपभोक्ता मंचों में महत्वपूर्ण अंतरालों को पूर्ण करने के लिए 21 राज्यों को 73.82 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता दी गई, ताकि प्रत्येक उपभोक्ता मंच को उनके प्रभावी कार्यकरण हेतु अपेक्षित न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

5.11 'इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन' स्कीम के अनुक्रम में 'उपभोक्ता मंच को सुदृढ़ करना' नामक एक नई स्कीम ग्यारहवीं योजना की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वित की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई छूट के अनुसार 2008–09 के दौरान उपभोक्ता मंच बिल्डिंग के लिए द्वितीय किस्त के रूप में राज्यों को 13.37 करोड़ रूपए प्रदत्त किए गए। नई स्कीम का सृजन सक्षम प्राधिकारी के मूल्यांकन तथा अनुमोदन के लिए विचाराधीन है।

5.12 उपभोक्ता मंच के कार्यकरण में सुधार हेतु विभिन्न मुद्दों/तरीकों पर विचार–विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में 16 और 17 अगस्त, 2008 को तथा 14 और 15 मार्च, 2009 को भी 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के अवसर पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा राज्य आयोगों के अध्यक्षों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी सचिवों के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलनों से उभर कर सामने आ रहे प्रस्तावों पर संबंधित

एजेंसियों के साथ विचारार्थ बात की गई।

5.13 इस विभाग द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ट्रेड कमीशन (यू एस एफ टी सी) के सहयोग से 27 और 28 मार्च, 2009 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'उपभोक्ता संरक्षण हेतु प्रतियोगिता' पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ट्रेड कमीशन के विशेषज्ञों ने यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ट्रेड कमीशन के कार्यों के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी और यह बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ट्रेड कमीशन भारत में समस्त विधायी/प्रशासनिक पहलों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कैसे कार्य कर सकता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न पणधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वर्गों के लोगों जैसे राष्ट्रीय आयोग के सदस्य/राज्य आयोगों के पीठासीन अधिकारियों, उपभोक्ता मामलों/विधिक माप विज्ञान का कार्य देखने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता शिकायतों को निपटाने वाले निगम क्षेत्रों, उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय गुणता परिषद, भारतीय दूरभाष विनियामक प्राधिकरण, सी सी आई, एम आर टी पी सी, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, एफ एस एस ए आई, आई आर डी ए आदि जैसे स्वायत्त निकायों/विनियामक निकायों के प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी में भाग लिया।

5.14 दिनांक 14 सितंबर, 2007 की अधिसूचना एस ओ सं. 1546 (ई) के अनुसार पुनर्संगठित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 24वीं बैठक 30 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

5.15 उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण की समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनकी राज्यों/संघ–राज्य क्षेत्रों के दौरों के दौरान भी की जाती है। इसी प्रकार अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयोग भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण की मॉनीटरिंग करते हैं और चर्चा के लिए कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं।

5.16 राज्य सचिवों और राज्य आयोगों के अध्यक्षों के साथ सीधे विचार–विमर्श को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया, ताकि यह विभाग उपभोक्ता आंदोलन को आगे ले जा सके। आवधिक प्रगति रिपोर्टों तथा दिल्ली अथवा संबंधित राज्यों में आगे चर्चा के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है।

5.17 जहां विचाराधीन मामलों की संख्या काफी अधिक है, निर्धारित समय मानकों के भीतर मामलों को निपटाने के लिए राज्यों/संघ–राज्य क्षेत्रों से उनके राज्य आयोगों की अतिरिक्त बेंचो की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है (राष्ट्रीय आयोग ने 15 राज्य आयोगों के लिए पहले 46 अतिरिक्त बेंचों की सिफारिश की है)। वर्तमान में, 4 राज्य आयोगों की 5 अतिरिक्त पीठों की स्थापना की गई है!

5.18 नई दिल्ली के अतिरिक्त तेरह शहर ऐसे स्थानों के रूप में अधिसूचित है, जहां राष्ट्रीय आयोग अपनी सर्किट बेंचों को आयोजित कर सकते हैं। मार्च–अप्रैल माह 2009 के दौरान कोची में एन सी डी आर सी की सर्किट बेंच आयोजित की गई।

5.19 एन सी डी आर में चार और सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया है। इससे एन सी डी आर सी दो और बेंचों का प्रचालन कर पाएगा और इस प्रकार मामलों के निपटान में तेजी आयेगी।

5.20 आई एन ए, नई दिल्ली में एन सी डी आर सी भवन के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है, जिसके लिए 10.00 करोड़ रूपए की धनराशि पहले ही सी पी डब्ल्यू डी को जारी की जा चुकी है, 9.90 करोड़ रूपए की धनराशि वर्ष 2009–10 में जारी करने का प्रस्ताव है।

माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री, श्री शरद पवार 30 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में पुर्नगठित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 24वीं बैठक को संबोधित करते हुए।

माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री शरद पवार तथा उपभोक्ता मामले विभाग के माननीय राज्य मंत्री श्री तस्लीमुद्दीन और श्री वाई एस भावे सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग 30 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित पुर्नगठित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 24वीं बैठक में भाग लेते हुए।

माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री शरद पवार तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री के0 जी0 बालाकृष्णन 30 जुलाई, 2008 को आयोजित पुर्नगठित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 24वीं बैठक में उपभोक्ता अधिकार पर एक पोस्टर का विमोचन करते हुये।

माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री शरद पवार 30 जुलाई, 2008 को आयोजित पुर्नगठित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 24वीं बैठक में प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुये।

vuqyXud-I

jkT; vk;kx vkj jkT; vk;kxk e nk;j fd, x,@fuiVk, x,@yfcr ekeyk dk fooj.k

(27-02-2009 dh fLFkfr d vuqlkj)

Øe l0	jkT; dk uke	LFkkiuk dky l nk;j ekeys	LFkkiuk dky l fuiVk, x, ekeys	yfcr ekeys	fuiVku dk ifr'kr	rkjh[k dk
	राष्ट्रीय आयोग	56921	47304	9617	83.10	31.12.2008
1	आन्ध्रप्रदेश	23459	19814	3645	84.46	31.12.2008
2	अंडमान निकोबार	42	38	4	90.48	31.01.2008
3	अरूणाचल प्रदेश	49	38	11	77.55	31.12.2008
4	असम	2192	1137	1055	51.87	30.09.2008
5	बिहार	12787	9001	3786	70.39	30.11.2008
6	चंडीगढ़	9650	8478	1172	87.85	31.01.2009
7	छत्तीसगढ़	5080	4114	966	80.98	31.12.2008
8	दमन और दीव और डीएनएच	29	29	0	100.00	30.09.2008
9	दिल्ली	28824	27915	909	96.85	31.12.2008
10	गोवा	2028	1888	140	93.10	31.12.2008
11	गुजरात	29963	24539	5424	81.90	31.12.2008
12	हरियाणा	36491	21390	15101	58.62	31.12.2008
13	हिमाचल प्रदेश	5964	5244	720	87.93	30.11.2008
14	जम्मू और कश्मीर	5497	4726	771	85.97	30.06.2008
15	झारखंड	3846	2929	917	76.16	31.12.2008
16	कर्नाटक	27337	26821	516	98.11	31.12.2008
17	केरल	21748	18832	2916	86.59	31.12.2008
18	लक्षद्वीप	14	13	1	92.86	30.11.2008
19	मध्य प्रदेश	31241	28498	2743	91.22	30.11.2008
20	महाराष्ट्र	45304	27549	17755	60.81	31.12.2008
21	मणिपुर	139	96	43	69.06	30.09.2008
22	मेघालय	115	109	6	94.78	31.05.2007
23	मिजोरम	153	143	10	93.46	31.12.2008
24	नागालैंड	94	64	30	68.09	31.12.2006
25	उड़ीसा	17930	10770	7160	60.07	31.12.2008
26	पुंडुचेरी	869	814	55	93.67	31.12.2008
27	पंजाब	21259	16089	5170	75.68	31.12.2008
28	राजस्थान	39936	35717	4219	89.44	31.12.2008
29	सिक्किम	31	31	0	100.00	31.12.2008
30	तमिलनाडु	20396	17791	2605	87.23	31.12.2008
31	त्रिपुरा	1115	1103	12	98.92	31.12.2008
32	उत्तर प्रदेश	54431	21826	32605	40.10	31.12.2008
33	उत्तराखंड	3420	2595	825	75.88	31.12.2008
34	पश्चिम बंगाल	12769	12164	605	95.26	31.12.2008
	dqy	**464202**	**352305**	**111897**	**75.89**	

vuqyXud-II

ftyk epkksa esa nk;j@fuiVk, x,@yfEcr ekeyksa dk fooj.k

(27.02.2009 तक अद्यतन)

Øe l0	jkT; dk uke	LFkkiuk dky ls nk;j ekeys	LFkkiuk dky ls fuiVk, x, ekeys	yfEcr ekeys	fuiVku dk izfr'kr	rkjh[k dk
1	आन्ध्रप्रदेश	172374	167700	4674	97.29	31.12.2008
2	अंडमान निकोबार	330	301	29	91.21	31.03.2006
3	अरूणाचल प्रदेश	291	258	33	88.66	31.12.2008
4	असम	12698	11515	1183	90.68	31.12.2008
5	बिहार	72853	62061	10792	85.19	30.11.2008
6	चंडीगढ़	35613	34669	944	97.35	31.01.2009
7	छत्तीसगढ़	28019	25382	2637	90.59	31.01.2009
8	दमन और दीव और डीएनएच	129	103	26	79.84	30.09.2008
9	दिल्ली	189822	177851	11971	93.69	30.06.2008
10	गोवा	5698	5076	622	89.08	31.01.2009
11	गुजरात	139392	117460	21932	84.27	31.12.2008
12	हरियाणा	177299	158463	18836	89.38	31.01.2009
13	हिमाचल प्रदेश	48207	45406	2801	94.19	31.01.2009
14	जम्मू और कश्मीर	20792	18855	1937	90.68	31.12.2007
15	झारखंड	29544	27283	2261	92.35	31.01.2009
16	कर्नाटक	117743	113708	4035	96.57	31.01.2009
17	केरल	158467	149720	8747	94.48	31.01.2009
18	लक्षद्वीप	55	55	0	100.00	30.11.2008
19	मध्य प्रदेश	132355	122588	9767	92.62	30.11.2008
20	महाराष्ट्र	210030	194142	15888	92.44	31.01.2009
21	मणिपुर	1037	1012	25	97.59	30.09.2008
22	मेघालय	322	308	14	95.65	31.03.2007
23	मिजोरम	2065	2011	54	97.38	31.12.2006
24	नागालैंड	246	205	41	83.33	30.6.2006
25	उड़ीसा	76267	71617	4650	93.90	31.01.2009
26	पुडुचेरी	2547	2464	83	96.74	31.01.2009
27	पंजाब	115102	110142	4960	95.69	31.12.2008
28	राजस्थान	228715	213063	15652	93.16	31.01.2009
29	सिक्किम	229	212	17	92.58	31.01.2009
30	तमिलनाडु	88434	81294	7140	91.93	31.12.2008
31	त्रिपुरा	2015	1807	208	89.68	30.09.2008
32	उत्तर प्रदेश	465731	386876	78855	83.07	31.01.2009
33	उत्तराखंड	30004	28196	1808	93.97	31.12.2008
34	पश्चिम बंगाल	66155[1]	61905	4250	93.58	30.11.2008
	dqy	**2630580**	**2393708**	**236872**	**91.00**	

miHkkDrk dY;k.k dk"k

miHkkDrk lj{k.k rFkk miHkkDrk dY;k.k e vuql/kku lLFkkvk@ fo'ofon~;ky;k@dkyt vkfn dh Hkkxhnkjh dk c<kok nu dh ;kstuk

5.21 उपभोक्ताओं को पेश आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान करने, उपभोक्ताओं से संबंधित विषयों पर सेमिनार/कार्यशालाएं/सम्मेलन प्रायोजित करने तथा उपभोक्ताओं के कल्याण एवं संरक्षण के लिए नीतियां/कार्यक्रम/स्कीमें बनाने के लिए आवश्यक निवेश प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययनों को प्रायोजित करने के लिए यह स्कीम 2004 में शुरू की गई। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को इस स्कीम को शासित करने हेतु नोडल संगठन के रूप में चुना गया है। भारतीय लोक प्रशासन मंत्रालय, नई दिल्ली को उक्त स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए नोडल संगठन के रूप में चुना गया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को 381 लाख रूपये का कुल अनुदान मंजूर किया गया है, जिसमें से 294.64 लाख रुपये को ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 228 आवेदक संगठनों व संस्थानों को बांटने के लिये रिलीज किया गया है।

dkj lVj ifj;kstuk

5.22 इस विभाग ने उपभोक्ता समन्वय परिषद को कंज्यूमर ऑनलाइन रिसर्च एंड एम्पावरमेंट (कोर) सेंटर मंजूर किया है। कोर केन्द्र का उद्देश्य उपभोक्ता से संबंधित जानकारी के संग्रह तथा प्रसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक व प्रभावी प्रणाली को प्रदत्त करना है ताकि उपभोक्ता जागरण तथा समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण किया जा सके। इसके लिये 1,96,43,000/–रू की धनराशि अब तक जारी की गई है। 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत हुई प्रगति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

e[; vkd"k.k % ¼1 tuojh] 2008 l 31 ekp] 2009 rd½

(i) 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू कोर एन आई सी इन (www.core.nic.in) पर पूरे विश्व के 50 देशों से 53 लाख से अधिक हिट्स प्राप्त हुए।

(ii) 2 लाख से अधिक विजिट

(iii) 14 लाख से अधिक पेज व्यूअर

(iv) कोर सेंटर ई – न्यूजलेटर के 1000 उपभोक्ता

(v) 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च 2009 तक भारत के सभी भागों तथा विदेशों से भी 22 हजार शिकायतें प्राप्त हुईं।

(vi) 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक कोर केन्द्र द्वारा कुल 6698 शिकायतें (हैंडल की गई सभी शिकायतों का 30%) निपटायी गईं।

(vii) चुनिंदा लिंको के साथ कोर केन्द्र वेबसाइट का हिन्दी रूप प्रारम्भ किया गया। कोर वेबसाइट के हिन्दी सेक्शन में प्रति माह 25 हजार से अधिक हिट्स को पंजीकृत किया जा रहा है।

(viii) अन्य क्षेत्रीय भाषाएं जैसे गुजराती, पंजाबी तथा उड़िया की भी व्यवस्था की गई।

ekg&okj fuiVkbZ xbZ f'kdk;rsa

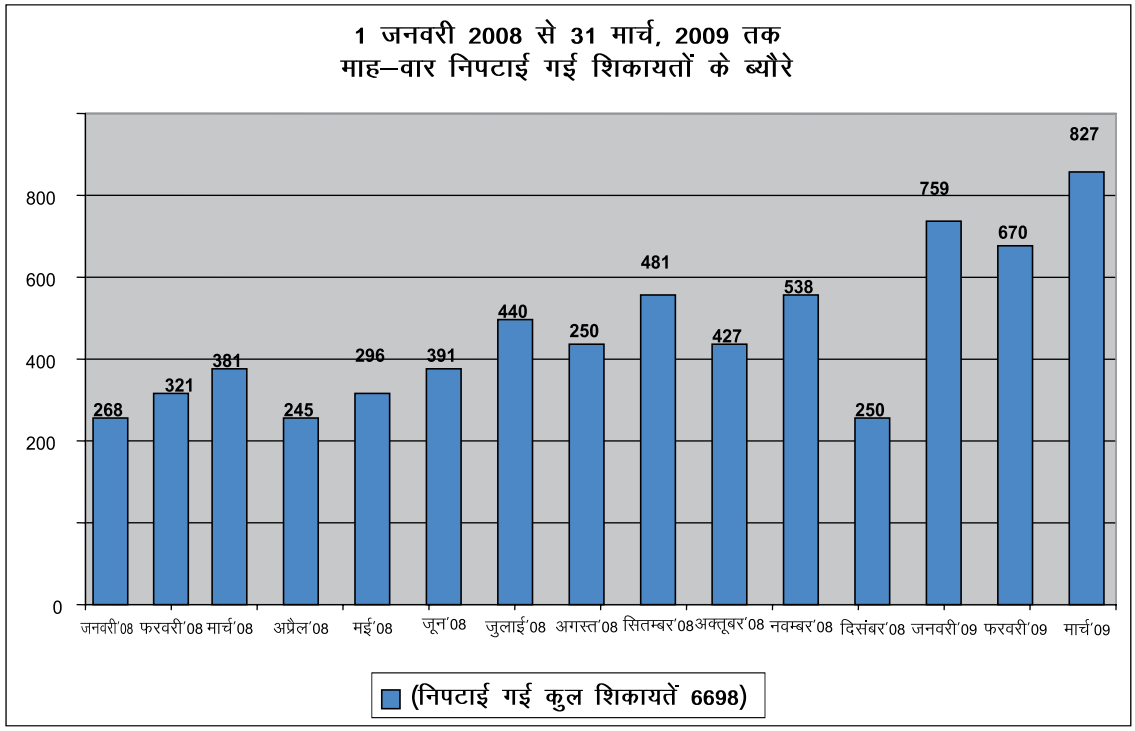

Ekg	izkIr f'kdk;rsa
जनवरी, 08	268
फरवरी, 08	321
मार्च, 08	381
अप्रैल, 08	245
मई, 08	296
जून, 08	391
जुलाई, 08	440
अगस्त, 08	404
सितम्बर, 08	481
अक्तूबर, 08	427
नवम्बर, 08	538
दिसम्बर, 08	250
जनवरी, 09	759
फरवरी, 09	670
मार्च, 09	827
;kx	**6698**

u'kuy dT;ej gYi ykbu

5.23 विभाग ने दिल्ली विश्वविद्यालय, वाणिज्य विभाग के सहयोग से एक नेशनल कंज्यूमर हैल्प लाइन प्रारम्भ की है । सम्पूर्ण देश के में उपभोक्ता टॉल फ्री नं. 1800–11–4000 डायल करके एक उपभोक्ता के रूप में विभिन्न क्षेत्रों जैसे दूरसंचार, कूरियर, बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाएं इत्यादि से संबंधित जिन समस्याओं का सामना करते हैं, उनके संबंध में टेलीफोन पर सलाह–मशविरा कर सकते हैं ।

(दाएं से बाएं) प्रो0 एस0 आर0 खन्ना, पी आई एन सी एच, प्रो0 ए0 के0 सेठ और एस0 के0 विरमानी, प्रबंधक एन सी एच और सी डब्ल्यू पी (कन्ज्यूमर वाच पाकिस्तान, गैर सरकारी संगठन) के सदस्य, जो 29 अप्रैल, 2008 को एन सी एच आए।

(दाएं से बाएं) प्रो0 एस0 आर0 खन्ना, पी आई एन सी एच, श्री बर्न्ड क्रीगर, सदस्य जी टी जेड परियोजना, जर्मनी, डा0 सविता हंसपाल, सदस्य सलाहकार व क्रय समिति और श्री एस0 के0 विरमानी, प्रबंधक एन सी एच

(दाएं से बाएं) प्रो0 एस0 के0 विरमानी, प्रबंधक, एन सी एच, प्रो0 एस0 आर0 खन्ना, पी आई, एन सी एच, डा0 सविता हंसपाल और जी टी जेड परियोजना, जर्मनी के सदस्य

(दाएं से बाएं) श्री एस0 के0 विरमानी, प्रबंधक, एन सी एच, प्रो0 एस0 आर0 खन्ना, पी आई, एन सी एच 9 अप्रैल, 2008 को हुई टैलीकॉम सर्वे प्रैस कान्फ्रेंस में।

औपचारिक रूप से हैल्पलाइन की शुरूआत 15 मार्च, 2005 अर्थात विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस से हुई। 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक के कार्य निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

Ekkg	ikIr dkyksa dh l[;k
जनवरी, 08	2356
फरवरी, 08	3273
मार्च, 08	4559
अप्रैल, 08	3744
मई, 08	3487
जून, 08	4542
जुलाई, 08	5051
अगस्त, 08	4773
सितम्बर, 08	5327
अक्तूबर, 08	4258
नवम्बर, 08	3890
दिसम्बर, 08	4816
ज्नवरी, 09	6091
फरवरी, 09	6181
मार्च, 09	6082

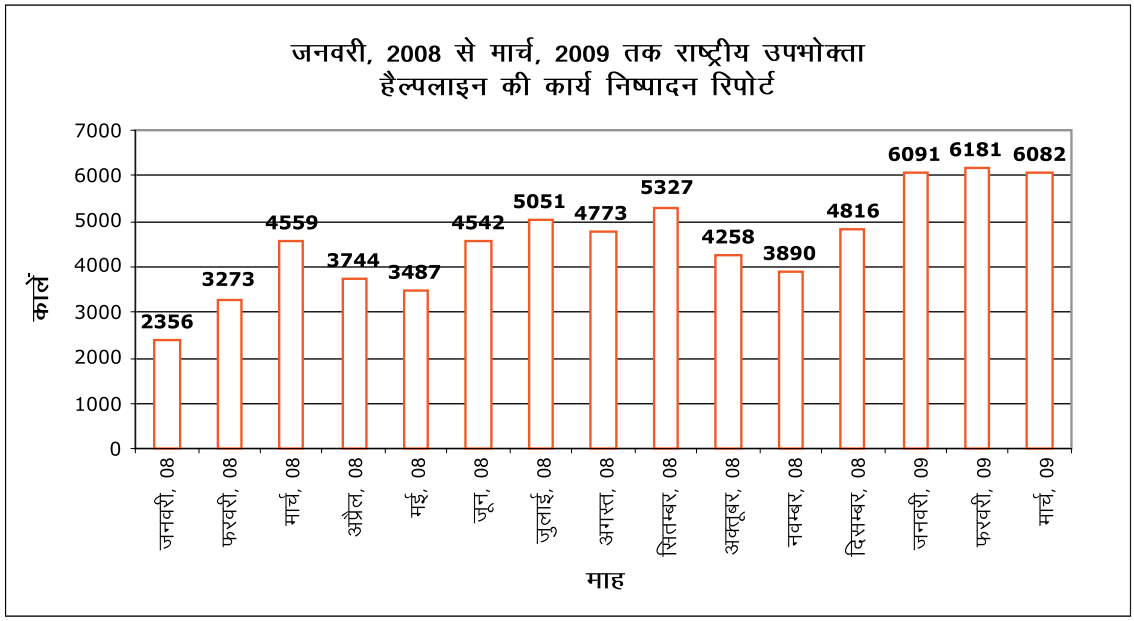

miHkkDrkvk l ikIr QhMcd

Ekkg	dkYl
जनवरी, 08	174
फरवरी, 08	165
मार्च, 08	161
अप्रैल, 08	119
मई, 08	248
जून, 08	130
जुलाई, 08	226
अगस्त, 08	204
सितम्बर, 08	224
अक्तूबर, 08	202
नवम्बर, 08	170
दिसम्बर, 08	225
जनवरी, 09	263
फरवरी, 09	272
मार्च, 09	304

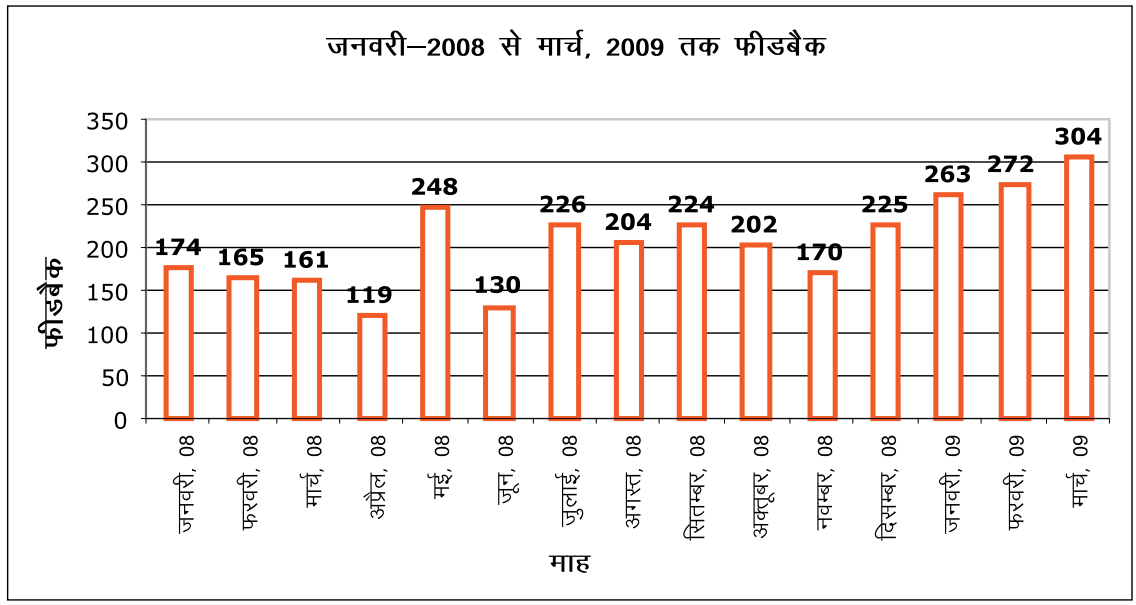

d|y oc lkbV fgV l

Ekkg	fgV l
जनवरी, 08	2501
फरवरी, 08	1858
मार्च, 08	2865
अप्रैल, 08	2934
मई, 08	3248
जून, 08	3575
जुलाई, 08	3857
अगस्त, 08	3517
सितम्बर, 08	2888
अक्तूबर, 08	4278
नवम्बर, 08	4252
दिसम्बर, 08	4348
जनवरी, 09	5192
फरवरी, 09	4735
मार्च, 09	4829

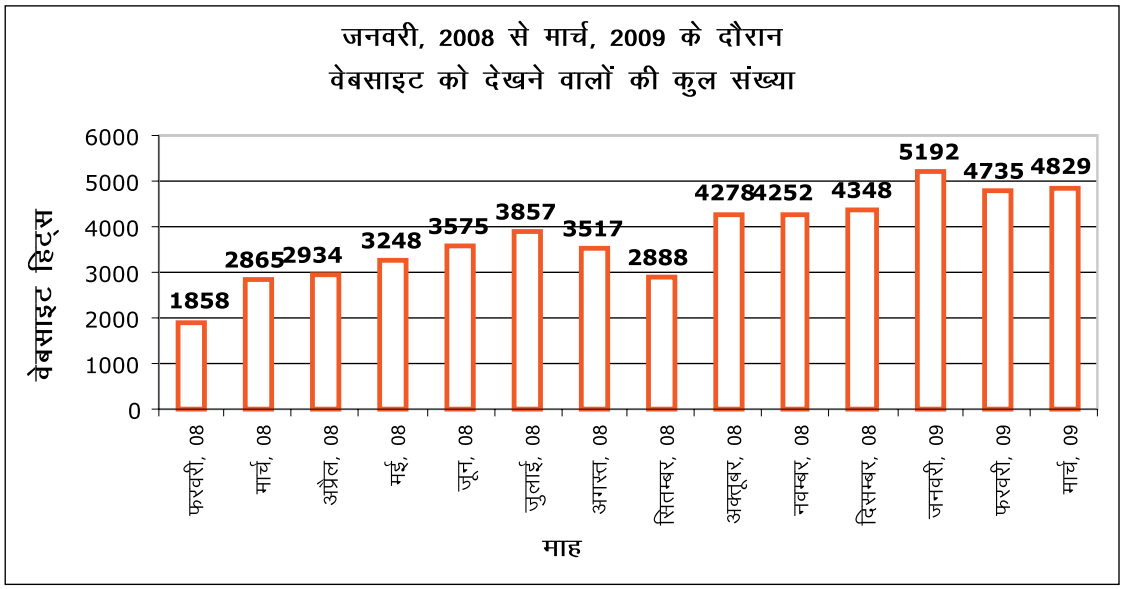

r|yukRed mRikn ijh{k.k

5.24 वॉयस सोसाइटी, नई दिल्ली उपभोक्ता कल्याण हेतु कार्यरत एक स्वैच्छिक संस्था है जो उत्पादों तथा सेवाओं की खरीद करते समय उपभोक्ताओं को चयन संबंधी सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं का तुलनात्मक परीक्षण करने की एक परियोजना स्वीकृत की गई है। दो वर्ष की अवधि के लिए इस परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 2.25 करोड़ रुपये है। अब तक तीन किश्तों में 175.30 लाख रुपये की राशि निर्गत की जा चुकी है। इस परियोजना के अधीन प्रत्येक वर्ष के दौरान 10 उत्पादों और 2 सेवाओं का परीक्षण किया जाता है और रिपोट्र प्रकाशित की जाती है। अब तक 20 उत्पादों और 4 सेवाओं के संबंध में परीक्षण रिपोर्टें प्रकाशित की गई हैं।

e|l l QMj|'ku vkQ dUT;|ej ,lkfl,'kUl] if'pe cxky ¼,Q lh , MCY; ch½ %&

2.08 करोड़ रुपये की लागत पर एन ए बी एल के प्रत्यायन से फूड एंड वाटर टेस्टिंग ऑरगेनाइजिंग लैबोरेटरी के उन्नयन के लिए एक परियोजना को विशेषतया प्रयोगशाला के उन्नयन हेतु उपस्करों की खरीद के लिए विशिष्ट रूप से मंजूर किया गया है।

jkT;k vkj l?k jkT; {k=k e miHkkDrk dY;k.k dk"k dk l'tu

5.25 पूरे देश में उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों तथ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपने उपभोक्ता कल्याण कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वित्तीय समर्थन को और अधिक मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को 50:50 के अनुपात में बीज राशि प्रदत्त की जाती है। (केन्द्रःराज्य) इस राशि को विशेष श्रेणी के 13 राज्यों के लिए और अधिक बढ़ाकर 90रू10 कर दिया गया है। अब तक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरूणचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू व कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, केरल राज्यों में राज्य स्तरीय उपभोक्ता कल्याण कोष सृजित किए जा चुके हैं। अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिन्हें अभी तक स्कीम के लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र अपना प्रस्ताव भेजने के लिए कहा मनाया जा रहा है।

5.26 0;kikj@mn|;kxk dh Hkkxhnkjh %& फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) नई दिल्ली को एक तंत्र की स्थापना तथा स्वैच्छिक स्व–विनियमन तथा उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत के शीघ्र प्रतितोष को सरल व कारगर बनाने के लिए मंच प्रदत्त करने हेतु फिक्की एलाइंस फॉर कन्ज्यूमर केयर (एफ ए सी सी) की स्थापना के लिए 3,55,58,190 रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है। इसके लिए अब तक 50 लाख रुपये की धनराशि निर्गत की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत फिक्की व्यापार समूहों के लिए एक स्वैच्छिक आचार संहिता की शुरुआत करेगा तथा सदस्य कंपनियों को उसके अपने क्रियाकलापों में स्वैच्छिक आचार संहिता अपनाने के लिये कहा जायेगा।

5.27 u|'kuy yk Ldy vkQ bfM;k ;uhofl|Vh ¼,u ,y ,l ; vkb½ cxykj e dUT;ej yk ,M ifDVl lc/kh p;j %& नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनीवर्सिटी (एन एल एस यू आई), बंगलौर में (90,00,000/–रुपये की स्थानीय निधि अनुदान

15,00,000/–रुपये पहले वर्ष के खर्च के लिये निर्गत) की लागत पर कन्ज्यूमर लॉ एंड प्रैक्टिश पर एक पीठ (चेयर) वर्ष 2007–08 में मंजूर की गई। 1,05,00,000/–रुपये के अनुदान की कुल धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

5.28 xke l'kfDrdj.k d fodkl rFkk lHkh d iuokl gr lklbVh ¼lojk½& बिहार के कटिहार व किशनगढ़ जिले में सूचना एवं शिक्षा तथा संचार (आई ई सी) कार्यक्रम के आयोजन हेतु परियोजना प्रस्ताव को 52.02 लाख रुपये की लागत पर मंजूर किया गया है, जिसमें से 32.09 लाख रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

oर्ष d nkjku fodkl

5.29 उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण कार्यकलापों के स्तरों तथा उन तक पहुंच में वृद्वि करने के लिए नई पहलों के भाग के रूप में, विभाग ने काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिस, मुंबई, महाराष्ट्र (सी एफ बी पी) द्वारा एक परियोजना पर विचार तथा अनुमोदित किया है। यह परियोजना सी एफ बी पी द्वारा की जाने वाली उपभोक्ता शिकायत हैंडलिंग तथा एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में मौजूदा रामकृष्ण बजाज परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए भी है। विभाग आंशिक रूप से 50 लाख रुपये की लागत पर प्रयोगशाला के उन्नयन का वित्तपोषण कर रहा है और 5 वर्ष के लिए 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष शिकायत हैंडलिंग हेतु मंजूर किए जाते हैं।

5.30 दवाओं तथा संबंधित क्षेत्रों में उपभोक्ता सूचना को सुदृढ़ बनाने के लिए 20 लाख रुपये की लागत पर वेबसाइट मिडगाइड काम के उन्नयन और मेन्टेन करने के लिए मैसर्स विनोद कुमार मेमोरियल न्यास, बी–2/4, माडल टाउन –II नई दिल्ली को एक परियोजना मंजूर की गई है! पहली किस्त के रूप में 10 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

5.31 पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता जागरूकता के संवर्धन हेतु मैसर्स आई0 लैंड इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, 58/114, प्रिंस अनवर शाह रोड, लेक गार्डेन, कोलकाता द्वारा एक परियोजना मंजूर की गई है। परियोजना के लिए 27 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। निचले स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के छः जिलों कूच विहार, माल्दा, पुरूलिया, जलपाईगुडी, बांकुरा और बीरभूम के छः ब्लाकों में आई ई सी कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रथम किस्त के रूप में 13.50 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

5.32 29,74,000/–रुपये की लागत पर तमिलनाडु में चेन्नै के आठ जिलों में खाद्य पदार्थों में सामान्य मिलावट करने की सामग्री का पता लगाने के लिए ऑन दि स्पाट परीक्षण के लिए गृहिणियों हेतु कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव कंसट्र को मंजूर किया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई पायलट परियोजना की मूल्यांकन रिपोट्र की सिफारिश पर अन्य 11 जिलों मदुरई, वेल्लौर, विल्लीपुरम, कुड्डालोर, तूतीकोरिन, तंजोर, कौरूर, तिरूवल्लू, स्लेम, पेराम्बूर और तिरूवन्नामलाई के लिए परियोजना के द्वितीय चरण के लिए 33,77,664/–भी मंजूर किया गये हैं।

5.33 23 दिसम्बर, 2008 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 2008 मनाया गया, जिसमें माननीय मंत्री श्री शरद पंवार तथा माननीय राज्य मंत्री श्री तसलीमुद्दीन और श्री के0 वी0 कामथ, प्रबंध निदेशक तथा सी ई ओ, आई सी आई सी आई बैंक ने भाग लिया।

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 23 दिसम्बर, 2008 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 2008 मनाया गया। विभाग के कर्मचारी, सहभागियों को प्रचार–सामग्री का वितरण करने की व्यवस्था करते हुए।

श्री के0 वी0 कामत, प्रबंध निदेशक व सी ई ओ, आई सी आई सी आई बैंक और श्री वाई0 एस0 भावे, सचिव, उपभोक्ता विभाग स्कोप कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का उद्घाटन करने की व्यवस्था करते हुए।

श्री के0 वी0 कामत, प्रबंध निदेशक तथा सी ई ओ, आई सी आई सी आई बैंक राष्ट्रीय उपभोक्ता पर सहभागियों और छात्रों को संबोधित करते हुए।

श्री वाई0 एस0 भावे, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर सहभागियों और छात्रों को संबोधित करते हुए।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस में भाग लेते छात्र

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर छात्रों ने 'उपभोक्ताः जागरूक रहें, सुरक्षित रहें' विषय पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया

आई सी आई सी आई बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ. श्री के.वी. कामथ, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस में भाग लेते छात्रों से मिले

श्री संजय सिंह, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर सहभागियों और छात्रों को संबोधित करते हुए।

miHkkDrk lgdkfjrk,a

5.34 उपभोक्ता सहकारिताएं, ग्रामीण इलाकों में विशेषतया दूरस्थ, दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्रों में, उपभोक्ता सामग्री उचित दरों पर आपूर्ति करने की विशिष्ट भूमिका निभाती रही हैं। उपभोक्ता सहकारिताओं उद्देश्य दलालों को समाप्त करना तथा थोक विक्रेताओं का संरक्षण करना और उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को बिक्री करना शामिल है। अधिशेष, यदि कोई हो, तो उसे सदस्यों में खरीद पर बोनस के रूप में वितरित किया जाता है अथवा कोऑपरेटिव के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता कोऑपरेटिवों को सरकार से अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ है, क्योंकि वे उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने में सहायता करते हैं। उपभोक्ता कोऑपरेटिव का एक चार स्तरीय ढ़ांचा होता है जिसमें प्राथमिक स्टोर, थोक/केन्द्रीय स्टोर, राज्य उपभोक्ता कोऑपरेटिव फेडरेशनों और राष्ट्रीय उपभोक्ता कोऑपरेटिव फेडरेशन शमिल हैं।

Hkkjrh; jk"Vªh; miHkkDrk lgdkjh l?k fyfeVsM ¼,u lh lh ,Q½

5.35 एन सी सी एफ देश में राष्ट्रीय स्तर का उपभोक्ता सहकारी संगठन है। एन सी सी एफ की स्थापना 16 अक्तूबर, 1965 को हुई थी और इसका संचालन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन किया जाता है। एन सी सी एफ के मामलों का प्रबंधन एन सी सी एफ के उपबंधों के नियमों के आधार पर, चुने गए तथा नामित दोनों प्रकार के सदस्यों से युक्त एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है। एन सी सी एफ के वाणिज्यिक प्रचालन मुख्यालय स्तर पर नई दिल्ली में और देश में अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में स्थित इसकी 34 शाखाओं/उप–शाखाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों में हैंडल किए जाते हैं। एन सी सी एफ भिवानी (हरियाणा) में एक दाल प्रसंस्करण यूनिट चलाता है।

5.36 एन सी सी एफ की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी 31.3.2008 तक 13.79 करोड़ रुपये है। इस धनराशि को सदस्यों द्वारा अंशदान दिया गया है, जिसमें से भारत सरकार का अंशदान पूंजी 10.74 करोड़ रुपये है। भारत सरकार अब एन सी सी एफ में कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का लगभग 78% रखता है।

5.37 एन सी सी एफ उत्पादकों/विनिर्माताओं और थोक विक्रेताओं/खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच संपर्क स्थापित करता है। यह प्राथमिक रूप से थोक वितरण व्यापार में रत हैं। एन सी सी एफ विविध उपभोक्ता मदों जैसे विभिन्न किस्मों की दालों, खाद्यानों, वस्त्र, चाय और अन्य विनिर्मित मदों की थोक खरीदारी और विपणन का कार्य करता है। इसने दालों, आयोडीनयुक्त नमक, उपभोक्ता पैक में रखी चाय, नहाने के साबुन, डिटर्जेन्ट पाउडर जैसी विभिन्न मदों की देश भर में आपूर्ति की भी व्यवस्था की है। सरकार ने एन सी सी एफ की चुनिंदा शाखाओं के माध्यम से देश में टाइनी तथा छोटे उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण कार्य सौंपा है।

5.38 पिछले तीन वर्षों के दौरान एन सी सी एफ की बिक्री व लाभकारिता नीचे दर्शाए गए हैं:–

(करोड़ रुपये में)

J|.kh	2005&06 (y|[kk ijhf{kr)	2006&07 (y|[kk ijhf{kr)	2007&08 (y|[kk ijhf{kr)
बिक्री	638.15	416.74	504.51
सकल मार्जिन	20.27	11.68	10.68
अन्य प्राप्तियां	2.24	6.71	2.89
निवल लाभ/(हानि)	+4.12	+1.07	-2.39

+ = लाभ - = घाटा

5.39 वर्ष 2007–08 के दौरान एन सी सी एफ द्वारा प्राप्त किया गया बिक्री टर्नओवर 504.51 करोड़ रुपये था जबकि 2006–07 के दौरान यह उपलब्धि 416.74 करोड़ रुपये थी। बिक्री का बहुभाग ग्रोसरी तथा सामान्य सौदा मदों की आपूर्ति से संबंधित था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एन सी सी एफ ने इंडियन फ्लड रिलीफ असिस्टेंस के अंतर्गत बांग्लादेश को 9,000 मीट्रिक टन सेला चावल तथा सहयोगी पोतवणिकों (शिपर्स) के माध्यम से 35,353 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया है।

5.40 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एन सी सी एफ को 2.39 करोड़ रुपये का नेट नुकसान हुआ। व्यापार प्रचालनों में विविधता उत्पन्न करने को ध्यान में रखते हुए एन सी सी एफ आवास परियोजनाओं का विकास, ऑयरन ओर फाइनों की लिफ्टिंग व वितरण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य–मदों की आपूर्ति, ऐग्री इनपुटों की आपूर्ति, चिकित्सा पर्यटन और मदिरा की बिक्री हाथ में लेना जैसी व्यापार की नई लाइनें जोड़ने की संभावनाओं का पता लगाता रहा है।

l|ij ckt+kj fnYyh

5.41 कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, जो सुपर बाजार के रूप में लोकप्रिय हुआ, मल्टी स्टेट सहकारी समिति (एम एस सी एस) अधिनियम 1984 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था, इसका प्रचालन क्षेत्र संपूर्ण देश था। सुपर बाजार में 40020 सदस्यता थी। 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार, कुल प्रदत्त शेयर पूंजी 159.03 लाख रुपये थी, जिसमें से भारत सरकार का अंशदान 116.49 लाख रुपये अर्थात् 70% था। सुपर बाजार भारत सरकार की शेयर पूंजी अंशदान को चुका रहा है तथा 1995–96 तक सहमत टर्म के अनुसार ऋण की किस्तों का भुगतान कर रहा है।

5.42 सुपर बाजार में 1996–97 से घाटा होना आरम्भ हुआ, तथा बाद के वर्षों में घटते हुए टर्न ओवर के कारण यह घाटा बढ़ता ही रहा। सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने 5 जुलाई, 2005 को सुपर बाजार को बंद करने के लिए आदेश जारी कर दिए और 25.7.2002 को लिक्विडेटर नियुक्त किया गया। कर्मचारी यूनियन ने सुपर बाजार के बंद होने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोट्र न्यायालय में कई समादेश याचिकाएं दायर कीं। ये याचिकाएं 19.03.2004 को खारिज कर दी गई थीं।

5.43 सुपर बाजार दलित कर्मचारी संघ ने उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पेटीशन संख्या 8398/2005 दायर की। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 28.2.2006 के आदेश में कहा है कि सुपर बाजार का व्यावसायिक प्रबंधन अत्यधिक आवश्यक है। इस प्रकार की व्यवस्था की संभावना का पता लगाने के विचार से, जिसके अंतर्गत सुपर बाजार के प्रबंधन को व्यावसाइयों के एक निकाय को सौंपा जा सके, उच्चतम न्यायालय ने सुपर बाजार के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की एक समिति का गठन किया। उक्त समिति ने 29.3.2006 को उच्चतम न्यायालय में अपनी रिपोट्र प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई समिति की रिपोट्र में सुपर बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की किसी वित्तीय सहायता को शामिल नहीं किया गया। 8.9.2008 को दो बिडर्स अर्थात् मैसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड, एम0 पी0 नगर, भोपाल और मैसर्स पैंटलून रीटेल इंडिया लिमिटेड सहित मैसर्स एन सी सी एफ ने अपनी संशोधित बिड (बोलियां) प्रस्तुत कीं। समिति ने इन बिडों का मूल्यांकन किया और उच्चतम न्यायालय में अपनी रिपोट्र 5.11.2008 को प्रस्तुत कर दीं। 26.2.2009 को उच्चतम न्यायालय ने उक्त एस एल पी का निपटान किया और सरकारी लिक्विडेटर/सेन्ट्रल रजिस्ट्रार को समय समय पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में सुपर बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाने के लिए निदेश दिया। रिवाइवल स्कीम का कार्यान्वयन होने तक लिक्विडेशन आदेश स्थगित रहेंगे।

miHkkDrk fशdk;r ifrrkष idkषB ¼th th vkj lh½

5.44 विभाग में आपूर्ति/प्रत्याशाओं में कमी, सेवाओं में कमी के संबंध में उपभोक्ताओं से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिनमें (i) आटोमोबाइल सहित घरेलू दोषयुक्त उपकरणों की आपूर्ति (ii) टी वी सेट, खराब निर्माण सामग्री (iii) सावधि जमा की धनराशि का वापस न मिलना (iv) कंपनियों से डिवीडेन्ड का प्राप्त न होना शामिल है। अतः विभाग ने 13.2.2002 को उपभोक्ताओं की शिकायत के प्रतितोष हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष प्रकोष्ठ की स्थापना करने का निर्णय लिया।

5.45 प्रकोष्ठ को पूरे देश से ऐसे सभी पहलुओं पर 31.3.2009 तक बड़ी संख्या में अर्थात् 4172 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये सभी शिकायतें प्रतितोष हेतु उपभोक्ता समन्वय परिषद को भेजी गई। उक्त प्रकोष्ठ महत्वपूर्ण प्रकृति की शिकायतों पर उनके शीघ्रातिशीघ्र प्रतितोष हेतु संबंधित विनिर्माताओं/प्राधिकारियों/विभागों से बात कर रहा है। प्रकोष्ठ तथा उपभोक्ता समन्वय परिषद ने शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों तक अग्रेषित किया ताकि उनका प्रतितोष किया जा सके।

5.46 उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष प्रकोष्ठ तथा उपभोक्ता समन्वय परिषद को उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए कोई सां. विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए सी जी आर सी और सी सी सी संबंधित कंपनियों, संस्थाओं, संगठनों और विनिर्माताओं इत्यादि के साथ मामले पर बात करते हैं। उपभोक्ता के पास भी जिला मंच, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जैसा भी मामला हो, के पास कानूनी तौर पर प्रतितोष प्राप्त करने के लिये जाने का विकल्प भी है।

****

v/;k;&VI

miHkkDrk tkx:drk iSnk djus ds fy, izpkj vfHk;ku

6.1 सार्वभौमिक तौर पर अब यह स्वीकार किया जाता है कि उपभोक्ता को शोषण से बचाने और बाजार से उत्पादों और सेवाओं का सुविचारित चुनाव करने के लिए उन्हें सभी संगत सूचना मुहैया कराये जाने का अधिकार है । संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा 1985 में उपभोक्ता संरक्षण (1999 में यथा विस्तारित) हेतु अपनाए गए दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि सरकार को अन्य बातों के साथ–साथ उपभोक्ताओं की पर्याप्त सूचना तक पहुंच को सुकर बनाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ संगत अंतर्राष्ट्रीय करारों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत उपभोक्ता संरक्षण नीति का विकास और अनुरक्षण करना चाहिए ताकि उपभोक्ता सूचित विकल्प तय कर सकें और उनको उपभोक्ता विकल्प के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर शिक्षा सहित उपभोक्ता शिक्षा मिल सके।

6.2 यद्यपि हमारे देश में उपभोक्ता आन्दोलन का धीरे–धीरे विस्तार हो रहा है परन्तु यह अभी भी शैशवकाल में है क्योंकि उपभोक्ता आन्दोलन की सफलता मुख्य रूप से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करके देश में पैदा की जाने वाली उपभोक्ता जागरूकता के स्तर पर निर्भर करती है । भारत में उपभोक्ता जागरूकता का स्तर साक्षरता के स्तर और जनता की सामाजिक जागरूकता के स्तर के आधार पर प्रत्येक राज्य में अलग–अलग है। उपभोक्ता हितों से संबंधित विभिन्न विषयों पर जनता के विभिन्न वर्गों के 100 करोड़ से अधिक लोगों को मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को जहां उपभोक्ताओं के शोषण की अधिक संभावना रहती है, शिक्षित करना एक कठिन कार्य है जिसे तब तक एक सतत राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरु नहीं किया जा सकता है जब तक इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त निधियां मुहैया नहीं कराई जाती।

6-3 miHkkDrk tkx:drk ij 11oha iapo"khZ; ;kstuk Ldhe

11वीं पंचवर्षीय योजना ने उपभोक्ता कार्यकलापों पर और अधिक बल दिया है तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 31.01.2008 को 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 409 करोड़ रुपये का आबंटन अनुमोदित कर दिया है। इस योजना स्कीम के कार्यान्वयन के प्रथम पूर्ण वर्ष में विभाग ने संचार के सभी संभव माध्यमों का उपयोग करते हुए एक गहन मल्टी मीडिया अभियान चलाने का प्रबंधन किया है। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना स्कीम पर 86 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि मूल बजट प्राक्कलन में यह 75 करोड़ रुपये रखा गया था, इस प्रकार इससे योजना स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन का संकेत मिलता है।

मल्टी मीडिया प्रचार अभियान 'जागो ग्राहक जागो' थोड़े से समय में घर–घर में लोकप्रिय हो गया है तथा इसने अपनी एक मजबूत

ब्रांड पहचान बना ली है। एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचारपत्र द्वारा ''जागो ग्राहक जागो'' को वर्ष 2008 के प्रमुख सरकारी जागरूकता अभियान का दर्जा दिया गया था।

कई मंत्रालय/विभाग, उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर संयुक्त रूप से प्रचार अभियान चलाने हेतु उपभोक्ता विभाग के साथ हाथ बंटाने के लिए आगे आए हैं। विभाग ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीसिएंसी (बी ई ई) और टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (टी आार ए आई), शहरी विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल फर्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अथॉरिटी (एन पी पी ए) के साथ पहले ही अभियान चलाए हैं तथा आने वाले दिनों में ऐसे ही समझौते/संयुक्त प्रचार अभियान गहन होने जा रहे हैं।

6-4 iपkj vfHk;ku ij iHkko v/;;u dk fu"d"k

विभाग चलाए गए प्रचार अभियान के संबंध में मूल्यांकन और मॉनीटरिंग अध्ययन कर रहा है। उठाए गए विभिन्न कदम जो इस प्रकार हैं:–

¼d½ eYVh ehfM;k lfefr }kjk ekuhVfjax &

''जागो ग्राहक जागो'' प्रचार अभियान का कार्यान्वयन मल्टी मीडिया समिति के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में किया जाता है, जिसके अध्यक्ष उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त सचिव, हैं। मल्टी मीडिया समिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी), दूरदर्शन, आकाशवाणी, एन एफ डी सी, गैर–सरकारी संगठन, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न मंत्रालयों के विशेष आमंत्रिती हैं, जो जागो ग्राहक जागो अभियान चलाते हैं , ताकि इसके लिए विभिन्न स्रोतों से व्यापक इनपुट प्राप्त हो सके।

¼[k½ usशkuy dT;ej gsYi ykbu ¼,u lh ,p½ ls QhM cSd½ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से प्राप्त फीड बैक से उपयुक्त नोट ध्यान में रखे जाते हैं और उन्हें ध्यान में रखकर उपयुक्त समायोजन किए जाते हैं

¼x½ ;kstuk Ldhe dk pkyw eY;kadu& चूंकि उपभोक्ता जागरूकता स्कीम ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2 वर्ष पहले ही पूर्ण कर लिए हैं। अभियान की कार्यकुशलता का आकलन करने तथा मध्यवर्ती सुधार, अपेक्षित शुल्क का सुझाव देने के लिए योजना स्कीम का एक चालू मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा शुरु किया गया है।

6-5 pkyw iपkj xfrfof/k;k¡

(i) **lekpkj i=ksa esa foKkiuksa dk iz;ksx djds fiz.V ehfM;k dk tfj, iपkj½** विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की नई विज्ञापन नीति के अनुसार राष्ट्रीय दैनिक समाचार–पत्रों और क्षेत्रीय समाचार–पत्रों में स्थानीय भाषाओं में डी ए वी पी के जरिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। प्रत्येक विज्ञापन पूरे देश में 400 से अधिक समाचार पत्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से जारी किया गया है।

विभाग की भूमिका से सीधे जुड़े हुए आई एस आई, हॉलमार्क, लेवल लगाना, अधिकतम खुदरा

मूल्य, बाट और माप इत्यादि जैसे मुद्दों के अतिरिक्त एक बड़ी पहल की गई है, जिसमें दूरसंचार, रीयल एस्टेट, क्रेडिट कार्डों, वित्तीय उत्पादों, फार्मास्युटिकल, बी ई ई इत्यादि नए उभरते हुए क्षेत्रों के कारण सामने आए मुद्दों का या तो इन विभागों के साथ संयुक्त अभियान चलाकर अथवा इन विभागों के साथ संयुक्त परामर्श करके मुद्रित विज्ञापन द्वारा लिया गया है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी) की विज्ञापन नीति के अनुसार मुद्रित विज्ञापन के भाग के रूप में लगभग 30 प्रमुख मुद्दे लिए गए और देश भर के समाचार पत्रों में 12000 से अधिक निवेशन (इंशर्सन) दिए गए।

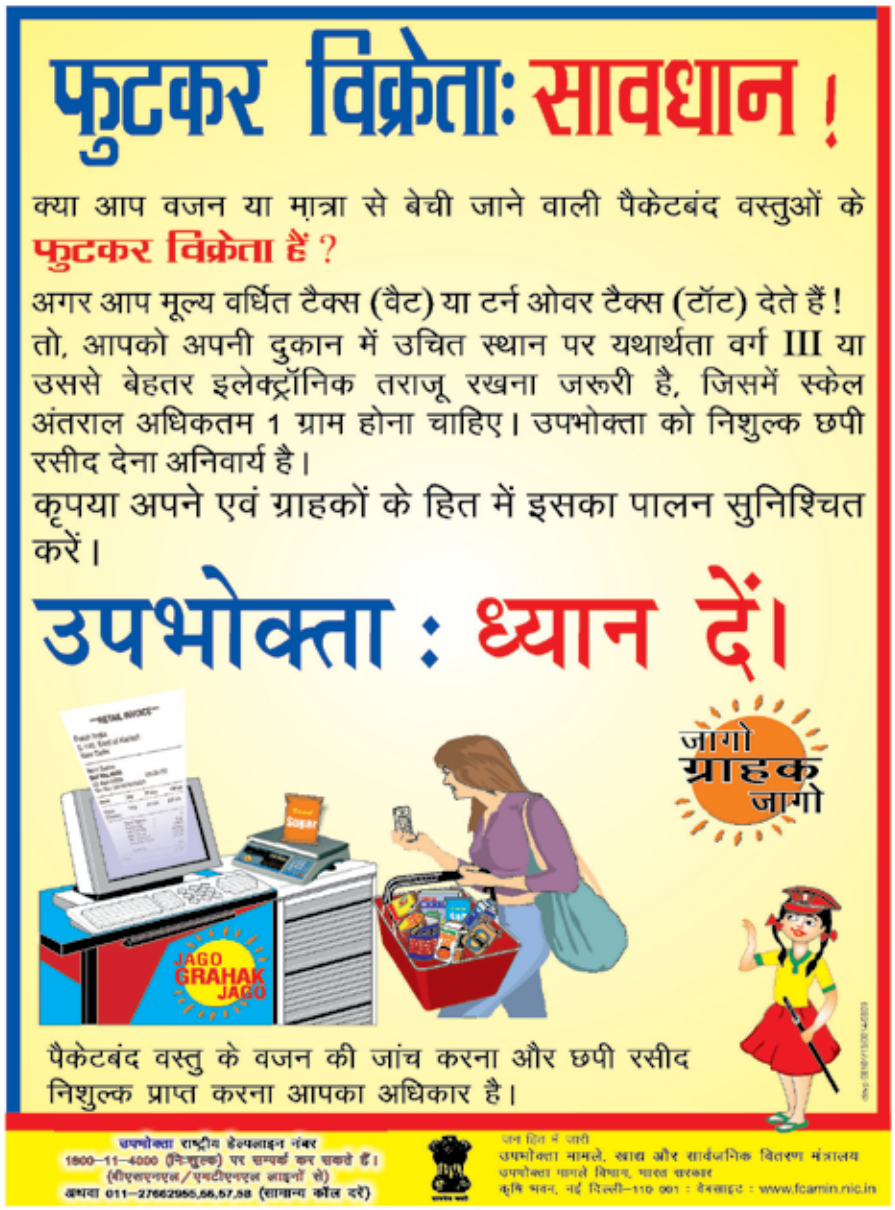

जागो ग्राहक जागो
परिवार के साथ
छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं!
सयानी रानी कहती है .....
अपने ट्रैवल एजेंट और विज्ञापन की सत्यता
अवश्य जांच लें
करें
• केवल अधिकृत एजेंट की सेवाएं लें
• एजेंट की सत्यता की जांच कर लें
• अनुबंध की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें
न करें
• दलालों और जालसाज टिकिटिंग एजेंटों से सावधान रहें
• मौखिक अनुबंध न करें
अधिक जानकारी के लिए लागऑन करें
www.tourism.nic.in
उपभोक्ता मामलों के बारे में मार्गदर्शन के लिए संपर्क करें : राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन नंबर
1800-11-4000 (बीएसएनएल/एमटीएनएल टोल फ्री) 011-27662955, 56, 57, 58 (सामान्य काल प्रभार)
जनहित में जारी कर्ता
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

¼ii½ ohfM;¨ LikVLk d¢ V¢yhdkLV }kjk byDVªkfud ehfM;k d¢ tfj, i¤pkj½ विभाग ने पेट्रोल की कम माप, शिकायत प्रतितोष प्रणाली, अधिकतम खुदरा मूल्य, आई एस आई और हॉल मार्क, आदि जैसे उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 30 सैकेण्ड की अवधि के विडियो स्पाटों का निर्माण करवाया है जिन्हें दूरदर्शन और केबल सैटेलाइट चैनलों, क्षेत्रीय चैनलों के माध्यम से टेलीकास्ट किया जा रहा है। उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए लोक सभा टी.वी. पर भी विशेष कार्यक्रम टेलीकास्ट किए गए हैं। विभिन्न विज्ञापन स्पॉटों में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर अधिक जोर दिया गया है ।

¼iii½ i¤ok¢Rrj jkT;k¢ e¢ fofM;k¢ LikWVk¢ dk V¢yhdkLV½ विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में अधिकतम खुदरा मूल्य, कम माप, दवाइयों पर समाप्ति की तारीख,मिलावट, क्षतिग्रस्त वस्तुएं, प्रतितोष प्रणाली ट्राई की सिफारिश, क्रेडिट कार्ड्स, रियल एस्टेट, जैसे उपभोक्ताओं से संबंधित विविध विषयों पर 30 सैकण्ड की अवधि के वीडियो स्पाट तैयार करवाए हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में दूरदर्शन केंद्रों के जरिए उनको प्रसारित करवाया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संदेश स्थानीय भाषाओं में पहुंचें, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशिष्ट स्थानीय भाषाओं जैसे असमी, खासी, गारो, मिजो, मणिपुरी, नागा आदि में श्रव्य और दृश्य स्पॉट तैयार किए गए।

¼iv½ e¢?knwr i¨LVdkMZ½ विभाग ने डाक विभाग के परामर्श से उपभोक्ता जागरूकता के संदेश को पूर्वोत्तर राज्यों सहित दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में मेघदूत पोस्टकार्ड के जरिए प्रसारित किया है।

विभाग डाक विभाग के सहयोग से स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित संदेश से युक्त पोस्टर देश के 1.55 लाख डाकघरों में प्रदर्शित किए गए हैं।

¼v½ eqfær LkkfgR; ½ विभाग ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नुक्कड़ नाटकों जैसे विभिन्न आयोजनों के दौरान और जमीनी स्तर पर राज्य सरकारों के जरिए वितरण के लिए 'जागो ग्राहक जागो' पर प्रचार सामग्री मुद्रित की है। जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की मुख्य विशेषताएं बाट और माप अधिनियम के प्रावधान, आई एस आई, हॉलमार्किंग इत्यादि जैसे मानकीकरण के बारे में सूचना दी गई है। उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित प्रचार सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद कराया गया है और उसे विभिन्न राज्य सरकारों को वितरित किया जा रहा है।

¼vi½ f'kykax esa bafM;u lkbal dkaxzsl esa izn'kZuh

प्रदर्शनियां और व्यापार मेले मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, विभाग ने वित्त वर्ष के दौरान कई प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लिया। शिलांग में 96वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में एक स्टॉल लगाया गया। वैज्ञानिकों तथा शिष्टमंडलों सहित आई एस सी में भाग लेने आए हजारों दर्शकों ने, ''जागो ग्राहक जागो'' स्टॉल देखा और उन्हें प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न बैनरों, होर्डिंगों/पोस्टरों इत्यादि के माध्यम से उपभोक्ता के रूप में उनके अधिकारों व उत्तरदायित्वों की जानकारी दी गई। इंडियन साइंस कांग्रेस के दौरान, दर्शकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर सूचना वाली प्रचार सामग्री, उपभोक्ता मंच, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, शिकायत प्रतितोष तंत्र के बारे में सूचना तथा रीयल एस्टेट, दूरसंचार, वित्तीय उत्पाद इत्यादि जैसी क्षेत्र विशिष्ट सूचना से युक्त प्रचार विवरणिकाएं (ब्रोशर) निशुल्क प्रदान किए गए। हमारे स्टॉल के बारे में प्रतिक्रिया अत्यन्त उत्साहवर्धक थी। ''जागो ग्राहक जागो'' अभियान के एक भाग के रूप में वीडियो विज्ञापन स्पॉट भी लगातार चलाया गया ताकि स्टॉल में आने वालों में उपभोक्ता मुद्दों के संबंध में जागरूकता का प्रसार किया जा सके।

¼vii½ miHkksDrk eqn~nksa ij uqDdM+ ukVd izfr;ksfxrk%

दिल्ली में उपभोक्ता जागरूकता के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ महाविद्यालयों ने भाग लिया। नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का प्रथम चरण 27 नवम्बर, 2008 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान आयोजित किया गया और निर्णायक मुकाबले के लिए आठ टीमों को चुना गया। निर्णायक मुकाबला इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 09 दिसम्बर, 2008 को आयोजित किया गया। तीन विजेता टीमों को नकद पुरस्कार दिए गए, जबकि भाग लेने वाली सभी टीमों को गिफ्ट हैम्पर प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में छात्रों ने

अत्यधिक रुचि दिखाई और इसमें छात्रों की सक्रिय भागीदारी रही।

नुक्काड़ नाटक प्रतियोगिता के विजेताओं ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाने के लिए 23.12.2008 को राजधानी में आयोजित सरकारी समारोह के दौरान भी एक प्रदर्शन किया।

¼viii½ u'kuy dUT;ej gYi ykbu ½ विभाग ने उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के प्रतितोष के संबंध में परामर्श देने हेतु टोलमुक्त टेलीफोन नंबर 1800–11–4000 के साथ नेशनल कंज्यूमर हैल्पलाइन शुरू की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को टोलमुक्त नंबर की सुविधा और 011–27662955–58 (सामान्य काल प्रभार लागू) सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शनिवार तक) में प्रातः 9.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक उपलब्ध होगी । उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित विभिन्न विज्ञापनों के जरिए नेशनल हेल्पलाइन का पर्याप्त प्रचार किया गया है ताकि पीड़ित उपभोक्ता नेशनल हेल्पलाइन के जरिए मार्गदर्शन/परामर्श प्राप्त कर सके। पूरे वर्ष डी डी न्यूज चैनलों पर स्क्रोलर चलाकर नेशनल कन्ज्यूमर हेल्प लाइन का व्यापक प्रचार किया गया।

¼ix½ dkj lUVj ½ विभाग ने 15.3.2005 को उपभोक्ताओं की वकालत करने और उपभोक्ता शिकायतों के ऑनलाइन प्रतितोष के लिए 'कंज्यूमर ऑनलाइन रिर्सोसेस एण्ड एम्पावरमेंट सेंटर' (कोर) (वेबवाइटः www.core.nic.in) शुरू किया। उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित विभिन्न विज्ञापनों के जरिए कोर की गतिविधियों और इसकी वेबसाइट का पर्याप्त प्रचार किया जा रहा है ताकि इच्छुक उपभोक्ता कोर केंद्र के जरिए मुहैया कराई जा रही ऑनलाइन परामर्श/मार्गदर्शन की मदद ले सके।

(x) Hkkjrh; vUrjjk"Vªh; O;kikj esyk 2008 esa Hkkxhnkjh ½

विभाग द्वारा उपभोक्ता जागरूकता के लिए की गई पहलों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियां, स्वास्थ्य मेले और व्यापार मेले अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। विभाग ने 4 से 27 नवम्बर, 2008 तक नई दिल्ली में आयोजित इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भाग लिया। व्यापार मेले के दौरान भारी संख्या में दर्शकों ने ''जागो ग्राहक जागो'' स्टॉल को देखा।

उपभोक्ता मंच, नेशनल कन्ज्यूमर हेल्पलाइन, शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी और रीयल एस्टेट, दूरसंचार, वित्तीय उत्पाद जैसी क्षेत्र विशिष्ट सूचना से युक्त प्रचार विवरणिकाएं (ब्रोशर) व्यापार मेले के दौरान आगंतुकों को निःशुल्क बांटी गई।

हमारे स्टॉल के संबंध में प्रतिक्रिया अत्यन्त उत्साहवर्धक थी। 'जागो ग्राहक जागो' अभियान के भाग के रूप में दृश्य विज्ञापन भी लगातार दिखाए गए, जिससे स्टॉल के आगंतुकों में उपभोक्ता मामलों के संबंध

में जागरूकता का प्रसार किया जा सके। व्यापार मेले के दौरान आगंतुकों के ऑन–दि–स्पॉट मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के प्रतिनिधि भी तैनात किए गए।

¼xi½ ,e Vh ,u ,y LokLF; esys esa Hkkxhnkjh½ विभाग ने 17 से 26 अक्तूबर, 2008 तक एम टी एन एल स्वास्थ्य मेले में भाग लिया। स्वास्थ्य मेले के जरिए उपभोक्ता अदालतों, नेशनल हेल्पलाइन, कोर सेंटर और शिकायत प्रतितोष तंत्र के बारे में उपभोक्ताओं के लिए मार्गदर्शक साहित्य का वितरण किया गया। हमारे स्टाल के संबंध में प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक थी। स्टाल में आने वाले आगंतुकों में उपभोक्ता जागरूकता फैलाने के लिए विभाग के 'जागो ग्राहक जागो' अभियान से संबंधित वीडियो स्पॉट को भी लगातार चलाया गया ।

¼xii½ [ksy vk;kstuksa dk iz;ksx ½ अधिकतम उपभोक्ताओं तक पैठ बनाने के लिए विभाग ने लोकप्रिय खेल आयोजनों खास तौर पर क्रिकेट श्रृंखलाओं, जिनमें दर्शकों की बहुत अधिक रुचि होती है, के दौरान उपभोक्ताओं से संबंधित सूचना वाले वीडियो स्पाट प्रसारित किए गए।

(xiii) vkmVMksj izpkj½ बैनरों, होर्डिंगों इत्यादि जैसे आउटडोर प्रचार माध्यमों के जरिए रीयल एस्टेट, शिक्षा, औषधि, बैंकिंग क्षेत्र, दूरसंचार इत्यादि जैसे उपभोक्ता हितों के विभिन्न मुद्दों पर भी प्रचार किया गया। रेलवे टिकटों तथा विद्युत बिलों जैसे उपयोगिता बिलों पर तथा रेलवे आरक्षण चार्टों पर संदेश को छाप कर प्रचार किया गया। यह प्रचार केवल हिन्दी व अंग्रेजी भाषाओं में ही नहीं अपितु सभी क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया ताकि यह सभी उपभोक्ताओं तक उनकी अपनी भाषााओं में पहुंच सके।

¼xiv½ la;qDr izpkj vfHk;ku

रसायन और उर्वरक, नेशनल फार्मस्युटिकल प्रोडक्ट अथारिटी, ब्यूरो आफ एनर्जी ऐफीसिएंसी, शहरी विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जैसे अन्य मंत्रालयों के सहयोग से उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए उपभोक्ता से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर विभिन्न विज्ञापन रिलीज किए। दूरसंचार, रीयल एस्टेट, उर्जा संरक्षण, क्रेडिट कार्डों, वित्तीय उत्पादों और फर्मास्यूटिकल इत्यादि जैसे उपभोक्ता हितों के नए उभरते हुए मुद्दों पर प्रिन्ट मीडिया व इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा विज्ञापन जारी किए गए।

¼xv½ tkx:drk iSnk djus ds fy, bUVjusV dk mi;ksx% हमारा एक युवा देश हैं जिसके 70 प्रतिशत से अधिक लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है । युवा विभिन्न प्रयोजनों के लिए इन्टरनेट का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं और यही मुख्य उपभोक्ता भी हैं। इस बात को महसूस करते हुए इन्टरनेट के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता फैलाने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। विभाग के सभी प्रिन्ट विज्ञापन मंत्रालय की वेबसाइट www.fcamin.nic.in पर अपलोड किए जा रहे हैं।

¼xvi½ jkT;ksa@la?k jkT; {ks=ksa dks lgk;rk laca/kh fo'ks"k Ldhe % इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जागरूकता अभियान को ग्रामीण, दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों तक ले जाने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका अति महत्वपूर्ण है, उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहभागी बनाने का निर्णय लिया गया है। उपभोक्ता जागरूकता की 11 वीं योजना स्कीम के लिए भी राज्यों की भागीदारी को उपभोक्ता जागरूकता के प्रसार में प्रमुखता दी गई है। वस्तुतः स्कीम की प्रभावकारिता काफी हद तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/पी आर आई की भागीदारी पर निर्भर करती है और इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान/समर्थन उपभोक्ता जागरूकता स्कीम का घटक होना चाहिए।

उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायतों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के लिए पोस्टर, श्रव्य, दृश्य, फोल्डर, कलैण्डर, और मैगजीन जैसी प्रचार सामग्री मुहैया कराई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए स्थानीय मीडिया में उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियां चलाने के लिए सहायता अनुदान दिया गया है और उपभोक्ता जागरूकता अभियान में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया है।

6-6 jk"Vªh; miHkksDrk fnol ds nkSjku izpkj

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन दिवस की स्मृति में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर के दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण के लिए केंद्रीय सरकार का नॉडल विभाग है। इस वर्ष के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय है **miHkksDrk tkx:d jgs] lqjf{kr jgs**। इस विषय को इस संदेश को फैलाने के लिए अपनाया गया था कि एक उपभोक्ता केवल तभी अपने हितों/अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है जब उसे अधिकारों और उपलब्ध प्रतितोष तंत्र के बारे में जानकारी होगी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाने के लिए राजधानी में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आई सी आई सी आई बैंक

के सी ई ओ श्री के0 वी0 कामथ ने प्रमुख भाषण दिया। केंद्रीय सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों ने उपभोक्ता जागरूकता के संदेश को फैलाने के लिए इस सप्ताह के दौरान भारी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया यूनिटों ने प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं के साथ साथ मीडिया यूनिटों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के जरिए उपभोक्ता जागरूकता के संदेश को फैलाने में सक्रिय भागीदारी की। योजना, बाल भारती मैगजीनों और प्रकाशन प्रभाग के प्रमुख प्रकाशन रोजगार समाचार में उपभोक्ता संरक्षण/उपभोक्ता अधिकारों पर जोर देने वाले लेख प्रकाशित किए गए । राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाने के लिए गीत और नाटक प्रभाग तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

उपभोक्ता अधिकारों के संदेश को फैलाने में प्रसार भारती ने भी बहुमूल्य योगदान दिया। डी डी –1 और दूरदर्शन के कई क्षेत्रीय केंद्रों ने उपभोक्ता जागरूकता और उपभोक्ता संरक्षण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए । आकाशवाणी और निजी एफ एम चैनलों ने भी इस विषय पर कई श्रव्य कार्यक्रम प्रसारित किए। प्रिन्ट मीडिया ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से संबंधित कई समाचार मदें/संदेश छापे। निजी क्षेत्र के अग्रणी पोट्रलों ने भी विभाग द्वारा मुहैया कराई गई संदर्भ सामग्री के आधार पर उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित फीचर मदें/समाचार कहानियां दिखाई। पत्र सूचना कार्यालय ने उपभोक्ता जागरूकता पर फीचर मदों/बैकग्राउण्डर्स प्रकाशित किए तथा इस प्रकार मझौले और छोटे समाचार पत्रों में भी संदेश छापे।

miHkkDrk tkx:drk lc/kh fo'ksष enn%

आयोजना तथा विकास से संबंधित मुद्दों पर केन्द्रित अग्रणी सरकारी पत्रिका ''योजना'' ने उपभोक्ता जागरूकता व उपभोक्ता संरक्षण पर एक विशेष अंक निकाला, ताकि शिक्षाविद, नीति निर्माता, छात्र व प्रशासक उपभोक्ता जागरूकता व संरक्षण से संबंधित बहुमूल्य जानकारी का मूल्यांकन कर सकें।

****

v/;k;&VII

ok;nk cktkj vk;ksx

7.1 वायदा बाजार आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसे अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित किया गया है। यह आयोग भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है ।

7.2 आयोग में इस समय अध्यक्ष के रूप में श्री बी. सी. खटुआ, आई.ए.एस. और सदस्य के रूप में श्री राजीव कुमार अग्रवाल, आई.आर.एस. और श्री डी.एस. कोलमकर, आई.ईएस शामिल हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और एक क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में है। वायदा बाजार आयोग को विभिन्न कार्य करने के लिए 5 प्रभागों में गठित किया गया है।

7.3 आयोग के कार्य संचालन के लिए आयोग में स्वीकृत स्टाफ 136 हैं जिनमें से 83 कार्यरत हैं जबकि 31 मार्च,2009 की स्थिति के अनुसार 53 पद खाली पड़े हैं। इनका ब्यौरा अनुलग्नक–1 पर दिया गया है। कार्यालय में स्वीकृत स्टाफ की संख्या में 73 अधिकारी और 63 कर्मचारी हैं।

7.4 विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ अलग से कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। इस कार्यालय में भी ऐसे व्यक्तियों के लाभार्थ कोई विशेष स्कीम भी नहीं है। वर्ष 2008–09 की योजनागत स्कीम के लिए वित्तीय परिव्यय अनुलग्नक–II में दिए गए हैं।

ok;nk cktkj dk fofu;eu

7.5 अग्रिम संविदा एक ऐसा करार होता है जो दो पक्षों के बीच भविष्य में किसी निश्चित समय पर किसी संपत्ति को एक निश्चित मूल्य पर खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है। संविदा का मूल्य अन्तर्निहित सम्पत्ति (चाहे वस्तु, स्टॉक या विदेशी मुद्रा हो) के आधार पर निर्धारित किया जाता है अर्थात गेहूं की भावी संविदा का मूल्य गेहूं के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों द्वारा प्रशासित होंगे।

7.6 भावी सौदा बाजार दो महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य अर्थात दी गई वस्तु के संदर्भ में मूल्य खोज और मूल्य जोखिम प्रबंधन का कार्य करता है। यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है। ये उत्पादकों, निर्यातकों, व्यापारियों के साथ–साथ किसानों को उन वस्तुओं के मूल्यों में प्रतिकूल संचलन के खिलाफ अपने को बचाने की सुविधा मुहैया करता है जिसमें वे व्यापार करते हैं।

Hkkoh lkSnk O;kikj dk fofu;eu dk rjhdk

7.7 यह सुनिश्चित करने के लिए कि भावी सौदा बाजार उनको सौंपे गए आर्थिक कार्यों

का निष्पादन दक्षता पूर्व और पारदर्शी तरीके से करे, भावी सौदा व्यापार का विनियमन तीन स्तरीय विनियामक ढांचे अर्थात केंद्रीय सरकार, वायदा बाजार आयोग और मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंजों/एसोसिएशनों द्वारा किया जाता है। भावी सौदा व्यापार करने वाले मान्यताप्राप्त एसोसिएशनों/एक्सचेजों की सूची अनुलग्नक–III पर है।

7.8 मान्यता प्राप्त एक्सचेंज/एसोसिएशन व्यापार करने, निकासी और निपटान के नियमों और विनियमों को फ्रेम वर्क प्रदान करते हैं। इन नियमों और विनियमों के अनुसरण में बाजार में प्रतिभागियों द्वारा वस्तुओं का भावी सौदा व्यापार किया जाता है। भावी सौदा व्यापार के लिए एफ सी आर अधिनियम,1952 की धारा 15 के तहत अधिसूचित वस्तुओं की सूची अनुलग्नक–IV पर दी गई है।

7.9 वायदा बाजार आयोग एक विनियामक की भूमिका निभाता है। बाजार स्थिति का निर्धारण करने के बाद और एक्सचेंज के निदेशक मण्डल द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह आयोग व्यापार की जाने वाली वस्तु के अनुसार एक्सचेंज के नियमों और विनियमों को अनुमोदित करता है। यह आयोग विभिन्न संविदाओं में व्यापार शुरू करने की अनुमति प्रदान करता है, बाजार स्थिति की लगातार निगरानी करता है और विभिन्न विनियामक उपाए करके जहां आवश्यक हो उपचारात्मक उपाय करता है जो इस प्रकार से हैं:–

fofu;ked mik;

7.10 भावी सौदा बाजारों का विनियमन निम्नलिखित उपायों से किया जाता है :

➢ अधि–व्यापार को रोकने के लिए ग्राहक/सदस्य की ओपन पोजिसन पर सीमा लगाना,

➢ मूल्यों में अचानक वद्धि या गिरावट को रोकने के लिए दैनिक मूल्य उतार–चढ़ाव पर सीमा लगाना,

➢ आरंभिक मार्जिन, विशेष मार्जिन, कन्सेंट्रेशन मार्जिन आदि जैसे मार्जिन लगाना,

➢ मूल्य संचलन पर आधारित दैनिक निकासी (संविदाओं के बाजार की शिनाख्त करना)

➢ विनियामक उपबंधों के उल्लंघन के लिए निलंबन सहित गलती करने वाले सदस्य के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई करना,

➢ आकस्मिक स्थितियों में संविदा को बन्द करना ।

2008&09 d nkjku mnn';k vkj fof'k"V y{;k dk ikIr dju e ok;nk cktkj vk;kx dk lex dk;Z fu"iknu vkj 0;kid Hkkfrd vk;kek d :i e 2008&09 gr nf"Vdk.k

7.11 जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में बताया गया है, आयोग की विनियामक गतिविधियां उन सभी वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार के विनियमन से संबंधित है जिनमें व्यापार किया जाता है। अधिनियम के प्रवर्तन में, आयोग अधिनियम के दाण्डिक उपबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षित करता है।

वर्ष 2008–09 के दौरान विनियामक के रूप में आयोग ने अपनी गतिविधियों को वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार के नियंत्रण, विभिन्न पणधारियों के बीच जागरूकता के प्रसार, विभिन्न सरकारी, सहकारी समितियों और बैंक अधिकारियों की क्षमताएं बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा विभिन्न मण्डियों में मूल्य प्रसार परियोजना के कार्यान्वयन पर केन्द्रित रखा । वर्ष के दौरान आयोग ने 22 मान्यताप्राप्त कमॉडिटी एक्सचेंजों पर 100 से अधिक वस्तुओ में भावी सौदा व्यापार को विनियमित किया। वर्ष 2008–09 (अप्रैल–मार्च) के दौरान व्यापारित वस्तुओं का कुल मूल्य 52.49 लाख करोड़ रूपए था जबकि वर्ष 2007–08 के दौरान यह 40.66 लाख करोड़ रूपए था।

कमोडिटी एक्सचेंजों को मान्यता प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश जारी करता है।

7.12.1 आयोग ने विद्युत, हीटिंग ऑयल एवं गैसोलिंग, ए टी एफ, कार्बन क्रेडिट, रेडआर्कानट, धनिया बीज, लहसुन, स्टील लॉग और थर्मल कोल में नए शुरू किए गए भावी सौदा संविदाओं में व्यापार के लिए नए सिरे से अनुमति प्रदान की।

7.12.2 वर्ष के दौरान जिन मान्यताप्राप्त एसोसिएशनों/एक्सचेंजों को मान्यता/मान्यता के नवीकरण की मंजूरी दी गई, उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

ok;nk cktkj vk;kx }kjk mBk, x,

d- l-	,Dlpsat dk uke	oLrq ftlds fy, ekU;rk nh xbZ	ekU;rk dh vof/k
1	सुरेन्द्रनगर कॉटन ऑयल एंड आयलसीड्स एसोसिएशन लि0, सुरेन्द्रनगर	कपास, कॉटन और कॉ. टनसीड	1 अप्रैल,2008 से 31 मार्च,2010
2	दि ईस्ट इंडिया जूट एंड हेसियन एक्सचेंज, लि0	कच्चा जूट (मेस्ता सहित)	7 अप्रैल,2009 से 6 अप्रैल,2010
		जूट की वस्तुओं (हेसियन और टाट) में अग्रिम संविदा	1 अप्रैल,2009 से 31 मार्च,2010
3	नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड, इन्दौर	रिफाइण्ड सोया तेल और सोया मील	1 मार्च,2009 से 31 मई,2009

fofu;ked dne

ekU;rk iznku djuk@ekU;rk iznkIr ,lksf,'kuksa dh ekU;rk dk uohuhdj.k rFkk oLrqvksa esa 0;kikj djus dh vuqefr iznku djukA

7.12 आयोग अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम,1952 के उपबंधों के तहत नए

oLrq cktkjksa dk fofu;eu

puk] lks;k rsy] jcM+ vkSj vkyw esa Hkkoh lkSnk lafonkvksa dk fuyacu

7.13 अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के बारे में सरकार की चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए और कुछ क्षेत्रों में इस मान्यता का

सामना करने के लिए कि भावी सौदा व्यापार के कारण मूल्यवृद्वि होती है, वायदा बाजार आयोग ने एक एहतियाती उपाय के रूप में चना, सोया तेल, रबड़ और आलू के सौदा व्यापार को 7 मई,2008 से चार महीने की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया। बाद में इसको 30 नवम्बर, 2008 तक आगे बढ़ाया गया। यह निलम्बन 30 नवम्बर,2008 को व्यपगत हो गया है। अतः इन वस्तुओं में व्यापार 4 दिसम्बर,2008 से पुनः शुरू हो गया है।

pfunk oLrqvksa esa nSfud ewY; lhekvksa esa la'kks/ku

7.13.1 आयोग ने सभी वस्तुओं में दैनिक मूल्य सीमाओं की व्यापक समीक्षा करने के बाद स्पॉट बाजारों में उतार–चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए सभी कृषि–जन्य वस्तुओं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उल्लेखनीय वस्तुओं में सीमाओं को संगत बनाया और एकरूपता के लिए उनको सभी एक्सचेंजों पर लागू किया।

fofu;ked mik;ksa esa la'kks/ku

7.13.2 आयोग व्यापार गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखता है और विनियामक उपायों जैसे दैनिक मूल्य सीमा में संशोधन, दण्ड प्रावधानों में संशोधन आदि में समय–समय पर संशोधन करके आवश्यक कार्रवाई करता है।

(क) एग्रीगेट के लिए खुली ब्याज सीमा और कस्टरसीड के निकट माह भावी सौदा संविदा को 14 मई,2008 को संशोधित किया गया। आयोग ने 10 फरवरी,2009 को चुनिंदा कृषि–जन्य वस्तुओं में स्थिति सीमाओं को संशोधित किया।

(ख) आयोग ने 16 सितम्बर,2008 को विक्रेता द्वारा देय डिलीवरी डिफाल्ट पर नेशनल कमोडिटी डेरीवेटिव एक्सचेंज, मुंबई के दाण्डिक संरचना में संशोधन करके 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत तथा अंतिम नियतन मूल्य के बीच अंतर तथा संविदा समाप्त होने के बाद अगले 5 दिनों (ई 1 से ई 5 दिन) के अंतिम स्पॉट मूल्यों में से उच्चतम 3 का औसत देय कर दिया। बशर्ते कि इस प्रकार यदि निर्धारित किया गया औसत मूल्य अंतिम नियतन मूल्य से अधिक हों अन्यथा यह घटक शून्य होगा।

(ग) व्यापार के लिए मल्टीपल क्लाइंट कोड प्रणाली के दुरूपयोग को रोकने के लिए 23 जुलाई,2008 को राष्ट्रीय एक्सचेंजों को किसी अकेले ग्राहक को मल्टीपल क्लाइंट कोड की अनुमति न देने का निदेश दिया गया। एक्सचेंजों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि किसी भी ग्राहक को उक्त तारीख से वायदा बाजार आयोग द्वारा दिए गए यूनीक आइडेंटीफिकेशन नम्बर के बिना व्यापार की अनुमति न दी जाए।

(घ) आयोग ने अहमदाबाद कमोडिटी एक्सचेंज, अहमदाबाद, फस्ट्र कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोच्ची, दि चेम्बर ऑफ कामर्स, हापुड़ , नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड, इन्दौर, दि हरियाणा कमोडिटी एक्सचेंज, सिरसा और राजकोट कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, राजकोट की उपविधियों में कतिपय संशोधनों को अनुमोदित किया।

(ड.) आयोग ने 16 मार्च,2009 को नेशनल कमोडिटी डेरीवेटिव एक्सचेंज को डिलीवरी केंद्रों की नगर पालिका सीमाओं के 50 किलोमीटर के भीतर उत्पादकों/संसाधकों/ऐसे ही प्रतिभागियों के भाण्डागारों को प्रत्यायित करने की अनुमति दी ताकि ऐसे

प्रतिभागी एक्सचेंज प्लेटफार्म पर माल की डिलीवरी कर सकें। यह सुविधा ऐसी थोक वस्तुओं के संबंध में भी दी गई जिनका भारत में वार्षिक उत्पादन आधार 1 मिलियन टन से कम न हो। इसके अलावा, आयोग ने एक्सचेंज को नगर पालिका सीमाओं से 50 किलोमीटर की परिधि से परे अतिरिक्त 100 किलोमीटर की परिधि के भीतर अवस्थित उत्पादकों/संसाधकों/ऐसे ही प्रतिभागियों के भाण्डागारों को प्रत्यायित करने की भी अनुमति दी (इस समय डिलीवरी केंद्रों पर प्रत्यायित भाण्डागारों के लिए निर्धारित)। इस प्रकार ऐसे भाण्डागार डिलीवरी केंद्र की नगर पालिका सीमा के 150 किलोमीटर की परिधि के भीतर अवस्थित किए जा सकते हैं और उनको ''उपग्रह भाण डागार'' कहा जाएगा। प्रत्येक ''उपग्रह भाण डागार'' डिलीवरी केंद्र पर एक प्रत्यायित भाण डागार को पोषित करने के लिए एक एक्सटेंशन के रूप में कार्य करेगा। अब यदि विनिर्माताओं के भाण्डागार डिलीवरी केंद्र पर स्थित हों तो माल को अन्य प्रत्यायित भाण्डागारों को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। माल को उपग्रह भाण्डागार (डिलीवरी केंद्र से बाहर स्थित वेयरहाउस) से डिलीवरी केंद्र पर प्रत्यायित भाण्डागार को अंतरित करने की आवश्यकता केवल तभी होगी जब वे डिलीवरी के लिए चिन्हित होंगे। नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव एक्सचेंज को यह सुविधा उन थोक वस्तुओं की डिलीवरी के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दी गई जिनमें एसेइंग आदि के लिए माल को अनिवार्य रूप से प्रत्यायित भाण्डागारों में ले जाने से एक्सचेंजों में भागीदारी निरूत्साहित हो रही थी। अब उत्पादक/संसाधक प्रत्यायित भाण्डागारों को परिवहन के बावत किसी अतिरिक्त व्यय के बिना अपने ही स्थान से डिलीवरी दे सकेंगे।

(च) सदस्यों के पंजीकरण की प्रणाली इस अवधि के दौरान जारी रहेगी। मार्च,2009 तक पंजीकृत सदस्यों की संख्या 4300 थी। वर्ष 2008–09 के दौरान वायदा बाजार आयोग ने कुल 18 बिचौलियों को पंजीकृत किया गया जिनमें से 6 भाण्डागार और 12 एसेयर थे।

fodkl kRed mik;

7.14 वायदा बाजार आयोग द्वारा वर्ष के दौरान किए गए विकासात्मक उपायों के उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

➢ विभिन्न बाजार घटकों के साथ नियमित संपर्क तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा विनियामक तंत्र को मजबूत करना।

➢ प्रचलित पद्धतियों और बाजार के आर्थिक कार्यों के बारे में जागरूकता पैदा करके बाजार में भागीदारी बढ़ाना।

➢ प्रशिक्षित जनशक्ति को आकर्षित करके देश में भावी उद्योग का क्षमता निर्माण।

➢ वायदा बाजार आयोग की विकासात्मक गतिविधियों में जागरूकता कार्यक्रम, पणधारियों के साथ बैठकें आयोजित करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ संपर्क बनाना, अंतराष्ट्रीय विनियामकों के साथ अध्ययन और सहयोग करना।

fofHkUu i.k/kkfj;ksa dk lkFk cBdksa@lEesyu

7.15 आयोग ने भावी सौदा बाजार के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए विभिन्न श्रेणी के पणधारियों से जानकारी प्राप्त करने हेतु अनेक बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों के दौरान प्राप्त जानकारी का प्रयोग आयोग में विनियामक

नीतियां बनाते समय किया गया। आयोजित की गई कुछ महत्वपूर्ण बैठकें इस प्रकार हैं :–

➢ पणधारियों को अपने विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए एक साझा प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु 23 नवम्बर,2008 को मुंबई में वायदा बाजार आयोग द्वारा कमोडिटी एक्सचेंजों का सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री शरद पवार द्वारा किया गया। श्री यशवंत भावे, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने भी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया।

➢ 27 अगस्त,2008 को बंगलौर में विनिर्माता संघों, चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, मार्केटिंग फेडरेशनों और सहकारिताओं सहित विभिन्न व्यापार निकायों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाम्बे शूगर मर्चेन्ट्स एसोशिऐसन सेंट्रल आर्गनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री फार ट्रेड इंडियन रबर डीलर्स फेडरेशन आदि जैसे 40 व्यापार निकायों/एसोसिएशनों/फेडरेशनों/चेम्बर्स के प्रतिनिधियों तथा नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों – मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज तथा नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की शीर्ष प्रबंध टीमों ने भाग लिया।

➢ 13 अक्तूबर,2008 को नई दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र में नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

➢ 20 अक्तूबर,2008 को हैदराबाद में कमोडिटी एक्सचेंजों में मौजूदा और भावी दोनों हैजरों सहित धातु और उर्जा के क्षेत्रों में निगम हस्तियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सी ई एन वी ए टी, सूचकांकों में व्यापार शुरू करने की आवश्यकता (यदि कृषि में संभव नही तो कम से कम धातु और उर्जा में)ए ई टी एफ शुरू करना, कमोडिटी फंड्स की अनुमति देते हुए अधिक बिक्री केंद्र खोलना, अधिक संख्या में कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता जैसे विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला गया।

➢ खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, केंद्रीय भाण्डागार निगम और भारतीय खाद्य निगम ने फिक्की के साथ मिलकर भाण्डागारण अधिनियम,2007 के कार्यान्वयन से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 नवम्बर,2008 को मुंबई में ''वेयरहाउसिंग 2008 – भाण्डागारण (विकास और नियमन) अधिनियम – मुद्दे और चुनौतियां'' सम्मेलन आयोजित किया। वायदा बाजार आयोग अग्रणी आयोजक था और उसने सम्मेलन को पूर्ण सहयोग दिया।

➢ पूर्वी क्षेत्र में नेशनल कमोडिटी एक्सचेजों के सदस्यों की एक बैठक 12 दिसम्बर,2008 को कोलकाता में आयोजित की गई। इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के नेशनल एक्सचेंजों के शीर्ष प्रबंधन टीमों और सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

➢ आयोग और नेशनल एक्सचेंजों की कृषि कारपोरेट क्षेत्र के साथ एक बैठक 6.1.2009 को मुंबई में आयोजित की गई जिसमें विभिन्न हैजिंग कार्य नीतियों पर चर्चा की गई।

tkx:drk dk;Øe

7.16 वर्ष 2008–09 के दौरान किसानों, संसाधकों, निर्यातकों, बैंक भाण्डागार अधिकारियों, एक्सचेंजों के सदस्यों और उनके ग्राहकों जैसे विभिन्न प्रतिभागियों के लिए 197 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, उनमें से 107 कार्यक्रम केवल किसानों के लिए थे।

7.17 भारतीय विज्ञान कांग्रेस द्वारा 3 से 7 जनवरी,2009 के दौरान नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलॉग में एक मेगा एक्सपो का आयोजन किया गया। वायदा बाजार आयोग और नेशनल एक्सचेंजों ने प्रदर्शनियों और श्रव्य दृश्य प्रस्तुतियों के द्वारा किसानों को कमोडिटी फ्यूचर मार्किट के लाभों की जानकारी देने के उद्देश्य से एक्सपो में भाग लिया। स्टॉल में प्रदर्शनियों की सहायता से कमोडिटी एक्सचेंजों में मूल्य खोज की अवधारणा, महत्वपूर्ण स्थानों पर प्राइस स्टीकर बोर्ड लगाकर एक्सचेंजों से किसानों तक मूल्य के प्रसार, बुआई और फसल कटाई के बाद विपणन निर्णयों में किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग और मूल्य जानकारी के उपयोग को चित्रित किया गया। इस स्टॉल को भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2009 के आयोजकों से ''मोस्ट इनोवेटिव एग्जीवीटर'' अवार्ड मिला।

if'k{k.k@{kerk fuekZ.k dk;Øe

7.18 आयोग ने व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से संपर्क किया है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए :–

d-l-	dk;Øe dk uke	lLFkk dk uke	dk;Øe dh rkjh[k	ifrHkkxh
1	कमोडिटी फ्यूचर्स मार्किट पर सेमिनार	आई आई एम, बंगलौर	25 और 26 अप्रैल,2008	राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी/ केंद्र सरकार के अधिकारी
2	कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग	वीएमएन आइसीओएम	28 और 29 जून,2008 तथा 30 और 31 अगस्त,,2008	सहकारी समितियों के का. र्मिकों के लिए प्रशिक्षण
3	कमोडिटी फ्यूचर्स मार्किट पर सेमिनार	आई जी आई डी आर, मुंबई	12 और 13 सितम्बर, 2008	राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी/ केंद्र सरकार के अधिकारी
4	कृषिजन्य वस्तुओं में वायदा व्यापार	टीओपीआई सी एनसीडीसी	30 सितम्बर,2008 से 1 अक्तूबर,2008	सहकारी समितियों के का. र्मिकों के लिए प्रशिक्षण
5	कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग	टीओपीआईसी, ट्रेनिंग सेंटर, गुड़गांव	12 से 14 नवम्बर,2008	सहकारी संस्थाएं
6	कमोडिटी मार्किट में बैंकों की भूमिका	एनआईबीएम, पुणे	19 से 20 दिसम्बर,2008	बैंकर्स

7	कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट	आरबीआई कालेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग पुणे	9 से 10 जनवरी,2009	वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ग्रामीण बैंकर्स
8	कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट	बीआईआरडी, लखनउ	9 से 11 फरवरी,2009	नाबार्ड अधिकारियों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण
9	सहकारिताओं के लिए फ्यूचर्स में प्रतिस्पर्द्धा हेतु कार्यनीति	वीएएमएन आईसीओएम,पुणे	10 से 13 फरवरी,2009	सहकारी समितियां
10	कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट और वेयरहाउस	केंद्रीय भाण्डागार निगम	29 से 30 जनवरी,2009 16 से 18 फरवरी,2009	केंद्रीय भाण्डागार निगम के अधिकारी
11	केंद्रीय भाण्डागार निगम के अधिकारी	चेन्नई	11.3.2009	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
12	केंद्रीय भाण्डागार निगम द्वारा कमोडिटी/फ्यूचर्स मार्किट	चेन्नई	11.3.2009	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
13	केंद्रीय भाण्डागार निगम द्वारा कमोडिटी/फ्यूचर्स मार्किट	कोलकाता	19.3.2009	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
14	केंद्रीय भाण्डागार निगम द्वारा कमोडिटी/फ्यूचर्स मार्किट	कोलकाता	25.3.2009	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
15	केंद्रीय भाण्डागार निगम द्वारा कमोडिटी/फ्यूचर्स मार्किट	कोलकाता	26.3.2009	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
16	केंद्रीय भाण्डागार निगम द्वारा कमोडिटी/फ्यूचर्स मार्किट	कोलकाता	29.3.2009	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

varjkZ"Vªh; fofu;kedksa ds lkFk lg;ksx

7.19 अपने विनियामक पक्षों को मजबूत करने के लिए वायदा बाजार आयोग ने अन्य देशों के विनियामकों के साथ सहयोग के लिए कदम उठाए। वायदा बाजार आयोग सेक्यूरिटी एंड कमोडिटी मार्केट विनियामकों के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईओएससीओ का एसोसिएट सदस्य भी है। इसके अलावा, वायदा बाजार आयोग ने यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और चाइना सिक्यूरिटी रेग्यूलेटरीज कमीशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

vk;ksx }kjk dekWfMVh VªsfMax dh fuxjkuh

7.20 आयोग एक्सचेंजों के सदस्यों की दिन–प्रतिदिन की व्यापार गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखता है। जरूरत पड़ने पर संबंधित एक्सचेंजों से जरूरी स्पष्टीकरण मांगा जाता है।

cgh[kkrksa dk fujh{k.k

7.21 आयोग सदस्य एक्सचेंजों, खासतौर पर राष्ट्रीय स्तर के तीन एक्सचेंजों अर्थात – मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मुंबई, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, मुंबई और नेशनल मल्टी

कमोडिटी एक्सचेंज, अहमदाबाद के बहीखातों का 2006–07 से नियमित आधार पर निरीक्षण करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों और एन बी ओ टी के मामले में 104 नई लेखा परीक्षाएं की गईं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2006–07 और 2007–08 के लिए 3 नेशनल एक्सचेंजों और एन बी ओ टी की लेखा परीक्षा का काम भी लेखा परीक्षकों को सौंपा गया। जॉच के बाद एक्सचेंजों को उपविधियों/नियमों/विनियमों आदि के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 91 लेखा परीक्षा रिपोर्टें अग्रेषित की गईं। ऐसे मामले जिनमें एक्सचेंजों द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान कार्रवाई पूरी की गई। कुल मिलाकर उनके द्वारा 42.33 लाख रूपए का वित्तीय जुर्माना किया गया।

xkgdk dh f'kdk;r

7.22 आयोग को एक्सचेंज सदस्यों के साथ पंजीकृत ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनमें सदस्यों द्वारा उनके खाते में अनधिकृत व्यापार किए जाने, सदस्यों से कांट्रेक्ट नोट प्राप्त नहीं होने, ग्राहकों की धनराशि का दुरूपयोग किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से निपटान करने के लिए उनकी शिकायतें संबंधित एक्सचेंजों को भेजी जाती हैं। सदस्य द्वारा किए गए गंभीर उल्लंघन के कतिपय मामलों में आयोग संबंधित सदस्य की सदस्यता को निलंबित करने तथा सदस्य को अग्रिम संविदा करने से रोकने के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा 12 ख के तहत नोटिस जारी करता है।

7.23 मैसर्स आल्टोस एडवाइजरी सर्विसेस लिमिटेड, चेन्नई संविदा (एम सी एक्स और एन एम सी ई के सदस्य) के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए यह शिकायत प्राप्त हुई कि सदस्य के कर्मचारियों/प्रतिनिधियों ने जल्दी ही बहुत बड़ा लाभ होने का आश्वासन दिया और सदस्य द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑन लाइन ट्रेड के जरिए वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार हेतु शिकायतकर्ताओं से लाखों रूपए इकट्ठा किए और सदस्य द्वारा अवैध व्यापार किए जाने के कारण सभी शिकायतकर्ताओं की धनराशि डूब गई। आयोग ने सदस्य के बहीखातों का निरीक्षण किया। लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार सदस्य अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम1952 के उपबंधों का उल्लंघन करके अग्रिम संविदाओं के व्यापार में लिप्त था। उसके बाद आयोग ने मैसर्स आल्टोस एडवाइजरी सर्विसेस लिमिटेड को अधिनियम की धारा 12 ख के तहत नोटिस जारी किया और सभी तथ्यों और उनके सामने प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद यह पाया कि सदस्य अवैध व्यापार में लिप्त था जो व्यापार के हित में नहीं है। अतः आयोग ने मैसर्स आल्टोस एडवाइजरी सर्विसेस लिमिटेड की एम सी एक्स और एन एम सी ई से सदस्यता को निलंबित कर दिया और उसको अपने नाम से अथवा मान्यताप्राप्त कमोडिटी एक्सचेंज के अन्य सदस्य के नाम से किसी माल अथवा माल के वर्ग के खरीद अथवा फरोख्त के लिए कोई अग्रिम संविदा करने से 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया।

iorlu dkjokbZ

7.24 आयोग ने एक सदस्य को निलंबित किया। उसके ग्राहक और दो सहयोगियों को वस्तुओं में डीलिंग/व्यापार से अलग कर

दिया। पार्टियों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने आयोग के आदेश के प्रचालन पर एक पक्षीय रोक लगा दी। डीसा पुलिस, गुजरात और चंडीगढ़ पुलिस को डब्बा व्यापार के मामले में आसूचना एकत्र करने के लिए सहायता प्रदान की गई। एक्सचेंज के एक सदस्य के खिलाफ अभियोजन चलाया गया। आयोग धोखाधड़ी और ठगी के दो शिकायतों की भी जांच कर रहा है जो कथित रूप से नेशनल एक्सचेजों के दो सदस्यों द्वारा की गई।

vuqyXud&I

31-11-2008 dh fLFkfr d s vuql kj Lohd`r inksa] Hkjs g q, inksa vkSj fjDr inksa dh la[;k n'kkZus okyk fooj.k

dk;kZy; dk uke % ok;nk cktkj vk;ksx] eqcbZ

d-l-	inuke	Lohd`r deZpkjhoan	Hkjs x, inksa dh la[;k	fjDr inksa dh la[;k
1.	अध्यक्ष	1	1	-
2.	सदस्य	3	3	-
3.क	आर्थिक सलाहकार	2	2	
3ख	निदेशक (संवर्ग वाहृय)	12	3*	9
4.	सचिव	-	--	--
5.	क. उप निदेशक (आई ई एस ग्रेड–ण्ण्)	5	2	3
	ख. उप निदेशक (संवर्ग वाहृय)	13	8	5
6.	क. सहायक निदेशक (संवर्ग वाहृय)	14	14	-
	ख. सहायक निदेशक (आई ई एस ग्रेड–IV)	5	1	4
	dqy leg d	55	34	21
	leg ^[k^ jkt if=r			
7.	हिंदी अधिकारी	1	1	-
8.	सहायक सचिव	1	1	-
9.	वरिष्ठ निजी सचिव	1	1	-
10.	निजी सचिव	2	2	-
11.	आर्थिक अधिकारी	13	4	9
	कुल समूह ख	18	9	9
	समूह 'ख' गैर राजपत्रित			
12.	अधीक्षक	1		1
	समूह ग पद			
13.	उप अधीक्षक	1	1	-
14.	आशुलिपिक ग्रेड–I	2	-	2
15.	अनुवादक (मुडिया)	1	-	1
16.	अनुवादक (गुजराती)	1	1	-

d-l-	inuke	Lohd`r deZpkjhon	Hkjs x, inksa dh la[;k	fjDr inksa dh la[;k
17	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	2	-	2
18.	कनिष्ठ अनुसंधान सहायक	12	11	1--
19.	आशुलिपिक ग्रेड–II	2	1	1
20.	सहायक	2	2	-
21.	आशुलिपिक ग्रेड–III	5	1	4
22.	उच्च श्रेणी लिपिक	7	6	1
23.	अवर श्रेणी लिपिक	6	6	-
24.	हिंदी टंकक	1	1	-
25.	स्टाफ कार ड्राइवर	1	-	1
26.	कम्प्यूटर	4	1	3
	कुल ग	47	31	16
27.	गेस्टेटनर आपरेटर	1	1	-
28.	दफ्तरी	3	3	-
29.	वरिष्ठ चपरासी	1	1	-
30.	चपरासी	7	2	5
31.	हमाल	1	-	1
32.	सफाईवाला	2	2	-
	dqy	136	83	53

*मंत्रालय में

vu|yXud&II

o"k 2008&09 d fy, ctV vu|eku] l'kkf/kr vu|eku vkj okLrfod 0;; dk n'kkui okyk fooj.k

ok;nk ckt kj vk;kx] e|cbl

¼vkdM+ yk[k e½

y[kk'kh"k	2008&09 d fy, ctV vu|eku	2008&09 d fy, l'kkf/kr vu|eku	1-4-2008 l 31-3-2009 rd gvk okLrfod 0;;
घरेलू यात्रा व्यय	9500000	5500000	4473124
विदेश यात्रा व्यय	12500000	6000000	5887754
कार्यालय व्यय	12500000	1100000	974030
कार्यालय व्यय–सूचना प्रौद्योगिकी	17500000	4000000	3646645
व्यावसायिक सेवाएं	11500000	3300000	2742622
किराया दरें/कर	50000000	100000	0
अन्य प्रशासनिक व्यय	2000000	100000	149219
विज्ञापन और प्रचार	8500000	3000000	1311523
सहायता अनुदान	89000000	7800000	6240000
अन्य प्रभार	15000000	8000000	7025310
अंतर्राष्ट्रीय निकायों (आई ओ एस सी ओ) की सदस्यता के लिए अंशदान आदि	1000000	1000000	700000
सूचना प्रौद्योगिकी (व्यावसायिक)	1000000	100000	0
कुल	**230000000**	**40000000**	**33150227***

**iokRrj {k= dk [kp Hkh 'kkfey g*

vuqyXud&III

ok;nk cktkj vk;ksx esa Hkkoh lkSnk O;kikj djus okyh ekU;rkizkIr ,lksfl,'kuksa dh lwph

d-l-	uke o LFkku
1	नेशनल मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि0, अहमदाबाद
2	मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि0, मुंबई
3	नेशनल कमोडिटीज एंड डेरीवेटवि एक्सचेंज लि0, मुंबई
4	इंडिया पीपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, कोची
5	दि स्पाइस एंड ऑयलसीड्स एक्सचेंज लि0, सांगली
6	विजय व्यापार चैम्बर लि0, मुजफ्फरनगर
7	राजधानी ऑयल एंड ऑयलसीड्स एक्सचेंज लि0, दिल्ली
8	भटिण्डा ओम एंड ऑयल एक्सचेंज लि0, भटिण्डा
9	दि चैम्बर ऑफ कामर्स, हापुड़
10	दि मेरठ एग्रो कमोडिटीज एक्सचेंज लि0, मेरठ
11	सेंट्रल इंडिया कामर्शियल एक्सचेंज, ग्वालियर
12	दि बाम्बे कमोडिटी एक्सचेंज लि0, मुंबई
13	राजकोट सीड्स, ऑयल एंड बुलियन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, राजकोट
14	दि अहमदाबाद कमोडिटी एक्सचेंज लि0, अहमदाबाद
15	दि ईस्ट इंडिया जूट एंड हेसियन एक्सचेंज लि0, कोलकाता
16	दि ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन लि0, मुंबई
17	नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड, इन्दौर,
18	फस्ट्र कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि0, कोची
19	सुरेन्द्रनगर कॉटन ऑयल एंड ऑयलसीड्स एसोसिएशन लि0, सुरेन्द्रनगर
20	हरियाणा कमोडिटीज लि0, हिसार
21	बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज लि0, बीकानेर
22	बुलियन एसोसिएशन, जयपुर

vuqyXud&IV

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 की धारा 15 के तहत अधिसूचित वस्तुओं की सूची

Ø-Lk-	oLr
रेशे (फाइबर्स) और विनिर्माण	
1	आट्र रेशमी धागा
2	सूती वस्त्र
3	कॉटन पोड्स
4	सूती धागा
5	भारतीय सूत (पूरा प्रैस्ड, हाल्फ प्रैस्ड या खुला)
6	जूट की वस्तु (किसी मिल और/या किसी अन्य विनिर्माता द्वारा जूट से बनाया गया किसी प्रकार का हेसियन और टाट तथा कपड़े और/या बैंग, ट्विन्स और/या यार्न)
7	कपास
8	कच्चा जूट (मेस्टा सहित)
9	स्टेपल फाइबर धागा
[kk|kUu vkj nky	
10	अरहर चुनी
11	बाजरा
12	जौ
13	चना
14	चना दाल
15	ग्वार
16	ज्वार
17	कुल्थी
18	लाख (खेसरी)
19	मक्का
20	मसूर
21	मोथ
22	मूंग
23	मूंग चुनी
24	मूंग दाल
25	मटर
26	रागी

Ø-Lk-	oLr|
27	चावल या धान
28	छोटा मिलेट ;कोदों कुल्ती, कोदरा, कोरा, वरगु, सवन, राला, काकुन, समयी, वारी और बन्टी)
29	तूर दाल (अरहर दाल)
30	तूर ;अरहर)
31	उड़द ;मास)
32	उड़द दाल
33	गेहूं
	/kkr|,|
34	तांबा जिंक, सीसा या टिन
35	स्वर्ण
36	चाँदी
37	चाँदी के सिक्के
	frygu vkj r|y
38	सेलेरीसीड
39	खोपरा तेल/नारियल का तेल
40	खोपरे के तेल की खली/नारियल के तेल की खली
41	खोपरा/नारियल
42	बिनौला
43	बिनौले का तेल
44	बिनौले की खली
45	सी पी ओ रिफाइन्ड
46	कच्चा पाम तेल
47	कच्चा पाम आलिव
48	मूंगफली
49	मंगफली का तेल
50	मूंगफली के तेल की खली
51	अलसी
52	अलसी का तेल
53	अलसी के तेल की खली
54	रेपसीड तेल/सरसों का तेल
55	रेपसीड की खली/सरसों की खली

Ø-Lk-	oLr
56	रेपसीड/सरसों
57	आर बी डी पामोलीन
58	चावल की भूसी
59	चावल की भूसी का तेल
60	चावल की भूसी की खली
61	कुसुम्ब
62	कुसुम्ब का तेल
63	कुसुम्ब की खली
64	तिल या जिलजिली
65	तिल का तेल
66	तिल की खली
67	सोया मील
68	सोया तेल
69	सोयाबीन
70	सूरजमुखी का तेल
71	सूरजमुखी की खली
72	सूरजमुखी का बीज
eLkkyk	
73	एनीसीड
74	सुपारी
75	ईलाइची
76	मिर्च
77	दालचीनी
78	लौंग
79	धनिया बीज
80	अदरक
81	मेथी
82	जायफल

Ø-Lk-	oLr|
83	काली मिर्च
84	हल्दी
	अन्य
85	कैम्फोर
86	अरण्ड
87	चारा या बरसीम ;चारा बीज या बरसीम बीज सहित)
88	कच्चा तेल
89	चना छिलका
90	गुड
91	खाण्डसारी चीनी
92	पोलीमर
93	आलू
94	रबड़
95	सीडलेक
96	शैलेक
97	चीनी
98	फरनेस तेल
99	ईथोनाल
100	कूकिंग कोल
101	बिजली
102	प्राकृतिक गैस
103	प्याज
104	थर्मल कोल
105	कार्बन क्रेडिट

****

v/;k;&VIII

भारतीय मानक ब्यूरो

सामान्य

8.1 भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो ने 1947 में स्थापित भारतीय मानक संस्थान के कर्मचारियों, परिसंपत्तियों और देयताओं को लेते हुए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत 1 अप्रैल 1987 को एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। ब्यूरो आवश्यकताओं पर आधारित भारतीय मानकों का निर्धारण कर रहा है। ब्यूरो ने व्यापार एवं उद्योग जगत के सभी क्षेत्रों से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सरलता से अंगीकार करने के लिए राष्ट्रीय मानकों को क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित करने का निर्णय लिया। भारतीय मानकों के निर्धारण से संबंधित प्रगति सारणी - 1 में दी गई है।

सारणी-1
मानक निर्धारण में हुई प्रगति

क्रम सं.	गतिविधि	अप्रैल 08 से मार्च 09 के दौरान हुई प्रगति
1.	नए एवं संशोधित निर्धारित मानक	310
2.	विषय समितियों की बैठकें	189
3.	लागू मानक	18533
4.	समीक्षा किए गए मानक	3562

देश में मानकीकरण को सफलतापूर्वक प्रोत्साहित और पोषित कर रहा है। 2007-08 के दौरान भा मा ब्यूरो ने मानकीकरण और प्रमाणन (उत्पाद एवं प्रबंध पद्धति प्रमाणन) से संबद्ध अपनी प्रमुख गतिविधियों में चहुँमुखी प्रगति की ।

मानक निर्धारण

8.2 भा मा ब्यूरो एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप

राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार 2007

राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार, 2007 का पुरस्कार वितरण समारोह 10 अप्रैल 2008 को अशोक होटल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

8.3 श्री यशवंत भावे, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने समारोह की अध्यक्षता

की। उन्होंने पुरस्कार तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए। श्रीमती अल्का सिरोही, विशेष सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

8.4 पुरस्कार विजेताओं तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए श्री भावे ने पुरस्कार पाने वालों को बधाई दी और यह विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय उद्योग अपने उत्पादों की गुणता और सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास जारी रखेंगे तथा तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी के विकास के साथ गति बनायें रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण के सामने और जानकारी के प्रभावी संचार के कारण उत्पादों और सेवाओं की गुणता में बढ़ौतरी हुई । उन्होंने उपभोक्ता की संतुष्टि के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला, जो उत्पाद अथवा सेवाओं की गुणता का अंतिम मानदंड होता है। उन्होंने गुणता के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए सोच बदलने पर बल दिया क्योंकि गुणता को बेहतर करने के अंतिम स्रोत वही हैं। उन्होंने समाज के विकास में भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र की भूमिका पर बढ़ती जागरूकता पर भी संतुष्टि व्यक्त की।

8.5 श्रीमती अल्का सिरोही, विशेष सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने अपने सम्बोधन में इस बात पर बल दिया कि उपभोक्ता संतुष्टि के लिए निरंतर गुणता हासिल करने हेतु उत्पादों के डिजाइन, कार्यकारिता मानदंड, विश्वसनीयता इत्यादि जैसी सभी गतिविधियों में निरंतर सुधार करना आवश्यक है। उन्होंने संगठित गुणता पद्धति की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे न केवल संगठन के भीतर गुणता सुनिश्चित होती है बल्कि इससे सतत उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आउटसोर्स उत्पादों और सेवाओं की गुणता को भी समान महत्व मिलता है। उन्होंने उद्योगों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने और अनुरूपता प्रदर्शित करके उपभोक्ता का विश्वास हासिल करने पर बल दिया।

श्री यशवन्त भावे, सचिव, उपभोक्त मामले विभाग ने 10 अप्रैल, 2008 को राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणत्ता पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता की।

8.6 श्री सायन चटर्जी, महानिदेशक, भा मा ब्यूरो ने इस अवसर पर कहा कि प्रौद्योगिकी के उन्नत होने के साथ गुणता की अवधारणा प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो गई है। उन्होंने कहा कि इसमें उच्च गुणता के उत्पाद अथवा सेवाएं देने के लिए प्रौद्योगिकीगत सक्षमता और उत्पाद एवं सेवाओं की गुणता मॉनीटर करने की सक्षमता शामिल है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद या सेवाओं की गुणता किसी भी संगठन की सतत सफलता का केन्द्र होती है। उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ता में उत्पादों और सेवाओं की अच्छी गुणता के लिए उनके अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होने से भारतीय उद्योग उत्पाद और सेवाओं की बढ़िया गुणता के प्रति अधिक सजग हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को अपने क्रियाकलापों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने पर उचित रूप से विचार करना चाहिए।

8.7 श्री राकेश वर्मा, अपर महानिदेशक, भामाब्यूरो ने पुरस्कारों के प्रयोजन एवं उद्देश्य संबंधी रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने सूचित किया कि ये पुरस्कार पूर्णतः गुणता प्रबंधन (टीक्यूएम) के सिद्धांतों पर आधारित थे और विश्व स्तर पर भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा की क्षमताओं को बढ़ाने हेतु लक्षित रहे। आगे उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि विजेताओं के लिये पहली बार पुरस्कार स्वरूप वित्तीय प्रोत्साहन एवं प्रशंसा प्रमाणपत्र भी शुरू किये गये। उन्होंने यह भी बताया कि पहली बार जैव-प्रौद्योगिकी को नये प्रौद्योगिकी सेक्टर के रूप में शामिल किया गया। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत में पुरस्कारों को प्रचारित करने के लिये भामाब्यूरो द्वारा व्यवस्थित ढंग से किये गये प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर बोलते हुये श्री वी. के. श्रीवास्तव, प्रबंध-निदेशक, बोकारो इस्पात संयंत्र जिन्होंने वर्ष 2007 का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार लिया, ने कहा कि सर्वोत्कृष्ट कोटि के पुरस्कार प्राप्ति की सफलता का पूरा श्रेय उनके कर्मचारियों को जाता है। उन्होंने आगे सूचित किया कि उपभोक्ता केंद्रित एवं समाज के प्रति जिम्मेदारी उनके संगठन का विज़न एवं मिशन का केंद्र था।

श्री यशवन्त भावे, सचिव, उपभोक्त मामले विभाग ने 10 अप्रैल, 2008 को राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणत्ता पुरस्कार वितरित किए

8.8 भामाब्यूरो के श्री अलिंद चन्द्रा, अपर महानिदेशक के धन्यवाद ज्ञापन के बाद समारोह समाप्त हुआ। राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार, 2008 हेतु क्षेत्रीय मूल्यांकन टीम स्थापित की गई जिसने 29 जनवरी 2009 को दौरे कर तथ्य -अन्वेषण एवं मूल्यांकन के कार्य को पूर्ण किया।

उत्पाद प्रमाणन

8.9 भामाब्यूरो एक उत्पाद प्रमाणन योजना प्रचालित करता है, जिसका नियंत्रण भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा किया जाता है। उत्पाद पर मानक मुहर (आईएस आदि मुहर के नाम से प्रसिद्ध) संबद्ध भारतीय मानक के साथ इसकी अनुरूपत्ता को दर्शाता है। किसी निर्माता को लाइसेंस प्रदान करने से पहले भामाब्यूरो, निर्माता के पास अनिवार्य ढांचागत संरचना तथा क्षमता की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। तदुपरान्त, संबंधित भारतीय मानक के अनुसार बने उत्पाद की निरंतर जांच की जाती है, उत्पादन स्थान एवं बाजार से नमूने लिए जाते हैं तथा संबंधित भारतीय मानक के अनुसार उनकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र प्रयोगशाला में उनकी जांच कराई जाती है।

8.10 प्रमाणन योजना मूल रूप से स्वैच्छिक होती है, लेकिन उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली एवं आम उपभोग की बहुत सी चीजों को भामाब्यूरो अधिनियम और सरकार द्वारा विभिन्न वैधानिक उपायों यथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, ई-सी एक्ट, भारतीय विस्फोट क एक्ट, परमाणु ऊर्जा कंट्रोल बोर्ड, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, नवजात शिशु हेतु दूध विकल्प सामग्री, दूध पिलाने की बोतल और खाद्य सामग्री एक्ट इत्यादि के माध्यम से 74 वस्तुओं को अनिवार्य प्रमाणन के तहत रखा गया है। कुछ चीजों को अनिवार्य प्रमाणन योजना के तहत रखा गया है जैसे- एलपीजी सिलेण्डर, दूध पाउडर, संघनित दूध, नवजात शिशुओं हेतु धान्य आधारित खाद्य चीजें, डाक्टरी थर्मामीटर, पैकेजबंद पेयजल और प्राकृतिक खनिज जल, बिजली की इस्तरी, निमज्ज्य वाटर हीटर, केबल, बल्ब, सर्किट ब्रेकर, ऊर्जा मीटर, शुष्क बैटरियाँ, इस्पात के पाइप, तेल दाब स्टोव, एक्सरे मशीन, दूध पिलाने की प्लास्टिक की बोतलें, डीजल ईजन, सीमेंट, इस्पात के उत्पाद (6 वस्तुएँ) इत्यादि। प्रमाणन मुहर गतिविधियाँ की प्रगति का विवरण सारणी-2 में दिया गया है।

गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना

8.11 भामाब्यूरो ने भामाब्यूरो अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत सितम्बर 1991

सारणी-2

प्रमाणन मुहर गतिविधियाँ की प्रगति

क्र. सं.	गतिविधियाँ	अप्रैल 08-मार्च 09 के दौरान प्रगति
1.	स्वीकृत लाइसेंस	2595
2.	प्रचालन में कुल लाइसेंस	20972

में गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना आरंभ की। यह योजना आईएसओ/आईईसी 17021 अनुरूपता मूल्यांकन (प्रमाणन पद्धतियों के लेखा परीक्षा एवं प्रमाणन निकायों की अपेक्षाऐं) के अनुसार प्रचालित की जा रही है।

8.12 भामाब्यूरो ने प्रबंधन पद्धतियों के संगत मानकों के अनुसार निम्नलिखित प्रमाणन सेवाएँ उपलब्ध कराना जारी रखाः

क) आईएस/आईएसओ 9001:2000 के अनुसार गुणता प्रबंधन पद्धति (ईएमएस) प्रमाणन योजना

ख) आईएस/आईएसओ 14001:2004 के अनुसार पर्यावरणीय प्रबंधन पद्धति (ईएमएस) प्रमाणन योजना

ग) आईएस 15000:1998 के अनुसार खाद्य जनित हानि विश्लेषण तथा क्रिटिकल कंट्रोल पाईंट (एचएसीसीपी) योजना

घ) आईएस 18001:2007 के अनुसार व्यावसायिक क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन पद्धति (ओएचएसएमएस) प्रमाणन योजना

ड़) आईएस/आईएसओ 22000:2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति (एफएसएमएस) प्रमाणन योजना

च) आईएस 15700:2005 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंधन पद्धति (एसक्यूएमएस) प्रमाणन योजना

8.13 विभिन्न प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजनाओं (एमएससी) के संवर्द्धन हेतु काफी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं विभिन्न संगठनों में प्रस्तुतीकरण भी किए गए।

प्रबंधन पद्धति प्रमाणन हेतु मानक मुहर- राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से उन मानकों के संबंध में मानक मुहर निर्धारित की गई जिनके लिए भामाब्यूरो द्वारा प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना चलाई जाती है।

(i) गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजनाः

8.14 भामाब्यूरो अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत सितम्बर 1991 में भामाब्यूरो गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना (क्यूएमएससीएस) आरंभ की गई। यह योजना आईएसओ/आईईसी 17021 अनुरूपता मूल्यांकन- प्रबंधन पद्धतियों के लेखा-परीक्षा एवं प्रमाणन निकायों की अपेक्षाओं के अनुसार लागू की जा रही है।

8.15 योजना का लगातार विकास हो रहा है और दिनांक 31 मार्च 2009 तक कुल 882 लाइसेंस प्रचालन में आ गए। 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 की अवधि में 76 गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किये गये, जिनमें औद्योगिक सेक्टर जैसे रसायन, वस्त्रादि प्लास्टिक, सीमेंट, इलैक्ट्रीसिटी जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग, टेलीकम्यूनिकेशन, हेल्थ, कंस्ट्रक्शन, शिक्षा, वूड, बीमा, डेयरी प्लाण्ट, इंजीनियरिंग सेवाएँ इत्यादि शामिल हैं।

(ii) पर्यावरणीय प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना

8.16 आईएस/आईएसओ 14001 के अनुसार भामाब्यूरो द्वारा पर्यावरण प्रबंधन पद्धति

(ईएमएस) प्रमाणन योजना शुरू की गई, जो लगातार लोकप्रिय हो रही है। यह योजना आईएसओ/आईईसी 17021 में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार प्रचालित होती है। अवधि के दौरान, दिनांक 31 मार्च 2009 तक ईएमएस के 10 नये लाइसेंस प्रदान किए गए, जिनसे प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 10 हो गई। देशी इस्पात संयत्र, थर्मल पॉवर प्लॉण्ट्स, ऐयरोनॉटिकल इण्डस्ट्रीज, सीमेंट, कंस्ट्रक्शॅन, इलैक्ट्रिकल एवं टेलीकम्यूनिकेशन केबल, पैट्रोलियम रिफाइनरी, इन्सेक्टी साइड्स, पेपर, इण्डस्ट्रियल एवं विस्फोटक केमिकल, रेलवे वैगन, वर्कशॉप, माईनिंग इत्यादि जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लाइसेंस शामिल है।

(iii) व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजनाः

8.17 जनवरी, 2003 में आईएस 18001 के अनुसार, भामाब्यूरो ने व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना (ओएचएसएमएस) शुरू की। यह योजना निश्चित तौर पर, वैधानिक अपेक्षाओं एवं हानिकारक एवं नुकसानदायक सूचनाओं के लिए नीति बनाने और उद्देश्यों को परिभाषित, योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित करने में संगठनों को समर्थ करती है। इससे संगठन की गतिविधियों से कर्मचारियों और अन्य लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर संभावित कुप्रभाव से सुरक्षा करने की प्रत्याशा की जा सकती है। इस योजना से संगठन नियंत्रण कर सकते हैं। अवधि के दौरान, दिनांक 31 मार्च 2009 तक 7 ओएचएसएमएस लाइसेंस स्वीकृत हुए, जिनसे प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 39 हो गई। इन लाइसेंसों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र यथा थर्मल पावर प्लाण्ट्स, सेरेमिक, इण्डस्ट्री, साईकिल इण्डस्ट्रिज, गैस पॉवर स्टेशन, स्वास्थ्य सेवाएँ एवं कर्मचारी विकास केंद्र इत्यादि शामिल हैं।

प्रलेख में बदलाव- ओएचएसएमएस हेतु मानक को आईएस 18001:2007 के अनुसार पुनरीक्षित किया गया। पुनरीक्षित मानक को कार्यान्वित करने के लिए, विद्यमान प्रलेख नामित, एडीक्यूसी ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्लान मैट्रिक्स एवं ओएचएसएमएस हेतु चैक लिस्ट पुनरीक्षित की गई।

(iv) खाद्यजनित हानि विश्लेषण एवं क्रिटिकल नियंत्रण पाईंट प्रमाणनः

8.18 खाद्यजनित हानि विश्लेषण एवं क्रिटिकल नियंत्रण पाईंट (एचएसीसीपी) खाद्यान्न उत्पादन में सूक्ष्म जीवों व अन्य खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने हेतु बनाई गई एक प्रक्रिया नियंत्रण पद्धति है। एचएसीसीपी का प्रयोग पूरी खाद्यान्न श्रृंखला अर्थात् उत्पादक से अंततः उपभोक्ता तक किया जा सकता है और यह योजना आईएस 15000:1998- खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान-एचएसीसीपी पद्धति तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है, जो तकनीकी रूप से विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मानक कोडेक्स एलिमेंटेयम कमिशॅन स्टैंडर्ड एलीनार्म- 97/13ए के सदृश है। 31 दिसंबर 2008 तक एचएसीसीपी एकीकृत गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना के तहत् 59 लाइसेंस लागू थे। प्रमाणन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना की प्रक्रिया के समान है। यह योजना निर्यातकों को खाद्य एवं खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में, विशेषतः अमेरिका और यूरोपीय देशों हेतु निर्यात संबंधी सहायता करती है।

(v) एचएसीसीपी स्टैंड -एलोनः

8.19 भामाब्यूरो आईएस 15000 के अनुसार एक स्टैंड एलोन एचएसीसीपी प्रमाणन योजना का भी प्रस्ताव करती है। 31 मार्च 2009 तक कुल 2 एचएसीसीपी स्टैंड एलोन लाइसेंस प्रचालित थे।

(vi) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजनाः

8.20 भामाब्यूरो ने आईएस/आईएसओ 22000-2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति (एफएसएमएस) शुरू की। यह प्रणाली खाद्य श्रृंखला के भीतर आने वाले सभी संगठनों को खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति के कार्यान्वयन की अनुमति देने के लिए तैयार की गई। इससे निम्नलिखित फायदों की प्राप्ति हेतु मदद मिलेगी :-

क) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य उत्पादों में बढ़ोत्तरी की स्वीकार्यता;

ख) उत्पादों/सेवाओं के दावों के जोखिम में कमी;

ग) उपभोक्ता की संविदा संबंधी अपेक्षाओं की तुष्टि;

घ) खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

ड.) अधिक स्वास्थ्य सुरक्षा;

च) अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं ग्राह्य विनियामक अपेक्षाओं संबंधी अनुरूपता प्रदर्शन;

छ) खाद्य सुरक्षा एवं संबंधित वैधानिक तथा विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करना;

ज) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना।

दिनांक 31 मार्च 2009 तक एफएसएमएस के 6 आवेदन प्रक्रियाधीन है।

(vii) सेवा गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना

8.21 अप्रैल 2007 के दौरान, भामाब्यूरो सेवा गुणता प्रबंधन पद्धति (एसक्यूएमएस) प्रमाणन योजना शुरू की गई। यह ''भामा 15700:2005 गुणता प्रबंधन पद्धति - पब्लिक सर्विस संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं हेतु अपेक्षाएँ'' नामक सेवा गुणता संबंधी भारतीय मानक पर आधारित है। यह मानक मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रमुख घटकों पर केंद्रित है :

- परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से यथार्थ सीटीजन चार्टर निर्धारित करना।

- दी जाने वाली सेवाओं, सेवा देने की प्रक्रियाओं, उनके नियंत्रण एवं सेवाओं की अपेक्षाओं की पहचान करना

- शिकायत- निपटान हेतु प्रभावी प्रक्रिया।

31 मार्च 2009 तक, एसक्यूएमएस का एक लाइसेंस परिचालन में है।

(viii) आरवीए द्वारा गुणता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) का प्रत्यायन

8.22 23 बड़ी आर्थिक गतिविधियों के लिए राड वूर एक्रेडिटेटी (आरवीए), नीदरलैंड द्वारा भामाब्यूरो गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन को प्रत्यायित किया गया। विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के पालन की पुष्टि हेतु आरवीए द्वारा नियमित आडिट किया जाता है। दिनांक 1-13 जून 2005 को आरवीए द्वारा पुनर्मूल्यांकन पर आधारित, अक्तूबर 2009 तक आरवीए द्वारा प्रत्यायन को नवीकृत किया गया।

8.23 अवधि के दौरान, आरवीए ने भामाब्यूरो क्यूएमएस प्रमाणन योजना का निगरानी मूल्यांकन किया, जिसमें गवाह-ऑडिट भी शामिल है।

8.24 वर्तमान प्रत्यायन अक्तूबर 2009 तक वैध है। दिनांक 22 से 27 फरवरी 2009 तक की अवधि के दौरान एक द्वि-सदस्यीय आरवीए टीम ने पुनर्प्रत्यायन मूल्यांकन किया। मूल्यांकन के भाग के रूप में, आरवीए टीम ने लोक-प्रशासन, शिक्षा एवं अभियांत्रिकी सेवाओं नामक 3 नये कार्यक्षेत्रों के विस्तार हेतु भामाब्यूरो की कार्यवाहियों का भी मूल्यांकन किया।

भारतीय मानक ब्यूरो ऑडिटर

8.25 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 की अवधि के दौरान, 26 ऑडिटिंग कार्मिकों (भामाब्यूरो आडिटरों एवं उप-ठेकेदारों) को पंजीकृत किया गया एवं विभिन्न प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजनाओं ;क्यूएमएस/ईएमएस/ओएच एस/एचएसीसीपी/एफएसएमएस) के तहत 42 आडिटिंग कार्मिकों को अपग्रेड किया गया।

8.26 समीक्षाधीन अवधि तक, भामाब्यूरो की प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना के साथ निम्नलिखित आडिटरों एवं उपठेकेदारों को पंजीकृत किया गयाः

गतिविधि	ऑडिटर	उप ठेकेदार ऑडिटर
क्यूएमएस	251	66
ईएमएस	106	21
ओएचएस	41	10
एफएसएमएस	25	-
एचएसीसीपी	42	3

ऑडिटरों की बैठक

8.27 अवधि के दौरान, पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय एवं दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय में आडिटरों की 3 बैठकें आयोजित की गई जिनमें भामाब्यूरो के वे अधिकारी उपस्थित हुये जो कि पद्वति प्रमाणन आडिटों के लिए पंजीकृत है।

लाइसेंस समीक्षा बैठक

8.28 प्रमाणन मानकों की अपेक्षाओं में बदलाव के बारे में हमारे लाइसेंसियों के मध्य जागरूकता पैदा करने एवं उनसे आरंभिक फीडबैक प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लाइसेंसियों के साथ बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशाला संबंधी गतिविधियाँ

8.29 भामाब्यूरो ने सन् 1962 में साहिबाबाद की केंद्रीय प्रयोग प्रयोगशाला की स्थापना की 'शुरूआत से अब तक आठ प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। परिणामतः, चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ -मोहाली, कोलकाता, मुम्बई एवं चैन्नई एवं तीन शाखा कार्यालय प्रयोगशालाएँ -पटना, बैंगलौर एवं गुवाहाटी में स्थापित की गई। भामाब्यूरो प्रयोगशालाओं की स्थापना का प्रयोजन भामाब्यूरो उत्पाद प्रमाणन मुहर योजना की गतिविधियों में सहायता करना है। भामाब्यूरो की इन प्रयोगशालाओं में लाइसेंसियों/आवेदकों से प्राप्त नमूनों एवं खुले बाजार से भी प्राप्त नमूनों का परीक्षण किया जाता है। भामाब्यूरो की प्रयोगशालाओं में रसायन, खाद्य, विद्युत एवं मैकेनिकल विषयक क्षेत्रों के उत्पादों के परीक्षण की सुविधा मुहैय्या कराई गई है। केंद्रीय प्रयोगशाला में विद्युत विश्यक क्षेत्रों की इन-हाउस केलीब्रेशन सुविधायें उपलब्ध हैं।

8.30 मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, मोहाली, बैंगलौर एवं साहिबाबाद की प्रयोगशालाओं में अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय विकास के साथ सामजंस्य रखने

के लिए भामाब्यूरो की प्रयोगशालाओं की सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानक आईएस /आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार केलीब्रेशन एवं परीक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशाला (एनएबीएल) द्वारा प्रत्यायित किया गया है।

8.31 उत्पाद प्रमाणन योजना से प्राप्त नमूनों के परीक्षण संबंधी कार्य की मात्रा भामाब्यूरो प्रयोगशाला में उपलब्ध क्षमता से भी कहीं अधिक है। अतः भामाब्यूरो ने बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता देने हेतु एक योजना स्थापित की हुई है। यह योजना (आईएस/आईएसओ/आईईसी17025:2005) सुप्रलेखित अन्तर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित है जिसे केलीब्रेशन एवं परीक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशाला (एनएबीएल) द्वारा अपनाई गई शर्तों के साथ जोडा गया है। मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में प्रतिष्ठित आर एंड डी संगठन, तकनीकी संस्थान, सरकारी प्रयोगशालाएँ एव प्राइवेट सेक्टर की प्रयोगशालाएँ शामिल हैं। ऐसी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग वहाँ भी किया जाता है जहाँ भामाब्यूरो की प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता विकसित करना आर्थिक रूप से संभव न हो, भामाब्यूरो प्रयोगशालाओं में नमूनों की संख्या ज्यादा प्राप्त हो गई हो एवं परीक्षण उपकरण इत्यादि अस्थायी रूप से खराब हो। वर्तमान में विभिन्न भामाब्यूरो द्वारा उत्पादों हेतु 126 बाहरी प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जा रहा है।

(i) उत्पादकता

8.32 देशभर में फैली भामाब्यूरो की आठ प्रयोगशालाओं के नेटवर्क ने संबंधित भारतीय मानकों के अनुसार परीक्षण सेवाएँ देनी एवं भामाब्यूरो प्रमाणित उत्पादों के अनुरूप परीक्षण संबद्ध गतिविधियाँ जारी रखीं। 1 अप्रैल 2007 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान परीक्षण करने वाले कार्मिकों की लगातार घटती संख्या के बावजूद 20802 परीक्षण रिपोर्टें जारी की गईं।

(ii) गुणता आश्वासन गतिविधियाँ

8.33 गुणता पद्धति की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु, प्रयोगशालाओं को अद्यतन किया गया एवं आई एस/आईएसओ/आईईसी 17025:2005 मानक संबंधी आधारित प्रलेखों को क्रियान्वित किया गया। संबद्ध उपलब्धि की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैः

(i) गुणता आश्वासन परीक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत नमूनों का परीक्षण किया गया।

(ii) गैस के चूल्हों, प्रैशर कुकरों, सीमेंट, फोर्ज़ड पीतल की छड़ें, इस्पात की चादरें, यूपीवीसी के पाइप इत्यादि उत्पादों के विभिन्न पैरामीटरों के दक्षता परीक्षण कार्यक्रमों मे भाग लिया गया।

(iii) अवधि के दौरान, अधिकारियों/तकनीकी कार्मिकों ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लियाः

क) ऑडिट करने की तकनीक एवं आईएस/आ ईएसओ/आईईसी 17025 की आडिंटिग अपेक्षाऐं।

ख) अनिश्चितता मापन का आकलन

ग) अंतः प्रयोगशाला तुलन तुलन/दक्षता परीक्षण प्रशिक्षण

घ) भामाब्यूरो प्रयोगशालाओं में नॉन- फॉइनेंस एक्जिक्यूटीव हेतु वित्त संबधी प्रशिक्षण

ड.) सूक्ष्म जैव विज्ञान अपेक्षाओं में प्रौद्योगिकीय प्रक्रियायें

(iv) ग्राहकों की संतुष्टि संबद्ध उनसे फिडबैक लिए गए एवं उन पर उपयुक्त कार्यवाही की गई।

(iii) उत्पाद परीक्षण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

क) नवीनतम भारतीय मानकों से परिचित कराने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन लाइसेंसियों/आवेदकों के तकनीकी कार्मिकों के लिए उत्पाद परीक्षण पर, भामाब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय/कार्यालयों/शाखा कार्यालय/कार्यालयों से जब भी अनुरोध प्राप्त हुआ, भामाब्यूरो प्रयोगशालाओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। वर्ष के दौरान, प्रैशर कुकर, एलपीजी स्टोव, इस्पात उत्पादों के प्रत्यक्ष परीक्षण, अग्निशमन, पेयजल के सूक्ष्म जैव विज्ञान परीक्षण इत्यादि उत्पाद शामिल किए गए।

ख) उत्तर क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मोहाली में मैकेनिकल प्रयोगशाला के परीक्षण कार्मिकों के लिए पम्प-परीक्षण संबंधी एक आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को ग्रीष्मावकाश के दौरान खाद्य एवं सूक्ष्म जैव विज्ञान परीक्षण में प्रशिक्षित किया गया।

(iv) क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय को स्कैन करके रिपोर्ट भेजना

8.34 भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षित किये जा रहे नमूनों संबंधी सभी रिपोर्टों की हार्ड-प्रतियाँ भेजने की अपेक्षा इन्टरनेट के माध्यम से स्कैन करके क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को भेजा जाता है। इससे समय व पैसे की बचत हुई एवं हार्ड-कापियों का संभावित दुरूपयोग रूका ।

(v) स्वर्ण आभूषणों के लिए दक्षेकाप्र. में संदर्भ एवं एसेइंग केन्द्र

8.35 दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला (दक्षेकाप्र.) को आवश्यक उपकरणों से सज्जित करके उसे सोने के जेवरों पर हाल मार्किंग प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस संदर्भ केन्द्र के मार्च 2009 तक शुरू होने की आशा है।

उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ

8.36 देश में उपभोक्ताओं की बढ़ती उम्मीदों को पूरा करने की दृष्टि से, भामा ब्यूरो ने एक पृथक विभाग की स्थापना की है जो उपभोक्ता सुरक्षा, कल्याण तथा जन-शिकायतों के निपटारे संबंधी कार्य करता है। यह विभाग उपभोक्ताओं के मुद्दों पर केन्द्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद् एवं उपभोक्ता एसोसिएशनों से सम्पर्क साधता है और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से समन्वय करता है। इसकी गतिविधियाँ उपभोक्ता नीति सलाहकार समिति द्वारा निर्देशित है जो कार्यों को कुशलतापूर्वक करने एवं उपयोगकर्त्ता-अनुकूल मानकीकरण एवं प्रमाणन गतिविधियाँ बनाने के लिए नीतिगत मामलों पर भामा ब्यूरो को सलाह देती हैं। शिकायतों को निपटाने के लिए सुस्पष्ट प्रक्रिया स्थापित की गई है। पंजीकृत शिकायतों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है।

8.37 भामाब्यूरो सम्पूर्ण भारत में उपभोक्ता संगठनों एवं उपभोक्ताओं हेतु बहुत-से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। अवधि के दौरान, 63 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उद्योग संघों/व्यापार संघों/शैक्षिक संस्थानों एवं राज्य तथा केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता संबंधी विभागों के साथ संयुक्त रूप से भी ये कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसके अतिरिक्त, सेमीनारों, कार्यशालाओं

एवं कॉंफ्रेंसों में व्याख्यान देने में सहभागिता की गई। प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की गई; मानकों, गुणता एवं आई एस आई मुहर के संबंध में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए जन सम्पर्क माध्यमों जैसे टी वी, रेडियो, अन्य इलैक्ट्रोनिक माध्यम, समाचार-पत्रों, होर्डिंग इत्यादि का प्रयोग किया गया।

प्रोत्साहन गतिविधियाँ

8.38 भारतीय मानकों को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है एवं भामाब्यूरो का प्रमुख यही ध्येय है। सामान्यतः सभी मानक प्रकृति में स्वैच्छिक हैं। अतः वांछित फायदे पाने के लिए मानकों के कार्यान्वयन संबंधी प्रोत्साहन गतिविधियाँ अनिवार्य है। मानकीकरण के प्रोत्साहन में सामान्य उपभोक्ता से शैक्षिक संस्थानों की श्रेणियों तक के विविध हित शामिल हैं। अतः उपयोगकर्त्ता तथा उनकी जरूरतों की पहचान के लिए इस गतिविधि हेतु उपयुक्त कार्यप्रणाली अपनाई जाती है। लघु उद्योग के बीच मानकीकरण एवं गुणता प्रणाली की धारणा प्रचारित करने के लिए, भामा ब्यूरो व्याख्यान, चर्चाएँ एवं विडियो फिल्म दिखाने के साथ-साथ औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है, जिनमें प्रतिभागियों को मानकीकरण, गुणता प्रणाली, उत्पाद प्रमाणन एवं भामा ब्यूरो की अन्य गतिविधियाँ बताई जाती हैं।

8.39 तकनीकी एवं पेशेगत संस्थानों के छात्र मानकों के परोक्ष उपयोगकर्त्ता हैं। अतः उन्हें मानकीकरण एवं गुणता प्रणालियों के क्षेत्र में शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे उन द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं में गुणता लाने के लिए समुचित रूप से लैस हो सकें। इस आवश्यकता को जानते हुए मानकीकरण के संदेश को प्रचारित करने एवं विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम भारतीय मानकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से फैकल्टी सदस्यों तथा वरिष्ठ छात्रों के बीच मानकों के शैक्षिक उपयोग संबंधी नियमित कार्यक्रम, आयोजित किये गए। फैकल्टी सदस्य मानकों के महत्व एवं उपलब्धता के बारे में ठीक से परिचित हो जाने पर मानकों के कार्यान्वयन में सहायक होते हुए पाये गये हैं।

8.40 दिनांक 6 अगस्त, 2008 को मेघालय राज्य की एसएलसी बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता उद्योग आयुक्त, मेघालय सरकार द्वारा की गई। भामा ब्यूरो उपमहानिदेशक (पूर्वी) ने भी भा मा ब्यूरो संबंधी गतिविधियों के बारे में संक्षेप में बताया।

विवरण	संख्या
उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	63
मानकों के शैक्षिक उपयोग हेतु कार्यक्रम	05
औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम	11
एसएलसी बैठकों की संख्या	1

लघु उद्योग सहायता एवं सूचना कक्ष

8.41 'समग्र उपभोक्ता संतुष्टि' के पथ पर अग्रसर होते हुए भामाब्यूरो ने अपने मुख्यालय, नई दिल्ली में एक सिंगल-विंडो सूचना एवं लघु उद्योग सहायता कक्ष बनाया था जो सन् 1997 से भारतीय उद्योग को, विशेष रूप से लघु उद्योग सेक्टर को, विभिन्न प्रकार की सूचना सहायता उपलब्ध कराने के एकमात्र उद्देश्य से कार्यरत है। यह भारतीय उद्योग परिदृश्य में रीढ़ की हड्डी साबित होता है। उद्योगपति, उपभोक्ता एवं पेशेवर जानकारियाँ लेने के लिए इस केन्द्र पर आते हैं।

(I) सूचना सेवाएँ

(i) पुस्तकालय

8.42 भामाब्यूरो तकनीकी पुस्तकालय मानकों एवं संबंधित मामलों संबंधी सूचना उपलब्ध कराने का एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र है। यह उद्योग, व्यापार, सरकार, अनुसंधानकर्त्ताओं एवं उपभोक्ताओं की जरूरतों को एक साथ पूरा करता है। आज यह 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला, दक्षिण एशिया क्षेत्र में मानकों का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसमें पूरे विश्व के लगभग 6 लाख मानक एवं 70,000 तकनीकी पुस्तकें संग्रहित हैं। ब्यूरो की पुस्तकालय प्रणाली में मुख्यालय, पुस्तकालय, नई दिल्ली एवं चार क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ एवं चेन्नई के पुस्तकालय शामिल हैं। 08 सर्वांगीण विषयक ग्रंथसूचिकाएँ तैयार करने एवं संदर्भ सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए 4218 आगन्तुकों को उनकी पसन्द की संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराई गई। संदर्भ यूनिट ने ग्रंथों को उपलब्ध कराके मानक निर्माण विभाग की पूरी तरह सहायता की। इस यूनिट ने भारतीय व्यापार एवं उद्योग की छोटी-बड़ी 2858 पूछताछों का उत्तर देकर सहायता की। पुस्तकालय ने सूचना प्रौद्योगिकी सेवा विभाग द्वारा बनाई गई ''मानक संदर्भिका'' नामक मानकों की डाटाबेस को अद्यतन करने के लिए मूलभूत सूचना देना जारी रखा। यहाँ प्राप्त सभी मानकों को डाटाबेस के इंपुट के रूप में कोडिफाई किया गया जिसमें अब 3 लाख और 49335 अभिलेख शामिल हैं।

(ii) सी ई मुहरांकन सूचना केन्द्र

8.43 ई यू देशों के साथ उत्पादों का निर्यात सुगम बनाने के लिए, भामाब्यूरो में एक सूचना केंद्र स्थापित किया गया । सी ई मुहरांकन संबंधी सूचना केन्द्र के माध्यम से ई यू कानून, अनुदेश एवं प्रक्रिया भारतीय उद्योगों में प्रसारित की जा रही है।

8.44 सी ई मुहरांकन पर एक वेब पोर्टल विकसित किया गया एवं निर्यात सुविधाजनक बनाने के लिए संभावित निर्यातकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए इसे भामा ब्यूरो के प्रमुख होम पेज के साथ जोड़ा गया है। भामाब्यूरो का यह सूचना केंद्र सी ई मुहरांकन पर अपेक्षित सूचना के लिए उद्योग की शीघ्र मदद करता है।

(iii) तकनीकी सूचना सेवा केन्द्र :

8.45 भामाब्यूरो ने उद्योग, आयातक, निर्यातक, व्यक्तियों एवं सरकारी एजेन्सियों की पृच्छा

के जवाब में तकनीकी सूचना सेवाऐं उपलब्ध कराई।

(iv) पहचान संख्याओं की स्पॉन्सरशिप

निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध कराई गई:

क) जारीकर्ता पहचान संख्या (आई आई एन)

8.46 आई एस ओ/आई ई सी 7812 -1 पहचान पत्र-जारीकर्ता की पहचान-भाग1: संख्यांकन की पद्धति अंतर्राष्ट्रीय एवं/या उद्योग में परस्पर आदान-प्रदान में प्रयुक्त पहचान पत्रों के जारीकर्त्ताओं की पहचान के लिए संख्यांकन प्रणाली विनिर्दिष्ट करती है। यह एक ऐसी संख्या है जिससे मुख्य उद्योग तथा कार्ड जारी करने वालों की पहचान होती है जो कि मुख्य लेखा संख्या का पहला भाग है। भा मा ब्यूरो अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (एबीए) को बैंकों/वित्तीय संगठनों के आवेदनों को प्रायोजित करके आईएसओ 7812-1 के अनुरूप आईआईएन जारी करना सुविधाजनक बनाता है।

ख) संस्थान पहचान कोड (आईआईसी)

8.47 आईआईसी एक ऐसा यूनिक नम्बर है जो आईएसओ 8583 के अनुसार आईएसओ के प्राधिकरण के तहत् अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (एबीए) द्वारा उत्पन्न वित्तीय लेनदेन कार्ड्रों के संदेशों में सहभागिता हेतु वित्तीय संस्थानों के सुपुर्द किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक एक सामान्य अंतरापृष्ठ विनिर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा अधिग्राहकों एवं कार्ड जारीकर्त्ताओं के बीच वित्तीय लेनदेन कार्ड से उत्पन्न संदेशों का परस्पर आदान-प्रदान किया जा सकता है। यह संदेश संरचना, प्रारूप विषय वस्तु, डाटा अवयव एवं डाटा अवयवों हेतु मूल्य विनिर्दिष्ट करता है।

ग) पंजीकृत आवेदन प्रदाता पहचानकर्त्ता (आरआईडी)

8.48 आरआईडी पहचान कार्ड्रों - संपर्क्रों सहित एकीकृत परिपथ कार्ड्रों में प्रयुक्त होने वाला एक हार्डवेयर इंडेक्स कोड है। यह आईएसओ/आईईसी 7816-5 पहचान कार्ड-एकीकृत परिपथ कार्ड भाग 5 एप्लीकेशन पहचानकर्त्ताओं के लिए संख्यांकन पद्धति एवं पंजीकरण प्रक्रिया के अनुसार आईएसओ के प्राधिकरण के तहत, पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पेहंगेन डेनमार्क से आबंटित किया जाता है।

घ) विश्व निर्माता पहचान (डब्ल्यूएमआई) संख्या

8.49 सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटीव इंजीनियर्स (एसएई), यूएसए के समन्वय से, भामाब्यूरो भारत में ऑटोमोबॉइल निर्माताओं निर्यातकों को आईएसओ 3780:1983 रोडव्हीकल्स -विश्व निर्माता पहचान (कोड) के अनुसार डब्ल्यूएमआई कोड जारी करने की जिम्मेदारी निभाता है।

ड.) डीजीएफटी अधिसूचना सं. 44(आरई-2000) संबंधी तकनीकी स्पष्टीकरण

8.50 दिनांक 24 नवम्बर 2000 की डीजीएफटी की अधिसूचना संख्या 44(आरई-2000)/1997-2002 ने भारतीय मार्किट में विभिन्न उत्पादों के प्रवेश करने से पहले उनके लिए भामा ब्यूरो प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, स्पष्टीकरण देते हुए दिनांक 19 जून 2001 को एक पॉलिसी परिपत्र सं. (आरई-2001) /1997-2002 जारी किया गया जिसमें बताया गया कि जो उत्पाद अधिसूचना 44 की परिधि में शामिल है या नहीं, तब भी भामाब्यूरो मानकों के लिए ग्राहय है और भामाब्यूरो द्वारा ही जारी किये

जायेंगे एवं ऐसे किसी प्रकार के स्पष्टीकरण को मानने के लिए सभी संबंधित बाध्य होगें। वर्तमान में, इन अधिसूचनाओं के संशोधनों के जारी होने के बाद कुल 68 उत्पाद इसकी परिधि में आते हैं। भामाब्यूरो ने विभिन्न उत्पादों पर इस अवधि के दौरान 25 स्पष्टीकरण जारी किये।

(त्र) प्रशिक्षण सेवाएँ

(i) उद्योग जगत हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.51 वर्ष के दौरान, एनआईटीएस ने गुणता पद्धति, प्रलेखन गुणता पद्धति आडिटींग जैसे क्षेत्रों संबंधी 90 कार्यक्रम आयोजित किये।

(ii) विकसित देशों हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रबंधन प्रणाली संबंधी प्रशिक्षण

8.52 सितम्बर, 2008 में उक्त विषय पर चार सप्ताह की अवधि का पाँचवॉ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय मदद से 7 विकसित देशों के 11 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। विदाई समारोह 'इंडिया इंटरनेशनल सेंटर', नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दिनांक 25.09.2008 को श्री राकेश कक्कड़, अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा प्रमाणपत्र वितरित किये गए।

मानकीकरण एवं गुणता आश्वासन संबंधी

8.53 अक्तूबर- दिसम्बर 2008 के दौरान, उक्त विषय पर 8 सप्ताह की अवधि का 41वॉं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 20 देशों से 33 प्रतिभागी उपस्थित हुये। सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विदाई समारोह एनआईटीएस में आयोजित किया गया। दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 को प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र श्री राकेश कक्कड़, अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रदान किये गये।

(iii) हिंदी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.54 एनआईटीएस, नोएडा में दिनांक 27 जून, 2008 को मुख्यालय के अधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों हेतु एमएसवर्ड में हिंदी सॉफ्टवेयर के प्रयोग संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई।

8.55 एनआईटीएस, नोएडा में दिनांक 24 मार्च, 2009 को एनआईटीएस कर्मचारियों हेतु हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें रोजमर्रा के कामकाज में हिंदी बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा की गई।

(iv) उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत् कार्यक्रम

8.56 अवधि के दौरान, एनआईटीएस ने राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 24 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

(v) उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, एचआरडी एवं क्षमता निर्माण पर 11वीं पंचवर्षीय योजना

8.57 एनआईटीएस ने निम्नलिखित उद्देश्यों सहित उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, एच आर डी एवं क्षमता निर्माण पर प्रस्तावित एक योजना प्रस्तुत की है

(i) सभी वर्गों के उपभोक्ता को शामिल करना एवं उपभोक्ता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उनके अधिकारों के संबंध में उन्हें शिक्षित करना।

(ii) मानकों के प्रयोग की जानकारी प्रचारित करना एवं देश में गुणता संस्कृति को बढ़ाना।

(iii) उपभोक्ता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को प्रशिक्षण दिलाना।

(iv) केन्द्रीय एवं राज्य/संघ शासित क्षेत्रीय सरकारों एवं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में उनकी सेवाओं को सुधारने हेतु सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देना जो उपभोक्ता संतुष्टि के सुधार में परिलक्षित हो सके।

यह योजना अब अनुमोदित हो गई है और इसके कार्यान्वयन के लिए रूपये 16.98 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

(vi) भामाब्यूरो कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.58 वर्ष के दौरान, भामाब्यूरो के कर्मचारियों के लिए विशेषतः 6 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

i) आईएस/आईएसओ/आईईसी 17021:2006 के अनुसार प्रबंधन पद्धति का ऑडिट एवं प्रमाणन उपलब्ध कराने के लिए निकायों की अपेक्षाएँ- अनुकूलता मूल्यांकन संबंधी एक दिवसीय कार्यक्रम दिनांक 20 जनवरी, 2009 को एनआईटीएस, नोएडा में भामाब्यूरो अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। भामाब्यूरो के 23 अधिकारी इसमें उपस्थित हुये।

ii) दिनांक 29 एवं 30 जनवरी, 2009 को सतर्कता गतिविधियों हेतु अधिकारियों पर एक द्विवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भामाब्यूरो के 18 अधिकारी उपस्थित हुये।

iii) दिनांक 04 फरवरी, 2009 को भामाब्यूरो के प्रवर्तन नोडल अधिकारियों हेतु एक-द्विवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें भामाब्यूरो के 39 अधिकारी उपस्थित हुये।

(vii) विकसित नया कार्यक्रम

8.59 निम्नलिखित नये विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किये गये और भामाब्यूरो कर्मचारियों के लिए पहली बार आयोजित किये गये।

क) प्रौद्योगिकीय प्रक्रिया -सूक्ष्म जीवविज्ञान

ख) सूचना अधिकार अधिनियम

ग) आईएसओ/आईईसी गाईड 65

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

8.60 सन् 1947 से स्थापित आईएसआई और अब भामाब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) एवं अंतर्राष्ट्रीय विद्युत-तकनीकी कमीशन (आईईसी)- नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सचिव सदस्य बन गया है। यह इन अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों की विभिन्न नीति-निर्धारण समितियों में सहभागिता करता है। भामाब्यूरो भी आईएसओ/आईईसी की कुछ उन महत्वपूर्ण समितियों का सचिवालय धारक है, जो भारत के व्यापार हित में है। आईएसओ के सदस्य के रूप में, भामाब्यूरो भी भारतीय व्यापार एवं उद्योग के हितों की रक्षा के दृष्टि कोण से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में सक्रियता से भाग लेता है। ब्यूरो ने अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में

अपनी गतिविधियाँ भी जारी रखीं। उनमें से कुछ गतिविधियों पर नीचे प्रकाश डाला गया है-

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)

8.61 वर्ष के दौरान, भामाब्यूरो ने आईएसओ पॉलिसी बैठकों एवं विकसित देशों के मामलों पर आईएसओ समिति में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। आईएसओ समितियों/उप समितियों में सहभागिता, जहां भारत पी सदस्य है वहाँ भारत ने सचिवालयी दायित्वों को निभाना जारी रखा।

8.62 हाल ही में, भामाब्यूरो 7 क्षेत्रीय मानक निकाय में से एक (पेसिफिक एरिया स्टैंडर्ड कॉग्रेस) पीएएससी का 'पी' सदस्य बन गया है। जिसके साथ आईएसओ का सहयोगात्मक संबंध है। भामाब्यूरो ने दिनांक 30 मार्च-2 अप्रैल 2009 तक की अवधि के दौरान हॉबार्ट, आस्ट्रेलिया में आयोजित पीएएससी की बैठकों में भाग लिया।

8.63 महानिदेशक, भामाब्यूरो के नेतृत्व में त्रि-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें अपरमहानिदेशक तकनीकी, भामाब्यूरो एवं प्रमुख (आईआर एंड टीआईएसडी) ने दिनांक 13 से 17 अक्तूबर, 2008 के दौरान दुबई में आयोजित जनरल एसेम्बली बैठक में भाग लिया।

8.64 भामाब्यूरो को वर्ष 2009-11 की अवधि के लिए आईएसओ शासित निकाय तकनीकी प्रबंधन बोर्ड (टीएमबी) के लिए चयनित किया गया है।

8.65 भामाब्यूरो ने आईएसओ/टैक्निकल कमेटी (टीसी)/सब कमेटी (एससी) के कार्य में सहभागिता के संबंध में डाटाबेस के प्रबंधन के लिए ग्लोबल डॉयरेक्टरी का सफलतापूर्वक उपयोग किया।

अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी)

8.66 आईईसी में राष्ट्रीय सहभागिता को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किये गये। भामाब्यूरो ने विभिन्न आईईसी कमेटियों में सक्रियता से भाग लिया। भामाब्यूरो विद्युत एवं इलैक्ट्रोनिक उत्पादों/संघटकों के प्रमाणन से संबद्ध आईईसीईई, आईईसीक्यू एवं आईईसीई-एक्स का सदस्य भी हैं। आईईसी कमेटी/सब कमेटियों में सक्रिय सहभागिता, जहाँ भारत 'पी' सदस्य है, जारी रखी गई।

8.67 दिनांक 17-21 नवम्बर, 2008 में साओ पॉलो, ब्राजील में आयोजित, आईईसी की सामान्य बैठक में महानिदेशक, भामाब्यूरो के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। कुछ तकनीकी समिति बैठकों के साथ पॉलिसी निर्माण की बैठकों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल उपस्थित रहा।

8.68 दिनांक 03 फरवरी, 2009 को आईईसी प्रेज़ीडेंट श्री जैकयूज रेजिज ने भामाब्यूरो का दौरा किया तथा आईईसी गतिविधियों में भामाब्यूरो की सक्रिय सहभागिता के संबंध में ब्यूरो के शीर्ष स्तरीय प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श किया ।

(i) द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम

8.69 भामाब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के घनिष्ठ सहयोग से इन देशों जैसे मॉरिशस, ग्रीस, सिंगापुर, ओमान, यूएसए, इजरायल, थाईलैंड और सउदी अरब के साथ निकट द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में कार्य जारी रखा।

8.70 भामाब्यूरो और मॉरीशस स्टैंडर्ड बॉडी (एमएसबी) के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की भावना से मॉरीशस के साथ घनिष्ठ सहयोग की दिशा में कार्य करते हुए भामाब्यूरो के एक अधिकारी ने एमएसबी को उनकी विद्युत प्रयोगशाला को सुदृढ़ कराने के लिए तकनीकी मदद की।

8.71 दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को भामाब्यूरो एवं एस क्यू सी ए, भूटान के बीच मानकों एवं अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

8.72 भामाब्यूरो एवं यूटीई, फ्रांस के बीच विद्युत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानकीकरण एवं शोध गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दिनांक 20 नवम्बर, 2008 को ब्राजील में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

8.73 भामाब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के घनिष्ठ सहयोग से इन देशों जैसे मॉरिशस, ग्रीस, सिंगापुर, ओमान, यूएसए, इजरायल एवं भूटान के साथ निकट द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में कार्य जारी रखा।

(ii) क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम

8.74 भामाब्यूरो ने मानकों एवं अनुरूपता मूल्यांकन से संबद्ध क्षेत्र में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) जैसे क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमों पर अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखी। ईयू एवं पीए एस सी (पेसिफिक एशिया मानक कॉग्रेस) के साथ समन्वय कार्य जारी रखा।

8.75 सार्क मानक समन्वय बोर्ड की सार्क बैठक में भामाब्यूरो ने भी भाग लिया। ईयू एवं पीएएससी के साथ समन्वय कार्य जारी रखे गए।

(iii) डब्ल्यूटीओ/टीबीटी पूछताछ पाईंट

8.76 भामाब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यथा परिकल्पित डब्ल्यूटीओ/टीबीटी पूछताछ प्वाईंट के रूप में अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं। विभिन्न देशों द्वारा जारी अधिसूचनाओं संबंधी सूचना डाउनलोड की गई एवं इन्हें प्राथमिकता दी गई एवं देश के भीतर बड़ी संख्या में स्टेकहोल्डरों को ये अधिसूचना वितरित की गई। देशों के राष्ट्रीय पृच्छा प्वाईंट से अधिसूचना के पूरे पाठ उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाएँ की गई, इसके लिए स्टेकहोल्डर/भामाब्यूरो के तकनीकी विभागों से अनुरोध किया गया। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया एवं वाणिज्य मंत्रालय को भेजा गया। विभिन्न देशों द्वारा जारी अधिसूचनाएं स्टेकहोल्डरों की सहायता के लिए भामाब्यूरो वेबसाईट पर भी डाउनलोड की जा रही है।

8.77 भारत तथा विदेशों में संबंधित हितों से दोनों राष्ट्रीय एवं अन्य देशों के मानकों एवं अनुकूलता मूल्यांकन पद्धतियों से संबंधित सभी उपयुक्त पूछताछों का उत्तर दिया गया।

8.78 डब्ल्यूटीओ-टीबीटी पूछताछ पाईंट में स्टेकहोल्डरों के डाटाबेस बढ़ाने के लिए प्रयास किये गये।

8.79 स्टेकहोल्डर को सुग्राही करने हेतु, भामाब्यूरो एवं वाणिज्य मंत्रालय ने सेमीनारों की श्रृंखला आयोजित की, जिसमें आईआर एवं टीआईएसडी के अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण किया।

(iv) विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

8.80 वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों, अन्य राष्ट्रीय मानक निकायों एवं संबंधित संगठनों से विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों ने

भामाब्यूरो के दौरे किए, जो नीचे दर्शाये गए हैः

- डीकेई एवं जर्मनी उद्योग जगत से सात-सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने भारतीय मानक ब्यूरो का दौरा किया एवं दिनाक 25.04.2008 को द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया गया ।

- श्री शूजी हिराकावा, सचिव आईईसी/टीसी 100 ने दिनांक 22.05.2008 को भामाब्यूरो का दौरा किया एवं आईईसी/टीसी 100 के एनएमसी के अधिकारियों एवं सदस्यों के साथ परामर्श किया ।

- एनएसएफ अंतर्राष्ट्रीय यूएसए से प्रतिनिधियों की बैठक दिनांक 12 दिसम्बर 2008 को महानिदेशक, भामाब्यूरो के साथ हुई ।

- दिनांक 19 दिसम्बर 2008 को श्री फूत्शों वांगडी, निदेशक, मानक एवं गुणता नियंत्रण प्राधिकरण (एसक्यूसीए) भूटान राज्य सरकार ने मानकीकरण एवं अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में भामाब्यूरो एवं एसक्यूसीए के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए भामाब्यूरो का दौरा किया।

- दिनांक 11 नवम्बर 2008 को थाई औद्योगिक मानक संस्थान के अधिकारियों सहित एक थाई प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया । चर्चा के मुद्दे विद्युतीय एवं इलैक्ट्रॉनिक सेक्टर में व्यापार संबंधी थे ।

- दिनांक 04 नवम्बर 2008 को इजरायली प्रतिनिधिमंडल ने भामाब्यूरो का दौरा किया । जल प्रौद्योगिकी एव एसआईआई एवं भामाब्यूरो के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के सहयोग हेतु चर्चाएँ कीं ।

- दिनांक 19 फरवरी 2009 को यूएस से एचडीएमआई - एलएलसी एवं सीलीकोन इमेज़ विभाग ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया ।

- वाणिज्य विभाग, यूएस से एक अधिकारी ने दिनांक 20 फरवरी 2009 को भा मा ब्यूरो का दौरा किया ।

- दिनांक 19 फरवरी 2009 को भा मा ब्यूरो में एएनएसआई से एक प्रतिनिधिमण्डल ने दौरा किया ।

- दिनांक 03 फरवरी 2009 को श्री जैक़क्यूज रेज़ीज, आईईसी प्रेसिडेंट ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया ।

- फरवरी 2009 को जापान एम्बेसी से एक अधिकारी ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया ।

- दिनांक 19 फरवरी 2009 को सऊदी अरबिया मानक संगठन (एसएएसओ) से एक प्रतिनिधिमंडल ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया जिसमें तीन अधिकारी शामिल थे ।

(v) सीई मुहरांकन सूचना केन्द्र

8.81 यूरोपियन संघ (ईयू) के देशों को उत्पादों का निर्यात सरल बनाने हेतु भामाब्यूरो में सूचना केन्द्र स्थापित किया गया है । इसके माध्यम से सीई मुहरांकन, यूरोपियन संघ के कानून, अनुदेशों और गतिविधियों पर सूचना भारतीय उद्योगों को मुहैया कराई जाती है ।

8.82 सीई मुहरांकन पर वेब-पोर्टल विकसित किया गया और निर्यात को सुविधाजनक बनाने हेतु, संभाव्य निर्यातकों को सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भामाब्यूरो के मुख्य होमपेज पर लिंक के साथ विकसित एवं होस्ट किया गया है । यह सूचना केन्द्र उद्योगों को सीई मुहरांकन पर अपेक्षित सूचना शीघ्र प्राप्त करने में मदद करता है ।

राजस्व संग्रह

8.83 भामाब्यूरो ने प्रमाणन, प्रशिक्षण संस्थान एवं मानकों की बिक्री से मुख्य रूप से अपनी

आय उत्पन्न की । इन गतिविधियों से आय के संग्रहण की प्रगति सारणी-3 में दी गई है ।

सारणी-3
राजस्व संग्रहण संबंधी प्रगति

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	गतिविधियाँ	अप्रैल 2008 - मार्च 2009 के दौरान प्रगति
1.	प्रमाणन	165.16
2.	प्रशिक्षण संस्थान	1.59
3.	भामाब्यूरो के प्रकाशनों की बिक्री	8.15
	कुल योग	**174.90**

विदेशी भाषाएँ एवं प्रकाशन

8.84 विभाग द्वि-मासिक पत्रिकाएँ - स्टैण्डर्ड इंडिया, जो 1949 से आईएसआई बुलेटिन के नाम से शुरू हुई थी एवं स्टैण्डर्ड इंडिया एडिशन, जो सन 1958 में शुरू की गई थी, के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यावसायिक सर्किल में मानकीकरण अभियान की प्रायोजना एवं उन्नयन करता है । स्टैण्डर्ड इंडिया देश एवं विदेश में मानकीकरण के प्रयासों का उत्साहवर्धक वृतांत प्रस्तुत करता है । इसमें क्षेत्र की बहुत ही नवीनतम प्रगति एवं प्रेरणादायी आलोच्य टिप्पणी वाले विचारों को प्रकाशित किया जाता है। इससे क्षेत्र में पत्रिका के रूप में इसकी ख्याति प्राप्त हुई । स्टैण्डर्ड मंथली एडीशन एक छोटी पत्रिका है, फिर भी यह माह के दौरान नए, विद्यमान या प्रारूप स्तरीय देश या विदेश से प्राप्त मानकों संबंधी सभी संशोधनों, बदलाव एवं सूचना संबंधी आकर्षक प्रकाशन है।

8.85 विभाग वार्षिक रूप से कैटलॉग प्रकाशित करता है, जिसमें शामिल हैं - अ) 31 दिसम्बर तक भा मा ब्यूरो द्वारा अद्यतन किए गए प्रकाशित भारतीय मानक, (ब) भारतीय मानकों के रूप में अपनाये गये अंतर्राष्ट्रीय मानक, (स) भारतीय मानकों के हिंदी पाठ (अनुवादित मानक), (द) विशेष प्रकाशन, संदर्भ एवं केलकुलेशन ऐडस सामग्री एवं (च) केटलॉक में सूचीबद्ध सभी प्रकाशनों संबंधी इंडेक्स ।

8.86 भामाब्यूरो के पास अपने सभी प्रकाशनों के कॉपीराइट हैं । भारतीय मानकों से सामग्री के पुनर्प्रकाशन हेतु अनुरोध संबंधित विभाग को भेजे जाते हैं । ''आईएसओ : जीईएन 19: 1999 'किताबों में आईएसओ मानकों के लिए तीसरे पक्ष हेतु कॉपीराइट अधिकारों की अनुमति के लिए दिशानिर्देश'' से अधिग्रहित प्रक्रिया पर आधारित तकनीकी सत्यापन एवं गणना के बाद कॉपीराइट प्रभारों के भुगतान पर आवेदक को विभाग अनुमति प्रदान करता है ।

विभाग द्वारा विभिन्न भारतीय (हिंदी के अलावा) एवं विदेशी भाषाओ से अंग्रेजी एवं विपरितार्थ तकनीकी प्रलेखों, मानकों एवं अन्य सामग्री की अनुवाद सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है ।

विभिन्न तकनीकी समितियों तथा उद्योग जगत से नियमित अनुरोध प्राप्त होते हैं । विभाग जर्मनी या फ्रेंच भाषा बोलने वाले देशों से भी सुगमता से विचार-विमर्श करता है।

प्रचार

8.87 भारतीय मानक ब्यूरो सामान्य उपभोक्ता के बीच अपनी गतिविधियों की जागरूकता फैलाने एवं गुणता के प्रति दृढ़ चेतना पैदा करने के लिए विभिन्न मीडिया के माध्यम से तरह-तरह के प्रचार करता है ।

1. नवम्बर 2008, दिसम्बर 2008, जनवरी 2009, फरवरी 2009 एवं मार्च 2009 में सोने के जेवरों पर हॉलमार्किंग पर आधारित अखिल भारत में विज्ञापन अभियान जारी किया गया एवं भामाब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों संबंधी विज्ञापन विभिन्न समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किए गए ।

2. राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार प्रस्तुतीकरण एवं विश्व मानक दिवस पर आधारित विज्ञापन भी अखिल भारतीय स्तर पर जारी किए गए, जिसमें भामाब्यूरो की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया ।

3. राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार प्रस्तुतीकरण एवं विश्व मानक दिवस की कवरेज़ कराई गई । इस जी बिजनेस, ईटीवी, सीएनबीसी, आवाज़ चैनल, डीडी (न्यूज), डीडी नेशनल, एएनआई, एशिया नेट, इंडिया टीवी, आज तक इत्यादि ने प्रसारित किया ।

विश्व मानक दिवस समारोह के अवसर पर 23 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित "इंटलिजेंट एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स" पर सेमिनार

4. हॉलमार्किंग पर वार्ता आयोजित की गई और इसे इकोनोमिक टाइम्स, नई दिल्ली में प्रकाशित कराया गया ।

5. जनवरी 2009 के दौरान आईएसआई मुहर एवं सोने के जेवरातों पर हॉलमार्किंग संबंधी 7 न्यू रेडियो स्पॉट्स प्रस्तुत किए गए ।

6. दिनांक 25 फरवरी 2009 से 20 सैकिण्ड की अवधि के रेडियो स्पॉट्स ऑल इंडिया रेडियो 40 विविध भारती स्टेशनों एवं 22 एफएम स्टेशनों पर आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्किंग पर 40 दिनों की अवधि के लिए प्रसारित किए गए ।

आउटडोर प्रचार अभियान

1. इस अवधि के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर एनीमेशन डिस्पले, बस के पीछे पैनलो, होर्डिंग्स एवं पब्लिक यूटिलिटी/डेलोज़ के माध्यम से आईएसआई मुहर एवं सोने के जेवरातों पर हॉलमार्किंग संबंधी आउटडोर प्रचार अभियान चलाया गया ।

2. नवम्बर 2008 से शुरू करके तीन महीनों तक के लिए आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्किंग संबंधी होर्डिंग दिल्ली रेलवे स्टेशन एवं पब्लिक सुविधाओं (केवल दिल्ली में) में लगाए गए ।

3. उपभोक्ता जागरूकता के मद्देनज़र आईएसआई मुहर एवं सोने के जेवरात पर हॉलमार्किंग संबंधी भामाब्यूरो के प्रवेश द्वार पर संस्थापित एलईडी डिस्पले बोर्ड पर विभिन्न संदेश प्रदर्शित किए गए ।

4. भामाब्यूरो ने 17 अक्तूबर से 26 अक्तूबर 2008 तक एमटीएनएल, परफैक्ट हैल्थ मैला, नई दिल्ली में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया । भामाब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों संबंधी ब्रोशर उपभोक्ता जागरूकता हेतु आगन्तुकों को वितरित किए गए । सीडी रोम के माध्यम से विभिन्न विषयों पर मानक भी बेचे गए ।

5. वर्ष के दौरान, इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से 'जागो ग्राहक जागो' द्वारा आईएसआई एवं सोने के जेवरात पर हॉलमार्किंग हेतु बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाया गया।

सतर्कता गतिविधियाँ

भारतीय मानक ब्यूरो में सतर्कता गतिविधियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति

8.88 मुख्य सतर्कता अधिकारी भामाब्यूरो के सतर्कता विभाग के अध्यक्ष हैं । उनकी सहायता के लिए तीन सतर्कता अधिकारी तथा उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, केन्द्रीय क्षेत्रों में चार क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी तैनात किए गए हैं । मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को ब्यूरो में सतर्कता गतिविधियों को व्यवस्थित करने का दायित्व सौंपा गया है । यह विभाग अन्य एजेंसियों जैसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीओ), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के साथ समन्वयपूर्वक कामकाज करता है । सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप

जागो ग्राहक जागो
चाहते हैं कि रहे यह सदा
के लिए आपके गले का हार
तो कीजिए खरीदारी हालॅमार्क
निशान के साथ...
खरीदारी करते समय हमेशा
BIS हॉलमार्क
निशान को देख लें।
सोने के जेवर खरीदने से पहले हालॅमार्क और सोने की शुद्धता के
अनुरुप नंबर की जांच करने के लिए मैग्निफाइंग ग्लास मांगें।
उपभोक्ता राष्ट्रीय
हेल्पलाइन नंबर
1800-11-4000
सोने की शुद्धता
दर्शाने वाले नंबर
958 23 कैरेट
916 22 कैरेट
875 21 कैरेट
750 18 कैरेट
585 14 कैरेट
375 9 कैरेट
अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :
भारतीय मानक ब्यूरो
मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110002 फोन: 23234223
हमारी मिलें: http://www.bis.org.in
जनहित में जारी
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110 001 : वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

जागो ग्राहक जागो
क्या करंट लगा?
सयानी रानी की ज़बानी...
घटिया प्लग, सॉकेट और बिजली के उपकरण अत्यंत खतरनाक हो सकते हैं। हमेशा केवल ISI लगा सामान ही खरीदें – यह मुहर है गुणता, विश्वसनीयता और सुरक्षा की
ISI मुहर का दुरुपयोग दंडनीय अपराध है तथा भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत दंडनीय है।
भारतीय मानक ब्यूरो
मानक भवन, 9, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली–110002
वेबसाइट : www.bis.org.in
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग,
भारत सरकार
www. fcamin.nic.in पर लॉग ऑन करें।
ISI है गुणता, विश्वसनीयता और सुरक्षा की मुहर

आयोजित की जाती हैं । इस विभाग के प्रमुख कार्यों में सतर्कता निवारक, संसूचक और दंडात्मक विषय आदि शामिल हैं। सतर्कता विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं :

8.89 अवधि के दौरान सतर्कता विभाग ने परवानू शाखा कार्यालय, मुहर विभाग मुम्बई-ii एवं मुहर विभाग दिल्ली-iii, जयपुर शाखा कार्यालय में चार निवारणात्मक सतर्कता ऑडिट किए । विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रक्रिया विधियों के अनुपालन/ अनियमितताओं के मामलों के संबंध में सतर्कता जाँच-पड़ताल की गई । इन ऑडिटों के दौरान लाइसेंसधारकों के यहाँ औचक निरीक्षण किए गए तथा परिणामतः दो लाइसेंसधारकों पर मुहरांकन रोक की कार्रवाई की गई । अवधि के दौरान अगले वित्त वर्ष में निवारणात्मक सतर्कता ऑडिट करने की योजना बनाई गई ।

8.90 लम्बित जाँचों के निपटान में तेजी लाने के अभियान के भाग के रूप में महानिदेशक, भामाब्यूरो अनुशासनात्मक प्राधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 24.10.2008 को जाँच अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की गई । जाँच अधिकारियों के पास लम्बित जाँचों के निपटान के लिए समयावधि तय की गई ।

8.91 एनआईटीएस, भामाब्यूरो, नोएडा में अप्रैल 2008 में भामाब्यूरो अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभागीय कार्यवाहियों में जाँच-अधिकारियों की भूमिका पर प्रशिक्षण दिया गया।

8.92 केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 3 से 7 नवम्बर 2008 के दौरान मनाया गया। दिनांक 3 नवम्बर 2008 को मुख्यालय में सभी भामाब्यूरो कर्मचारियों को महानिदेशक , भामाब्यूरो ने शपथ दिलाई । भा मा ब्यूरो के सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार विरोधी थीम पर बैनर/पोस्टर/स्लोगन विशेष तौर पर प्रदर्शित किए गए। इसके अतिरिक्त, व्याख्यान, निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद-विवाद इत्यादि जैसी अन्य गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं । भामाब्यूरो के विभिन्न कार्यक्रमों में इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। सप्ताह के दौरान, दिनांक 05.11.2008 को सीवीओ, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ जयपुर शाखा कार्यालय के अंतर्गत भामाब्यूरो लाइसेंसधारकों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भामाब्यूरो में प्रयुक्त प्रणाली एवं नियमावली के संबंध में सीधे फीडबैक लेते हुए आगे और सुधार हेतु सुझाव प्राप्त किए गए।

****

v/;k;&IX

ckV rFkk eki

9.1 बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 और बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 में क्रमशः बाट तथा माप मानकों की स्थापना और उनके प्रवर्तन की व्यवस्था है। इन अधिनियमों के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यापार तथा वाणिज्य, औद्योगिक उत्पादन अथवा मानव स्वास्थ्य के संरक्षण और सुरक्षा हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले सभी बाट तथा माप सही और विश्वसनीय हों, ताकि बाट तथा माप के संबंध में उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जा सके। यह विभाग बाट तथा माप उपकरणों के विनियमन के लिए इन्टरनेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलोजी द्वारा की गई सिफारिशों को अपनाता है। कानून को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए 24 अक्तूबर, 2008 को राज्य सभा में बाट तथा माप पर एक नया व्यापक विधेयक अर्थात् ''विधिक माप विज्ञान विधेयक 2008'' प्रस्तुत किया गया। संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

9.2 ''पहले से पैक'' वस्तुओं की बिक्री को बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 द्वारा विनियमित किया जाता है जिसमें उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए पैकेजों पर कुछ मूल सूचना की अनिवार्य घोषणा करने की व्यवस्था है और इसमें बाजार मे बिकने वाले आयातित पैकेट भी कवर किए जाते हैं। पहले से पैक वस्तुओं पर कंज्यूमर केयर सैल के ब्यौरे की घोषणा और वैट/टी ओ टी के अंतर्गत आने वाले खुदरा व्यापारियों द्वारा उचित इलैक्ट्रानिक तोलन उपकरणों की स्थापना करना ताकि उपभोक्ता पैकेज में रखी वस्तु की मात्रा की क्रास जॉच की जा सके, संबंधी प्रावधान उपभोक्ता फ्रैंडली उपाय है।

Òkjrh; fof/kd ekifoKku LkLFkku] jkph

9.3 भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची, राज्य सरकारों के विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देता हैं। यह संस्थान विधिक माप विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम विकासों के बारे में प्रवर्तन अधिकारियों की जानकारी को अद्यतन बनाने के लिए विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं तथा सेमिनार आयोजित करता है। संस्थान प्रति वर्ष लगभग 200 कर्मियों को प्रशिक्षित करता है।

{k=h; funs'k ekud Á;¨x'kkyk,¡

9.4 सरकार ने अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद तथा गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय निर्देश

मानक प्रयोगशालाएं (आर आर एस एल) स्थापित की हैं । ये क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं विधि माप विज्ञान के राष्ट्रीय मानकों को वाणिज्यिक स्तर तक प्रसारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।

9.5 राज्यों के विधिक मानकों के सत्यापन की सांविधिक अनिवार्यता के साथ–साथ क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं बाट तथा माप उपकरणों के माडल अनुमोदन परीक्षण भी करती हैं और अत्यधिक संवेदनशील बाट तथा माप उपकरणों का अंशाकन करती हैं। इन प्रयोगशालाओ की सेवाओं को 1600 से अधिक उद्योग प्राप्त कर रहे हैं। क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, फरीदाबाद ने ठोस मापन और तुलाओं के अंशांकन के लिए पहले ही एन ए बी एल से प्रत्यायन प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2008–09 के दौरान सभी क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं ने संयुक्त रूप से 10 मिलियन रूपए का राजस्व अर्जित किया और लगभग 6000 प्रमाण पत्र जारी किए। ग्यारहवीं योजना में, मात्रा, आयतन, लम्बाई आदि में मौजूदा सुविधाओं को पूरा करने के अलावा क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं ने बल, टार्क और प्रवाह माप में परीक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं।

jkT;k@l?k jkT; {k=k d iorlu r= dk vk/kfudhdj.k

9.6 विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रवर्तन तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए हैं। वर्ष 2006–07 के दौरान कार्यकारी मानक तुलाओं की खरीद के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8.1 करोड़ रुपए 'सहायता अनुदान' के रूप में दिए गए। वर्ष 2007–08 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सैकेंडरी मानक तुलाओं के 59 सैटों की आपूर्ति की गई जिनकी लागत लगभग 3.0 करोड़ रुपए थी। 2008–09 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धर्मकांटों के परीक्षण के लिए 41 मोबाईल किटों की आपूर्ति की गई।

श्री सी. दिवाकरण, माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री, केरल सरकार 18.6.2008 को तिरूवनंतपुरम में धर्मकांटे के परीक्षण के लिए मोबाइल किट का उद्घाटन करते हुए।

श्री सी. दिवाकरण, माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री, केरल सरकार 18.6.2008 को तिरूवनंतपुरम में धर्मकांटे के परीक्षण के लिए मोबाइल किट का उद्घाटन करते हुए।

9.7 राज्य प्रवर्तन तंत्र को समग्र रूप से सशक्त करने के लिए 11वीं योजना के शेष तीन वर्षों अर्थात् 2009–12 में 145 करोड़ रूपए की एक योजना बनाई जा रहीं है। भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षी समझौते के अंतर्गत सैकेंडरी मानक और कार्यकारी मानक प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने के लिए इंदौर और दिल्ली में 2 पायलट प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। इस समझौते के अनुसार प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य भारतीय पक्ष द्वारा किया जाएगा और उपकरण जर्मनी द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इन प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2009 के पूर्वार्द्ध में कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है।

अगस्त, 2008 में, पैट्रोल/डीजल डिस्पेंसिंग एककों में कपटपूर्ण व्यवहारों को रोकने के उपायों पर चर्चा करने के लिए मुंबई में एक कार्यशाला आयोजित की गई। सभी पणधारियों को बैठक में आमंत्रित किया गया। समस्या का समाधान खोजने के अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश करने हेतु दो कार्य दल गठित किए गए।

9.8 बाट तथा माप से संबंधित स्कीमों की प्रगति/कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए नवम्बर और दिसम्बर 2008 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान नियंत्रकों के दिल्ली, भुवनेश्वर और तिरूवंतपुरम में 3 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। केंद्रीय सरकार द्वारा फ़लूड कंट्रोल रिसर्च इंडस्टीटयूट, पालघाट, केरल में 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 60 अधिकारियों को सी एन जी/एल पी जी डिसपेंसरों के सत्यापन में प्रशिक्षित किया गया।

श्री राकेश कक्कड, अपर सचिव ने क्षेत्रीय नियंत्रकों के सम्मेलन के अवसर पर 1.12.2008 को भुवनेश्वर में व्हील टैंक केलिब्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया।

9.9 ''भारत में उपभोक्ता संरक्षण का सशक्तिकरण'' के लिए जर्मनी के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत अक्तूबर 08 में जर्मनी में तीन सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्यों के 8 प्रवर्तन अधिकारियों को भेजा गया। उन्हें (i) गैर–स्वचालित तोलन उपकरणों (ii) स्वचालित रेल वेब्रिजों (iii) पानी के अलावा अन्य द्रव्यों के लिए मापन प्रणाली और (iv) चलते हुए सडक वाहनों के लिए स्वचालित तोलन उपकरणों के सत्यापन में प्रशिक्षित किया गया।

9.10 इसके अतिरिक्त बाट तथाा माप कानूनों के कार्यान्वयन में निहित विधिक प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए मार्च 09 में दिल्ली और हैदराबाद में कार्यशालाएं आयोजित की गई। इस अवसर का उपयोग नवम्बर और दिसम्बर 2008 में आयोजित पिछले सम्मेलन के अनुवर्ती उपायों की समीक्षा करने के लिए किया गया।

विधायी मुद्दे बनाम बाट और माप–कानूनों पर चर्चा करने के लिए 18 मार्च, 2009 को हैदराबाद में कार्यशाला के प्रतिभागी

{k=h; funs'k ekud i;kx'kkyk] xqokgkVh dk dk;Z&fu"iknu ekp] 2009 rd

fooj.k	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
मानकों की संख्या	3	5	5	10	10
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	5	5	6	20	07
जारी किए गए प्रमाण–पत्रों की संख्या	20	23	14	15	16
परीक्षित मॉडलों की संख्या	4	6	5	10	08
आयोजित सेमिनारों की संख्या	-	3	1	4	0
अर्जित राजस्व (लाख रुपए में)	1.1	2.08	0.9	1.2	1.2

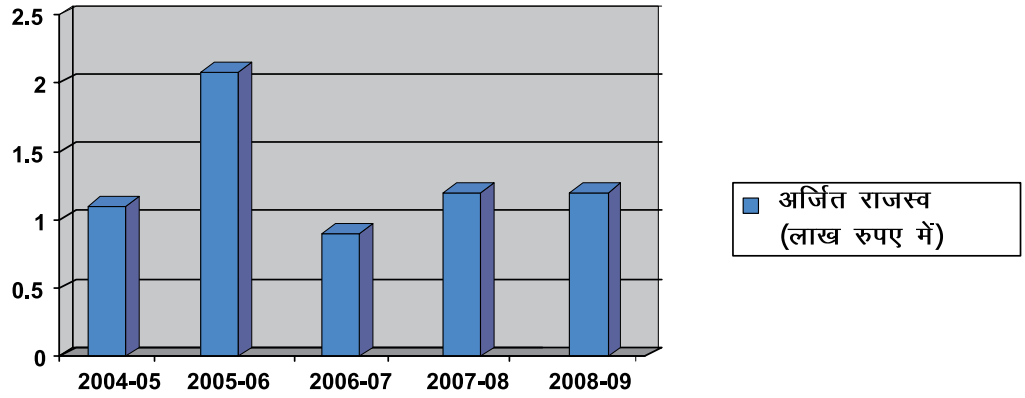

{k=h; funs'k ekud i;kx'kkyk] Qjhnkckn dk dk;Z&fu"iknu ekp] 2009 rd

fooj.k	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
मानकों की संख्या	11	25	118	150	153
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	127	130	155	175	210
जारी किए गए प्रमाण–पत्रों की संख्या				283	431
परीक्षित मॉडलों की संख्या	115	157	98	93	115
आयोजित सेमिनारों की संख्या	2	-	1	5	16
अर्जित राजस्व (लाख रुपए में)	10.3	11.7	12.4	12.8	15.1

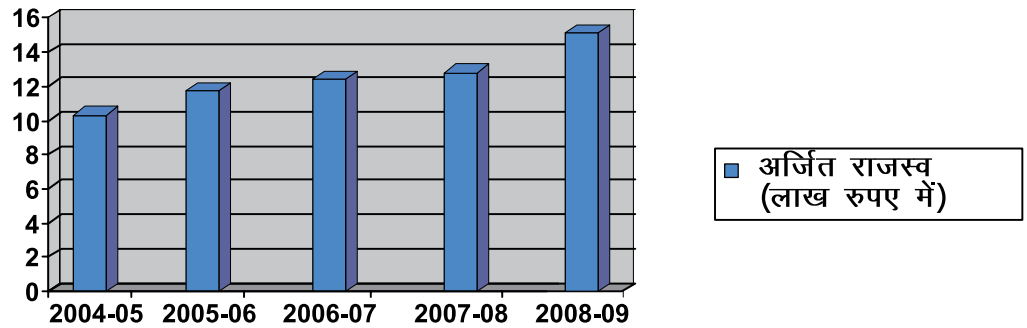

{k=h; fun"k ekud i;kx'kkyk] cxykj dk dk;&fu"iknu ekp] 2009 rd

fooj.k	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
मानकों की संख्या	39	30	285	138	1178
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	535	630	623	574	592
जारी किए गए प्रमाण–पत्रों की संख्या	2934	738	3949	3876	4909
परीक्षित मॉडलों की संख्या	216	300	228	194	207
आयोजित सेमिनारों की संख्या	-	-	-	6	9
अर्जित राजस्व (लाख रुपए में)	27.2	31.3	40.7	33.3	39.8

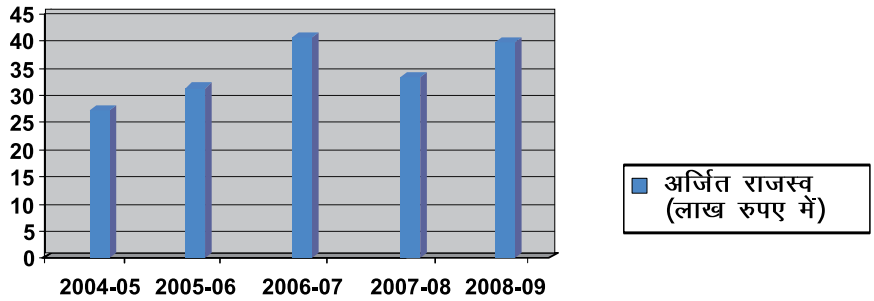

{k=h; fun"k ekud i;kx'kkyk] vgenkckn dk dk;&fu"iknu ekp] 2009 rd

fooj.k	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
मानकों की संख्या	34	27	25	23	10
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	430	448	581	500	500
जारी किए गए प्रमाण–पत्रों की संख्या	1087	1256	1500	1715	1800
परीक्षित मॉडलों की संख्या	214	208	187	172	170
आयोजित सेमिनारों की संख्या	2	2	3	3	2
अर्जित राजस्व (लाख रुपए में)	22.5	22.7	30.0	28.0	30.5

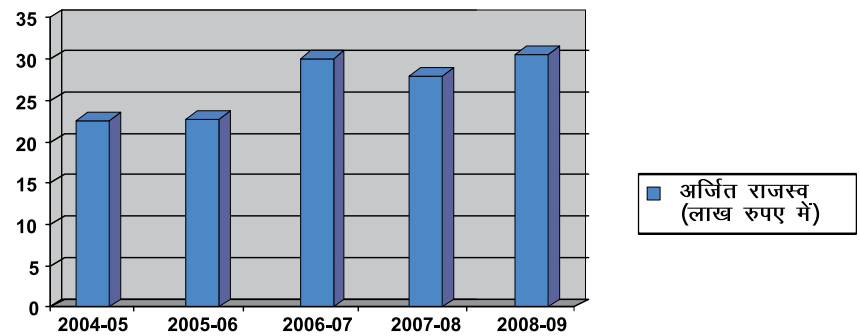

{k=h; funs'k ekud i;kx'kkyk] Hkou'oj dk dk;&fu"iknu ekp] 2009 rd

fooj.k	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
मानकों की संख्या	9	5	19	14	6
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	279	262	275	381	310
जारी किए गए प्रमाण–पत्रों की संख्या	1575	1258	1250	1352	1181
परीक्षित मॉडलों की संख्या	11	8	58	28	49
आयोजित सेमिनारों की संख्या	0	2	2	3	2
अर्जित राजस्व (लाख रुपए में)	10.5	11.4	10.2	11.1	11.2

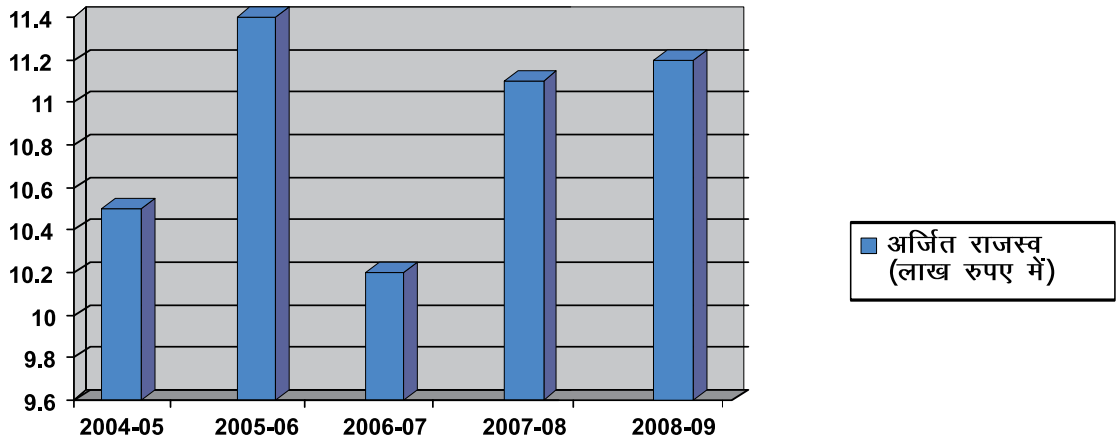

****

v/;k;&X

jk"Vªh; ijh{k.k 'kkyk

Òfedk

10.1 राष्ट्रीय परीक्षण शाला उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण ाधीन देश की एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्था है। इसकी स्थापना बहुत पहले 1912 में तत्कालीन रेलवे बोर्ड के तहत की गई थी और तब से यह परीक्षण, मूल्यांकन तथा विभिन्न अभियांत्रिक वस्तुओं तथा परिष्कृत उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय महत्व की परीक्षण शाला के रूप में विकसित हो चुकी है। यह उद्योग, वाणिज्य, व्यापार तथा मानकीकरण से जुड़ी प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं में सक्रिय रूप से शामिल है। इसने स्वदेशी उद्योगों के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है और कड़े गुणवत्ता नियंत्रण के तहत औद्योगिक अनुसंधान और परिष्कृत उत्पादों के विनिर्माण के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया है।

10.2 राष्ट्रीय परीक्षण शाला अन्य संबद्ध सेवाओं के साथ जो मुख्य वैज्ञानिक और तकनीकी सेवा प्रदान करती है, उनमें परीक्षण, गुणवत्ता मूल्यांकन और औषधि, शस्त्र एवं गोला बारूद के अलावा लगभग सभी प्रकार के औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय या उपभोक्ता मानक और विनिर्देशों के अनुसार परीक्षण प्रमाणपत्र जारी करके सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सेवाओं का ब्यौरा और अन्य प्रमुख विशेषताएं राष्ट्रीय

राष्ट्रीय परीक्षण शाला भवन, कोलकाता

परीक्षण शाला की वेबसाइट http://www.nth.gov.in पर उपलब्ध है।

dk;

10.3 राष्ट्रीय परीक्षण शाला के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

(i) खाद्य पदार्थों, औषधियों और दवाइयों, शस्त्रों और गोला बारूद को छोड़कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सभी शाखाओं में सामग्रियों, उत्पादों, उपस्करों, उपकरणों और प्रणालियों का प्रायोगिक तौर पर परीक्षण और मूल्यांकन।

(ii) परीक्षण और माप प्रौद्योगिकी और परामर्शदात्री सहित सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास जिसमें विफलता विश्लेषण तथा तत्संबंधी अन्य समस्याओं के लिए परामर्श कार्य भी शामिल हैं।

(iii) आयातित वस्तुओं के प्रतिस्थापन के लिए स्वदेशी उत्पादों का विकास करने में और उनके गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमों में उद्योगों की सहायता करना।

(iv) एशलान–2 के स्तर पर अंशांकन तथा अपनी सक्षमता के क्षेत्रों में उपयुक्त मानकों और निर्देशों का अनुरक्षण करना।

(v) प्रयोगशालाओं के परीक्षण और अंशांकन के प्रत्यायन में एन ए बी एल (राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशाकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) को सहायता देना।

(vi) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनिर्दिष्टियों का विकास करने में भारतीय मानक ब्यूरो के साथ संपर्क करना।

(vii) ''परीक्षण तथा माप प्रौद्योगिकी'' में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, तकनीशियनों को प्रशिक्षण देना।

(viii) भावी अभ्यर्थियों को फील्ड में विधिवत जांच किए जाने के बाद वेल्डर्स प्रमाण–पत्र प्रदान करना।

10.4 राष्ट्रीय परीक्षण शाला प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क लेती है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन गोष्ठियों और विचार गोष्ठियों में भी भाग लेती है और छोटे उद्यमियों तथा आम जनता में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए परिचर्चाएं एवं प्रदर्शनियां आयोजित करती है। यह अपने कर्मचारियों के लिए अपने कार्यालय में ही प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है और शिक्षा तथा अनुसंधान के उच्चतर संस्थानों के साथ पारस्परिक ज्ञान के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करती है । चयनित कर्मचारियों को उनके ज्ञान को अद्यतन करने की दृष्टि से देश और विदेश में विभिन्न विशेषज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया जाता है।

lxBu

10.5 राष्ट्रीय परीक्षण शाला का मुख्यालय कोलकाता में है। यह अपनी छः प्रयोगशालाओं के जरिए कार्य करता है जो कोलकाता, (साल्टलेक तथा अलीपुर में) मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर तथा गुवाहाटी में स्थित हैं।

10.6 01.03.09 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:–

Rkfy dk&1

	jkt if=r	vjkt if=r	dqy
स्वीकृत	202	491	693
वास्तविक	140	384	524

ब्यौरे अनुबंध – 1 पर दिये गये हैं।

ijh{k.k] v'kkdu vkj xq.krk vk'oklu

10.7 ''मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रो–टेक्निकल अंशाकन'' में आई एस ओ/आई ई सी–17025 के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता को एन ए बी एल द्वारा निर्धारित एवं प्रत्यायित किया जा चुका है। प्रयोगशालाएं नामतः रसायन (पेन्ट), इलेक्ट्रिकल परीक्षण प्रयोगशालाएं भी एन ए बी एल मानदंडों के अनुसार प्रत्यायित है।

10.8 राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र) मुंबई, रसायन, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, एन डी टी, सिविल, आर पी पी टी क्षेत्र में परीक्षण और मैकेनिकल अंशाकन के लिए भी प्रत्यायित है। इलैक्ट्रिकल अंशाकन प्रयोगशाला के प्रत्यायन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

10.9 राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिण क्षेत्र), चैन्नई को रसायन, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, एन डी टी, सिविल, आर पी पी टी के परीक्षण के लिए प्रत्यायित किया गया है। मैकेनिकल अंशाकन और इलैक्ट्रिकल अंशाकन प्रयोगशालाओं को प्रत्यायित किया जाना बाकी है।

10.10 राष्ट्रीय प्रयोग शाला (उत्तरी क्षेत्र) गाजियाबाद को रसायन मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, एन डी टी, सिविल परीक्षण के लिए प्रत्यायित किया गया है।

10.11 राष्ट्रीय प्रयोग शाला (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुर और राष्ट्रीय प्रयोग शाला (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र) गुवाहाटी में प्रत्यायन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

10.12 राष्ट्रीय परीक्षण शाला के वैज्ञानिक सेमिनारों/संगोष्ठियों आदि में भाग लेकर उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों और शिक्षा के उच्च संस्थानों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं ताकि वे परीक्षण और सामग्रियों के मूल्यांकन के क्षेत्र में हो रहे विकास के साथ अपने ज्ञान को अद्यतन बनाए रख सकें। इससे राष्ट्रीय परीक्षण शाला को भावी कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलती है।

10.13 राष्ट्रीय प्रयोग शाला इस समय निम्नलिखित क्षेत्रों में परीक्षण और मूल्यांकन सुविधाएं मुहैया करा रही हैं:–

(i) सिविल इंजीनियरिंग

(ii) विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग

(iii) यांत्रिक इंजीनियरिंग (हैवी और लाइट)

(iv) नान – डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग

(v) रबर, प्लास्टिक, पेपर ओर टेक्सटाइल

(vi) रसायन

jk"Vªh; ijh{k.k 'kkyk dk fy, xfBr Lkfefr;k

10.14 राष्ट्रीय परीक्षण शाला को नीति और विभिन्न प्रशासनिक मामलों में सलाह देने हेतु दो उच्चाधिकार प्राप्त समितियां मौजूद हैं। ये हैं:– (i) कार्यकारी समिति और (ii) तकनीकी सलाहकार परिषद।

¼i½ dk;Zdkjh Lkfefr%

राष्ट्रीय परीक्षण शाला से संबंधित प्रशासनिक, वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श करने तथा उनको अनुमोदित करने के लिए उपभोक्ता मामले खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति के सदस्य सचिव निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) हैं। सरकारी विभागों और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगठनों से सदस्यों को नामित किया गया है। कार्यकारी समिति की बैठक राष्ट्रीय परीक्षण शाला के सामने आने वाली समस्याओं, उसके समग्र विकास तथा अन्य नीतिगत उपायों पर निर्णय लेने के लिए आयोजित की जाती है।

¼ii½ rduhdh lykgdkj ifjn%

10.15 राष्ट्रीय प्रयोग शाला की तकनीकी सलाहकार परिषद महानिदेशक (रा0 प0 शा0) की अध्यक्षता में कार्य करती है और इसके सदस्य रा0 प0 शा0 के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ साथ भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली और कोलकाता, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली, वी ई सी सी, बी ए आर सी कोलकाता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अध्यक्ष, जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता, बंगाल, इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी हावड़ा के यांत्रिकि विभाग प्रमुख, अवर सचिव (आंतरिक वित्त प्रभाग), उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली से नामित किये गए हैं। निदेशक, रा.प.शा0 (पूर्वी क्षेत्र) को सदस्य सचिव नामित किया गया है। सलाहकार परिषद का मुख्य कार्य विभिन्न क्षेत्रों में रा0 प0 शा0 के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की अधिप्राप्ति, कार्य के वर्तमान क्षेत्रों में आशोधन/कटौती करने और परीक्षण और अंशाकित में नए क्षेत्रों/क्रियाकलापों को शामिल करने के लिए सलाह देना और रा0 प्र0 शा0 और भा0 मा0 ब्यूरो के बीच सहयोग और समन्वय के क्षेत्रों का पता लगाना है।

;¨tukxr dk;Zdyki

10.16 राष्ट्रीय परीक्षण शाला को गुणवत्ता नियंत्रण, सामग्री मूल्यांकन, मानकीकरण और औद्योगिक विकास में सहायता के क्षेत्र में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने के लिए समर्थ बनाने हेतु इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना स्कीम के तहत लाया गया है। स्कीम में विशेष रूप से लघु उद्योगों के लाभ के लिए परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने और उनका आधुनिकीकरण करने तथा क्षेत्रीय परीक्षण शालाएं स्थापित करने की संकल्पना की गई है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला की गतिविधियों को पांचवी पंचवर्षीय योजना से नियमित रूप से योजना स्कीम के तहत कवर किया जा रहा है।

10.17 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रा0 प0 श0 को 74.84 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जिसमें से 20.20 करोड़ रुपए की राशि ''भूमि एवं भवन'' निर्माण कार्य के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को आबंटित की गई है, 36.98 करोड़ रुपए उपकरण एवं मशीनरी की खरीद के लिए तथा 17.66 करोड़ रुपए आवर्ती प्रकृति की मदों (सूचना एवं प्रौद्योगिकी सहित) के व्यय हेतु रखा गया है। इस अनवरत स्कीम में राष्ट्रीय परीक्षण शाला, जयपुर के भवन की एक और मंजिल का निर्माण किया जाएगा तथा राष्ट्रीय परीक्षण शाला, गुवाहाटी में स्थायी भवन बनाया जाएगा। नई स्कीम में राष्ट्रीय परीक्षण शाला, मुंबई और चेन्नै दोनों नई सुविधाओं के साथ साथ

उत्कृष्टता केंद्रों के लिए प्रयोगशालाओं का सृजन और रा0 प0 शा0 (पूर्वी क्षेत्र) अलीपुर में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण करने के लिए चरण–II भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

10.18 दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल बजट आबंटन 25.00 करोड़ रुपए था तथा उपयोग लगभग 21.71 करोड़ रुपए का किया गया।

10.19 नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुल राजस्व अर्जन 9.26 करोड़ रुपए का था जो दसवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर दोगुना अर्थात् 17.60 करोड़ रुपये हो गया।

miyC/k lqfo/kk,¡

10.20 लगभग सभी क्षेत्रों के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्दिष्टियों के अनुसार परीक्षण की सुविधा होने के अलावा, पूर्वी क्षेत्र में यांत्रिक और विद्युत क्षेत्रों के मानकों (एश्लान –II स्तर) और अंशाकन के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसी ही सुविधाएं उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में अन्य केन्द्रों पर भी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं।

10.21 रा0 प0 शा0 निम्नलिखित विशेषीकृत क्षेत्रों में औद्योगिक गुणता परामर्शदात्री सेवाएं भी प्रदान कर रहा है:–

(क) परीक्षण और अंशाकन प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए तकनीकी प्रबंधकीय सेवा (टैक्नो मैनेजीरियल सर्विस)

(ख) आयात प्रतिस्थापन से संबंधित समस्याओं में सामग्री परामर्श सेवा (मैटेरियल आइडेन्टीफिकेशन कन्सलटैनसी)

(ग) इंजीनियरिंग मैटेरियल और योजना/तंत्र हेतु विफलता विश्लेषण (फेलयर अनालिसिस) और उपचारात्मक उपाय।

(घ) पेन्ट और सहायक समग्री, परिष्कृत रसायनों, कीटनाशी दवाओं आदि की गुणवत्ता संबंधी सुधार।

(ङ.) परीक्षण और अंशांकन कार्यविधि का विकास

(च) सिविल निर्माण कार्यों के लिए सुदृढ़ता, प्रायोज्यता तथा स्थायित्व संबंधी परामर्शी सेवा

(छ) रेडियोग्राफ की व्याख्या और मानकों के संदर्भ में खराबियों की गंभीरता की ग्रेडिंग।

10.22 रा0 प0 शाला परीक्षण शुल्क का कोटेशन, नमूनों की रसीद और परीक्षण व्ययों आदि की प्राप्ति हेतु जनता के साथ सीधा संपर्क है। इन पहलुओं का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है और उपर्युक्त सभी कार्य सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए किए जाते हैं। उपर्युक्त के अलावा, रा0 प0 शाला की सभी यूनिटों पर लोक शिकायतों का शीघ्र प्रतितोष उपलब्ध है। रा0 प0 शाला (पूर्वी क्षेत्र) कोलकाता में प्रशासनिक और तकनीकी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली स्थापित की गई है। प्रणाली के तहत कवर किए मुख्य क्षेत्रों में नमूनों की मॉनीटरिंग, बजट और लेखों की मानीटरिंग, कार्मिक सूचना और दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली शामिल है। रा0 प0 शाला की नई वेबसाइट हिन्दी और अंग्रेजी में रा0 प0 शाला से संबंधित बहु–सूचना के साथ प्रस्तुत की गई है। इस वेबसाइट में सूचना का अधिकार अधिनियम, सिटीजन चार्टर आदि जैसी कुछ आधारभूत विशेषताएं

हैं। वेबसाइट में नमूना परीक्षण स्थिति से संबंधित तैयार संदर्भ उपलब्ध होगा और परीक्षण और अंशाकन प्रमाण पत्रों की संरक्षित साफ्ट प्रति उपभोक्ताओं को उनके निवेदन पर उपलब्ध करवाई जा सकती है।

10.23 वर्ष 2008–09 के दौरान रा0 प0 शाला (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई और रा0 प0 शाला (उत्तरी क्षेत्र) गाजियाबाद, में प्रबंधन सूचना प्रणाली परियोजना के विस्तार और कार्यान्वयन के लिए ई इफ सी द्वारा 85 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

jk"Vh; ijh{k.k शायk }kjk dh xbl x|j okf.kfT;d xfrfof/k;k dk fooj.k%&

10.24 रा0 प0 शाला के वैज्ञानिकों द्वारा की गई गैर वाणिज्यिक गतिविधियां निम्नलिखित हैः–

(i) विभिन्न अनुभागीय समितियों में प्रतिनिधित्व द्वारा विभिन्न इंजीनियरिंग और उपभोज्य उत्पादों के विनिर्देशों को बनाने में भा0 मा0 ब्यूरो को सहायता दी है।

(ii) रा0 प0 शाला के वैज्ञानिक एन ए बी एल में प्रमुख विश्लेषक और विश्लेषकों के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं।

(iii) रेलवे, सेल (SAIL), भा0 मा0 ब्यूरो जैसे सरकारी विभागों और स्वायत निकायों से संबंधित व्यावसायिकों को परीक्षण ओर अंशाकन के क्षेत्र में बहुत कम शुल्क पर प्रशिक्षण देना।

(iv) तृतीय पार्टी संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में गुणवत्ता आश्वासन के लिए विभिन्न विधि न्यायालयों, कानूनी अभिरक्षक और सतर्कता विभागों की सहायता करना। यद्यपि राष्ट्रीय परीक्षणा शाला टेस्टिंग शुल्क लेती है परन्तु इस प्रकार की टेस्टिंग के लिए यह सूक्ष्म (अल्प) मूल्य देश के उपभोक्ता हितों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक है।

(v) जन कल्याण सेवा के रूप में रा0 प0 शाला सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत पेयजल की गुणवत्ता, मसाले, अल्कोहल, स्पिरिट का संवेदनशील परीक्षण करता है।

ueuk dk ijh{k.k

10.25 क्षेत्रवार/केन्द्रवार जारी की गई परीक्षण रिपोर्टों की संख्या इस प्रकार हैः–

{k= dk uke	2007-08	2008-09
पूर्वोत्तर क्षेत्र, कोलकाता	4126	4156
पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई	2017	2686
दक्षिण क्षेत्र, चेन्नै	2270	2664
उत्तर क्षेत्र, गाजियाबाद	3464	4751
पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जयपुर	2448	2011
पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी	675	967
;kx	**15,000**	**17235**

10.26 राष्ट्रीय परीक्षण शाला की प्रयोगशाला–वार कार्यनिष्पादनः–

(लाख रुपए में)

{k=	2007-08			2008-09		
	xj ;ktuk 0;;	vftr jktLo	xj&;ktuk 0;; e jktLo dk ifr'kr	xj&;ktuk 0;;	vftr jktLo	xj&;ktuk 0;; e jktLo dk ifr'kr
रा.प.शा (पू.क्षेत्र),कोलकाता	574.84	177.47	30.87	816.69	250.26	30.64
रा.प.शा (प.क्षेत्र),मुंबई	183.33	88.15	48.08	259.81	115.29	44.37
रा.प.शा (द.क्षेत्र), चेन्नई	179.72	103.22	57.43	254.49	121.56	47.77
रा.प.शा (उ.क्षेत्र),गाजियाबाद	177.21	214.01	120.77	277.89	283.87	102.15
रा.प.शा {उ0 प0 क्षे0},जयपुर	62.51	64.57	103.30	94.96	66.52	70.05
रा.प.शा {पूर्वोत्तर क्षेत्र},गुवाहाटी	45.18	20.19	44.69	57.23	31.60	55.22
;kx	**1222.79**	**667.61**	**54.6**	**1761.07**	**869.10**	**49.35**

fo'k"k egRo dh xfrfof/k;k%&

10.27 रा0 प0 शाला की दक्षता और प्रचुर अनुभव का उपयोग उपभोक्ताओं के संरक्षण तथा देश में उत्पादों की किस्म की जांच करने के लिए इसका आधुनिकीकरण करने पर बल देने के लिए किया जाता है जिसमें से कुछ मील के पत्थर निम्नलिखित हैं :–

क) एन टी पी सी की विभिन्न सुपर थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए कंक्रीट के मिक्स डिजाइन का परीक्षण किया गया। कंक्रीट का मिक्स डिजाइन ताजा और कठोर कंकरीट के अपेक्षित गुणधर्मों को हासिल करने की दृष्टि से संघटकों अर्थात सीमेंट, पानी, समुच्चयों का सर्वोत्तम व्यावहारिक मेल से बनाया जाता है। एन टी पी सी ने डिजाइन तैयार करने और भारत में अपनी परियोजनाओं के लिए मिक्स डिजाइन कंकरीट के कार्यान्वयन के लिए रा0 प0 शा0 के तीन विभिन्न क्षेत्रों से नोडल वैज्ञानिकों को स्वीकार किया है।

ख) शराब बनाने के अपेक्षित एल्कोहल की वास्तविक मात्रा के आकलन के लिए विभिन्न राज्य उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु अल्कोहल वाले मादक पेयों का अच्छादन परीक्षण किया गया।

ग) थाइलैण्ड में बनाए गए अग्नि शमन बॉल के अनूठे कार्यनिष्पादन का परीक्षण किया गया। इस उत्पाद का प्रयोग अग्निशमन कर्मियों द्वारा किसी बंद क्षेत्र में लगी आग को बुझाने के लिए किया जा सकता है।

घ) पेंट्स का प्रयोग करने से पूर्व लोकोमोटिव की सतह पर कोटिंग के टिकाउपन को बढ़ाने के लिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से प्राप्त हाई विल्ड पेन्ट्स (पोलीयूरेथेन एंड इपोक्सी) तथा जंगरोधी रसायनों का परीक्षण किया गया।

ड.) कोलकाता में एक छात्रावास से एकत्र किए गए पॉण्ड–फिश में अरगजी {काडमियम} की मात्रा के अवधारण को बोर्डर्स के हैल्थ ग्राउण्ड हेतु अनुमानित किया गया है। इस प्रकार

मूल्यांकित विषाक्तता का स्तर मानव उपभोग के लिए मछली की उपयुक्तता का निर्धारण करती है।

च) केन्या पावर एंड लाइटिंग कार्पोरेशन – लाइटनिंग इमपल्स की परीक्षण सुविधा के लिए एक विदेशी संगठन इलैक्ट्रिकल हाई वोल्टेज लैब में ट्रांसफार्मर्स का परीक्षण, रा0 प0 शा0 (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद में है।

छ) कृषि निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान से प्राप्त विषाक्त तत्वों {शीशा काडमियम, क्रोमियम, मर्करी और जिंक} मूल्यांकन के साथ साथ अंडमान में सुनामी आने से प्रभावित आर्गनिक मैन्युर्स में एनर्जी के वैल्यू का निर्धारण का व्यावहारिक मामलों में उपयोग की लाभकारिता के लिए आकलन किया गया।

ज) राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने निर्यात संवर्धन और अन्तर्देशीय आपूर्तियों के लिए निरीक्षण कार्य शुरु कर दिया है।

झ) पाम वुड से बने रसोई उपकरणों (प्लेट्स, चम्मच, नमक और लौंग दान) में विषाक्त धातुओं {सीडी, जेडएन, पीबी} का विश्लेषण किया गया जो इन बर्तनों के सुरक्षित प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं।

ञ) भारत की आम जनता के बीच राष्ट्रीय परीक्षण शाला के कार्यों और गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने 5 से 10 सितम्बर, 2008 के दौरान 12वां नेशनल एक्स्पो और 15 से 19 सितम्बर, 2008 तक क्रेता सुरक्षा मेला में भाग लिया। रा0 प0 शाला के पविलियन का रा0 प0 शाला के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों ने उत्कृष्ट रूप से पर्यवेक्षण किया।

ट) मैसर्स शालीमार पेंट्स, पश्चिम बंगाल द्वारा विकसित समुद्र के किनारे के ढांचों के लिए मैसर्स इंटरनेशनल पेंट्स यू एस ए के आयात के लिए प्रयुक्त उसी किस्म के उत्पाद का स्थान लेने के लिए विशिष्टीकृत समुद्री जल रोधी पेंट्स (जिंक इथनिल सिलीकेट, पोलीयूरेथेन ओर इपोक्सी उत्पाद) का परीक्षण और गुणता मूल्यांकन करना।

ठ) केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई आयुर्वेदिक औषधियों पर अपनी चालू परियोजना के लिए प्रदान किए गए ट्रायल रोगियों के खून और मूत्र के नमूनों में मौजूद विषाक्त धातु तत्वों का निर्धारण करना।

ड) मैसर्स एक्साइड इण्डस्ट्रीज लि0, हल्दिया, पश्चिम बंगाल के परिसर में हैवी ड्यूटी ट्रेक्शन सैल्स जो विशेष रूप से रेलवे लोकोमोटिव इंजिन के लिए हैं, स्थल पर परीक्षण और गुणता मूल्यांकन।

ढ) रेलवे सिंगलिंग सिस्टम में प्रयोग के लिए आर डी एस ओ की मांग पर आई आर एस–एस 78–92 के अनुसार विद्युत फ्यूजों का रसायनिक विश्लेषण किया गया।

ण) पर्यावरण अनुकूल कोल्ड एप्लाइड रोड मार्किट पेंट {वाटर–वेस्ड} का कंकरीट या बिटुमन रोड्स में हल्के संवेदी और उत्कृष्ट उपयोग के लिए परीक्षण किया गया।

त) रा0 प0 शाला (पू0 क्षे0), कोलकाता में 3 नवम्बर, 2008 से 18 नवम्बर, 2008 तक हिन्दी पखवाड़ा मानाया गया। इस अवसर पर स्टॉफ में हिन्दी के प्रति उनके उत्तर दायित्व को बताने के लिये विभिन्न विषयों (निबंध लेखन, वाद–विवाद, पाठ, पोस्टर स्लोगन आदि) में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 18 नवम्बर, 2008 को

आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता प्रभारी महानिदेशक महोदय ने की।

थ) ब्लैंकेट मैटेरियल तैयार करने के लिए बिर्क डस्ट मूरम और रेत का प्रयोग करते हुए रेलवे प्रतिष्ठान के लिए आई आर एसः जी ई–3, जुलाई, 2003 के अनुसार ब्लैंकेट मैटेरियल के मिक्स डिजाइन का परीक्षण किया गया ताकि आर डी एस ओ की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। यह राष्ट्रीय हित में परीक्षण का एक नया क्षेत्र है।

द) चीन से आयातित और सीमा शुल्क विभाग, कोलकाता से प्राप्त चार नमूनों का, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, उनमें पोटासियम हयूमेट की मौजूदगी क लिए परीक्षण किया गया। चार नमूनों में से दो नमूनों को (पोटेशियम ह्यूमेट), पौधे की वृद्धि को बढ़ाने वाला स्टीमुलेंट, के रूप में चिन्हित किया गया है।

ध) नए आधुनिकीकृत–3 जी मोबाइल कम्यूनिकेशन के लिए रा0 प0 शाला (उ0 क्षे0), गाजियाबाद में बी एस एन एल के 3 जी सिम कार्ड का पर्यावरणीय परीक्षण किया गया। उसके बाद भारत में बी एस एन एल द्वारा 3जी–मोबाइल कम्यूनिकेशन शुरु किया गया।

न) इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेंट आफ इंडिया ने 8 मार्च, 2009 को कोलकाता में (वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड) पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। व्यवसाय संवर्धन का प्रसार करने और विश्व आर्थिक बाजार अग्रणी संस्था रा0प0 शाला ने इस कार्यक्रम में भाग लिया रा0प0 शाला (पू0 क्षे0) साल्ट लेक, कोलकाता की रसायन प्रयोगशाला के दो वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने पाठ्यक्रम संकाय के रूप में व्याख्यान दिए। एन टी एच को प्रशिक्षणार्थियों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

tkMh xbZ lqfo/kk,a

10.28 राष्ट्रीय परीक्षण शाला के क्षेत्रों द्वारा vR;k/kqfud midj.k ¼vk;kfrr vkSj Lons'kh½ खरीदे गये हैं और कुछ खरीदे जा रहे हैं।

Ø- l-	miLdj dk uke	{ks=	ikIr izeq[k ykHk
1	ऐटोमिक एब्जॉपर्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (ए ए एस) के लिए अतिरिक्त सामग्री	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	ऐटोमिक एब्जॉपर्षन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (ए ए एस) में सुविधा का संवर्धन
2	मास कमपेरेटर बैलेंस	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई	मास कैलीब्रेशन के लिए नई परीक्षण सुविधा
3	कार्बन सल्फर एनालाइजर के लिए अतिरिक्त सामग्री	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नै	कार्बन सल्फर एनालाइजर में सुविधा का संवर्धन।
4	लिमिटिंग ऑक्सीजन इन्डेक्स परीक्षक	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	आवृत्त (कोटेड) सामग्रियों, प्लास्टिक, इत्यादि के अग्नि विलंबक (रिटार्डेंट) के परीक्षण हेतु नई सुविधा
5	कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर (सी एच एन एस)ऐनालाइजर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	कोयला तथा अन्य ईंधनों के विभिन्न पैरामीटरों के निर्णायक विश्लेषण के लिए नई सुविधा

Ø- l-	miLdj dk uke	{k=	ikIr ie[k ykHk
6	माइक्रोवेव डाइजेस्टर–2 नग	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता और राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नै	धातुओं तथा अन्य अकार्बनिक रसायनों के शीघ्र विश्लेषण हेतु नई परीक्षण सुविधा
7	हाइड्रोजन जेनरेटर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	मास स्पेक्ट्रोमीटर (जी सी एम एस)सहित गैस क्रोमैटोग्राफ में सुविधा का संवर्धन
8	जल शुद्धिकरण प्रणाली, अल्ट्रा प्योर जल (पाइरोजने मुक्त)– 2	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता और राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुर	पेय तथा पैकेजबंद पेयजल के परीक्षण विशेषतया जीवाणु विज्ञान संबंधी पैरामी. टरों हेतु परीक्षण के लिए नई सुविधा।
9	कुरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रेयर्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद और राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुर	नई परीक्षण सुविधा पौलीमेरिक कम्पाउंडों तथा कार्बनिक रसायनों की अन्य व्यापक रेंज के लिए उच्च स्तरीय उपकरण प्रणाली विश्लेषण।
10	यू टी एम–100 के एन	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्. तरी क्षेत्र), गाजियाबाद	भवन सामग्रियों के टेन्साइल स्ट्रेंथ मे. जरमेंट के लिए मौजूदा सुविधाओं का संवर्धन।
11	ऑप्टीकल ऐमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (ओ ई एस)	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुर	नई परीक्षण सुविधा। धातु विश्लेषण के लिए परीक्षण समय को घटाया जाएगा।
12	कार्बन सल्फर एनालाइजर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तर पूर्व क्षेत्र), गुवा. हाटी	धातु के नमूनों के शीघ्र उपकरणीय विश्लेषण हेतु नई सुविधा।
13	पोर्टेबुल डिजिटल हॉलीडे डिटेक्टर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	एक प्रोटेक्टिव कोटिंग फिल्म में निक, स्क्रैपों, अथवा कमजोर स्पॉटों का पता लगाने के लिए उपयोग किया गया।
14	जेनॉम आक्र वेदर ओ मीटर–2	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिण ी क्षेत्र), चेन्नै और राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	कोटिंग, प्लास्टिक और वस्त्र सामग्रियों के अपेक्षया और रंग के पक्के होने के परीक्षण।
15	पॉप्टिकल एमिश्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (ओ ई एस)	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	नई परीक्षण सुविधा। धातु विश्लेषण हेतु परीक्षण समय कम किया जाएगा।
16	माइक्रो ओह्मोमीटर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद	विद्युतीय पैरामीटरों के मापन हेतु नई सुविधा।
17	मिलियन मेग ओह्मोमीटर	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद	पृथक्करण प्रतिशोध, इत्यादि का मापन
18	एफ टी आर पुस्तकालय	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	नई परीक्षण सुविधा। कृपया कॉलम 9 की सामग्री यहां टाइप करें।
19	लीड ऐसिड बैटरी साइकिल टेस्टर, 20 चैनल	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	सभी प्रकार की बैटरी परीक्षण सुविधा का संवर्धन किया जाएगा।

ikfIr ;k vkj 0; ;%

10.29 छः केंद्रों पर प्राप्तियों और व्यय के संगत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

ikfIr ;k (लाख रुपए में)

{k=@dsUnz dk uke	2006-07	2007-08	2008-09 (up to March-'09)
पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता	157.32	177.47	250.26
पश्चिम क्षेत्र,मुंबई	72.32	88.15	115.29
दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नै	60.96	103.22	121.56
उत्तरी क्षेत्र, गाजियाबाद	176.28	214.01	283.87
उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जयपुर	45.98	64.57	66.52
उत्तर पूर्व क्षेत्र, गुवाहाटी	13.66	20.19	31.60
;kx	**526.52**	**667.61**	**869.10**

10.30 व्यय (लाख रुपए में)

{k= dk uke	2006-07			2007-08			2008-09		
	;kstuk	;kstuk& fHkUu	;kx	;kstuk	;kstuk& fHkUu	;kx	;kstuk	;kstuk& fHkUu	;kx
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता मुख्यालय को मिलाकर	302.79	571.75	874.54	308.06	574.84	882.90	336.94	816.69	1153.63
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिम क्षेत्र),मुंबई	19.22	172.82	192.04	29.35	183.33	212.68	32.44	259.81	292.25
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नै	25.00	182.61	207.61	27.74	179.72	207.46	35.18	254.49	289.67
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद	46.04	158.86	204.90	39.24	177.21	216.45	33.95	277.89	311.84
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुर	14.54	56.26	70.80	16.87	62.51	79.38	16.41	94.96	111.37
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (उत्तर पूर्व क्षेत्र), गुवाहाटी	14.93	35.63	50.56	11.06	45.18	56.24	11.77	57.23	69.00
dqy	**422.52**	**1177.93**	**1600.45**	**432.32**	**1222.79**	**1655.11**	**466.69**	**1761.07**	**2227.76**

jk"Vªh; ijh{k.k'kkyk e LFkkfir y¨d f'kdk;r r=

10.31 राष्ट्रीय परीक्षण शाला एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्था है जो सामग्रियों और तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन, गुणता आश्वासन और मानकीकरण का कार्य करती है। उपर्युक्त सेवाओं और क्रियाकलापों के लिए परीक्षण

शुल्क के लिए कोटेशन प्राप्त करने, नमूने जमा करने और नमूने तथा परीक्षण शुल्क आदि प्राप्त करने हेतु उसका जनता के साथ सीधा सम्पर्क है। इन पहलुओं का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है और उपर्युक्त सभी कार्य सिंगल विंडो 'सैम्पल रूम' पर किए जा सकते हैं । ये सुविधाएं राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सभी यूनिटों पर उपलब्ध हैं । उपर्युक्त के बावजूद यदि कोई लोक शिकायत हो तो उसके शीघ्र और सहानुभूतिपूर्वक प्रतितोष के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सभी यूनिटों में भी प्रतितोष तंत्र उपलब्ध है।

Lkr d|rk

10.32 राष्ट्रीय परीक्षण शाला में सतर्कता मामलों पर नजर रखने के लिए एक अलग तंत्र है जिसकी अध्यक्षता मुख्यालय, कोलकाता में सतर्कता अधिकारी करते हैं और राष्ट्रीय परीक्षण शाला की छः क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में सहायक निदेशक (प्रशासन) के रैंक के सहायक सतर्कता अधिकारी अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण शाला में 7 अनुशासनिक/सतर्कता मामले हैं। इन आंकड़ों में उन मामलों को सम्मिलित नहीं किया गया है जिन पर उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली के सतर्कता कक्ष द्वारा पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

vu|yXud-I

31-3-2009 dks jk"Vªh; ijh{k.k 'kkyk esa lewg&okj LVkQ

	e|[;ky;		jk"Vªh; ijh{k.k 'kkyk (iwohZ {ks=)] dksydkrk		jk"Vªh; ijh{k.k 'kkyk (if'pe {ks=)]eqacbZ		jk"Vªh; ijh{k.k 'kkyk (nf{k.kh {ks=)] pUubZ		jk"Vªh; ijh{k.k 'kkyk (mRrjh {ks=)] xkft;kckn		jk"Vªh; ijh{k.k 'kkyk (mRrj if'pe {ks=)] t;iqj		jk"Vªh; ijh{k.k 'kkyk (mRrj iwoZ {ks=)] xqok-gkVh		dqy	
	,l ,l**	,l	,l ,l	,l	,l ,l	,l	,l ,l	,l	,l ,l	,l	,l ,l	,l	,l ,l	,l	,l ,l	,l
समूह–क	5	5	37	24	13	12	14	11	16	14	6	5	4	4	95	75
समूह–ख	2	1	36	21	23	13	17	9	15	13	9	7	5	1	107	65
समूह–ख (राजपत्रित)	--	--	33	13	11	7	16	8	21	8	15	6	7	3	103	45
समूह–ग	3	9	136	124	38	30	29	27	18	17	5	3	7	5	236	215
समूह–घ	2	2	82	66	23	18	17	14	20	18	4	3	4	3	152	124
;ksx	**12**	**17**	**324**	**248**	**108**	**80**	**93**	**69**	**90**	**70**	**39**	**24**	**27**	**16**	**693**	524

*एस एस : स्वीकृत lq[;k

, ,l % okLrfod lq[;k

v/;k;&XI

vuqlwfpr tkfr;ksa] vuqlwfpr tutkfr;ksa@vU; fiNM+k oxZ@ 'kkjhfjd :Ik ls fodykax@HkwriwoZ lSfudksa ds fy, vkj{k.k

vuqlwfpr tkfr;ksa] vuqlwfpr tutkfr;ksa@vU; fiNM+k oxZ@ 'kkjhfjd :Ik ls fodykax@HkwriwoZ lSfudksa dh la[;k ¼31-3-2009 dh fLFkfr ds vuqlkj½

11.1 विभिन्न ग्रेडों तथा सेवाओं में सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के बारे में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया।

11.2 उपभोक्ता मामले विभाग तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी से संबंधित कार्मिकों की संख्या नीचे दी गई है:–

Ikn dk lewg	Lohd`r la[;k	rSukr deZpkfj;ksa dh dqy la[;k	Dkye 3 esa ls fuEufyf[kr ls lacaf/kr deZpkfj;ksa dh la[;k							
			vuq- tk-	vuq- t- tk	vU; fiNM+s oxZ	'kkjhfjd :Ik ls fodykax			HkwriwoZ lSfud	efgyk
						nf"V okf/kr	Jo.k fod& ykax	vfLFk fod& ykax		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lkewg d	218	160	21	4	8	-	-	1	2	23
Lkewg [k राजपत्रित	186	118	16	4	4	-	-	-	-	28
अराजपत्रित	186	110	15	3	13	-	-	2	-	21
Lkewg x	380	320	70	19	25	1	3	3	4	57
Lkewg ?k	279	236	74	20	29	2	3	6	10	15
dqy	**1249**	**944**	**196**	**50**	**79**	**3**	**6**	**12**	**16**	**144**

नोट – संकलन में उपभोक्ता मामले विभाग और इस विभाग के निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सूचना शामिल है:

1. राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता, वायदा बाजार आयोग, मुंबई, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली,

भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं (अहमदाबाद/बंगलौर/भुवनेश्वर/फरीदाबाद/गुवाहाटी)

****

जागरूकता दूर-संचार सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं में किसी प्रकार की त्रुटि से बचने की कुंजी है
सयानी रानी की ज़बानी....
क्या आपको दूर-संचार उपभोक्ता के लिए ट्राई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी है?
जागो ग्राहक जागो
मूल्यवर्धित सेवाएं:
उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति के बिना उसको कोई प्रभार्य मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान नहीं की जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के लिए ग्राहक अपने सेवा प्रदाता से एक विशेष रिंग बैक टोन ले सकते हैं ताकि रिंग बैक टोन में काल करने वाले को उसकी अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग स्थिति के बारे में संदेश दर्शाते हुए अवांछित/अनावश्यक कालों को टाला जा सके।
उपर्युक्त के ब्यौरे ट्राई की वेबसाइट http:www.trai.in पर उपलब्ध है।
उपभोक्ता राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर
1800–11–4000 (निःशुल्क) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
(बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से)
अथवा 011–27682955,56,57,58 (सामान्य कॉल दरें)
(9.30 प्रातः से 5.30 सायं – सोमवार से शनिवार)
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110 001 : वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

v/;k;&XII

dk;LFky ij efgykvk dk ;ku mRihMu

f'kdk;r lfefr dk xBu

12.1 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए उपभोक्ता मामले विभाग में 3 अगस्त, 1998 को एक शिकायत समिति का गठन किया गया था जिसका 21.11.2007 को विभाग में आर्थिक सलाहकार, श्रीमती आनन्दी रविचन्द्रन की अध्यक्षता में पुनर्गठन किया गया। इस शिकायत समिति को महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों के समयबद्ध निवारण से संबंधित कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, यह सैल महिला सैल के रूप में भी कार्य करता है जो निम्नलिखित क्षेत्रों को व्यापक तौर पर कवर करता है:

(क) विभाग की महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के वातावरण में सुधार करने की कार्रवाई करना तथा समन्वय स्थापित करना।

(ख) महिला कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों को सुनना तथा उन पर शीघ्र कार्रवाई करना।

(ग) महिला कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित अन्य सामान्य कार्य।

12.2 इस सैल को अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, विभाग की सभी महिला कर्मचारियों के साथ समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि उनके सामने आ रही समस्याओं, यदि कोई हो, के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सके और उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

Ökjrh; ekud C;jks dk;LFky ij efgykvk dk ;ku&mRihMu

12.3 माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार तथा अन्यों के मामले में दिए गए दिशा–निर्देशों और निर्धारित मापदण्डों के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो में एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में जनवरी,2007 में तीसरी बार दो साल की अवधि के लिए यौन उत्पीड़न शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया । वर्ष के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो की समिति ने महिला कर्मचारियों के हितों व कल्याण को निरंतर ध्यान में रखते हुए 6 मार्च,2009 को महिला दिवस के रूप में एक समारोह का आयोजन किया।

12.4 पिछले वर्ष के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच यौन उत्पीड़न पर जागरूकता हेतु भारतीय मानक ब्यूरो के जयपुर, परवानू और मुंबई कार्यालयों में ''कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न'' पर एक–एक दिन के सेमिनार (सेंसिटिजेशन प्रोग्राम) का आयोजन किया गया।

v/;k;&XIII

fgUnh dk izxkeh iz;ksx

jkt Hkk"kk vf/kfu;e rFkk mlds rgr cuk, x, fu;eksa dk vuqikyu

13.1 संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के अधीन इस विभाग में एक हिंदी प्रभाग है जो विभाग के सभी अनुवाद कार्यों को संपन्न करता है और विभाग में तथा इसके साथ–साथ सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों एंव उनके क्षेत्रीय संगठनों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

13.2 वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की गई।

13.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग में जांच बिन्दुओं की स्थापना की गई है। इन जांच बिन्दुओं के प्रभावी अनुपालन के लिए कारगर कदम उठाए गए।

13.4 विभाग के जिन सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों (समूह घ को छोड़कर) को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, उन को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इसके साथ ही विभाग और नियम 10(4) के तहत अधिसूचित ऐसे कार्यालयों द्वारा उक्त नियमों के नियम 8(4) के अंतर्गत सभी काम हिन्दी में करने के लिए आदेश भी जारी किए गए।

izf'k{k.k

13.5 राजभाषा विभाग द्वारा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए वर्ष 2008–2009 के वार्षिक कार्यक्रम पर जारी किए गए आदेशों को विभाग तथा इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अनुपालन के लिए परिचालित किया गया । इस संबंध में हुई प्रगति पर तिमाही रिपोर्टों के जरिए निगरानी रखी गई है और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में उन पर समीक्षात्मक/आलोचनात्मक चर्चा की गई ।

13.6 वर्ष के दौरान विभाग तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभाग में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। इन बैठकों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों पर तथा क्षेत्रीय भाषाओं

का अनुपूरक प्रयोग करने पर भी जोर दिया गया।

13.7 वर्ष के दौरान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दो बैठकें आयोजित की गई और उनमें लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

Á¨RLkkgu ;¨tuk,¡

13.8 वर्ष के दौरान विभाग में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण तथा मसौदा लिखने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी नकद पुरस्कार योजना जारी रखी गई।

13.9 विभाग के कर्मचारियों को अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में टाइपिंग का कार्य करने के लिए विशेष प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाता रहा।

13.10 विभाग में 01.09.2008 से 15.09.2008 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार दिए गए।

vU; xfrfof/k;k

13.11 विभिन्न क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ हिंदी में पत्राचार का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कदम उठाए गए।

13.12 हिंदी, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टाइपिंग में अप्रशिक्षित कर्मचारियों को संबंधित प्रशिक्षण लेने के लिए नामित किया गया ।

13.13 हिन्दी में नोटिंग ड्राफ्टिंग का अभ्यास कराने के लिए विभाग में समय–समय पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

13.14 विभाग ने पुस्तकालय निधि का 50% हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर व्यय करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा, विभाग के पुस्तकालय के लिए हिन्दी समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा जरनल नियमित रूप से खरीदे गए।

13.15 सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग में ही नहीं, वरन् इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में भी निरंतर प्रयत्न किए गए । इस बारे में हुई प्रगति पर निगरानी रखने के लिए समय–समय पर निरीक्षण किए गए।

13.16 राजभाषा विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा पुरूस्कार योजना के अंतर्गत इस विभाग ने वर्ष 2006–07 के लिए तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया। सचिव (उपभोक्ता मामले) ने 14 सितम्बर, 2008 को हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया।

ok;nk cktkj vk;kx e fganh dk i;kx

13.17 राजभाषा अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु आयोग में एक हिंदी सैल है जिसका प्रमुख हिदी अधिकारी है। इसके अंतर्गत 2 हिंदी अनुवादक और एक हिंदी टंकक काम करते हैं। वायदा बाजार आयोग ने 1 सितम्बर, 2008 से 15 सितम्बर, 2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया और एक समारोह

श्री यशवंत भावे, सचिव (उपभोक्ता मामले) 14 सितम्बर,2008 को हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

के रूप में इस अवसर पर अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। अपने सरकारी कार्य को हिंदी में करने की सुविधा के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया। वायदा बाजार आयोग के प्रतिनिधियों ने इस मंत्रालय की दो हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लिया।

Hkkjrh; ekud C;jk e fgnh dk i;kx

13.18 भारतीय मानक ब्यूरो के दिन–प्रतिदिन के कार्य में राजभाषा अधिनियिम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। बहुत से लेखों, सामान्य आदेशों, कार्यालय टिप्पणियों, प्रेस विज्ञप्तियिों और भारतीय मानक के कवरिंग पत्रों और संशोधनों पत्र को हिंदी में जारी किया गया। नोडल अधिकारियों/नई दिल्ली मुख्यालय के बी आई एस स्टाफ और एन आई टी एस, नोएडा के लिए दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिसमें 70 कर्मचारियों ने भाग लिया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी चार बैठकें मुख्यालय में समय पर आयोजित की गईं। विभिन्न शाखा कार्यालयों में 10 हिंदी कार्यशालाएं आयेजित की गईं। हिंदी के उत्तरोतर प्रयोग के संबंध में मुख्यालय के 4 विभागों का निरीक्षण किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो ने इस मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में भी भाग लिया। हिंदी की पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया।

13.19 नेमी अनुवाद कार्य के अतिरिक्त 30 मानक शीर्षकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। 40 मानकों को अनुवाद के लिए निर्धारित किया गया, जो अनुमोदन, मुद्रण एवं प्रकाशन इत्यादि के विभिन्न स्तरों पर हैं। त्रैमासिक हिंदी पत्रिका

भारतीय मानक ब्यूरो, जयपुर के अधिकारियों ने 24 दिसम्बर, 2008 को हिन्दी कार्यशाला में भाग लिया

'मानक दूत' नियमित रूप से प्रकाशित की गई।

13-20 jk"Vh; ijh{k.k 'kkyk e fganh dk i;kx

राष्ट्रीय परीक्षण शाला अपने मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों में राजभाषा नीति और राजभाषा अधिनियिम और नियमों के कार्यान्वयन में अहम प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला अपने क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई से एक द्विभाषी पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम 5 का पूर्णरूप से अनुपालन कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षण शाला मुख्यालय के साथ ही इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में भी दिनांक 3.11. 2008 से 18.11.2008 तक हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। राष्ट्रीय परीक्षण शाला के प्रतिनिधि हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में भी उपस्थित हुए। यहां राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें भी नियमित रूप से की गईं। वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय परीक्षण शाला, मुंबई और चेन्नई में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के दो तथा हिंदी टंकक के एक रिक्त पद को पुनर्जीवित (रिवाइव) किया गया है।

Hkkjrh; fof/kd eki foKku lLFkku] jkph

13.21 सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान अनुकरणीय कार्य कर रहा है। अपना समूचा मूल पत्र व्यवहार हिंदी में करने के अलावा अधिकारियों को अपना सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। यहां अधिकारियों को मदद देने की दृष्टि से प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती है। हिंदी के प्रगामी प्रयोग में हुई प्रगति की निगरानी और पुनरावलोकन करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती है।

13.22 भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान द्वारा प्रशिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री और व्याख्यान (लेक्चर) हिंदी–अंग्रेजी की मिली–जुली भाषा में दिया जाता है।

ckV rFkk eki dh {k=h; fun'k ekud i;kx'kkyk,

13.23 उपभोक्ता मामले विभाग के बाट तथा माप प्रभाग के अंतर्गत अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और फरीदाबाद में 5 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाए हैं। राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन और अपने नित–प्रतिदिन के कार्य में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने लिए ये सभी प्रयोशालाएं राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों का पालन कर रही है।

Hkkjrh; jk"Vh; miHkkDrk lgdkjh l?k] fy0] ub fnYyh

13.24 राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मुख्यालय के सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान क्षेत्र संगठनों में निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गईं :–

– राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का सहर्ष अनुपालन

किया गया। अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया गया। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया। 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र के साथ हिंदी में किए गए पत्र–व्यवहार में निरंतर प्रगति की गई।

– राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती है। वर्ष के दौरान कुल 4 बैठकें आयोजित की गईं।

– अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन, मदद और प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष के दौरान 3 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

– क्षेत्रीय संगठनों में हिंदी में प्रगामी प्रयोग की स्थिति को देखने के लिए 4 निरीक्षण किए गए।

– दिनांक 12.09.2008 को हिंदी दिवस मनाया गया।

– दिनांक 1.09.2008 से 15.9.2008 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।

– वर्ष के दौरान हिंदी में अधिकतम कार्य करने के लिए भोपाल शाखा कार्यालय को राजभाषा ट्राफी प्रदान की गई।

– राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के अधिकारियों ने मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में भी भाग लिया।

****

v/;k;&XIV

io¨Rrj {k= dk fodkl

io¨Rrj {k= d¢ jkT;k¢ e¢ eY; fuxjkuh

14.1 पूर्वोत्तर राज्यों से 14 आवश्यक वस्तुओं के संबंध में दैनिक और साप्ताहिक मूल्य रिपोर्टों के आधार पर मूल्य निगरानी की जाती रही।

ckV rFkk eki

14.2 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला (आर आर एस एल) गुवाहाटी के भवन के निर्माण का कार्य माह दिसम्बर, 2008 में पूरा हो चुका है और के0 लो0 नि0 वि0 ने इस भवन को क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला को सौंप दिया है।

14.3 2008–09 के दौरान, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी के लिए 1.17 करोड़ रुपए का आबंटन हुआ और 2.5 करोड़ रुपये राज्यों में बाट तथा माप के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित प्लान के तहत आबंटित किए गए।

वर्ष 2008–09 के दौरान पूर्वोत्तर के विकास के लिए कुल व्यय 3.67 करोड़ रुपए है।

Òkjrh; ekud C;j¨

14.4 iokRrj {k= e¢ fodkl & भारतीय मानक ब्यूरो की गुवाहाटी में एक शाखा है जो पूर्वोत्तर राज्यों जिसमें 7 राज्य–असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड शामिल हैं, के उद्योगों के गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमाणन और प्रशिक्षण जरुरतों को पूरा करती है। गुवाहाटी शाखा कार्यालय मानकीकरण, उत्पाद प्रमाणन और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित सूचना मुहैया करा रहा है । यह शाखा प्रमाणन चिह्न लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने में संभावित उत्पाद लाइसेंसधारियों का मार्गदर्शन भी करती हैं। यह प्रमाणित वस्तुओं के संबंध में राज्य सरकारों को सूचना भी मुहैया कराती है।

14.5 इस समय पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय मानक ब्यूरो के 291 लाइसेंस (उत्पादों पर 226 लाइसेंस और हालमार्किंग पर 65 लाइसेंस) प्रचालन में हैं।

14.6 गुवाहाटी शाखा कार्यालय की एक प्रयोगशाला है। जिसमें सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए गैल्बनाइज्ड स्टील सीटों (सपाट और कोरोगेटेड) और मायल्ड स्टील वायर राड्स के परीक्षण के लिए पूर्ण परीक्षण सुविधाएं तथा उच्च शक्ति डिफार्मड स्टील बारों, स्ट्रक्चरल स्टील, कोरोगेटेड और सेमी कोरोगेटेड एस्बेसटस सीमेंट शीट और ए सी फिटिंग के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी बी ओ

एल ने अब तक इस प्रयोगशाला में 54 नमूनों का परीक्षण किया है।

14.7 समीक्षाधीन अवधि के दौरान गुवाहाटी में 1 प्रवर्तन छापा मारा गया और न्यायालय में दो मामलों में अभियोग चलाए गए। इस गतिविधि के बारे में लोक मीडिया में व्यापक प्रचार किया गया। गुवाहाटी शाखा कार्यालय ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों में हालमार्किंग स्कीम और उत्पाद प्रमाणन पर होर्डिंग लगाए हैं। इसमें भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के लिए एक सुसज्जित पुस्तकालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योगों, उपभोक्ताओं और विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए बिक्री केन्द्र भी हैं।

14.8 गुवाहाटी शाखा कार्यालय मानकीकरण और गुणवत्ता प्रणालियों के लिए राज्य स्तरीय समिति बैठकों के जरिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहा है। यह विभिन्न केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों, जिसके तहत विभिन्न उत्पादों को अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया, के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य विभागों के साथ भी समन्वय कर रहा है। मेघालय राज्य के लिए 6 अगस्त, 2008 को एक राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता मेघालय सरकार के उद्योग आयुक्त ने की तथा इसमें भारतीय मानक ब्यूरो के उप महानिदेशक ने ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा की।

03&07 uoEcj] 2008 d nkjku lrdrk tkx:drk lIrkg euk;k x;k

14.9 गुवाहाटी शाखा कार्यालय ने 23 अक्तूबर, 2008 को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जिसका उद्घाटन प्रो0 (डा0) निर्मल कुमार चौधरी (गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी के पूर्व कुलाधिपति) द्वारा किया गया। श्री प्रणव शर्मा (अध्यक्ष अरीडा) श्री आर0 सेन (प्रधान वास्तुकार) श्री आई0 बरुआ (प्रसिद्व निर्माण अभियन्ता) श्री ए0 झा, (अधीक्षक अभियन्ता, के0 लो0 नि0 वि0) अन्य प्रसिद्व वक्ताओं ने तकनीकी सत्र में इंटैलिजेंट एंड सस्टेनेबल विषय पर अपने विचार रखे।

14.10 गुवहाटी शाखा कार्यालय पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन में एस आई एस आई, सी आई पी ई टी और मानव सारथी (गैर सरकारी संगठन) के साथ भी समन्वय कर रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के स्पष्टीकरण हेतु सिल्चर, अगरतला, नौगांव और तेजपुर में दो उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। एक इम्फाल (मणिपुर) और दूसरा ब्रीनीहाट (मेघालय) में भी दो औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

प्रदर्शनियों और जागरूकता कार्यक्रमों में वितरण के लिए स्वर्ण आभूषणों पर हालमार्किंग प्रचार ब्रोशरों ''मिथ्स अबाउट स्टैंडर्ड मार्क'' और ''व्हाट टु लुक फार इन स्टैंडर्ड मार्क'' का अंग्रेजी से असमिया में अनुवाद करवाया है। जौहरियों और उपभोक्ताओं के लिए 22 नवम्बर, 2008 को कोकराझार में हालमार्किंग पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपभोक्ताओ और जौहरियों के लिए 29 मार्च, 2009 को जोरहाट में भी हालमार्किंग पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

14.11 गुवाहाटी शाखा कार्यालय ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों में हालमार्किंग स्कीम और उत्पाद प्रमाणन पर होर्डिंग्स लगाए

हैं। गुवाहाटी शाखा कार्यालय के पास भारतीय मानक ब्यूरो के लिए एक सुसज्जित पुस्तकालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योगों, उपभोक्ताओं और विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक बिक्री केन्द्र भी है।

14.12 भारतीय मानक ब्यूरो, गुवाहाटी ने स्टाल लगाकर पैम्फलेट द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों को प्रदर्शित करना, मानकों, आई एस आई चिन्हित उत्पादों और हालमार्किंग स्कीम के बारे में जानकारी देने हेतु दिनांक 3.1.2009 से 7.1.2009 तक शिलांग (मेघालय) में आयोजित इंडियन साइंस कांग्रेस की 96वीं प्रदर्शनी में भाग लिया। इस समारोह का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री डा0 मनमोहन सिंह द्वारा किया गया और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा किया गया।

14.13 गुवाहाटी शाखा कार्यालय ने दिनांक 27.2.2009 से 13.3.2009 तक चल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भी भाग लिया जहां थाईलैंड, टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा और बंगलादेश जैसे देशों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस व्यापार मेले में भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियां और हाल मार्किंग स्कीम से संबंधित प्रचार ब्रोशरों को प्रदर्शित किया गया और मेले के दौरान इन्हें स्टाल द्वारा वितरित किया गया।

14.14 गुवाहाटी में हालमार्किंग के लिए ऐसेइंग केन्द्र की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 30 मार्च, 2009 को निदेशक, ई टी डी सी, भारत सरकार के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था।

14.15 26.3.2009 को गुवाहाटी सी आई पी ई टी में मानकों के शैक्षिक उपयोग पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

14.16 संसदीय राजभाषा समिति ने 4 अप्रैल, 2008 को गुवाहाटी शाखा कार्यालय का निरीक्षण किया और हिन्दी के क्षेत्र में किये गये कार्यों की बहुत प्रशंसा की। 1 से 14 सितम्बर, 2008 तक गुवाहाटी शाखा कार्यालय में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। 14 सितम्बर, 2008 को हिन्दी दिवस मनाया गया। दिनांक 8.12.2008 और 2.3.2009 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।

miHkkDrk dY;k.k dk"k

14.17 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम सरकार को 91 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई।

miHkkDrk tkx:drk gsrq izpkj vfHk;ku

14.18 इस क्षेत्र की अद्वितीयता को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात पर विचार करते हुए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति, परम्परा है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में प्रचार हेतु विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस क्षेत्र में उपभोक्ता जागरूकता के प्रसार हेतु विशेष दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है और नए उपाय किये जा रहे हैं।

14.19 पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचार के विस्तार के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि इस क्षेत्र के सभी बड़े अखबारों के साथ साथ इलैक्ट्रोनिक मीडिया और परम्परागत मीडिया द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग को उपयोग में लाया जाये।

14.20 इस विभाग ने 96वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, शिलांग में भाग लिया। इस आई एस सी सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री डा0 मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। इस विभाग के प्रचार प्रभाग ने ''जागो ग्राहक जागो'' मल्टी मीडिया अभियान का स्टाल लगाया। आगन्तुकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा प्रत्येक उपभोक्ता को शिक्षा, यात्रा, जमीन जायदाद, बैंकिंग,दूर–संचार, दवाईयों आदि के क्षेत्रों के संबंध में सावधानी बरतने की आवश्यकता के बारे में निःशुल्क प्रचार सामग्री वितरित की गई।

14.21 इस स्टाल के आकर्षण ने आगन्तुकों को बहुत प्रोत्साहित किया, आगन्तुकों का प्रवेश रजिस्टर यह दर्शाता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग ''जागो ग्राहक जागो'' अभियान से पूर्ण रूप से जागरूक थे। इस क्षेत्र से अन्य प्रमुख राजनैतिक नेताओं के अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने भी इस स्टाल का दौरा किया।

jk"Vªh; ijh{k.k 'kkyk

14.22 राष्ट्रीय परीक्षण शाला की एक उपग्रह शाखा की स्थापना 1996 में सी आई टी आई काम्पलैक्स, कालापहाड़, गुवाहाटी–781016 में की गई थी जिसे असम सरकार से नाम मात्र के किराए पर लिया गया और जिसका उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्तुओं और तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण अपेक्षाओं को पूरा करना है।

इस समय राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी अपने ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है–

(1) विभिन्न प्रकार की इंजीनियरी सामग्री तथा सिविल, रासायनिक, वस्त्र, मैकेनिकल आदि का परीक्षण और गुणवत्ता मूल्याकंन।

(2) सीमेंट, जल, पेंट, सामान्य कैमिकल, स्टील आदि के लिए परीक्षण विधियों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(3) प्रयोगशाला स्थापना, पैकेज में रखे पेयजल, मृदा सामग्रियों आदि के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

(4) विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों द्वारा शुरु किए गए परियोजना कार्य में राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी की मौजूदा सुविधाओं पर निर्भर करते हुए भाग लेना।

14.23 वर्ष 2002–03 से 2007–08 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय परीक्षण शाला, गुवाहाटी द्वारा अप्रैल, 2002 से मार्च, 2008 तक अर्जित राजस्व 69.73 लाख रुपए है।

14.24 राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र) द्वारा इस क्षेत्र में ''कृषि आधारित'' और ''खनिज आधारित'' दोनों प्रकार के उद्योगों में इस क्षेत्र के बढ़ते हुए औद्योगीकरण आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की गुंजाइश है। इस प्रकार इस क्षेत्र के लिए भावी योजनाएं इस प्रकार हैं:–

(1) अवशिष्ट कीटनाशकों के विश्लेषण, गैस विश्लेषण आदि सहित डामर ''बिटूमन'' उत्पादों, चाय के परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधाएं सृजित करके मौजूदा रसायन प्रयोगशाला का विस्तार आदि करना।

(2) मिश्रित डिजाइन, सैनीटेरी वेयर, अपवर्तकों तथा सिविल इंजीनियरी उत्पादों के गैर विध्वंसक

परीक्षणों के लिए परीक्षण सुविधाएं सृजित करके मौजूदा सिविल प्रयोगशालाओं का विस्तार करना।

(3) रबड़, प्लास्टिक और वस्त्र इंजीनियरी तथा मैकेनिकल इंजीनियरी के क्षेत्र में नई प्रयोशालाएं खोलना। इस क्षेत्र में चाय के लिए परीक्षण सुविधाएं सृजित की जाएंगी।

14.25 ग्रेटर गुवाहाटी में राष्ट्रीय परीक्षण शाला के मौजूदा परिसर में भूमि के आबंटन के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा असम सरकार को 15,83,200 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। प्रयोगशालाओं के विस्तार, उत्कृष्टता केंद्र सहित नई सुविधाओं के सृजन तथा स्टाफ क्वार्टरों के प्रावधान के साथ कालापहाड़, गुवाहाटी में मौजूदा परिसर को चरणबद्ध तरीके से गिराकर राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी में नए भवन के निर्माण हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 3.00 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव शामिल किया गया है। वर्ष 2008–09 के दौरान निर्माण कार्य के लिए विभाग द्वारा के0 लो0 नि0 वि0 को 71.10 लाख रुपए की निधियां प्राधिकृत की गई हैं। निर्माण कार्य के0 लो0 नि0 वि0 द्वारा पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है।

****

v/;k;&XV

lefdr foÙkr iHkkx

ÁLrkouk

15.1 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) का समेकित वित्त प्रभाग अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के अधीन है जो आंतरिक वित्त अनुभाग के अलावा बजट और लेखा अनुभाग के समग्र प्रभारी हैं।

dk;Z

15.2 समेकित वित्त प्रभाग के कार्य इस प्रकार हैं –

(1) यह सुनिश्चित करना की मंत्रालय द्वारा बजट तैयार करने के लिए निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से पालन किया जाए और बजट वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जाए;

(2) बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय को भेजने से पूर्व उनकी पूरी तरह से जांच करना;

(3) यह देखना कि पूर्ण विभागीय लेखों का रख–रखाव सामान्य वित्तीय नियमों के तहत अपेक्षाओं के अनुसार किया जाए। विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मंत्रालय केवल अनुदानों के प्रति व्यय तथा उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित विनियोजन के लेखों का ही अनुरक्षण नहीं करता अपितु अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किए गए व्यय के आंकड़े भी प्राप्त करता है ताकि मंत्रालय के पास अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले समूचे व्यय की माह दर माह सही स्थिति उपलब्ध हो सके;

(4) आवश्यक नियंत्रण रजिस्टर रखकर स्वीकृत अनुदानों की तुलना में अनुदानों में से किए गए खर्च की प्रगति पर नजर रखना और उसकी समीक्षा करना तथा जहां व्यय की प्रगति उचित नहीं है वहां नियंत्रण प्राधिकारियों को समय रहते चेतावनी देना;

(5) देनदारियों और प्रतिबद्धताओं के रजिस्टर का उचित रख–रखाव सुनिश्चित करना जैसाकि सामान्य वित्तीय नियमों के तहत अपेक्षित है ताकि बजट अनुमानों की वास्तविक तैयारी करने, बुक ऋणों पर नजर रखने और प्रत्याशित बचतों को समय पर प्रत्यर्पित करने में सुविधा हो सके;

(6) अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों हेतु प्रस्तावों की जांच करना;

(7) प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों पर प्रशासनिक मंत्रालय को सलाह देना। इसमें मंत्रालय को कार्यालय अध्यक्ष की हैसियत से प्राप्त शक्तियों के अलावा सभी शक्तियां शामिल हैं। आंतरिक वित्तीय प्रभाग को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्वीकृति में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि उनको आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श के बाद जारी किया जाता है।

(8) पदों के सृजन के मामले में विशिष्ट बचतों का पता लगाना और इस प्रयोजन के लिए एक रजिस्टर रखना;

(9) मातहत प्राधिकारियों को शक्तियों के पुनर्प्रत्यायोजन के प्रस्तावों की जांच करना;

(10) स्कीमों के प्रतिपादन तथा महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों के प्रारंभिक चरण से ही अपने आपको निकट से जोड़े रखना;

(11) परियोजनाओं और अन्य अनवरत स्कीमों के मामले में प्रगति/ कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन से अपने आपको जोड़े रखना और यह देखना कि ऐसे मूल्यांकन अध्ययनों के परिणामों को बजट तैयार करते समय ध्यान में रखा जाए;

(12) लेखा परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा परीक्षा पैराओं आदि के निपटान पर नजर रखना;

(13) विभाग के अधिकारियों तथा भारतीय मानक ब्यूरो जो उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायतशासी निकाय है, के अधिकारियों के विदेशों में प्रतिनियुक्ति प्रस्तावों की भी जांच करना;

(14) भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न समितियों अर्थात वित्त समिति, स्थायी कर्मचारी समिति और कार्यकारी समिति में केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करना;

(15) लेखा परीक्षा रिपोर्टों और विनियोजन लेखाओं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की रिपोर्टों पर तुरत कार्यवाही सुनिश्चित करना;

(16) वित्त मंत्रालय की स्वीकृति अथवा सलाह के लिए भेजे जाने वाले सभी व्यय प्रस्तावों की जांच करना;

(17) वित्त मंत्रालय को तिमाही स्टाफ विवरण तथा अन्य रिपोर्टों और विवरणियों का नियमित रूप से और समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना।

fu;=d v©j egkys[kk ijh{kd dh cdk;k ys[kk ijh{kk fjiksVksZ ij dh xbZ dkjokbZ ij uksV

15.3 नीचे तालिका में उल्लिखित 4 पैराओं को छोड़कर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्ष 2006 तक की रिपोर्टों में शामिल लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई पर सभी नोट पहले ही प्रधान लेखा निदेशक के कार्यालय द्वारा विधिक्षा के बाद वित्त मंत्रालय के मॉनीटरिंग सैल को भेज दिए गए हैं।

15.4 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्ष 2006 के लिए रिपोर्टों में शामिल लेखा परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में बकाया पैरा की स्थिति निम्नलिखित हैः—

rkfydk

क.सं.	पैरा सं.	वर्तमान स्थिति
1.	2006 की रिपोर्ट सं. 14 के पैरा 6.3.2.1	सी डब्ल्यू एफ प्रभाग से अब तक प्राप्त सूचना और की गई कार्रवाई से संबंधित संशोधित मसौदे तैयार किए जा रहे हैं।
2.	2006 की रिपोर्ट सं. 14 के पैरा 6.3.1	
3.	2006 की रिपोर्ट सं. 14 के पैरा 6.5(क)	6.2.2009 को की गई कार्रवाई संबंधी मसौदा प्राप्त हुआ और इसकी जांच की जा रही है।
4.	2006 की रिपोर्ट सं. 14 के पैरा 6.11	

foÒkxhÑr Òqxrku vkSj ys[kk LkaxBu

LkaxBukRed <kapk

15.5 लेखा संगठन समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों के लिए समग्र रूप में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक के समग्र संवर्ग नियंत्रण में कार्य करता है । तथापि, विभागीकृत लेखा प्रणाली के तहत उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं जो अपने कार्य का निर्वहन उपभोक्ता मामले विभाग के अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के माध्यम से उनकी सहायता से करते हैं।

15.6 उपभोक्ता मामले विभाग के विभागीकृत भुगतान और लेखा संगठन में नई दिल्ली में एक प्रधान लेखा कार्यालय के अलावा चार भुगतान और लेखा कार्यालय हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अवस्थित हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक उपभोक्ता मामले विभाग के साथ–साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, जिसके भी नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में चार भुगतान और लेखा कार्यालय है, के संबंध में भुगतान और लेखा संगठन का अध्यक्ष है ।

dk;Z ,oa ftEesnkfj;ka

15.7 मुख्य लेखा नियंत्रक के तहत भुगतान और लेखा संगठन निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है:–

(i) भुगतान और लेखा कार्यालयों तथा सरकारी सेवकों तथा अन्यों को वेतन और भत्तों, भविष्य निधि दावों, कार्यालय आकस्मिक खर्चों, विविध भुगतानों, ऋणों और अग्रिमों के साथ–साथ सहायता अनुदान के चैक आहरण और संवितरण अधिकारियों के जरिए भुगतान की व्यवस्था कराना। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 8 भुगतान और लेखा अधिकारी, 2 चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा 40 गैर–चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। गैर–चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने दावों/बिलों को प्रत्यायित भुगतान और लेखा अधिकारियों को प्रस्तुत करते हैं जो बिलों की जांच के बाद चैक जारी करते हैं । चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारी संगत नियंत्रणों का अनुपालन करने के बाद वेतन और आकस्मिक दावों का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत हैं। चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्रत्यायित बैंक शाखाओं को भुगतान और लेखा अधिकारियों द्वारा उनके पक्ष में जारी किए गए लैटर ऑफ क्रेडिट के आधार पर प्रत्यायित बैंक शाखाओं को चैक जारी करते हैं।

(ii) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संबंध में पेंशन भुगतान आदेश जारी करना और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करना ।

(iii) उपयोग प्रमाण–पत्रों का पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग।

(iv) राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों को ऋणों और सहायता अनुदानों का रिकार्ड रखना ।

(v) एफ आर बी एम अधिनियम, 2003 के तहत घोषणा और रिपोर्टिंग अपेक्षा।

(vi) मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकायों को तकनीकी सलाह ।

(vii) आशोधित रोकड़ प्रबंधन प्रणाली के तहत व्यय की समीक्षा ।

(viii) आंतरिक लेखा परीक्षा यूनिट मंत्रालय के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों

के कार्यालयों तथा अन्य लेखा परीक्षा योग्य यूनिटों के निरीक्षण और आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है । मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा 'वैल्यू ऑफ मनी आडिट' अर्थात कार्य–निष्पादन लेखा परीक्षा भी की जा रही है । नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2007 के दौरान स्कीमों की जोखिम लेखा परीक्षा करवाने की इच्छा जाहिर की थी और आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा उसको शुरू कर दिया गया है।

15.8 इस मंत्रालय का प्रधान लेखा कार्यालय मासिक लेखा, व्यय विवरण, योजना व्यय पुनरावलोकन और वार्षिक लेखा जैसी आवधिक रिपोर्टें बनाता है। मासिक लेखे प्राप्तियों और भुगतानों, शीर्षवार लेखा नियंत्रण का समग्र चित्र प्रस्तुत करते हैं, वार्षिक लेखे वर्ष के दौरान विभाग के वित्तीय स्थिति का सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं । प्रधान लेखा कार्यालय कान्टैक्ट नामक अन्य साफ्टवेयर के जरिए विभिन्न प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा उसको प्रस्तुत किए गए मासिक लेखों को संकलित करता है । मंत्रालय के संकलित लेखा को भारत संघ के लेखों में शामिल करने के लिए वित्त मंत्रालय, महालेखा नियंत्रक को भेजा जाता है । कान्टैक्ट का प्रयोग करते हुए अनेक रिपोर्टें तैयार की जाती हैं ।

15.9 भुगतान और लेखा कार्यालयों में भुगतान और लेखा कार्यालय के मुख्य लेखा कार्य काम्पैक्ट साफ्टवेयर पर किया जाता है और प्रधान लेखा कार्यालय में कार्य कर रहे कान्टैक्ट साफ्टवेयर को इनपुट की आपूर्ति की जाती है । इसका निर्माण और विकास उपलब्धता, वहनीयता, सुरक्षा और अनुरक्षणीयता जैसी सभी साफ्टवेयर प्रणाली विशेषताओं को पूरा करने के प्रयास के साथ किया गया है । इस साफ्टवेयर की विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

(i) यह लेखा के निम्नतम स्तर पर है और लेखा प्रणाली के उच्चतर स्तरों को आगे की कार्रवाई के लिए सूचना प्रदान करता है ।

(ii) यह सभी लेखा और भुगतान कार्यों अर्थात प्री चैक, बजट, संकलन, सामान्य भविष्य निधि और पेंशन को कवर करता है।

(iii) इसका उद्देश्य प्रधान लेखा कार्यालय में कान्टैक्ट साफ्टवेयर डाटाबेस में शामिल करने के लिए इलेक्ट्रानिक फार्मेट में मासिक संकलित लेखा डाटा तैयार करना है।

(iv) यह व्यय नियंत्रण रजिस्टर, प्राप्तियों बनाम व्यय तुलना, तिथिवार मासिक विवरण आदि जैसे व्यय विश्लेषण के लिए विभिन्न प्रबंधकीय रिपोर्टें प्रदान करता है ।

(v) यह प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले चैकों की तैयारी/मुद्रण में मदद करता है ।

15.10 ई–लेखा जी2जी ई–प्रशासन कार्रवाई है। काम्पैक्ट साफ्टवेयर के कार्यक्षेत्र को अब दैनिक क्लोजिंग एकाउटिंग और प्रशासनिक डाटा सबसैट तैयार करने के लिए लागू किया गया है जिसको प्रत्येक भुगतान और लेखा कार्यालय से प्रतिदिन के अंत में सेंट्रल डाटा बेस सर्वर पर भेजा जा सकता है। जब भी डाटा बेस सर्वर पर 300 भुगतान और लेखा कार्यालयों में से प्रत्येक से डाटा प्राप्त होंगे, यह वेब आधारित अनुप्रयोग तथ्य आधारित वित्तीय प्रबंधन के लिए

ऑन लाइन वित्तीय सूचना प्रणाली को सुकर बनाएगा ।

15.11 आंतरिक लेखा परीक्षा मुख्य लेखा नियंत्रक के समग्र नियंत्रणाधीन 3 लेखा परीक्षा पार्टियों द्वारा की जाती है जिनमें से दो कोलकाता में और एक नई दिल्ली मुख्यालय में हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा से निर्णयकर्ताओं को रिकार्ड प्रबंधन, विभिन्न वित्तीय और लेखा मैनुअलों के कार्यान्वयन वित्तीय अनियमितताओं और प्रक्रिया संबंधी कमियों को उजागर करने में सहायता मिलती है।

15.12 वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2/2009 तक के दौरान 42 यूनिट लेखा परीक्षा की परिधि में आए । वर्ष 2008–09 से फरवरी, 2009 तक के दौरान 35 यूनिटों की लेखा परीक्षा की गई और 10 सहायता अनुदान संस्थाओं के लेखा परीक्षा के तहत लाने के लिए चिन्हित किया गया जिनमें से 05 संस्थाओं की लेखा परीक्षा की गई । 4 सहायता अनुदान संस्थाओं को छोड़ दिया और आगे उनके लिए कोई अनुदान जारी नहीं किया गया और एक अनुदान संस्थान को छोड़ दिया गया।

15.13 लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए अनेक अनुच्छेदों के परिणामस्वरूप 11,89,847/–रुपए के अतिरिक्त भुगतान की वसूली हुई और विभिन्न लेखा परिक्षितियों/प्राधिकरणों/संस्थाओं से 968,02,67,072/–रुपए सरकारी लेखाओं की गैर–वसूलियों तथा 1,44,82,413/–रुपए के निष्फल/अनियंत्रित व्यय का पता लगा। आंतरिक लेखा परीक्षा पार्टियों द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को रिकार्डों तथा लेखाओं के समुचित रख–रखाव के लिए सुझाव भी दिए गए । भुगतान भारत सरकार के नियमों और उपबंधों के अनुसार करने की भी सलाह दी गई।

15.14 उपरोक्त के अलावा आंतरिक लेखा परीक्षा विंग ने जोखिम पर आधारित लेखा परीक्षा के लिए 'विलेज ग्रेन बैंक' और ''कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्टर'' जैसी योजनाओं पर अध्ययन संचालित किया और लेखा महानियंत्रक के समक्ष विलेज ग्रेन बैंक को प्रस्तुत किया।

miyfC/k;k

(1) आंतरिक लेखा परीक्षा यूनिट ने 45 यूनिटों की आंतरिक लेखा परीक्षा मार्च, 2009 तक पूरी की।

(2) गैर सरकारी संगठन का लेखा भी आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा किया जा रहा है।

(3) वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए ''लेखा एक नजर में'' मासिक लेखा व्यय, राज्य सरकारों को सलाह के बारे में मंजूरियां आदि मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(4) आई एन जी ए एफ और एन आई एफ एम के तहत मार्च 2009 तक 20 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।

miHkkDrk ekeys foHkkx ds lc/k es foRrh; o"kZ 1999&2000 ls 2008&09 dk ctV vuqekuq] la'kksf/kr vuqeku vkSj okLrfod 0;; dk n'kkZrk fooj.k

(करोड़ रुपए मे)

o"kZ	foHkkx	Ekkax la[;k	ctV vuqeku			la'kksf/kr vuqeku			okLrfod 0;;		
			;kstuk	;kstuk&fHkUu	Dqy	;kstuk	;kstuk&fHkUu	Dqy	;kstuk	;kstuk&fHkUu	Dqy
1999-2000	miHkkDrk ekeys foHkkx	8	16.50	9.66	26.16	14.00	24.08	38.08	13.36	13.02	26.38
2000-2001	miHkkDrk ekeys foHkkx	40	10.00	12.06	22.06	9.50	42.71	52.21	9.86	44.23	54.09
2001-2002	miHkkDrk ekeys foHkkx	36	8.50	37.55	46.05	10.77	63.24	74.01	9.24	60.90	70.14
2002-2003	miHkkDrk ekeys foHkkx	39	10.15	52.48	62.63	7.50	75.33	82.83	7.13	88.85	95.98
2003-2004	miHkkDrk ekeys foHkkx	18	9.67	24.76	34.43	9.67	32.98	42.65	8.24	34.85	43.09
2004-2005	miHkkDrk ekeys foHkkx	18	18.25	32.55	50.80	18.25	64.81	83.06	36.11	43.26	79.37
2005-2006	miHkkDrk ekeys foHkkx	17	107.94	56.90	164.84	90.00	59.89	149.89	86.09	34.04	120.13
2006-2007	miHkkDrk ekeys foHkkx	17	163.00	68.00	231.00	150.00	52.66	202.66	133.96	35.43	169.39
2007-2008	miHkkDrk ekeys foHkkx	17	213.00	57.24	270.24	150.00	54.35	204.35	105.83	36.68	142.51
2008-2009	miHkkDrk ekeys foHkkx	15	209.00	55.03	264.03	160.00	253.65	413.65	151.71	189.40	341.11*

* iz/kku ys[kk dk;kZy; }kjk ;Fkklwfpr 31 ekpZ 2009 rd dk 0;;

****

v/;k;&XVI

viax 0;fDr;ksa ds ykHkkFkZ Ldhesa

fofHkUu lewgksa esa viax 0;fDr;ksa dh la[;k n'kkZus okyk fooj.k
¼31-03-2009 dh fLFkfr ds vuqlkj½

मंत्रालय/विभाग का नामः उपभोक्ता मामले विभाग
कार्यालय/संगठनः

in lewg	Lohd`r in	rSukr deZpkfj;ksa dh la[;k	dkye 3 esa ls 'kkjhfjd :i ls fodykax deZpkfj;ksa dh la[;k		
			nf`"V fodykax	J0; fodykax	vfLFk fodykax
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
समूह क	218	160	-	-	1
समूह ख	372	228	-	-	2
समूह ग	380	320	1	3	3
समूह घ	279	236	2	3	6
;ksx	**1249**	**944**	**3**	**6**	**12**

****

होली की शुभकामनाएं

होली की उमंग,
प्राकृतिक रंगो के संग

सयानी रानी की जुबानी....

- होली का आनंद पर्यावरण के अनुकूल रंगो का प्रयोग करके लिया जा सकता है।
- प्राकृतिक रंग सस्ते होते हैं।
- प्राकृतिक रंग घर पर बनाए जा सकते हैं।

उपभोक्ता पारस्थितिकी के अनुकूल रंगो को बढ़ावा दें

जागो ग्राहक जागो

प्राकृतिक रंगो का त्यौहार....
सुरक्षित और सुन्दर

उपभोक्ता राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर
1800–11–4000 (निःशुल्क) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
(बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से)
अथवा 011–27662955,56,57,58 (सामान्य कॉल दरें)
(9.30 प्रातः से 5.30 सायं – सोमवार से शनिवार)

जनहित में जारी

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110 001 : वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

''उपभोक्ता:
जागरूक रहें, सुरक्षित रहें''

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110114
Websites: www.fcamin.nic.in, www.core.nic.in

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन : 1800-11-4000

मुद्रित : चंदू प्रेस, डी-97, शकरपुर, दिल्ली-92